# लोक-सभा वाद-विवाद
# का
# संक्षिप्त अनदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION
# OF

## 5th
## LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र]
[Second Session]

[खंड 4 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. IV contains Nos. 21 to 30]

**लोक-सभा सचिवालय**
**नई दिल्ली**
**LOK SABHA SECRETARIAT**
**NEW DELHI**

मूल्य : एक रुपया

Price One Rupee

# विषय-सूची/CONTENTS

अंक 22, मंगलवार, 22 जून, 1971/1 आषाढ़, 1893 (शक)
No. 22, Tuesday, June 22, 1971, Asadha 1, 1893 (Saka)

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS


| ता० प्र० संख्या S. Q. Nos. | विषय Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| 634 | केरल में मोटर टायर फैक्टरी की स्थापना के लिए लाइसेन्स जारी किया जाना / Issue of Licence for setting up of a Automobile Tyre Factory in Kerala | 1-2 |
| 635 | हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड भोपाल को हानि / Loss incurred to Heavy Electricals (India) Limited, Bhopal | 2-5 |
| 636 | लघु उद्योगों के विकास के लिये आरक्षित उद्योग / Industries reserved for Development In Small Scale Sector | 5-6 |
| 644 | इंडिया इलैक्ट्रिक्स वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता को फिर से खोला जाना / Reopening of India Electric Works Ltd. Calcutta | 7-8 |
| 647 | उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का प्रतिवेदन / Report of North Bengal Flood Control Board | 8-10 |
| 648 | ईस्टर्न रेलवे कोल एंड "हैंडलिंग मजदूर यूनियन" द्वारा दिया गया ज्ञापन / Memorandum by the Eastern Railway Coal and Ash Handling Mazdoor Union | 10-11 |
| 649 | बिना-टिकट यात्रा की घटनायें / Incidence of Ticketless Travelling | 11-13 |
| 650 | दिल्ली में कोयला सप्लाई करने के लिये माल डिब्बे / Wagons for the Supplyof Coal in Delhi | 13-14 |
| 655 | मुरादाबाद जिले में गंगा नदी पर बाँध का निर्माण करने की योजना / Scheme to construct a Dam on Ganga river in Moradabad District | 14-15 |
| 657 | श्रवणातीत रेल परीक्षण उपकरण / Ultra-Sonic Rail Testing Equipment | 15-16 |
| 659 | उत्कल एक्सप्रेस की दैनिक सेवा / Daily Service of Utkal Express | 16 |
| 660 | नमक के लदान के लिए फलोडी रेलवे स्टेशन के लिए रेल डिब्बों का कोटा / Wagon Quota for Phalodi Station for loading of Salt | 16-18 |


किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| ता० प्र० सं० S. Q. Nos. | | |
| 631 केरल में टेपिओका पर आधारित उद्योगों की स्थापना | Setting up of Tapioca-Based Industries in Kerala | 18 |
| 632 वन सागर बाँध का निर्माण बन्द करना | Stoppage of the Construction of Van Sagar Dram | 18-19 |
| 640 सियालदाह के समीप कंखूरगाची के स्थान पर रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना | Train Derailment at Kankhurgachi near Sealdah | 20 |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर | **Witten Answers to Questions** | |
| ता० प्र० संख्या S. Q. Nos. | | |
| 633 राजस्थान में उठाऊ सिंचाई योजना की प्रगति | Progress of the Lift Irrigation Scheme—Rajasthan | 20 |
| 637 बरास्ता फूलबानो खुरदा रोड से बोलनगीर जिले तक रेल लाइन | Railway Line from Khurda Road to Bolangir District via Phulbani | 21 |
| 638 चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन में सुधार | Improvement in Chandigarh Railway Station | 21 |
| 639 केरल खादी और ग्राम उद्योग, त्रिवेन्द्रम के खातों में कथित अनियमितताएं | Alleged Irregularities in the Accounts of Kerala Khadi and Village Industries Trivandrun | 21-22 |
| 641 व्यापार गृहों को लाइसेंस देना | Issue of Licences to Business Houses | 22 |
| 642 उत्तर प्रदेश में तिहरी और मनेरी भाली बांधों के निर्माण में हुई प्रगति | Progress of Construction of Tehri and Maneri Bhali Dams in Uttar Pradesh | 22-23 |
| 643 भारतीय रेलवे में द्वितीय श्रेणी को समाप्त करने के बारे में प्रस्ताव | Proposal regarding Abolition of Second Class on Indian Railways | 23 |
| 645 आन्ध्र प्रदेश में विदेशी सहयोग से शराब बनाने के एक कारखाने की स्थापना | Setting up of a Distillery in Andhra Pradesh With Foreign Collaboration | 23-24 |
| 646 मैसर्स एस्कार्ट्स लिमिटेड को लाइसेंसों का दिया जाना | Issue of Licences to M/s Escorts Ltd. | 24 |
| 651 एस०एस० लाइट रेलवे के महाप्रबन्धक के साथ रेलवे लाइन को फिर से खोलने के बारे में विचार विमर्श | Discussion with General Manager, S.S. Light Railway re re-opening of the Line | 24-25 |
| 652 ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदियों को मिलाना | Linking of Brahmaputra and Indus Rivers | 25 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| ता० प्र० सं० S. Q. Nos. | | |
| 653 चिन्ना सेलम से चिंगलपुट (दक्षिण रेलवे) तक रेलवे लाइन | Railway line from Chinna Salem to Chingleput (Southern Rly.) | 25 |
| 654 लघु उद्योगों के बारे में अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन | Afro-Asian Conference on small scale Industries | 25-26 |
| 656 कलकत्ता में बिजली की कमी | Power shortage in Calcutta | 26-27 |
| 658 'सिरुवण' के जल के बारे में तमिलनाडु और केरल के बीच विवाद | Dispute between Tamil Nadu and Kerala over Siruvani Water | 27-28 |
| अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos. | | |
| 2703 मध्य प्रदेश में सुकता बाँध का निर्माण | Construction of Sukta Dam in Madhya Pradesh | 28 |
| 2704 मध्य प्रदेश में ग्राम विद्युती करण योजनाएं | Rural Electrification Schemes in Madhya Pradesh | 28-30 |
| 2705 मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों के माध्यम से बिजली की सप्लाई | Supply of Electricity through Rural Electricity Co-operatives in Madhya Pradesh | 30 |
| 2706 केरल में समुद्र कटाव की समस्या | Problem of Sea Erosion in Kerala | 30-31 |
| 2707 आवाडी (दक्षिण रेलवे) पर मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों को रोकने के लिए अनुरोध | Reques for Stoppage of Mail/Express Trains at Avadi (Southern Railway) | 31 |
| 2708 मध्य प्रदेश में वाणिज्यिक सिचाई योजना के अन्तर्गत कम दरों पर जल की सप्लाई | Supply of Water at Low Rates under Commercial Irrigation Scheme in Madhya Pradesh | 31 |
| 2709 मध्य प्रदेश में सुकता बाँध परियोजना के सम्बन्ध में हुई प्रगति | Progress made in regard to Sukta Dam Project in Madhya Pradesh | 31 |
| 2710 रेलवे में अदायगी सम्बन्धी अनियमितताएं | Irregularities in Payments in Railways | 31-32 |
| 2711 विदेशी सहयोग से उद्योगों की स्थापना | Industries with Foreign Collaboration | 32 |
| 2712 रेलवे क्वार्टरों की सुविधा से वंचित उत्तर रेलवे के स्थायी सहायक रेल पथ निरीक्षकों को पट्टे पर आवासों का दिया जाना | Leased Accommodation to Assistant Permanent way Inspectors of Northern Railway not provided with Railway Quarters | 32 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos. | | |
| 2713 राज्यों में बिजली की कमी | Shortage of Electricity in States | 33 |
| 2714 मैकैन्जीस लिमिटेड बम्बई का बन्द हो जाना | Closure of Mekenzies Ltd. Bombay | 34 |
| 2715 रेल प्रयोक्ता समितियाँ | Railway Users Committees | 34 |
| 2716 नेपाल के लिये आयातित सामान की चोरियाँ | Theft and Pilferage of Imported goods meant for Nepal | 35 |
| 2717 नाइजिरिया को रेल डिब्बों का निर्यात | Export of Railway Coaches to Nigeria | 35-36 |
| 2718 बाढ़ों से होने वाली हानियों के लिए राज्यों को सहायता | Assistance to States for Damages due to Floods | 36-37 |
| 2719 टेक्टार हाल्ट (पूर्वोत्तर रेलवे) पर इस समय ठेके पर दिये जा रहे टिकट एकत्र करने के कार्य को अधिकार में लेना | Take over to Ticket Collection job now given on contract at Taktar Halt (North-Eastern Railway) | 37-38 |
| 2720 विदेशों को दी जाने वाली भारतीय तकनीकी जानकारी | Indian Technical Know-how provided to Foreign Countries | 38-39 |
| 2721 पश्चिमी रेलवे के अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय, दिल्ली के सफाई वालों को वर्दियाँ दिया जाना | Supply of Uniforms to Safaiwalas of FTA office, Delhi (Western Railway) | 39 |
| 2722 हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा मशीनों का उत्पादन | Production of Machines by Hindustan Machine Tools Ltd. | 39 |
| 2723 इलैक्ट्रिक लोको शेड, कानपुर में रेलवे विद्युती करण के कर्मचारियों को काम देना | Absorption of Employees of Railway Electrification in Electric Locoshed Kanpur | 39-40 |
| 2724 विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद | Vacancies in the various High Courts | 40 |
| 2725 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या | Vacancies against the approved strength of the Supreme Court | 40-41 |
| 2726 यातायात और इंजीनियरिंग विभाग (उत्तर रेलवे) में श्रेणी 2 के पदों से वरिष्ठ वेतन-मान में पदोन्नति | Promotion of Class II posts to Senior seale in Transportation and engineering Department (Northern Railway) | 41-42 |
| 2727 लाइसेन्सों के लिये गुजरात से प्राप्त अभ्यावेदन | Applications from Gujrat for Licences | 42 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos. | | |
| 2728 मुआवजों के दावों के बारे में विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन | Report of expert Committee on Compensation Claims | 42 |
| 2729 रास्ते में माल खो जाने के कारण हुई हानि की वाणिज्यिक कल्कों से वसूली | Recovery from Commercial Clerks for goods lost in Transit | 42-43 |
| 2730 व्यास सतलुज लिक परियोजना के निर्माण के दौरान मरने वाले श्रमिकों और कर्मचारियों के परिवारों को सहायता | Assistance to families of construction workers and employees who died during the construction of Beas Sutlej Link Project | 43 |
| 2731 कोटा (राजस्थान) स्थित डी० सी० एम० फैक्टरी की ओर रेलवे की बकाया राशि | Railway dues outstanding against D. C. M. facory at Kota (Rajasthan) | 43 |
| 2732 समस्तीपुर और दरभंगा (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच चल रही गाड़ियों का बन्द किया जाना | Withdrawal of trains operating between Samastipur and Darbhanga (North Eastern Railway) | 44 |
| 2733 श्री नारायण कालिज, क्यूलोन (केरल) से पूर्व ट्रेन-हाल्ट | Train halt before Srinarayana College Quilon, Kerala | 44 |
| 2734 आरक्षित कोटा की भरने के लिये अनुसूचित जातियों तथा, अनुसूचित आदिम जातियों को प्रशिक्षण | Training to Scheduled Castes and Scheduled Tribes to fill the reserved Quota | 44-45 |
| 2735 बड़ानगर, पश्चिम बंगाल को वैस्टर्न इंडिया मैच कम्पनी फैक्टरी का बन्द किया जाना | Closure of Wimco Factory Baranagar West Bengal | 45 |
| 2736 लेखानुभाग के कर्मचारियों द्वारा मंत्री और रेलवे बोर्ड के सचिव को अभ्यावेदन | Representations by staff of Accounts Department to Minister and Secretary Railways Board | 45-46 |
| 2737 ओलवाकोट डिवीजन (दक्षिण रेलवे) में यात्री टिकट निरीक्षकों की नियुक्ति | Posting of travelling ticket examiners in the Olavakkot Division (Southern Railway) | 45 |
| 2738 वेतनमान की अधिकतम राशि पर रुके हुए कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाना | Increment benefit to those stagnating at maximum of pay scale | 46 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० सं० | | |
| U. S. Q. Nos. | | |
| 2739 जालंधर में कोयले के लावारिस डिब्बों की जाँच | Enquiries into unclaimed coal wagons at Jullunder | 46 |
| 2740 फोरन ट्रैफिक एकाउन्ट्स आफिस, दिल्ली और ट्रैफिक एकाउन्ट्स आफिस, अजमेर (पश्चिम रेलवे) में प्राप्त अभ्यावेदन | Representations received in Foreign Traffic Accounts Office, Delhi and Traffic Accounts Office, Ajmer (Western Railway) | 46-48 |
| 2742 उत्तर बंगाल क्षेत्र में नई रेलवे लाइन बिछाने की योजना | Scheme to lay new raiway line in North Bengal region | 48 |
| 2743 ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में औद्योगिक बस्तियाँ | Industrial Estates in rural and urban areas | 48-51 |
| 2744 मध्य प्रदेश से लाइसेंसों के लिये प्राप्त आवेदन पत्र | Applications received from Madhya Pradesh for licences | 51-52 |
| 2745 लेलवे वर्कशाप लिलुआ (पूर्व रेलवे) के श्रमिकों के मामले में निर्णय | Judgment in the case of Workers of Railway Workshop Liluah (Eastern Zone) | 52 |
| 2746 रेलवेज में लगाये गये संगणक और इनके लिए अपेक्षित स्टेशनरी का मूल्य | Computers installed on Railways and Cost of Stationery Feeding them | 52-53 |
| 2747 उड़ीसा के लिये रेलवे सेवाआयोग का कार्यालय भुवनेश्वर में खोला जाना | Establishing Office of Railway Service Commission for Orissa at Bhubaneswar | 53 |
| 2748 खुर्डा रोड प्रभाग (दक्षिण पूर्व रेलवे) में कर्मचारियों की छंटनी और कार्यभार में वृद्धि | Retrenchment of Staff and Increase in the Workload Khurda Road Division (South Eastern Railway) | 53 |
| 2749 जगाधरी-चंडीगढ़ लुधियाना रेल लिक | Jagadhri Chandigarh Ludhiana Rail Link | 53 |
| 2750 सिन्धु परियोजना द्वारा ग्वालियर डिवीजन का विकास | Development of Gwalior Division by Sindhu Project | 54 |
| 2751 रेल पथ निरीक्षकों को भण्डार के उत्तरदायित्व से विमुक्त करना | Withdrawal of Stores Responsibilities from Permanent Way Inspectors | 54 |
| 2752 रेल-पथ निरीक्षकों और सहायक रेल पथ-निरीक्षकों को रात्रि की ड्यूटी का भत्ता | Night Duty Allowance to Permanent Way Inspectors and Assistant permanent way Inspectors | 54 |
| 2753 विहार के लिये अलग से रेलवे जोन | Separate Railway Zone for Brhar | 54-55 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos. | | |
| 2754 तुमकुर (मैसूर) जिले में उद्योगों की स्थापना | Setting up of Industries in Tumkur District (Mysore) | 55-57 |
| 2755 उद्योगों का बंगलौर से मैसूर राज्य तुमकुर जिले को स्थानान्तरण | Diverson of Industries from Bangalore to Tumkur District in Mysore State | 57 |
| 2756 मैसूर राज्य में हेमवती परियोजना का पूरा किया जाना | Completion of Hemavati Project in Mysore State | 57 |
| 2758 सियालदाह डिविजन (पूर्व रेलवे) में 22 मई, 1971 को रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना | Cancellation of Trains in Sealdah Division (Eastern Railway) on 22nd May, 1971 | 58 |
| 2759 मालदाह (पश्चिम बंगाल) में ताप बिजली घर | Thermal Power Station at Maldaha (West Bengal) | 58 |
| 2760 मनीपुर में तकैल में औद्योगिक बस्ती की स्थापना | Establishment of Industrial Estate at Takyel in Manipur | 58-59 |
| 2761 पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बाढ़ से बचाव सम्बन्धी कार्य | Flood Protection Work by West Bengal Government | 59 |
| 2762 फरक्का बाँध परियोजना को पूरा करना | Completion of Farakka Barrage Scheme | 59 |
| 2763 न्यू कूच बिहार से न्यू गितालदाह के बीच बड़ी लाइन (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) | Broad Gauge Line from New Cooch Behar to New Gitaldah (North-east Frontier Railway) | 60 |
| 2764 हल्दियाबाड़ी से जलपाईगुड़ी (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) के बीच रेलवे लाइन का पुनः चालू किया जाना | Reopening of Railway Line from Haldi Bari to Jalpaiguri (North-east Frontier Railway) | 60 |
| 2765 दिल्ली तथा बम्बई के बीच राजधानी एक्सप्रेस की तरह की रेलगाड़ी का चलाया जाना | Introduction of Rajdhani Express-type Train between Delhi and Bombay | 60-61 |
| 2766 उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड क्षेत्र में बाँध परियोजनाएं | Dam Projects in Uttarakhand region in U. P. | 61 |
| 2767 हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन द्वारा उत्तराखंड में कागज मिल की स्थापना | Setting up of a Paper Mill in Uttarakhand by Hindustan Paper Corporation | 61 |
| 2768 उत्तर प्रदेश में ग्राम्य विद्युतीकरण | Rural electrification in Uttar Pradesh | 61-62 |
| 2769 यमुना और चम्बल नदियों का रुख राजस्थान की ओर बदलना | Diversion in the flow of Yamuna and Chambal rivers to Rajasthan | 63 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos. | | |
| 2770 इन्दौर-सियागंज रेलवे (मध्य प्रदेश) पर पुल का निर्माण | Bridge at Indore-Siaganj Railway crossing (Madhya Pradesh) | 63 |
| 2771 दियासलाई उद्योग के लिये कच्चे माल की कमी | Shortage of raw material for match factories | 63-64 |
| 2772 छपरा के निकट डाकुओं द्वारा गोरखपुर यात्री रेलगाड़ी पर आक्रमण | Attack by dacoits on Gorakhpur Passenger Train near Chupra | 64 |
| 2773 पूर्वी रेलवे के सियालदाह डिवीजन में डमडम से बोनगाँव तक दूसरी रेलवे लाइन | Second Railway line from Dum Dun to Bongaon in Sealdah Division (Eastern Railway) | 64-65 |
| 2774 दिल्ली बाढ़ नियंत्रण विंग के कर्मचारियों के कर्मिक संघ की मान्यता | Reorganisation of Trade Union of workers of Delhi Flood Control wing | 65 |
| 2775 हरिजनों तथा समाज की अन्य कमजोर श्रेणियों के लोगों के क्षेत्रों का विद्युतीकरण | Electrification of Harijan Areas and other Weaker Sections of the Society | 65-66 |
| 2776 वायरलेस आपरेटरों को रेडियो टेलीप्रिन्टर आपरेटरों के रूप में काम करने पर 'पारी के बिना' भत्ते का भुगतान | Payment of Out turn Allowance to Wireless Operators for working on Radio Teleprinters | 66 |
| 2777 बकाया पड़े कार्य को समाप्त करने हेतु मद्रास में वायरलैस आपरेटरों का भेजा जाना | Posting of Wireless Operators at Madras to Clear Arrears | 66 |
| 2778 दक्षिण रेलवे पर टेलिप्रिंटर आपरेटरों द्वारा विभिन्न कार्यों का किया जाना | Different Duties performed by Teleprinters Operators on Southern Railway | 67 |
| 2779 दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में रेलवे आरक्षण | Reservation at Delhi, Bombay Madras and Calcutta | 67-68 |
| 2780 मोदी उद्योग समूह को लायसेंस देना | Issue of Licences to Modi Group of Industries | 68 |
| 2781 पर्याप्त माल डिब्बे सप्लाई न किये जाने के कारण गेहूँ की क्षति | Damage of Wheat due to Non-Supply of Sufficiten Railway wagons | 68-69 |
| 2783 व्यास-सतलुज लिंक प्रोजैक्ट के कर्मचारियों द्वारा वेतनमानों तथा सेवा शर्तों की पुनरीक्षित करने की माँग | Demand for Revision of Pay Scales and Service conditions of staff of Beas Sutlej Link Project | 69 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos. | | |
| 2784 पश्चिमी कोसी नहर का मार्ग निर्धारण करने हेतु नेपाल सरकार से अनुमति प्राप्त करना | Approval of Nepal Government for West Kosi Alignment | 69-70 |
| 2 785 भारत तथा यूरोप में निर्मित मोटर कारों की लागत की तुलना | Comparative cost of Motor Cars manufactured in India and in Europe | 70 |
| 2786 उत्तरी बिहार में विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत | Per capita consumption of power in North Bihar | 70-71 |
| 2787 उत्तरी बिहार में कागज मिल की स्थापना | Setting up of a paper mill in North Bihar | 71 |
| 2788 पश्चिमी रेलवे के दर्दी स्टेशन के स्टेशन मास्टर की मृत्यु | Death of Station Master, Derdi (Western Railway) | 71-72 |
| 2789 कोयले के अभाव में ईंटें पकाने वाले तथा गृह निर्माण उद्योगों को हानि पहुँचना | Brick-burning and housing industries suffering for want of coal | 72 |
| 2790 त्रिपुरा में बाढ़ संरक्षण बाँध | Flood protection embankment in Tripura | 72-73 |
| 2791 भाद्रख रेलवे स्टेशन (दक्षिण पूर्व रेलवे) पर पुराने पुल के स्थान पर नया पुल | Replacement of old Bridge at Bhadrakh Railway Station (South Eastern Railway) | 73 |
| 2792 रतलाम डिवीजन (पश्चिम रेलवे) में उपरिपुल | Over-bridge in Ratlam Division (Western Railway) | 73 |
| 2793 मध्य प्रदेश में सिंचाई कार्यों के लिये बिजली का उपयोग | Utilisation of electricity in Madhya Pradesh for Irrigation purposes | 73-74 |
| 2794 केन्द्रीय अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद | Translation of Central Acts into Hindi | 74 |
| 2795 थूरिया रेलवे स्टेशन (पश्चिम रेलवे) पर रेलगाड़ियों का रुकना | Halt of Trains at Thuria Railway Station (Western Railway) | 74 |
| 2 796 पटना सिटी रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा-गृहों में सुधार | Improvement in Waiting Halls at Patna City Railway Station | 74-75 |
| 2797 सहरसा जिले में कृषि तथा घरेलू कार्यों के लिये बिजली की व्यवस्था | Provision of electricity for agricultural and domestic purposes in Saharsa District | 75 |
| 2798 बिहारीगंज (पूर्वोत्तर रेलवे) में जूट को भेजने हेतु माल-डिब्बों का न मिलना | Non-availablity of Goods Wagons for despatch of Jute at Behariganj (North Eastern Railway) | 75-76 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos. | | |
| 2799 सहरसा पूर्णिया होकर मंसी जंकशन तथा कटिहार के बीच रेलगाड़ियों का देर से चलना | Late running of trains between Mansi jn. and Katihar, jn. via Saharsa and Purnea | 76 |
| 2801 उत्तर रेलवे, दिल्ली में स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों के स्थानान्तरण सम्बन्धी नीति | Transfer policy for Station Master and Asstt. Station Master in Delhi Div. (Northern Railway) | 76 |
| 2802 गढ़वाल में गौनीचेरा बाँध | Gaunicherra Dam in Garhwal | 76-77 |
| 2803 कोटद्वारा तथा ऋषिकेश के लिए विशेष रेलबे-डिब्बे | Special trains bogie for Kotdwar and Rishikesh | 77 |
| 2804 दिल्ली से कोटद्वारा के लिए मसूरी एक्सप्रेस रेलगाड़ी में एक यात्री डिब्बे का पुनः लगाया जाना | Restoration of bogie to Mussorie Express from Delhi to Kotdwar | 77-78 |
| 2805 उच्चतम न्यायालय में कार्य कर रहे न्ययाधीशों की संख्या | Strength of Judges Serving in the Supreme Court | 78 |
| 2806 फरक्का बाँध परियोजना का पूरा किया जाना | Completion of Farakka Barrage Project | 78-79 |
| 2807 उत्तर प्रदेश में हलद्वानी से रामपुर तक बड़ी लाइन | Borad Gauge Line from Haldwani to Rampur in Uttar Pradesh | 79 |
| 2808 पटसन को कागज की लुगदी में परिवर्तित करना | Conversion of Jute into Paper Pulp | 79-80 |
| 2809 पटसन उद्योग में बिजली की कटौती | Power cut in jute Industry | 80 |
| 2810 सेलम में ग्लूकोज के कारखाने की स्थापना | Setting up of Glucose Factory at Salem | 81 |
| 2811 सब्जी मण्डी पानीपत सेक्शन के लिए रेलगाड़ी | Train for Subzimandi-Panipat Section | 81 |
| 2812 1 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश हेतु पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र | Applications for Registration with Investment upto Rupees one Crore | 82 |
| 2813 बहराइच (उत्तर प्रदेश) में बीड़ी और सिगरेट उद्योगों की स्थापना | Setting up of Bidi and Cigarette Industries in Bahraich (U.P.) | 82-83 |
| 2814 एल्कौक ऐशडाउन एण्ड कम्पनी लिमिटेड भावनगर (गुजरात) का बन्द होना | Cloure of Alcock Ashdown and Company Limited, Bhavnagar (Gujarat) | 83 |

| अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 2815 | खादी और ग्रामउद्योग आयोग की समिति द्वारा खादी तैयार करने के लिये छोटे कारखानों को प्रमाण-पत्र जारी किया जाना | Issue of Certificates to Small Units for Production of Khadi by Committee of K. V. I. C. | 83-84 |
| 2816 | धर्मनगर रेलवे स्टेशन पर माल की चोरी | Piferage at Dharamanagar Railway Station | 84 |
| 2817 | रेलवे बोर्ड कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी | Railway Board Cooperative Housing Society | 84 |
| 2818 | पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद् का ज्ञापन | Memorandum from Pashchim Railway Karamchari Parishad | 84-85 |
| 2819 | उत्तर रेलवे के आशुलिपिकों में व्याप्त निराशा | Frustration among Stenographers (Northern Railway) | 85-86 |
| 2820 | उत्तर रेलवे के प्रवर अधिकारियों के लिये उच्चतर ग्रेड के आशुलिपिक | Higher Grade Stenographers attached to Senior Officers (Northern Railway) | 86 |
| 2821 | केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के कृत्य | Functions of the Central Water and Power Commission | 87-88 |
| 2822 | केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति | Appointment of Chairman, Vice-Chairman and Members of Central Water and Power Commission | 88-89 |
| 2824 | आसाम में ग्रामों का विद्युतीकरण | Rural Electrification | 89 |
| 2825 | कलकत्ता महानगरीय क्षेत्र में विद्युत की आवश्यकता | Requirements of power in Calcutta Metropolitian Area | 89-90 |
| 2826 | हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भूतापीय कुओं से बिजली प्राप्त करना | Harnessing power from Geothermal wells in Kulu District in Himachal Pradesh | 90 |
| 2827 | राजस्थान में गाँवों का विद्युतीकरण | Electrification of villages in Rajasthan | 90-91 |
| 2828 | भारतीय रेलवे के हड़ताल से सम्बन्ध श्रमिक | Workers involved in strike on Indian Railways | 91 |
| 2829 | पश्चिम रेलवे में दावा खोजकर्त्ताओं के चयन के बारे में जाँच पड़ताल | Investigation into the selection of claim Tracers on Western Railway | 91 |
| 2830 | रेलवे कर्मचारियों के न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण रेलवे (पश्चिम रेलवे) द्वारा दावा राशि का भुगतान | Payment of claim by Railways due to staff's failure to attend court (Western Railway) | 91-92 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० सं० | | |
| U. S. Q. Nos. | | |
| 2831 पश्चिम रेलवे पर वाणिज्य निरीक्षकों और दावा खोजकर्त्ताओं का चयन | Selection of Commercial Inspector and Claim Tracers on Western Railway | 92-93 |
| 2832 तमिलनाडु के परमाणु उर्जा केन्द्र से आन्ध्र प्रदेश को विद्युत की सप्लाई | Supply of power to Andhra Pradesh from the Atomic Energy station in Tamil Nadu | 93 |
| 2834 भोपाल को लोको शैड में कोयले का नष्ट होना | Loss of coal in Loco Shed, Bhopal | 93-94 |
| 2835 पहाड़ी क्षेत्र (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) में रात के समय गाड़ियों का चलाना | Night Running of Trains in Hill Section (North East Frontier Railways) | 94 |
| 2836 वैगनों की कमी के कारण कछार त्रिपुरा और मिजो पहाड़ी क्षेत्रों के लिये अत्यावश्यक वस्तुओं का बुक न किया जाना | Non-booking of Essential Commodities for Cachar, Tripura and Mizo Hills due to shortage of wagons | 94 |
| 2837 दंडकारण्य बोलनगीर-किरिबुरु रेल लाइनों पर यात्री गाड़ियाँ | Passengers Trains on D. B. K. Railway Lines | 94 |
| 2838 उड़ीसा में इन्द्रावती बाँध परियोजना द्वारा कालाहांडी और कोरापुट जिलों में सिंचाई की सुविधा प्राप्त क्षेत्र | Irrigated Area in Kalahandi and Koraput Districts by Indrabati Dam Project in Orissa | 94-95 |
| 2839 विभाजन के पहले से उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े मामले | Cases Pending in High Courts since Pre-partition | 95 |
| 2840 अजय नदी पर सिक्तिया में बाँध का निर्माण | Construction of Barrage at Siktia on Ajoy River | 95-96 |
| 2841 ग्रेड 'ए' और 'बी' के छुट्टी रिजर्व गार्डों के लिये मुआवजा | Compensation to Leave Reserve Grade A and B guards | 96 |
| 2842 लखनऊ से बरौनी तक बड़ी रेलवे लाइन (पूर्वोत्तर रेलवे) | Broad Gauge Line From Lucknow to Barauni (North Eastern Railway) | 96 |
| 2843 केरल में समुद्र तट के भू-कटाव की समस्या | Problem of Sea Erosion in Kerala | 97-98 |
| 2844 अम्बत्तूर स्टेशन के रेलवे फाटक पर उपरिपुल | Overbridge at Level Crossing at Ambattur Station | 98 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos. | | |
| 2845 सेंट थामस माउन्ट और मीनाम्बक्कम (दक्षिण रेलवे) के बीच एक स्टेशन का निर्माण | Construction of a station between Saint Thomas Mount and Meenambakkam (Southern Railway) | 98 |
| 2846 दक्षिण रेलवे पर सोडा वाटर के स्टाल-धारियों से वसूल किये जाने वाले लाइसेंस में वृद्धि | Increase in Licence Fee charged from Sodawater Stall Holders on Southern Railway | 98-99 |
| 2847 उत्तर बंगाल, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में बिजली की कमी | Power shortage in North Bengal Meghalaya, Manipur and Tripura | 99-100 |
| अल्प -सूचना-प्रश्न | **Short Notice Question** | |
| 3 माल-डिब्बों की कमी के कारण खाद्यानों के परिवहन में विलम्ब | Delay in transporation of foodgrains due to shortage of wagons | 100-101 |
| अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना | Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance | 101-103 |
| चीनी विमान द्वारा चीनी साहित्य गिराये जाने का समाचार | Reported air dropping of Chinese Literature by a Chinese plane | |
| दिनांक 22 जून, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 740 के उत्तर में शुद्धि | Correction of Answer to S. Q. N. 640, dated 22-6-71 | 103-104 |
| श्री विभूति मिश्र | Shri Bibhuti Mishra | |
| श्री राम निवास मिर्धा | Shri Ram Niwas Mirdha | |
| सभा-पटल पर रखे गये पत्र | Papers laid on the Table | 104 |
| निर्वाचन विधियां संयुक्त समिति की नियुक्ति | Election Laws, Appointment of Joint Committee | 105-107 |
| दिल्ली सिख गुरुद्वारा (प्रबन्ध) विधेयक के बारे में सांविधिक संकल्प | Statutory Resolution re. Delhi Sikh Gurudwaras (Management) Bill | 107-113 |
| विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में | Motion to consider, as passed by Rajya Sabha | |
| श्री अटल बिहारी बाजपेयी | Shri Atal Bihari Vajpayee | |
| श्री एच० आर० गोखले | Shri H. R. Gokhale | |
| श्री दरबारा सिंह | Shri Darbara Singh | |
| श्री भान सिंह भौरा | Shri B. S. Bhaura | |
| श्री जी० विश्वनाथन | Shri Sat Pal Kapur | |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| श्री सतपाल कपूर | Satpal Kapoor | |
| श्री मोहिन्दर सिंह गिल | Shri Mohinder Singh Gill | |
| खंड 2 से 20 और 1 | Clauses 2 to 20 and 1 | |
| पारित करने का प्रस्ताव | Motion to Pass | |
| मैसूर राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक | Mysore State Legislature (Delegation of Powers) Bill | 113-121 |
| विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में | Motion to consider, as passed by Raiya Sabha | |
| श्री मोहसिन | Shri Mohsin | 113 |
| श्री मनोरंजन हाजरा | Shri Manoranjan Hazra | 114 |
| श्री के० मालन्ना | Shri K. Mallanna | 114 |
| श्री चन्द्र गौडा | Shri Chandra Gowda | 115 |
| श्री फूल चन्द वर्मा | Shri Phool Chand Verma | 116 |
| श्री डी० डी० देसाई | Shri D. D. Desai | 116 |
| श्री जी० विश्वनाथन | Shri G. Viswanathan | 116 |
| श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक | Shri B. V. Naik | 117 |
| श्री एम० सत्यनारायण राव | Shri M. Satyanarayan Rao | 118 |
| श्री एस० बी० पाटिल | Shri S. B. Patil | 118 |
| श्री पी० के० देव | Shri P. K. Deo | 119 |
| श्री पी० रंगानाथ शिनाय | Shri P. R. Shenoy | 119 |
| खंड 2, 3 और 1 | Clauses 2,3 and 1 | 121 |
| पारित करने का प्रस्ताव | Motion to pass | 121 |
| पश्चिम बंगाल सुरक्षा (त्रिपुरा पुनः अधिनियम) | Statutory Resolution re. West Bengal Security (Tripura Re-enacting) | 121-128 |
| दूसरा संशोधन अध्यादेश संबंधी सांविधिक संकल्प अस्वीकृत | Second Amendment Ordinance-Negatived. | 121 |
| श्री ज्योतिर्मय बसु | Shri Jyotirmoy Basu | 121 |
| श्री के० सूर्यनारायण | Shri K. Suryanarayana | 123 |
| हाजी लुतफल हक | Shri Lutfal Haque | 124 |
| श्री एम० सत्यनारायण राव | Shri M. Satyanarayan Rao | 124 |
| श्री दशरथ देव | Shri Dasaratha Deb | 124 |
| श्री शक्ति कुमार सरकार | Shri S. K. Sarkar | 125 |
| श्री रामावतार शास्त्री | Shri Ramavatar Shastri | 125 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| श्री मोहसिन | Shri Mohsin | 125 |
| अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक | Advocates (Amendment) Bill | 128-130 |
| संयुक्त समिति को सौंपने की राज्य सभा की सिफारिश से सहमति के लिए प्रस्ताव | Motion to concur in Rajya Sabha recommendation to Joint Committee | 128 |
| अनुदानों की माँगे, 1971–72 | Demand for Grants, 1971-72 | 130-136 |
| गृह मंत्रालय | Ministry of Home Affairs | 130 |
| श्री सरोज मुखर्जी | Shri Saroj Mukerjee | 132 |
| श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा | Shrimati Lakshmikanthamma | 135 |
| श्री शंकरराव सावन्त | Shri Shankarrao Savant | 136 |

# लोक-सभा
## LOK SABHA

**मंगलवार, 22 जून, 1971/1 आषाढ़, 1893 (शक)**

**Tuesday, June 22, 1971/Asadha 1, 1893 ( Saka )**

---

**लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई**

*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

[ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER IN THE CHAIR ]

---

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर
## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### केरल में मोटर टायर फैक्टरी की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी किया जाना

*634. **श्री एम० के० कृष्णन्** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में मोटर टायर फैक्टरी की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी किए जाने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

**औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुलहक चौधरी )** : मेसर्स रुबी रबर वर्क्स लिमिटेड, चंगनाशेरी (केरल) को मोटरगाड़ियों के ट्यायर और ट्यूबों के उत्पादन की 3 लाख वार्षिक क्षमता के लिए एक नया उपक्रम स्थापित करने हेतु एक आशय पत्र दिनांक 25–11–1970 को जारी किया गया है।

**श्री एम० के० कृष्णन्** : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि मैसर्स रूबी रबड़ वर्क्स द्वारा उत्पादन कार्य कब से आरम्भ किया जायगा ?

**श्री मोइनुलहक चौधरी** : स्थिति इस प्रकार है। उन्होंने परियोजना के लिये एक जनरल मैनेजर की नियुक्ति की है। उन्होंने तकनीकी-आर्थिक––व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार करने के लिये मैसर्स एटकिन्सन्स प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता की भी नियुक्ति की है। उन्होंने इस बात का भी संकेत दिया है कि प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने में काफी विलम्ब हुआ है। उसके मई, 1971 के अन्त तक तैयार होने की सम्भावना थी। कम्पनी ने केरल सरकार से लगभग 100 एकड़ भूमि का प्लाट एलाट करने का भी अनुरोध किया है। अतः उक्त कम्पनी अभी प्रारम्भिक अवस्था में है और यह कहना कठिन है कि वह कब उत्पादन करना आरम्भ कर देगी। इस बीच फर्म ने आशय-पत्र की वैधता को एक वर्ष के लिये बढ़ाने का अनुरोध किया है और यह सरकार के विचाराधीन है।

**श्री बी० एन० पी० सिंह** : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि आशय-पत्र जारी करते समय उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ?

**श्री मोइनुलहक चौधरी** : कम्पनी के लिये 3 लाख टायर और ट्यूब का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

**हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड भोपाल को हानि**

+

*635. **श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़ :** **श्री भोगेन्द्र झा:**

**श्री एम० एम० जोजफ:**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड, भोपाल में भारी हानि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त कारखाने को गत तीन वर्षों में वर्षवार कितनी हानि हुई; और

(ग) उक्त हानि के क्या कारण हैं, और कारखाने को लाभप्रद बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुलहक चौधरी)** : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

**विवरण**

हैवी इलैक्ट्रीकल्स (इंडिया) लि० भोपाल बनने के समय से ही अर्थात 1961–62 से जब इसने उत्पादन प्रारम्भ किया था घाटे में ही चल रही है । 1968–69 और 1969–70 में हुई हानि क्रमश: 5.84 करोड़ रुपये और 7.75 करोड़ रुपये की थी। अस्थायी अनुमानों के अनुसार 1970–71 के वर्ष कुल हानि 5 करोड़ रुपये के होने की संभावना है । इन हानियों को बार बार होने का कुछ तो कारण लम्बी अवधि में पनपने वाली निर्माणकारी जटिलता है और कुछ बनाये जाने वाले भारी वैद्युत उपकरणों का जटिल स्वभाव है । इस तथ्य को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में माना गया है जिसे विदेशी परामर्शदाताओं ने तैयार किया था और जिसके अनुसार लगभग 27 करोड़ रुपये तक की कुल हानि का पूर्वानुमान लगाया गया था।

1969–70 में हानि में विशेष वृद्धि होने का मुख्य कारण जुलाई सितम्बर 1969 में हुई श्रमिक हड़ताल और लगातार धीरे काम करने की चाल है जिसके परिणामस्वरूप 5 करोड़ रु० तक उत्पादन मूल्य में कमी हुई । विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में इस बात का भी पूर्वानुमान लगाया गया था कि कारखाने को पूर्ण उत्पादन करने में कम से कम आठ वर्ष लग जायेंगे। 1969–70 तक इन आठ वर्षों में समग्र उत्पादन लागत असामान्य रूप से बहुत अधिक रहेगी यह प्रत्याशित था अतएव यह आशा नहीं की जा सकती है कि यह कारखाना बिना हानि के रह सकेगा। इस संयंत्र की अब 1973–74 तक हानि रहित स्थिति में आने की आशा है। हानि रहित स्थिति में आने में विलम्ब काफी हद तक इस कारण हुआ कि योजना आयोग द्वारा भारी वैद्युत उपकरणों की देश की आवश्यकताओं की समीक्षा करने के परिणामस्वरूप सरकार ने 1960 में यह निश्चय किया कि कारखाने की निपज उसके मूल स्तर 12.5 करोड़ रु० की निपज से, जिसे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में दिया गया है दो पारी में कार्य करने के द्वारा प्रतिवर्ष दुगना 25 करोड़ रुपये की कर दी जाये । प्रत्येक ट्रान्सफोरमर-एककों तथा पानी टरबाइनों के आकार में परिवर्तन के परिणामस्वरूप परियोजना के स्वरूप में प्रतिवर्ष 33.65 करोड़ रुपये की अग्रतर वृद्धि की गई थी और ट्रैक्सन

तथा ट्रांसफारमर विभागों में निपज में वृद्धि की गई। इसी के साथ-साथ सरकार ने अन्य वस्तुओं जैसे स्टीम टर्बाइन तथा जनयंत्र का उत्पादन भी अपने हाथ में लेने का निश्चय किया जो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार मूल परियोजना में सम्मिलित नहीं थे।

सरकार स्थिति से पूर्णतः अवगत है और प्रबंधकों के साथ विचार विमर्श करके कम्पनी के कार्य की निरन्तर समीक्षा की जाती है। औद्योगिक विकास मंत्री ने एकक का निरीक्षण किया था, उन्होंने काफी चिन्ता व्यक्त की है और प्रबंधकों को अनुदेश दिये कि 1971–72 तक हानि रहित स्थिति में आने के प्रयत्नों की आवश्यकता के साथ साथ कार्य में सुधार करें। कम्पनी की कार्य क्षमता को सुधारने के लिये उठाऐ गये कदमों में से कुछ ये भी हैं :—

1 जनशक्ति परियोजना के व्यापक तरीके के द्वारा नई भर्ती पर कठोर नियंत्रण,

2 अधिक प्रभावशाली प्रबन्धक नियंत्रण रखने की दृष्टि से विभागीकृत संगठनात्मक ढांचे,

3 उत्पादन बढ़ाने के लिए पारितोषिक प्रदान करके विशेष अल्पकालीन उत्पादन कार्यक्रम।

4 उत्पादिता बढ़ाने की सघन योजनाएं।

5 उत्पाद विविधीकरण एवं मानवीकरण।

6 आधुनिक तकनीक एवं वस्तु सूची नियंत्रण लागू करना।

7 दीर्घावधि उत्पाद कार्यक्रम के आयोजन और नियंत्रण के लिए आधुनिक प्रबन्धक तरीकों को अपनाना।

8 औद्योगिक संबंधों को सुधारने के लिए प्रबंधकों और कामगरों के बीच नियमित वार्ता रखना।

**श्री फतहसिंह राव गायकवाड़** : ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्रालय अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप काम नहीं कर रहा है। कम्पनी द्वारा कार्य आरम्भ किये जाने के बाद उसे कुल कितनी हानि हुई और उसकी सारी पूंजी कब तक समाप्त हो जाने की सम्भावना है ?

**श्री मोइनुलहक चौधरी**: अब तक कुल 56 करोड़ रुपये की हानि हुई है। हम स्थिति का मुकाबला करने के लिये यथा सम्भव कार्यवाही कर रहे हैं।

**श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़** : मेरे विचार से यह संतोषजनक उत्तर नहीं है। बताये गये कारणों में कोई भी सामान्य कारण नहीं हैं। ऐसा भ्रष्टाचार और लालफीताशाही के कारण हुआ है। क्या माननीय मंत्री मेरी राय से सहमत हैं कि प्रतिवर्ष लगातार हानि के दो कारण भ्रष्टाचार और लालफीताशाही है ?

**श्री मोइनुलहक चौधरी**: भोपाल के दौरे के समय भ्रष्टाचार और लालफीताशाही के कुछ मामले मेरे ध्यान में लाये गये थे। मैंने उन मामलों के बारे में जाँच करने के लिये कार्यवाही की है। जब तक मुझे इस बारे में रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती मेरे लिये यह स्वीकार करना कठिन है कि इस मामले में भ्रष्टाचार किया गया है। एक ऐसा विशेष मामला जरूर सामने आया था जिसमें भ्रष्टाचार किया गया था लेकिन केवल एक मामले से यह अनुमान लगाना कि कम्पनी में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार है न्यायोचित नहीं होगा। जहाँ तक लालफीताशाही का सम्बन्ध है, ऐसे कुछ मामले मेरे ध्यान में लाये गये हैं। मैंने उन मामलों में जाँच के आदेश दिये हैं और मैं स्वयं भी उन मामलों की जाँच कर रहा हूँ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : इस बात की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि जी० ई० सी, ए० ई० आई० नामक विदेशी सलाहकार कम्पनियों से हमें वैसी सन्तोषजनक सेवा प्राप्त नहीं हुई जिसकी हमें आशा थी। क्या यह सच है कि विशेषकर टरबाइन और जनरेटरों के निर्माण में विदेशी सलाहकारों से संतोष जनक सेवा प्राप्त न होने के कारण तकनीकी कठिनाइयाँ और उपकरणों को सप्लाई करने में कठिनाई हुई है। क्या सलाहकार करार का, जो गत वर्ष नवम्बर में समाप्त होना था, नवीकरण किया गया है अथवा नहीं ?

**श्री मोइनुलहक चौधरी** : यह सच है कि फर्म के साथ सलाहकार करार 16 मई, 1970 को समाप्त होना था और इसके बाद उस करार का नवीकरण नहीं किया गया है। कम्पनी ने इन सलाहकारों के साथ कुछ आधुनिक उपकरणों, जैसे डेहर परियोजना के लिये स्टीम टरबाइन और मद्रास की अनु विद्युत परियोजना के लिये ऊर्जा टरबाइनों का निर्माण करने के लिये अलग करार किये थे। उन्होंने उनके साथ और अन्य करार नहीं किये हैं।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मैं यह जानना चाहता हूं कि विदेशी सलाहकारों द्वारा असंतोषजनक कार्य करने के कारण कहाँ तक तकनीकी कठिनाईयाँ आई हैं और उपकरणों की सप्लाई में कमी हुई है ?

**श्री मोइनुलहक चौधरी** : ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि विदेशी सलाहकारों द्वारा असंतोषजनक कार्य करने के कारण ऐसा हुआ है। लेकिन इस बारे में एक बात मेरे ध्यान में लाई गई है और वह यह है कि उन्हें विदेशी सलाहकारों से उक्त सामग्री नहीं मिल रही जिसके लिये उनसे कहा गया था। मैंने इस बारे में रिपोर्ट देने और हैवी इलैक्ट्रिकल्स की ओर से विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये अनुरोध किया है।

**श्री भगवत झा आजाद** : विवरण के माँग (ग) से इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि 56 करोड़ रुपये की हानि के क्या मुख्य कारण थे। जब तक उन क्षेत्रों का पता नहीं लग जाता और हानि के कारणों का पता नहीं लग जाता तब तक इसका अनुमान कैसे लगाया जा सकता है और उसे लाभप्रद कैसे बनाया जा सकता है ?

**श्री मोइनुलहक चौधरी** : आरम्भ में उक्त परियोजना का प्रतिवेदन तैयार करते समय अर्थात् उक्त उद्योग की स्थापना करते समय यह मालूम था कि इसे 9 वर्ष तक हानि होगी।

**एक माननीय सदस्य** : नब्बे वर्ष तक !

**श्री मोइनुल चौधरी**: नब्बे नहीं नौ वर्ष तक। मैं उसको देखने के लिये इसनी लम्बी अवधि तक जीवित नहीं रहूंगा।

उस समय 5,699 लाख रुपये के उत्पादन पर 2,726 लाख रुपये की हानि होने का अनुमान लगाया गया था। लेकिन इस बीच सरकार ने अपना लक्ष्य पुनरीक्षित कर दिया और उक्त परियोजना में कुछ नई वस्तुओं का भी निर्माण आरम्भ कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप वास्तविक उत्पादन 8,858 लाख रुपये का हुआ और वर्ष 1969–70 तक हमें 5,150 लाख रुपये की हानि हुई। यह स्वाभाविक है कि लक्ष्य को पुनरीक्षित करने के कारण मूलत: अनुमानित हानि से अधिक हानि होगी। उद्योग के लक्ष्य के लिये निर्धारित तिथि के बीत जाने के बाद हानि में कमी हो जानी चाहिये थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ इससे मुझे चिन्ता हो रही है। अत: मैं व्यक्तिगत रूप से इससे संतुष्ट नहीं हूँ।

**Shri Atal Bihari Vajpayee** : I want to know whether it is a fact that Goods manufactured by Heavy Electricals, are costlier as compared to the same goods imported

from abroad and if the cost of our goods is more, what are the reasons therefor ? I also want to know whether efforts are being made to reduce their costs ?

**Shri Moinul Haque Choudhury** : I have not received such a report. But I have received a report that we are getting goods from Heavy Electricals at cheaper rates.

**लघु उद्योगों के विकास के लिए आरक्षित उद्योग**

*636. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन आदेशों के अन्तर्गत कुछ उद्योगों को केवल लघु उद्योग क्षेत्र में ही विकास के लिए आरक्षित रखा गया है;

(ख) उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिन्हें केवल लघु उद्योग क्षेत्र में विकास के लिए आरक्षित रखा गया है;

(ग) उस उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) उक्त कार्यवाही के अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : **(क) और (ख)** : औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय की अधिसूचना सं० आई०डी०आर०ए/29/बी/71/1 दिनाँक 19–2–70 की सूची 2 के अन्तर्गत लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित 55 उद्योगों में अधिसूचना संख्या आई० डी० आर० ए-29 बी/71/4 दिनाँक 24–2–71 द्वारा 73 उद्योग और सम्मिलित किए गए थे। इन वस्तुओं की एक सूची संलग्न हैं। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 486/71]**

(ग) राज्यों के उद्योग निदेशकों तथा लघु उद्योग सेवा संस्थानों से कहा गया है कि वे ऐसे आरक्षित उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करें जहाँ सम्बन्धित क्षेत्रों में माँग तथा पूर्ति के मध्य पर्याप्त अन्तर मौजूद है। जिससे कि कमी को रोका जा सके। बैंकों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करें जो आरक्षित वस्तुओं का निर्माण करना चाहते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम किराया खरीद आधार पर मशीनों के लिए आरक्षित उद्योगों को सहायता दे रहा है। लघु उद्योग सेवा संस्थानों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे लघु एककों को आरक्षित वस्तुओं के उत्पादों की किस्म में सुधार करने के लिए ठोस सहायता देने हेतु अपने तकनीकी अधिकारियों को भेजें।

(घ) ऐसा प्रतीत होता है कि देश में आरक्षित वस्तुओं की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने में लघु एकक सक्षम हैं। लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं की पूर्ति में कमी होने के बारे में अथवा इन वस्तुओं के मूल्य स्तर में हुई पर्याप्त वृद्धि के बारे में अभी तक तो कोई रिपोर्ट मिली नहीं है।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिये 200 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी जबकि बड़े पैमाने के उद्योगों को 2,000 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई थी। माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि सरकार लघु उद्योगों के विकास के लिये स्थापित किये जाने वाले उद्योगों के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता की व्यवस्था कैसे करेगी ?

**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : बैंकों को यह सलाह दी गई है कि वे लघु उद्योगों को यथा सम्भव वित्तीय सहायता दें और नई नीति के अनुसार हमें आशा है कि लघु उद्योगों का सहायता में अधिक भाग होगा।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : कुल 2200 करोड़ रुपये के विनियोजन में लघु उद्योगों में केवल

200 करोड़ रुपये का विनियोजन किया गया है। यह नवीनतम स्थिति है। सरकार ने लघु उद्योगों को और अधिक वित्तीय सहायता देने के लिये क्या विशेष व्यवस्था की है ?

**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : हमने बैंकों को सलाह दी है कि वे लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता देने में उदारता से काम लें।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लघु उद्योगों के उत्पादों का 75 प्रतिशत बिक्री मूल्य, कारखाना द्वारा मूल्य कच्चे माल के खरीद में ही व्यय हो जाता है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लघु उद्योगों को 68 करोड़ रुपये के आयात लाइसेंस दिये गये जबकि बड़े उद्योगों को 274 करोड़ रुपये के आयात लाइसेंस दिये गये, सरकार ने लघु उद्योगों को चालू रखने के लिये उन्हें पर्याप्त कच्चा माल देने हेतु क्या विशेष कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : जहाँ तक कच्चे माल की कमी का प्रश्न है यदि इस बात की सूचना दी जाये कि विशेषकर अमुक वस्तु की कमी है तो हम इस बारे में सम्बद्ध मंत्रालय से विचार विमर्श कर लघु उद्योगों को उस वस्तु को उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : माननीय मंत्री शायद मेरी बात समझ नहीं पाये हैं। 274 करोड़ रुपये के कच्चे माल में से लघु उद्योगों को केवल 68 करोड़ रुपये का कच्चा माल दिया गया है।

**श्री एम० सत्यनारायण राव** : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि तेलंगाना में कम मजूरी, सस्ती भूमि और कच्चे माल आदि की उपलब्धता को देखते हुए कभी वहाँ लघु उद्योगों के विकास के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न किसी विशेष राज्य से सम्बन्धित नहीं है।

**श्री एम० सत्यनारायण राव** : मैं यह जानना चाहता हूँ कि तेलंगाना क्षेत्र में लघु उद्योगों के विकास के लिये क्या कार्यवाही की गई है ? .....

**अध्यक्ष महोदय** : इसे सुझाव समझा जा सकता है, प्रश्न नहीं। यदि आप राज्यवार प्रश्न करेंगे तो उनका कोई अन्त नहीं होगा। यदि मैं आपको अनुमति दे दूंगा तो अन्य सदस्य भी अपने अपने राज्यों के बारे में पूछेंगे।

**Shri Hukam Chand Kachwai** : The Hon. Minister has stated in the reply that they have advised the banks to advance maximum loans for cottage industries. Rs. 200 crores have been announced to be given for this purpose. May I know whether the banks have been asked to give more loan or some limit has been fixed ? May I know whether the Government has selected some backward Districts in all the states for running small scale industries there. May I also know whether some special grant has been sanctioned for it ?

**Shri Sidherhwar Prasad**: So far as backward Districts of the country are concerned we have advised the state Governments and other institutions like banks to provide special financial help for this purpose. The Government gives active consideration to the particular scheme received by it.

**श्री संजीवी राव** : सरकार तथा लघु सेवा संस्थान के वायदों के बावजूद भी बैंक लघु उद्योगों की आर्थिक सहायता नहीं कर रहे हैं। मैं कुछ विशेष मामलों के बारे में जानता हूं। सरकार इस विषय में कौन से प्रभावशाली कदम उठा रही है ?

**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : यदि जानकारी में कोई विशेष मामला हमारी आयेगा तो हम उस पर अवश्य विचार करेंगे।

**इण्डिया इलैक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड कलकत्ता को फिर से खोला जाना**

*644. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी प्रबन्ध के अधीन कम्पनी, इण्डिया इलैक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता को जो कि एक वर्ष से अधिक समय से बन्द है फिर से खोलने के मार्गोपायों पर सरकार विचार कर रही है ।

(ख) क्या उक्त कम्पनी के कर्मचारियों को अभी तक नियमानुसार सेवा-निवृति सम्बन्धी तथा अन्य अदायगियाँ नहीं की गई हैं;

(ग) क्या कम्पनी को फिर से खोलने के बारे में 21 दिसम्बर, 1970 को प्रधान मंत्री को प्रस्तुत किए गए ज्ञापन में दिए गए विशिष्ट प्रस्तावों की कोई जाँच की गई है; और

(घ) क्या औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने इण्डिया इलैक्ट्रिक वर्क्स का मामला विचार और आवश्यक कार्यवाही हेतु अपने अधीन ले लिए हैं ?

**औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोईनुलहक चौधरी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) परिसमापन हो जाने के पश्चात् जहाँ तक संभव होगा इण्डिया इलैक्ट्रिक वर्क्स की बिक्री में से उन्हें भुगतान किया जाएगा ।

(ग) जी, हाँ ।

(घ) इस मंत्रालय को कोई सूचना नहीं है ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मंत्री महोदय के उत्तर से प्रतीत होता है कि सरकार ने इस कारखाने को न खोलने का निश्चय किया हुआ है । क्या वे जानते हैं कि सुरक्षा, रेलवे तथा सरकार के अन्य विभागों की कई वस्तुएँ इस कारखाने में तैयार होती है । इसका विवरण कुछ समय पहले एक विवरण में दिया गया है । सरकार ने इस कारखाने को खोलने तथा चलाने पर विचार क्यों नहीं किया ?

**श्री मोइनुलहक चौधरी** : एक समिति ने इस पर विचार किया था और उसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने इसे बंद करने का निर्णय किया था ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मंत्री महोदय ने प्रश्न के (ख) भाग के उत्तर में बताया है कि लोगों को अदायगी शीघ्रातिशीघ्र की जायेगी । क्या इस अदायगी में भविष्य निधि तथा मंहगाई भत्ता जिसके वे हकदार थे दिया जाना भी शामिल है और क्या यह भत्ता भी उन्हें दिया जायेगा ?

**श्री मोइनुलहक चौधरी** : हम भविष्य निधि राशि की अदायगी करेंगे अन्य बातें विचाराधीन नहीं है ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : इन अदायगियों के ये हकदार हैं । आप क्यों नहीं अदा करते ?

**श्री मोइनुलहक चौधरी** : परिसमापन कार्यवाही के बाद इस मामले पर विचार किया जायेगा ।

**श्री शंकरराव सावन्त** : सरकार ने इस कारखाने में कितनी पूंजी लगायी है और इसे बन्द करने के क्या कारण हैं ?

**अध्यक्ष महोदय** : यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है ।

**श्री मोइनुलहक चौधरी** : कुप्रबन्ध भारी ऋण आदि आदि ही कारण हैं ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : यह कुप्रबन्ध आपका ही है किसी और का नहीं।

**श्री मोइनुलहक चौधरी** : हमें बुरी चीजें विरासत में मिली है। बात यही है।

## उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का प्रतिवेदन

*647. **श्री दिनेश जोरदर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये गये उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) तीस्ता, तोरसा, जलधाखा तथा रेडाक नदियों से उत्तर बंगाल में होने वाले विनाश को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या सरकार का विचार सिक्किम और भूटान के प्रतिनिधियों को भी उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण बोर्ड में शामिल करने का है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : **(क) से (घ)** : सभा-पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है।

### विवरण

**(क) और (ख)** : पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के परामर्श से भारत सरकार द्वारा गठित उत्तर बंगाल बाढ़-नियंत्रण बोर्ड उत्तर बंगाल क्षेत्र में बाढ़-नियंत्रण की व्यापक योजना के कार्यान्वयन के लिए नीतियों और प्राथमिकताओं का निर्धारण करता है। उक्त क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण के संबंध में जाँच करने और एक रिपोर्ट तैयार करने का काम उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण समिति के द्वारा किया जाना है जिसका गठन पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अभी होना है।

(ग) उत्तर बंगाल की नदियों की बाढ़ों के कारण हर साल होने वाले नुकसान को कम करने के लक्ष्य से बाढ़, नियंत्रण की एक व्यापक योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तर बंगाल बाढ़-नियंत्रण आयोग बनाने का प्रस्ताव है। जब तक यह प्रस्तावित आयोग व्यापक योजना को तैयार और कार्यान्वित नहीं करता, तब तक के लिए बाढ़गम्य क्षेत्रों में यथावश्यक तात्कालिक कार्यों का, जो अंततः बाढ़ नियंत्रण की समस्त योजना के ही अंग होंगे, राज्य सरकार द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। इन उपायों में नये तटबंधों का निर्माण, नदी-नियंत्रण और नगर-सुरक्षा-निर्माण कार्य और मौजूदा तटबंधों को ऊंचा करने और उन्हें सुदृढ़ करने के कार्य सम्मिलित हैं। जिन और भी अधिक महत्वपूर्ण स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है, वे इस प्रकार हैं :—

(1) मंडल घाट से बीबी गंज तक तीस्ता नदी के दाहिने किनारे की सुरक्षा की स्कीम।

(2) सिलतोरसा नदी के चेल नदी में व्यपवर्तन को रोकने की स्कीम।

(3) बिजनबारी नगर की सुरक्षा की स्कीम।

(घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

**श्री दिनेश जोरदर** : यह एक गम्भीर मामला है जिसके बारे में इस सदन में काफी चर्चा हुई है। सरकार के मूल्यांकन के अनुसार उत्तर बंगाल बाढ़ द्वारा प्रतिवर्ष 4.5 करोड़ रु० फसल तथा 3.6 करोड़ रु० आवास आदि का नुकसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त जान का भी बहुत नुकसान होता है। डा० के० एल० राव ने 29 अप्रैल को कलकत्ता में उत्तर बंगाल बाढ़

नियंत्रण बोर्ड की उद्घाटन बैठक में कहा था कि 1968 में स्थापित समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दिशा में अधिक प्रगति नहीं हुई है। ये सिफारिशें क्या थीं? इन सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं करने का क्या कारण हैं?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव)** : 1968 से पहले ऐसी किसी समिति का गठन नहीं किया गया था। यह चीफ इन्जीनियर की रिपोर्ट थी। उत्तरी बंगाल में काफी नाश तथा नुकसान हुआ था और हमने एक समिति का गठन किया था जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जलपाईगुड़ी शहर के लिये बाँध तथा बचाव सम्बन्धी निर्माण कार्य, रेल पुल का चौड़ा करना तथा भू संरक्षण उपाय करना आदि आदि रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें थीं। इनमें से कुछ सिफारिशों पर कार्यवाही की जा चुकी है। हमने ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की तरह ही उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की है। मुख्य मंत्री तथा अन्य के साथ कलकत्ता में हमारी एक बैठक हुई है। इसका पालन उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग को ही करना है। बंगाल राज्य ने आयोग की स्थापना नहीं की है और हमने इस ओर उनका ध्यान दिलाया था। बोर्ड केवल एक नीति निर्धारण संस्था है लेकिन जाँच तथा निर्माण कार्य नियंत्रण आयोग ही करता है। मुझे इस दिशा में शीघ्र कार्यवाही की आशा है।

**श्री दिनेश जोरदर**: मुझे भय है कि आयोग की स्थापना के बारे में भी ऐसी ही बात होगी। उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण की रचना किस प्रकार की गयी है। प्रस्तावित उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग के सदस्य कौन होंगे? क्या पश्चिम बंगाल के जिलों के स्थानीय प्रतिनिधि भी उस आयोग में लिये जायेंगे?

**डा० के० एल० राव**: बोर्ड में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण और बन मंत्री हैं केन्द्रीय सिंचाई मंत्री अध्यक्ष हैं। यह नीति निर्धारण सम्बन्धी संस्था है जो परियोजनाओं की स्वीकृति देती है। पहली बैठक में हमने ½ करोड़ रु० की लागत की परियोजनाएँ कार्यान्विति के लिये स्वीकृत की थी। कुछ परियोजनाएँ और चालू करनी हैं। आयोग कार्यकारी संस्था है। इन्जीनियर, परियोजना के चीफ इन्जीनियर, ऋतु विज्ञान के महानिदेशक तथा भूगर्भीय विभाग के लोग आयोग में होते हैं। यह पूर्णतः सरकारी संस्था है। इनमें से किसी में भी गैर सरकारी सदस्य नहीं होते।

**श्री दिनेश जोरदर**: उत्तर बंगाल की महानन्दा नदी में बाढ़ आई है और मालवा जिले के कई गाँव तथा फसलें जलमग्न हो गये हैं। इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है?

**डा० के० एल० राव**: इस नदी से बिहार तथा बंगाल में बाढ़ आती है। बाँध दोनों राज्यों में है। बिहार का बाँध स्वीकृत हो चुका है लेकिन कार्य शुरू नहीं हुआ है। बंगाल के बाँध के बारे में बंगाल सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है। इस पर 3½ करोड़ रु० व्यय आयेगा। इन्हें स्वीकृति मिल जायेगी और काम भी शुरू किया जायेगा।

**श्री एस० सी० सामंत**: मान सिंह कमेटी ने सारे पश्चिमी बंगाल के बाढ़ सम्बन्धी रिपोर्ट दी है। सरकार उस समिति की सिफारिशों पर कैसे कार्यवाही करेगी क्योंकि इसके लिये अभी राज्य सरकार के पास धन की कमी है? क्या इस आयोग की स्थापना के बाद केन्द्रीय सरकार आर्थिक सहायता देगी?

**डा० के० एल० राव**: मानसिंह समिति ने उत्तर बंगाल के बारे में कोई भी सिफारिश नहीं की है, जिसने केवल दक्षिण बंगाल के बारे में ही सिफारिश की है। जहाँ तक उत्तर बंगाल का सम्बन्ध है, वास्तव में वहाँ के लिये कोई समितियाँ नहीं बनाई गई थीं। 1968 में ही एक समिति

की स्थापना की गयी थी। मैंने इन सिफारिशों का जिक्र प्रश्न के उत्तर के दौरान कर दिया है। हमें उत्तर बंगाल में बाढ़ का नियंत्रण करना है। वहाँ कुछ कष्टकारी नदियाँ हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी कारण हमने उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की है और सरकार को उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग का सुझाव दिया है, जो इस समस्या का सामना करने के लिये एक मजबूत संस्था है। जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं बताया है, धन की कमी जरूर है। बंगाल में बाढ़ नियंत्रण के लिये 10 करोड़ रु० की व्यवस्था है जिसमें से 2½ करोड़ रु० का आवंटन उत्तर बंगाल के लिये किया गया है। लेकिन जब महत्त्वपूर्ण योजनाऐं स्वीकृत की गयी हैं तो कुछ जरूरी कार्य हाथ में लेने होते हैं और मेरे विचार में सरकार बाढ़ नियंत्रण कार्यों की ओर ध्यान देगी।

**श्री बी० के० दासचौधरी** : माननीय मंत्री के विवरण पत्र को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूँ कि उत्तर बंगाल में बाढ़ नियंत्रण के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? क्या मैं यह भी जान सकता हूँ कि मंडल घाट बीबीगंज के बाँध को झरशिंगेश्वर तक बढ़ाया जायेगा क्योंकि इस क्षेत्र में हर वर्ष बाढ़ आती है ?

**डा० के० एल० राव** : मंडलघाट बाँध को स्वीकृति दे दी गयी है और इसका कार्य शुरू किया जाना था लेकिन लोगों ने इसके रेखांकन पर आपत्ति की। सूचना मिली है कि रेखांकन की स्वीकृत हो गयी है और काम शुरू किया जा रहा है।

**श्री बी० के० दासचौधरी** : अन्य कौन कौन सी नदियों को नियंत्रित किया जा रहा है ?

**डा० के० एल० राव** : कई छोटी छोटी योजनायें स्वीकार की गयी हैं जिन्हें कार्यान्वित किया जायेगा लेकिन बड़ी बड़ी योजनाओं पर अभी आयोग को विचार करना है।

**श्री समर मुखर्जी** : बोर्ड कब अपना कार्य शुरू करेगा ?

**डा० के० एल० राव** : जैसा कि मैंने पहले ही बताया है बोर्ड तथा आयोग के रूप में वहाँ दो संस्थाऐं हैं। बोर्ड मंत्रियों की नीति निर्धारण सम्बन्धी संस्था है जिसकी एक बैठक हो भी चुकी है। आयोग अभी नहीं बना है, जिसके लिये अभी चीफ इन्जीनियर तथा सदस्यों की नियुक्ति की जानी है। जलपाईगुड़ी में इसका मुख्य कार्यालय होगा। इसके बारे में काफी विवाद रहा लेकिन हमने जलपाईगुड़ी का चयन किया है। मैंने पश्चिम बंगाल सरकार को इस पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिये कहा है।

**Shri Hukam Chand Kachwai** : I had the oppartunity to see the flood there last year. The main reason for flood, every year, is the clearance of the forests. That is hilly area. The hill soil slide down to the rivers at the time of rains, which expand the level of water. What steps are being taken to prevent the cutting of forest trees in large number ? Also what steps are being taken to lift the silt which has come down in the rivers ?

**डा० के० एल० राव** : नदियों से पूर्णतः मिट्टी उठाना असम्भव सा है। भूसंरक्षण द्वारा अधिक मिट्टी न भरने देना सम्भव है। लेकिन उत्तर बंगाल में तो यह भी सम्भव नहीं क्योंकि हिमालय के कारण वहाँ भूसंरक्षण कार्य कठिन होगा लेकिन फिर भी हम इस ओर प्रयत्नशील हैं और जो कुछ हमसे हो सकेगा, हम करेंगे।

**ईस्टर्न रेलवे कोल एंड ऐश हैंडलिंग मजदूर यूनियन द्वारा दिया गया ज्ञापन**

*648. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न रेलवे कोल एंड ऐश हैंडलिंग मजदूर यूनियन ने हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को एक ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें कर्मचारियों द्वारा क्या-क्या मुख्य माँगें रखी गयी हैं; और

(ग) उनकी माँगों को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी हाँ।

(ख) मुख्य माँग यह है कि भारतीय रेलों में कोयला और राख चढ़ाने-उतारने के लिए ठेकेदारों द्वारा जो मजदूर रखे गये हैं उन्हें नियमित रेल कर्मचारी माना जाये।

(ग) भारतीय रेलों पर कोयला और राख चढ़ाने-उतारने का काम काफी समय से ठेका मजदूरों को सौंपा गया है। यह काम विभागीय प्रबन्ध के अन्तर्गत नियमित रेल कर्मचारियों से कराने के लिए अपने हाथ में लिया जाये या नहीं यह बात केन्द्रीय सरकार पर निर्भर करती है जो यह निर्णय करेगी कि क्या ठेका मजदूर (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 के अधीन उपयुक्त सरकार में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ठेका मजदूरों को इस प्रकार के काम के लिए प्रतिबन्धित किया जाय या नहीं। इस सम्बन्ध में जैसे ही सरकार का विनिश्चय अधिसूचित किया जायेगा रेल मंत्रालय द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

**श्री समर मुखर्जी** : क्या सरकार ठेका मजदूरों को रखने की प्रथा समाप्त करने के संबंध में विचार कर रही है ?

**श्री हनुमंतैया** : इस सम्बन्ध में पहले से अधिनियम बना हुआ है और उसके बारे में अधि सूचना अभी जारी करनी है।

**श्री समर मुखर्जी** : मंत्री महोदय का कहना है कि इसका निर्णय सक्षम प्राधिकरण करेगा मैं यह जानना चाहता हूँ कि ठेका मजदूर रखने की प्रथा समाप्त करने का निर्णय लिया गया है अथवा नहीं ?

**श्री हनुमन्तैया** : जहाँ तक रेलवे प्रशासन का सम्बन्ध है, हमने इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं किया है।

**श्री समर मुखर्जी** : कब तक निर्णय किया जाएगा ?

**श्री हनुमन्तैया** : मैं इस सम्बन्ध में कोई निश्चित तिथि नहीं बता सकता क्योंकि माननीय सदस्य के सुझाव को स्वीकार करने के फलस्वरूप रेलवे को 5 करोड़ रुपये की राशि का अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा और घाटे की रकम को देखते हुए रेलवे इस स्थिति में नहीं है कि वह इस वर्ष में इस अतिरिक्त खर्चे का भार वहन कर सके।

**बिना टिकट यात्रा की घटनायें**

*649. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पटना तथा गया के बीच, थाना बीहपुर से महादेवपुर घाट तक, बनमाँकी से विहारीगंज तथा बनमाँकी से मुरलीगंज तक बिना-टिकट यात्रा करने की घटनाओं में बड़ी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : **(क) और (ख)** : जी नहीं। लेकिन रेलों पर जिसमें उल्लिखित खण्ड भी शामिल हैं, बिना टिकट यात्रा की बुराई को समाप्त करने के लिए व्यापक रूप से प्राय: और अचानक जाँच की जाती है।

इस समय मेरे पास इसके आँकड़ें भी उपलब्ध हैं। हाल ही में हमने अनेक उपाय किए हैं। कल रात ही अचानक जाँच की गई थी तथा काफी संख्या में बिना टिकट यात्रा करने वालों को पकड़ा गया था तथा उनसे पर्याप्त मात्रा में जुर्माने की रकम वसूल की गई थी।

**श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : यह भी पता चला है कि जाँच करने वाले कर्मचारी अपनी सुरक्षा के भय से प्रत्येक यात्री के टिकट की जाँच नहीं करते। क्योंकि उनके लिये कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। वह अपना काम निर्भय हो कर करें इसके लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**श्री हनुमन्तैया** : जी हाँ; ऐसा डर रहता है। परन्तु यह केवल भारतीय रेलों में नहीं अपितु देश के उन सभी भागों में रहता है जहाँ तस्करी होती है। विशेषत: पूर्वी क्षेत्र तथा गुजरात के तटीय क्षेत्र में रहता है। हम बिना टिकट यात्रा को रोकने के तथा जाँच अधिकारियों की सुरक्षा के उपाय कर रहे हैं।

**श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : वह उपाय कौन से हैं ?

**श्री हनुमन्तैया** : पुलिस तथा रेलवे सुरक्षा बल तो है ही। रेलवे कर्मचारी भी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ये ही उपाय हमने किए हैं।

**श्री के० एस० चावड़ा** : रेलवे सुरक्षा बल रेल में टिकट निरीक्षक के साथ नहीं चलता है। चलती गाड़ी में टिकट निरीक्षकों की सुरक्षा के लिए आपने क्या कार्यवाही की है ?

**श्री हनुमन्तैया** : मैंने बताया है कि सुरक्षा केवल पुलिस तथा रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ही प्रदान की जा सकती है। यदि माननीय सदस्य कोई और सुझाव देना चाहते हैं तो मैं उसका स्वागत है।

**श्री के० एस० चावड़ा** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मैं यह जानना चाहता हूँ कि रेलवे के टिकट निरीक्षकों को बिना टिकट यात्रा करने वालों से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है क्योंकि रेलवे सुरक्षा बल के लोग टिकट निरीक्षकों के साथ यात्रा नहीं करते।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य टिकट निरीक्षकों के विषय में, अधिक चिन्तित है बिना टिकट यात्रा करने की समस्या की चिन्ता नहीं है। क्या आप उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं ?

**श्री हनुमन्तैया** : इस प्रश्न का उत्तर देना किसी के लिए इतना सरल नहीं। मैं नहीं समझता कि प्रत्येक जाँच अधिकारी को हथियारों से लैस किया जाना चाहिए अथवा नहीं।

**श्री आर० वी० बड़े** : क्या टिकट निरीक्षकों द्वारा यह शिकायत की गई है कि उन्हें रेलवे के अन्य कर्मचारियों जैसे गार्ड और ड्राइवर आदि के समान दर्जा नहीं दिया जाता जबकि वह भी गाड़ी के साथ चलते हैं और इसी कारण वह सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं ?

**श्री हनुमंतैया** : इस सम्बन्ध में मुझे पूर्व सूचना दी जाए।

**श्री नरेन्द्र कुमार सोधी** : क्या रेलवे प्रशासन द्वारा बिना टिकट यात्रा करने वालों को सावधान करने हेतु जुर्माने का प्रचार करने की कोई व्यवस्था की गई है। जुर्माना काफी बढ़ा दिया गया है पर इससे सम्बन्धित इश्तहार रेल डिब्बों में नहीं लगाए गए हैं। मैं प्राय: रेल से यात्रा करता हूँ और मैंने एक भी डिब्बे में ऐसा नोटिस बोर्ड नहीं देखा। रेलवे अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन नहीं कर रहा है। क्या मंत्री महोदय इस दिशा में उचित कार्यवाही करेंगे।

**श्री हनुमन्तैया** : यह एक महत्त्वपूर्ण सुझाव है।

**श्री फतेह सिंह राव गायकवाड़** : क्या यह सच है कि बिना टिकट यात्रा करने वाले लोग बिल्कुल मुफ्त यात्रा नहीं करते अपितु रेलवे कर्मचारियों को इसके लिए थोड़े पैसे देते हैं।

**श्री हनुमन्तैया** : ऐसी भी संभावना व्यक्त की गई है। हमारा सतर्कता विभाग ऐसे लोगों को पकड़ रहा है।

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय आपको केवल सुझाव दिए जा रहे हैं माननीय सदस्य प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।

**श्री कृष्ण हाल्दर** : मैं यह जानना चाहता हूँ कि किस राज्य में सबसे अधिक बिना टिकट यात्रा की जाती है।

**श्री एस० एम० बनर्जी** : बिहार में।

**श्री हनुमन्तैया** : माननीय सदस्य ने प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

**दिल्ली में कोयला सप्लाई करने के लिये माल डिब्बे**

*650. **श्री पी० के० देव** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने कोयला खानों से कोयले की सप्लाई को नियमित करने हेतु दिल्ली को माल-डिब्बे आवंटित करने के लिए उनके मंत्रालय से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी हाँ। दिल्ली प्रशासन दिल्ली को कोयले की सप्लाई बढ़ाने के लिए कहता रहा है।

(ख) दिल्ली को कोयले का संचलन बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों से होने वाले कुल लदान से सम्बद्ध है जिस पर कि 1970–71 के दौरान पूर्वी क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की खराब स्थिति का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस क्षेत्र में फिर से रेल संचालन की सामान्य स्थिति कायम करने और कुल मिलाकर कोयले के लदान की स्थिति सुधारने के लिए सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। इससे दिल्ली को कोयले की सप्लाई की स्थिति भी सुधर जायेगी।

दिल्ली के कार्यकारी पार्षद् मुझसे कल मिले थे और कोयले की सप्लाई बढ़ाने का हम हर संभव यत्न कर रहे हैं।

**श्री पी० के० देव** : दिल्ली में बड़े पैमाने पर भवन निर्माण का कार्य चल रहा है तथा उद्योगों की संख्या भी बहुत अधिक है और कोयले के अभाव में इन सब में कार्य ठप्प पड़ा है। दिल्ली के मामले को विशेष महत्त्व देते हुए कोयले के संचलन हेतु आप दिल्ली को विशेष कोटा क्यों नहीं आवंटित करते ?

**श्री हनुमन्तैया** : कोयले की माँग केवल दिल्ली में ही नहीं अपितु हरयाणा तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में भी है और इसका प्रयोग अनेक कार्यों के लिए किया जाता है। रेलवे नियमों के अनुसार यह आवंटन प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है प्रथम प्राथमिकता खाद्यान्नों के संचालन को फिर औद्योगिक कोयले तथा अन्य प्रकार के कोयलों को दी जाती है। यदि कोयले की माँग किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु की जाती है तब हमें प्राथमिकता के आधार पर वैगनों का आवंटन निश्चित रूप से करना पड़ता है।

**श्री पी० के० देव** : यदि पूर्वी क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की खराब स्थिति कोयला संचलन में बाधक बन रही है तो आप जीरिमिली, कीरीबुरू, चान्दा, सिंगरेनी इत्यादि अन्य कोयला क्षेत्रों

का विकास क्यों नहीं करते ताकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और आंध्र प्रदेश से कोयला दिल्ली भेजा जा सके।

**श्री हनुमन्तैया** : यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण सुझाव है।

**श्री एच० के० एल० भगत** : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले 6 महीनों में दिल्ली को कुल कितने माल डिब्बे आवंटित किए गए। क्या यह सच है कि दिल्ली में कोयला इस लिए नहीं लाया जा सका क्योंकि दिल्ली प्रशासन ने दोषपूर्ण व्यवस्था करके दिल्ली में कोयला लाने के लिए उन लोगों को परमिट जारी कर दिए हैं जिनके पास न तो कोयला रखने की क्षमता है और न ही उसे लाने के साधन हैं।

**श्री हनुमन्तैया** : मेरे पास आँकड़ों की सूची उपलब्ध है तथा मैं माननीय सदस्य को इसकी एक प्रति दूंगा यह काफी लम्बी सूची है। जहाँ तक दूसरे आरोप का सम्बन्ध है हमें इस सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और हम इन्हें दूर करने का यत्न कर रहे हैं।

**Shri T. Sohan Lal** : Mr. Speaker Sir, May I know whether the coal wagons alloted to kilnowners are labeled as soft coke and therefore the kilnowners get less coal.

**Mr. Speaker** : This is not relevant. There is a proverb that the business of Coal dealers goes on this way.

### Scheme to construct a Dam on Ganga River in Moradabad District

655. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government have finalised the scheme to construct a dam on the Ganga River to save Hasanpur Tehsil of Moradabad district in Uttar Pradesh from floods every year ;

(b) if so, whether this work will be completed in one phase or in different phases ; and

(c) the time by which the construction work of this dam is likely to be started ?

**The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao)** : (a) to (c) : The alignment of the proposed embankment on the left bank of the Ganga for protection of Hasanpur Tehsil, has been finalised only in May, 1971 and a report of the scheme is yet to be prepared by the State Government. The Project has to be sanctioned before construction is undertaken.

**Shri Shiv Kumar Shastri** : Mr. Speaker, Sir, survey of this embankment has been carried on for the last few years. Dr. K. L. Rao had also visited it. Last year there were floods and this year too floods are expected. Therefore, may I know how long the scheme will take to finalise ?

**डा० के० एल० राव** : यह सच है कि इस परियोजना पर काम काफी समय से रुका पड़ा है। इस तटबंध से जहाँ एक ओर अनेक गाँवों को बाढ़ से बचाया जा सकेगा वहाँ दूसरी ओर कुछ गाँवों को नुकसान भी होगा अतः इस सम्बन्ध में उन्हें अनेक सुरक्षात्मक उपायों का अध्ययन करना है जो अधिक से अधिक लोगों को स्वीकार्य हों अन्ततः एक ऐसा उपाय अपनाया भी गया है। स्कीम को तैयार करना तथा उसे स्वीकृति दिला कर कार्य प्रारम्भ करना अब उत्तर प्रदेश सरकार पर निर्भर करता है। मुझे आशा है कि इस वर्ष के दौरान कार्यारम्भ हो जाएगा।

**Shri Shiv Kumar Shastri** : How many villages you have decided to shift during the past two three years and how many are yet under consideration. You must have done something by now.

**डा० के० एल० राव** : लोगों का स्थानांतरण करना इतना आसान कार्य नहीं है और अभी भी हम ऐसे स्थानान्तरण के इच्छुक नहीं। यह तटबंध बाढ़ रोकने के लिए बनाया जा रहा है यह कोई नदी पर बनने वाला बाँध नहीं। इस तटबंध का निर्माण 45 से अधिक ग्रामों की सुरक्षा हेतु गंगा के बाम तट पर किया जा रहा है। वे लोग जिनके घर इस तटबंध के बीच आते हैं यदि स्थानान्तरण कर ले तो बहुत अच्छा है परन्तु मेरे विचार में ऐसा करने को वह लोग तैयार नहीं होंगे क्योंकि यह तटबंध नदी के किनारे पर नहीं बल्कि उससे लगभग 2 मील की दूरी पर है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करना उत्तर प्रदेश सरकार का काम है।

**पराश्रव्य रेल पटरी जाँच उपकरण**

*657. **श्री सोमचन्द्र सोलंकी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पराश्रव्य रेल पटरी जाँच उपकरण बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस उपकरण का निर्माण कब तक आरम्भ होने की सभावन है; और

(ग) इसका लागत मूल्य क्या होगा ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी नहीं। लेकिन, अल्ट्रा-सानिक रेल टस्टर के 40 सेटों का आर्डर एक भारतीय फर्म को दिया गया था, जो स्थानीय रूप से निर्मित थोड़े से देशी पुर्जों को छोड़कर, पश्चिम जर्मनी से आयातित पुर्जों को जोड़कर यह उपस्कर तैयार करती है।

**(ख) और (ग)** : सवाल नहीं उठता।

**श्री सोमचंद सोलंकी** : हम किस-किस देश से इस प्रकार के उपकरण आयात करते हैं और उनका लागत मूल्य क्या है ?

**श्री हनुमंतैया** : वर्ष 1964 में भारतीय रेलवे ने परीक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के 16 रेल टेस्टर प्राप्त किये थे जो अधिकांश जापान और अमरीका के थे।

**श्री सोमचंद सोलंकी** : इसका लागत मूल्य क्या है ?

**श्री हनुमंतैया** : इस समय लागत मूल्य मेरे पास लिखा हुआ नहीं है। मुझ इसकी जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद माननीय सदस्य को जानकारी दे दी जायेगी।

**श्री सोमचंद सोलंकी** : क्या भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र में ऐसे उपकरण बनाने का निर्णय किया है ?

**श्री हनुमंतैया** : जी, हाँ। यह अच्छा सुझाव है। हमने इसके बारे में विचार नहीं किया है। हम इसे सरकारी क्षेत्र में बनाने के बारे में विचार कर सकते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं मंत्री महोदय को स्मरण करा दूं कि ऐसी बातों का आश्वासनों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन में उल्लेख किया जाता है। अतः उन्हें हर समय सतर्क रहना चाहिये।

**श्री बी० वी० नायक** : यह पराश्रव्य रेल पटरी जाँच उपकरण क्या है ?

**श्री हनुमंतैया** : यदि आवश्यक होगा तो मैं इसे पढ़ूंगा। उन्होंने मुझे सक्षेप में बताया है।

**श्री एस० एम० बनर्जी** : इसे परिचालित कीजिए अथवा ग्रन्थालय में रख दीजिये।

**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया।

**श्री हनुमंतैया** : उन्होंने पूछा है कि यह जाँच उपकरण क्या है।

**श्री बी० वी० नायक** : यह जटिल वैज्ञानिक शब्दावली लगती है। मैं नहीं जानता कि यह क्या है। अतः हम इस पर अधिक चर्चा नहीं कर सकेंगे।

**अध्यक्ष महोदय** : हम इसका अभी अध्ययन करने की कोशिश करेंगे।

**श्री बी० वी० नायक** : यदि मंत्री महोदय हमें इसके बारे में बतायेंगे तो मैं बड़ा आभारी हूँगा।

**उत्कल एक्सप्रेस की दैनिक सेवा**

*659. **श्री के० प्रधानी** : क्या रेल मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्कल एक्सप्रेस की सप्ताह में दो बार की सेवा को दैनिक सेवा में बदलने तथा एक्सप्रेस गाड़ी के गन्तव्य स्थान तक पहुँचने में लगने वाले समय में कमी करने का प्रस्ताव है; और

(ख) क्या रेलगाड़ी को डीजल इंजन से चलाने का कोई प्रस्ताव है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

**श्री के० प्रधानी** : उत्कल एक्सप्रेस के गन्तव्य स्थान तक पहुंचने के समय में कमी न करने और इसकी दैनिक सेवा आरंभ न करने के क्या कारण हैं ?

**श्री हनुमंतैया** : इसके लिये यात्रियों की संख्या पर्याप्त नहीं है। मुझे बताया गया है कि उस समूचे क्षेत्र से रोजाना औसतन 90 यात्री आते हैं। अतः रेल प्रशासन इसकी दैनिक सेवा आरंभ करने में असमर्थ हैं।

**श्री जगन्नाथ राव** : उड़ीसा से दिल्ली के लिये यह एकमात्र सीधी गाड़ी है। मंत्री महोदय के अनुसार यात्रियों की संख्या केवल 90 है। परन्तु बीच के स्टेशनों के लिये भी यात्री हैं। क्या मंत्री महोदय अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेंगे और देखेंगे कि उड़ीसा से दिल्ली तक एक दैनिक गाड़ी चलाई जाये।

**श्री हनुमंतैया** : अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि यात्रियों की संख्या पर्याप्त नहीं है। ऐसा हो सकता है कि बाद में उनकी संख्या बढ़ जाये। तब हम इस प्रश्न पर पुनर्विचार करेंगे।

**श्री वी० एस० मूर्ति** : क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है कि यदि उत्कल एक्सप्रेस को वाल्टेयर तक चलाना आरंभ कर दिया जाये तो यात्रियों की सख्या पर्याप्त हो जायेगी और आन्ध्र तथा उत्कल दोनों स्थानों को सुविधा हो जायेगी ?

**श्री हनुमंतैया** : यह नया प्रश्न है।

**श्री के० सूर्यनारायण** : वह कह रहे हैं कि यदि इस गाड़ी को कटक अथवा भुवनेश्वर तक चलाया जाये तो लाभप्रद नहीं होगा। इसे लाभप्रद बनाने के लिये क्या वह इसे वाल्टेयर तक बढ़ाने पर विचार करेंगे ?

**श्री हनुमंतैया** : तीन माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों की जाँच करवाई जायेगी।

**Wagon Quota for Phalodi Station for Loading of Salt**

*660. **Shri Shivnath Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the annual average number of wagons loaded with salt despatched from Phalodi Railway Station (Rajasthan) during the last three years .

(b) whether the quota of only 200 wagons per month which has been fixed for Phalodi Station during the year 1971 is on the low side keeping in view the demand for wagons there ; and

(c) whether Government propose to increase the said quota ?

**नमक के लदान के लिए फलोडी रेलवे स्टेशन के लिए रेल डिब्बों का कोटा**

*660. **श्री शिवनाथ सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में फलोडी रेलवे स्टेशन (राजस्थान) से नमक से लदे हुए औसतन कितने माल डिब्बे प्रत्येक वर्ष अन्य स्थानों को भेजे गये ;

(ख) वर्ष 1971 के लिए फलोडी रेलवे स्टेशन का केवल 200 माल डिब्बों का प्रतिमास का जो कोटा नियुक्त किया गया है क्या वह माल डिब्बों की मांग को देखते हुए कम नहीं है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त कोटे को बढ़ाने का है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) :** (क), (ख) और (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

**विवरण**

**भाग (क) :** 1968, 1969, 1970, और 1971 (10 जून तक) के वर्षों में फलोदी स्टेशन से क्षेत्रीय और गैर-क्षेत्रीय नमक के जितने माल डिब्बों का लदान हुआ, उनका विवरण इस प्रकार है :—

**मीटर लाइन के लादे गये माल डिब्बों की संख्या**

| वर्ष | क्षेत्रीय | गैर-क्षेत्रीय | जोड़ |
|---|---|---|---|
| 1968 | 3,054 | 3,392 | 6,446 |
| 1969 | 2,610 | 7,519 | 10,129 |
| 1970 | 1,914 | 7,325 | 9,239 |
| 1971 (10 जून तक) | 1,308 | 2,133 | 3,441 |
| | 8,886 | 20,369 | 29,255 |

**भाग (ख) और (ग) :** सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय फलोदी में मद "डी" और "ई" के अन्तर्गत गैर-क्षेत्रीय नमक के मांग-पत्रों के पंजीकरण के लिए लागू की गयी 200 माल डिब्बों की अधिकतम सीमा से है। ये अधिकतम सीमाएं किसी स्टेशन की निकासी की क्षमता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती हैं। अधिकतम सीमा इस बात की द्योतक है कि किसी एक समय में अधिक से अधिक कितने माँग-पत्र बकाया रह सकते हैं और इसका कुल मिला कर स्टेशन से होने वाले लदान-पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि आवंटन होने के फलस्वरूप ज्योंही कुछ बकाया माँग-पत्रों की संख्या घटती है, त्योंही उस संख्या को अधिकतम सीमा तक बनाये रखने के लिए नये माँग-पत्र स्वीकार कर लिये जाते हैं।

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) :** (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

**Shri Shivnath Singh** : Mr. Speaker, Sir, the statement laid on the Table by the hon. Minister does not contain reply to parts (b) and (c) of my question. In part (c)

I have asked whether the hon. Minister was prepared to increase the ceiling which has been fixed at 200 wagons in view of the heavy loadings ?

**श्री हनुमंतैया** : मैं इसकी जाँच करूंगा ।

**Shri Shiv Nath Singh** : There is no question of examination because he has given a statement...

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया तर्क मत कीजिए ।

**श्री शिवनाथ सिंह** : वर्षा ऋतु को और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि नमक का निर्यात करने के लिये माल डिब्बों की कमी के कारण फलौदी में तो नमक की कीमत गिर गई है और अन्य स्थानों पर वह अधिक हो गई है तो क्या मंत्री महोदय वहाँ से नमक लदाने के लिये विशेष कोटा देंगे ?

**श्री हनुमंतैया** : इन सब वस्तुओं के लिये कोटा निर्धारित है । वास्तव में उस क्षेत्र से प्रतिदिन माननीय सदस्य मुझसे मिलने आते हैं । हम इस पर विचार कर रहे हैं और यथा संभव कार्यवाही कर रहे हैं । यह कहना संभव नहीं है कि हम प्रतिदिन इतने अधिक माल डिब्बे देंगे ।

**श्री शिवनाथ सिंह** : क्या मंत्री महोदय सभा को यह आश्वासन देंगे कि माल-डिब्बों की कमी की वजह से नमक के निर्यात अथवा सप्लाई में कोई कठिनाई नहीं होगी ?

**श्री हनुमंतैया** : मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता हूं ।

**केरल में टेपिओका पर आधारित उद्योगों की स्थापना**

*631. **श्री एम० के० कृष्णन्** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में टेपिओका पर आधारित कुछ उद्योग स्थापित करने का है;

(ख) क्या सरकार को केरल सरकार से कोई ऐसा प्रस्ताव मिला है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) भारत सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । हाँ, केरल सरकार टोपिओका कन्द का कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करके प्रोटीनयुक्त आहार, औद्योगिक स्टार्च, डेक्सहोज, ग्लूकोज आदि का उत्पादन करने के लिये एक औद्योगिक एकक स्थापित करने का विचार कर रही है ।

(ख) राज्य सरकार ने इस मामले में अब तक केन्द्रीय सरकार से औपचारिक रूप से कोई कार्यवाही नहीं की है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**श्री एम० के० कृष्णन्** . क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में टेपिओका का उपयोग करते हुये, जो केरल में भारी मात्रा में पैदा होता है, ग्लूकोस का कारखाना खोलने के लिये व्यवहार्यता अध्ययन करने का है ?

**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : इस समय हमारा विचार ऐसा कोई अध्ययन करने का नहीं है ।

**बन सागर बाँध का निर्माण बन्द करना**

*632. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार विधान सभा के कई सदस्यों ने प्रधान मंत्री से प्रस्तावित बन सागर बाँध के निर्माण कार्य को बन्द कर देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव)** : (क) और (ख) : विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

**विवरण**

**(क) और (ख)** : बिहार विधान सभा ने मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्तावित बनसागर परियोजना के विरोध में 23 मार्च, 1971 को एक संकल्प पारित किया था। कुछ विधान सभा के सदस्यों के साथ बिहार के मुख्य मंत्री इसे भारत सरकार के नोटिस में लाए।

बिहार सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित बनसागर परियोजना के प्रति विरोध प्रकट किया है, जिसमें सोन नदी के जल का टोंस नदी में व्यपवर्तन करना शामिल है। यह विरोध इस आधार पर किया गया है कि सोन नदी के बहुत नीचे की ओर जहाँ कि पहले से ही जल-सप्लाई की स्थिति नाजुक बतलाई जाती है, बिहार की बृहत् सिंचाई प्रणाली पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार यह जोर डालती रही है कि मिर्जापुर जिले में अकाल पीड़ित पठारी क्षेत्रों की सिंचाई के लिए बनसागर परियोजना ही एकमात्र साधन है और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित बनसागर परियोजना का इस क्षेत्र में भी सिंचाई की व्यवस्था करने हेतु संशोधन किया जाना चाहिए।

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार सरकारों के इन्जीनियरों के साथ सलाह करके केंद्रीय सरकार के इन्जीनियर बनसागर परियोजना के लिए ऐसे संशोधित प्रस्ताव तैयार करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जो तीनों राज्यों को मान्य हों।

**श्री एन० ई० होरो** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इस परियोजना से उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार पर कुप्रभाव पड़ेगा, क्या सरकार का विचार ऐसे विवादों को निपटाने के लिये कोई व्यवस्था करने का है ?

**डा० के० एल० राव** : चूंकि विवाद तीन राज्यों के बीच उत्पन्न हुआ है, इस मामले पर तीनों राज्यों के मुख्य इंजीनियर और केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के अध्यक्ष विचार-विमर्श कर रहे हैं। मुझे आशा है इस समस्या का समाधान किसी न्यायाधिकरण के बिना ही हो जायगा ।

**श्री एन० ई० होरो** : केन्द्रीय इंजीनियरों द्वारा विस्तारपूर्वक जाँच किये जाने से पूर्व क्या सम्बन्धित तीनों राज्य सरकारों से परामर्श लिया जायेगा ?

**डा० के० एल० राव** : हमारा प्रयास तो यह रहेगा कि विवाद को मुख्य इंजीनियर ही निपटा दें। यदि उस समय कोई कठिनाई हुई तो हमें उच्च स्तर तक जाना पड़ेगा। इस मामले में चूंकि कठिनाइयाँ हैं, अतः इस विषय पर विचार करने के लिये मैंने राज्यों के मुख्य मंत्रियों को आमन्त्रित किया है।

**श्री नवल किशोर सिंह** : इस मामले में बिहार सरकार की क्या राय है ?

**डा० के० एल० राव** : प्रत्येक राज्य ने अपने अपने राज्य की पानी की आवश्यकता के बारे में बताया है। बिहार सरकार ने, इस परियोजना से जितने पानी की उसे आवश्यकता है, उतने पानी के लिये कहा है। इस समय ये सब बातें विचाराधीन हैं।

**सियालदाह के समीप कंखूरगाची के स्थान पर रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना**

*640. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सियालदाह के समीप कंखूरगाची के स्थान पर रेलगाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण बड़ी संख्या में लोग मारे गये थे;

(ख) यदि हाँ, तो इस दुर्घटना से जान और माल की कुल कितनी हानि हुई;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में अदालती अथवा अन्य किसी प्रकार की जाँच के आदेश दिये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) और (ख) : संभवत: आशय 27–5–71 को गाड़ी नं० बी 13 अप बैरकपुर लोकल के कांकुरगाछी कैबिन के निकट पटरी से उतरने की घटना से है।

इस दुर्घटना में किसी की मृत्यु नहीं हुई। लेकिन सात व्यक्ति जख्मी हुए थे जिनमें से 6 व्यक्तियों को मामूली चोटें आयीं और एक गंभीर रूप से घायल हुआ था। रेल सम्पत्ति को लगभग 2,300 रुपये की क्षति होने का अनुमान है।

(ग) रेल सुरक्षा के अपर आयुक्त पूर्वोत्तर परिमण्डल, कलकत्ता ने इस दुर्घटना की सांविधिक जाँच की है।

(घ) सवाल नहीं उठता।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

**राजस्थान में उठाऊ सिंचाई योजना की प्रगति**

*633. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान नहर की अनपढ़ शाखा और लूनकर्णसार-बीकानेर उठाऊ सिंचाई योजना पर निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या कार्य में निर्धारित समयानुसार प्रगति हो रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त कार्य के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव)** : (क) : मुख्य अनूपगढ़ शाखा के मिट्टी के लगभग सभी कार्य और इसकी वितरण प्रणाली के लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूरे हो गए हैं। लूनकरणसर–बीकानेर लिफ्ट चैनल के संबंध में लगभग 70 प्रतिशत मिट्टी के कार्य और 13 प्रतिशत रेखांकन कार्य पूरे कर लिए गए हैं।

(ख) से (घ) : वर्तमान निर्माण-अनुसूची के अनुसार अनूपगढ़ शाखा के 1972–73 तक सुदृढ़ तौर पर पूर्ण हो जाने की संभावना है। बिजली की मोटरों और पम्पों की सुपुर्दगी में देरी होने के कारण लूनकरणसर-बीकानेर लिफ्ट स्कीम के पूर्ण होने में कुछ और समय लग सकता है।

**बरास्ता फूलवनी खुरदा रोड से बोलनगीर जिले तक रेल लाइन**

*637. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा सरकार तथा उड़ीसा की जनता से ऐसे सुझाव एवं प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं कि बरास्ता फूलवनी खुरदा रोड से बोलनगीर जिले तक नई रेलवे लाइन का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाये; और

(ख) क्या सरकार इस मामले पर विचार करेगी ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी हाँ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

**चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन में सुधार**

*638. **श्री अमरनाथ विद्यालंकार** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन में सुधार करने की योजना को मंजूरी दे दी गयी है और क्या इस योजना पर चालू वर्ष में ही कार्य आरम्भ किया जाना था;

(ख) क्या इस पर कार्य आरम्भ हो गया है और यदि नहीं, तो क्या इस योजना को पूरा करने की तिथि निर्धारित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या इस सुधार योजना में चंडीगढ़ स्टेशन के कर्मचारियों के लिए पर्याप्त संख्या में क्वार्टरों का निर्माण करना शामिल है और; यदि हाँ, तो कितने क्वार्टरों का निर्माण किया जा रहा है तथा वे किस आकार के होंगे ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : **(क) और (ख)** : जी हाँ। चंडीगढ़ में स्टेशन की एक नयी इमारत की मंजूरी दी गयी है जिसमें अपेक्षित सुविधाओं की व्यवस्था रहेगी। इस काम को चालू वर्ष के दौरान हाथ में लेने के लिए प्रबन्ध किये गये हैं और आशा है कि यह काम 1972 के अन्त तक पूरा हो जायेगा।

(ग) इस स्टेशन पर आवश्यक कर्मचारियों के निवास की व्यवस्था के लिए टाइप–I के 8 यूनिट और टाइप–II के 7 यूनिट क्वार्टरों को 1971–72 के निर्माण कार्यक्रम में अलग कार्य के रूप में शामिल कर लिया गया है।

**केरल खादी और ग्राम उद्योग त्रिवेन्द्रम के खातों में कथित अनियमितताएं**

*639. **श्री के० लकप्पा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी मिली है कि केरल खादी और ग्राम उद्योग, त्रिवेन्द्रम ने अपने खातों में अनियमितायें की हैं और 114 लाख रुपये का दुरुपयोग किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस बारे में कोई जाँच की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

**औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोईनुल हक चौधरी)** : (क) जी, नहीं। हाँ, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने यह बताया है कि केरल खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से 1966–67 तक मिली निधि में से 144 लाख रु० की राशि का उपयोग प्रमाण-पत्र

जुलाई, 1968 तक, प्रस्तुत करता था। इस राशि में से 31 मई, 1971 को केवल 45.94 लाख रु० का उपयोग प्रमाण पत्र देना शेष था।

(ख) तथा (ग) : केरल खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने पहले ही मई, 1971 के अन्त तक के बाकी उपयोग प्रमाण-पत्रों को इकट्ठा करने के लिए दो अधिकारियों को नियुक्त कर दिया है।

**व्यापार गृहों को लाइसेंस देना**

*641. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन व्यापार गृहों को कतिपय लाइसेंस दिए गए हैं जो कि एकाधिकार समूह के अन्तर्गत आते हैं;

(ख) यदि हां तो 1971 में इन व्यापार गृहों को कितने लाइसेंस दिए गए हैं;

(ग) उन व्यापार गृहों के नाम क्या हैं; और

(घ) पहले लिए गए निर्णय के अनुसार कार्य न करने के क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : **(क) से (ग)** : 1 जनवरी, 1971 से 30 अप्रैल, 1971 की अवधि में औद्योगिक गृहों से संबंधित अथवा नियंत्रित कम्पनियों को, जो एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत प्रत्यक्षत: आते हैं 67 औद्योगिक लाइसेंस तथा 15 आशय पत्र जारी किये गये थे। लाइसेंसों तथा आशय पत्रों का समूहवार तथा प्रकारवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया जाता है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 487/71]**

(घ) 67 औद्योगिक लाइसेंसों में से 46 लाइसेंस काम चालू रखने वाले थे। काम चालू रखने वाले ये लाइसेंस ऐसे उपक्रमों को दिये जाते हैं जिन्होंने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है अथवा जिन्होंने 18 फरवरी, 1970 को नई औद्योगिक लाइसेंस नीति घोषित होने से पहले दी गई छूट के उपबंधों के अधीन उत्पादन करने के लिये सप्रभावी कदम उठाये हैं। जहाँ तक शेष 21 लाइसेंसों का संबंध है, दो लाइसेंस नए उपक्रम स्थापित करने के लिये हैं, 13 लाइसेंस विद्यमान उपक्रमों में पर्याप्त विस्तार करने के लिये हैं तथा 6 लाइसेंस उनके विद्यमान उपक्रमों में नई वस्तुएं बनाने के लिए हैं। 2–15 आशय पत्रों में से तीन नए उपक्रम स्थापित करने के लिये हैं 7 पर्याप्त विस्तार करने के लिए तथा 5 विद्यमान उपक्रमों में नई वस्तुएं बनाने के लिये हैं। लाइसेंस और आशय पत्र सरकार की नीति के मुताबिक तथा प्रत्येक मामले में लागू होने वाली प्रक्रिया का विस्तार कर लेने के पश्चात् गुणावगुणों के आधार पर जारी किये गये थे।

**Progress of Construction of Tehri and Maneri Bhali Dams in Uttar Pradesh**

*642. **Shri Narendra Singh Bist** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be peased to state :

(a) whether he recently went to see Tehri Dam under construction over Bhagirathi and Milangna rivers ;

(b) whether there is no progress in the work of the dam although the said scheme was sanctioned 6 years ago ; if so, the reasons therefor ;

(c) the present position in regard to the construction work of Maneri Bhali (Uttarkashi) Dam ; and

(d) the total expenditure to be incurred on the construction of the above said two dams, the acreage of land expected to be irrigated thereby and the amount of electricity to be generated therefrom ?

**The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao)** : (a) : Yes, Sir.

(b) The Tehri scheme is still under investigation and has not therefore been sanctioned. Construction can start only after the investigations and studies are finalised and project sanctioned.

(c) Preliminary works on Maneri-Bhali Project are in hand. A 130 K. W. diesel construction Power Station has been completed. Diversion tunnel for the dam, and approach adit for surge tank and intermediate adit for tunnel have been completed, while work on the upper expansion chamber is in progress. There has been a delay of about two years in the project. Contracts for the diversion dam, tunnel and power house have yet to be given. The power station may be commissioned by 1975-76.

(d) According to the present indications, the Tehri Project may cost about Rs.200 crores, and provide irrigation to about 1.5 million acres in the Ganga and Agra Canal systems and enable instllation of 900 M. W. of hydel capacity.

The Maneri Bhali Project is estimated to cost Rs.17.7 crores, and will have an installed capacity of 105 M.W.

**Proposal regarding Abolition of Second Class on Indian Railways**

*643. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government had under conideration any proposal to abolish second class on the Indian Railways ; and

(b) if so, the decision taken thereon ?

**The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya)** : (a) No, Sir ; not after 1962.

(b) Does not arise.

**Setting up of a Distillery in Andhra Pradesh with Foreign Collaboration**

*645. **Shri Bharat Singh Chauhan** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether his Ministrry have granted permission for setting up a distillery with foreign collaboration in Andhra Pradesh in spite of the fact that indigenous know-how is available in this field ;

(b) whether according to the agreement, foreign exchnge to the tune of about Rs. 7.5 lakhs in the form of technical consultancy fees and to the tune of Rs. 2.5 lakhs sa royalty will have to be paid to the foreign collaborator ;

(c) if so, the reasons for granting such a permission ; and

(d) whether similar other proposals are also under consideration and if so, from which parties ?

**The Minister of Industrial Development (Shri Moinul Haque Choudhury)** :

(a) A letter of intent has been issued for the manufacture of malt whisky in Andhra Pradesh on the condition, **inter alia**, that the terms of foreign collaboration, if any, should be settled to the satisfaction of the Government.

**(b) and (c)** : The terms of foreign collaboration pertaining to the proposed distillery in Andhra Pradesh are still under consideration of the Government. In appropriate cases Government have been considerig proposals for foreign collaboration for the manufacture of potable liquors in spite of the know-how being available in the country in order to improve the quality of indigenous production with a view to enabling

the parties concerned to compete in the international market and earn foreign exchange through exports

(d) One more letter of intent has been granted for the manufacture of potable liquors on the conditions, *inter-alia*, that the terms of foreign collaboration, if any, should be settled to the satisfaction of the Government. The terms of foreign collaboration in that case also are under consideration of the Government.

**मैसर्स एस्कार्ट्स लिमिटेड को लाइसेंसों का दिया जाना**

*646. **श्री नुग्वल्ली शिवप्पा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में एस्कार्ट्स लिमिटेड को कितने लाइसेंस दिए गए;

(ख) उनमें से कितने लाइसेंसों का उपयोग इस कम्पनी द्वारा अब तक किया गया है;

(ग) क्या इस कम्पनी द्वारा लाइसेंसों के लिए और आवेदन पत्र दिए गए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उन आवेदनों पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री घनश्याम ओझा)** : **(क) और (ख)** 1 जनवरी, 1968 से 31 दिसम्बर, 1970 तक की अवधि में मे० एस्कार्ट्स लिमिटेड को, 1964 में उनके मिले आवेदनों पर, 2 औद्योगिक लाइसेंस दिये गये थे। एक लाइसेंस जो हेमिल्टन पेट्रोल ग्रेडर्स हेमिल्टन एल० बी० लोडर उपकरण तथा हाइड्रोलिक डिगर एम्सकेवेटर उपकरण के निर्माण के संबंधित हैं, कार्यान्वित किया गया है। दूसरा लाइसेंस जो वैकुम ब्रेक नियंत्रण उपकरण से संबंधित है कार्यान्वित किया जा रहा है।

**(ग) तथा (घ)** : इस अवधि में, कम्पनी ने 17 आवेदन पत्र दिये थे। दो मामलों में लाइसेंस दे दिये गये हैं, 2 मामलों में आशयपत्र जारी कर दिये गये हैं, 5 मामले रद्द कर दिये गये हैं. एक मामले में पार्टी को तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पूंजीकरण कराने के लिये आवेदन पत्र देने की सलाह दी गई थी तथा दूसरे मामलों में संशोधित रूप में नए सिरे से आवेदन देने के लिए कहा गया था। शेष 6 आवेदन विचाराधीन हैं।

**एस० एस० लाइट रेलवे के महाप्रबन्धक के साथ रेलवे लाइन को फिर से खोलने के बारे में विचार-विमर्श**

*651. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे को पुन: चालू करने के सम्बन्ध में सरकार ने उसके महाप्रबन्धक के साथ विचार-विमर्श किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो विचार-विमर्श का क्या निष्कर्ष निकला ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी नहीं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष 29–5–71 को एस० एस० लाइट रेलवे के भूतपूर्व महाप्रबन्धक श्री मेहता से मिले थे।

(ख) भूतपूर्व महाप्रबन्धक ने बताया कि—

(i) एस० एस० लाइट रेलवे कम्पनी 10–12–70 को सदस्यों द्वारा स्वेच्छा से परिसमाधनाधीन कर दी गयी थी।

(ii) परिसमापकों ने कुछ मदों को छोड़कर कम्पनी की सम्पूर्ण परिसम्पत्तियाँ बेच दी हैं।

(iii) 28–5–71 तक लगभग 16 किलोमीटर पटरी उठा ली गयी थी और उठाने का काम जारी है।

(iv) कर्मचारियों का हिसाब-किताब भी लगभग कर दिया गया है और उन्हें उनकी निर्वाह निधि का भुगतान कर दिया गया है; सेवान्त लाभ के वितरण का काम भी हो रहा है। विचार विमर्श केवल साधारण रूप में हुआ था।

**ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदियों को मिलाना**

*652. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्धु और ब्रह्मपुत्र नदियों को मिलाने के संबंध में कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो योजना को कब तक अन्तिम रूप देने की संभावना है ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव)** : (क) : जी, नहीं।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

**चिन्ना सैलम से चिंगलपुट (दक्षिण रेलवे) तक रेलवे लाइन**

*653. **श्री जी० मुवाराहन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिन्ना सैलम से चिंगलपुट तक एक नई रेलवे लाइन बिछाने के बारे में कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड के समक्ष इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण रिपोर्ट अनिर्णीत पड़ी है;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड ने उक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट पर विचार कर लिया है और यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) क्या तमिलनाडु सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन दिया था ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)**: **(क) और (ख)** : जी नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

(घ) जी हाँ। तमिलनाडु की राज्य सरकार ने सुझाव दिया था कि इस लाइन का सर्वेक्षण चौथी योजना के दौरान शुरू किया जाये।

**लघु उद्योगों के बारे में अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन**

*654. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल 1971 में लघु उद्योगों के बारे में हुए अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन द्वारा गठित स्थाई समिति के निदेश पद क्या हैं; और

(ख) सरकार ने अपने देश में बड़े उद्योगों और लघु उद्योगों के बीच अधिक समन्वय को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

**औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी)** : (क) स्थायी समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित हैं :—

(1) सभा के निष्कर्षों और उसकी सिफारिशों को अफ्रीकी एशियाई देशों-विशेषकर उन देशों को जिनके प्रतिनिधि इस सभा में भाग नहीं ले सके थे, के समर्थ अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना ।

(2) इन निष्कर्षों को क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों और संगठनों को भेजना,

(3) सदस्य देशों के इन निष्कर्षों के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त कार्यवाही के लिए प्रोत्साहित करना ।

(4) बाहरी सहायता और सहयोग बढ़ाना ।

(5) लघु उद्योग क्षेत्रों में अफ्रीकी-एशियाई सहयोग को बढ़ाने के लिये स्थाई आधार बनाने की सम्भावनाओं का अध्ययन कर उसकी रिपोर्ट अगले सम्मेलन में देना ।

(6) अगली सभा की पर्याप्त तैयारियों का सुनिश्चय कराना, और

(7) हाथ में लिये गये काम को पूरा करने के लिये आवश्यक निधि की व्यवस्था करना और अगले सम्मेलन में सही सही लेखा प्रस्तुत करना ।

(ख) देश के बड़े और छोटे उद्योग एककों के बीच निकट सहयोग पैदा करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(1) लघु उद्योग विकास संगठन बड़े उद्योगों और लघु उद्योगों एककों के बीच निकट का संबंध बनाए रखने के लिए बराबर प्रयत्नशील है । एक ओर लघु विकास संगठन जहाँ समर्थ लघु उद्योग एककों का, जो कुछ खास बड़े उद्योग एककों को सहायक सामान का सम्भरण कर सकते हैं निर्धारित करती है वहीं दूसरी तरफ यह विभिन्न प्रकार पूर्जों, उपकरणों, और हिस्से-पुर्जे लगाने जिनका लघु उद्योग एककों द्वारा बखूबी उत्पादन किया जा सकता है । कम भी निर्माण करता है ।

(2) सहायक एककों को लघु उद्योग विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत सभी उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं जैसे मुफ्त तकनीकी सहायता, और प्रबन्ध परामर्श, सामान्य सेवा सुविधायें ऋण सुविधायें मशीनों की किराया खरीद, औद्योगिक बस्ती में स्थान आदि का पूरा पूरा लाभ उठाने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है ।

(3) बंगलौर में अप्रैल, 1970 और रांची में नवम्बर, 1970 में "सहायक उद्योगों के विकास पर हुई गोष्ठी" की सिफारिशों में लघु उद्योग क्षेत्र के सहायक उद्योग एककों और बड़े उद्योगों के विकास और एक-दूसरे के पारस्परिक सहयोग पर विशेष महत्व दिया गया है । सुनियोजित आधार पर लघु उद्योगों के सहायक उद्योगों का तेजी से विकास करने के उद्देश्य से इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

## कलकत्ता में बिजली की कमी

*656. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कलकत्ता क्षेत्र में पिछले दिनों में बिजली के लोड में भारी कमी हो गई थी और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या दामोदर घाटी निगम बिजली की सप्लाई के संबंध में कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन लिमिटेड की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ है;

(ग) यदि हां, तो क्या कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन लिमिटेड को उसकी आवश्यकतानुसार बिजली सप्लाई करने के मामले में दामोदर घाटी निगम कभी असफल रहा है; और

(घ) यदि प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव)** : **(क) से (घ)** : कलकत्ते के इलाके में मई और जून, 1971 में विभिन्न मात्राओं में "लोड-शेडिंग" हो रही है और लोड-शेडिंग की यह मात्रा लगभग 110 मैगावाट तक चली गई है। इस इलाके में विद्युत की पूर्ति कलकत्ता विद्युत् पूर्ति निगम करता है। यह निगम अपनी 550 मैगावाट की विद्युत्-भार आवश्यकता पूरी करने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत् बोर्ड से लगभग 170 मैगावाट और दामोदर घाटी निगम से लगभग 100 मैगावाट विद्युत् प्राप्त करता है, इसके अतिरिक्त लगभग 280 मैगावाट विद्युत् का उत्पादन यह स्वयं करता है। "इन लोड-शेडिंगों" की आवश्यकता इस कारण पड़ी कि एक विशेष अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत् बोर्ड और दामोदर घाटी निगम से प्राप्त होने वाली विद्युत् में कमी हो गई। दामोदर घाटी निगम आम तौर पर कलकत्ता विद्युत् पूर्ति निगम को दिए गए वचन के अनुसार विद्युत् की पूर्ति करता आया है। फिर भी, जून, 1971 के प्रथम सप्ताह में दामोदर घाटी निगम के चन्द्रपुरा स्थित विद्युत्-जनन यूनिट में कुछ प्रचालन-संबंधी कठिनाई आ गई, जिससे दामोदर घाटी निगम से कलकत्ते को दी जाने वाली विद्युत् की मात्रा में लगभग 40 मैगावाट तक की कटौती करना आवश्यक हो गया। 5 जून, 1971 तक स्थिति पुनः पूर्ववत् हो गई।

पिछले कुछ दिनों में "लोड-शेडिंग" का मुख्य कारण बंदेल और दुर्गापुर (डी० पी० एल०) तापीय विद्युत् केंद्रों का रखरखाव और उन्हें बन्द करने को मजबूर होने की स्थिति में पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत् बोर्ड से उपलब्ध होने वाली विद्युत् में कटौती है, कर्मचारियों और मजदूरों के झगड़ों के कारण यह स्थिति आगे तक भी चलती रही। इसमें विद्युत् केंद्रों में इंजीनियरों और प्रचालन तथा रखरखाव-कर्मचारियों द्वारा अपनायी गई "नियमानुसार काम करो" की चाल सम्मिलित है। तड़ित के कारण उत्पन्न गड़बड़ियों से पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत् बोर्ड से मिलने वाली विद्युत् पूर्ति में 3 जून, 1971 को बाधा आ गई और उसके बाद यह बाधा बंदेल को विद्युत् जनन-यूनिटों के पुनः चालू किए जाने में विलम्ब के कारण चलती रही।

**'सिरुवणी' जल के बारे में तमिलनाडु और केरल के बीच विवाद**

*658. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु और केरल के बीच सिरुवाणी नदी जल के बारे में विवाद समाप्त हो गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो समझौते की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख) : मई, 1969 में हुई एक अंतर्राज्यीय बैठक में केरल और तमिलनाडु सरकारों ने इस बात को सिद्धान्त रूप में मान लिया था कि तमिलनाडु सरकार द्वारा दिए गए अभिकल्पों (डिजाइनों) और विशिष्टियों के अनुसार उसी सरकार की लागत पर केरल सरकार को सिरुवाणी पर उपयुक्त क्षमता के एक जलाशय का निर्माण करना चाहिए जिससे कोम्बत्तूर के लिए 1.8 टी० एम० सी० पेय जल की विश्वसनीय सप्लाई की जा सके और इसके लिए भी सहमति हो गई थी कि परियोजना पर निर्माण कार्य ब्यौरे की जाँच करने के पश्चात् ही आरंभ किया जाए।

केरल सरकार ने सूचित किया है कि इस बारे में तमिलनाडु सरकार द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट की उन्होंने जाँच कर ली थी और कुछ तकनीकी सुझाव दिए थे तथा संशोधित स्कीम और प्राक्कलन अभी हाल में तमिलनाडु सरकार से प्रतीक्षित हैं।

दोनों सरकारों के बीच निष्पादित होने वाले करार के मसौदे को अभी अंतिम रूप देना है। मसौदे पर विचार करने के लिए एक बैठक पहले ही हो चुकी है और इस पर आगे विचार करने और अंतिम रूप देने हेतु एक और बैठक अभी होनी है।

**Construction of Sukta Dam in Madhya Pradech**

2703. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the decision taken by the Central Government on the recommendations made by the Madhya Pradesh Government for the construction of Sukta Dam in East Nimar district of Madhya Pradesh ;

(b) the time by which the preliminary construction work will be started ; and

(c) the reasons for delay in starting the construction work ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel)** : **(a) to (c)** : The Government of Madhya Pradesh had in 1968 proposed the Sukta Project at a cost of Rs.6.32 crores. However, in October 1969, they intimated that this scheme is being recast by them to form a medium scheme. This recast scheme has not so far been received from the State Government.

**Rural Electrification Schemes in Madhya Pradesh**

2704. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the main features of the number of rural electrification schemes forwarded to the Central Government by the Government of Madhya Pradesh, which would be financed by the Rural Electrification Corporation; and

(b) the action proposed to be taken thereon ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel)** : **(a) and (b)** : The Madhya Pradesh State Electricity Board has so far submitted 19 Rural Electrification Schemes to the Rural Electrification Corporation. Of these, five schemes involving a loan assistance of Rs. 331.396 lakhs have been sanctioned by the Corporation. One scheme which does not satisfy the viability criteria has been returned. The remaining 13 schemes are under consideration by the Corporation. Details of the 19 schemes, are given in the statement attached.

**Statement**

**I—List of Schemes Sanctioned by Rural Electrification Corporation**

| | Detail of Scheme | Villages covered | Pumpsets to be energised | Amount loan sanctionel | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rural Electrification Scheme relating to Pench and its Tributory area in Chhindwara district .. | 60 | 4500 | 79.00 | Concessional financing as for backward areas provided for all 5 Scehmes |
| 2. | R. E. Scheme in Kanhiwara area in Seoni district .. | 40 | 2500 | 44.00 | |
| 3. | R.E. Scheme in Gauri area of Seoni District .. | 25 | 2200 | 36.156 | |
| 4. | R. E. Scheme of Raipur and Bilaspur District. .. | 92 | 4552 | 85.975 | |
| 5. | R. E. Scheme in Katghora area in Bilaspur district .. | 78 | 4600 | 86.265 | |
| | Total .. | 295 | 18352 | 331.396 | |

**II—List of Schemes pending with Rural Eelectrfintion Corporation**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | R.E. Scheme of Parasia area Chhindwara District. | 26 | 2600 | 39.02 |
| 2. | R. E. Scheme of Bindranawagarh and Damtarai Taluks of Raipur District. | 49 | 4150 | 65.54 |
| 3. | R. E. Scheme of Sakti Tehsil Bilaspur District. | 40 | 5000 | 76.30 |
| 4. | R. E. Scheme of Shajalpur Tehsil of Shajapur District. | 32 | 3460 | 53.55 |
| 5. | R. E. Scheme of Sehore Tehsil District Sehore. | 30 | 3200 | 48.12 |
| 6. | R. E. Scheme of Sonkatchh Tehsil District Dewas. | 36 | 2885 | 45.54 |
| 7. | R. E. Scheme of Mandsaur Tehsil Mandsaur District. | 28 | 3000 | 47.65 |
| 8. | R. E. Scheme of Betul Tehsil District Betul. | 28 | 2200 | 33.72 |
| 9. | R. E. Scheme of Alot Tehsil Ratlam District. | 38 | 3171 | 47.52 |
| 10. | R. E. Scheme of Khargone Tehsil District Khargone. | 46 | 3520 | 59.09 |
| 11. | R. E. Scheme of Badnagar Tehsil Ujjain District. | 37 | 3584 | 68.68 |
| 12. | R. E. Scheme of Depalpur Tahsil Indore District. | 34 | 3815 | 72.63 |
| 13. | R. E. Scheme of Badnawar Tehsil of Dhar District. | 33 | 3000 | 44.33 |
| | Total .. | 457 | 43585 | 701.69 |

**Scheme Returned by the Rural Electrification Corporation**

R. E. Scheme of Mahanadi and its tributory Sodoor, Raipur Disrict estimated to cost. Rs.85.73 lakhs and proposed to cover 178 villages and 3800 pumpsets. This scheme has been returned by the Corporation to the State Eelectricity Board as it does not satisfy the viability criteria.

**Supply of Electricity Through Rural Electricity co-operatives in Madhya Pradesh**

2705. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be plesed to state :

(a) whether Government have formulated a scheme to provide electricity in the villages through rural electricity co-operatives;

(b) if so, whether electricity is being provided in villages of Madhya Pradesh also under the said scheme ;

(c) whether any assistance is being provided to small farmers for getting electricity connections under the said scheme ; and

(d) in case such co-operatives have not been formed in Madhya Pradesh, the reasons therefor ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irritation and Power (Shri Baij Nath Kureel)** : **(a)** Yes, Sir. The Rural Electrification Corporation has taken up the financing of rural electric co-operatives in areas where pilot projects have been started on the basis of recommendations of U. S. Team of Experts.

**(b) to (d)** : As indicated in reply to Starred Question No. 435 in the Lok Sabha on 12th August, 1968, the scheme for setting up pilot rural electric co-operative project in Tikamgarh District of Madhya Pradesh was not included by the U. S. Team of Experts for further investigations as the scheme report given to the team was not considered viable. The Corporation has sanctioned five schemes of the Madhya Pradesh Electricity Board at an estimated cost of Rs.331.396 lakhs for energisation of 18,352 pumpsets for irrigation purposes.

**केरल में समुद्र कटाव की समस्या**

2706. **श्री वयालार रवि** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना अवधि में केरल में भूमि कटाव को रोकने के लिए कुल कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत समुद्रतट के भू-कटाव की समस्या को भी सम्मिलित करने का है; और

(ग) क्या इस संबंध में केन्द्र सरकार को केरल सरकार की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है और यदि हाँ, तो उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) : तीसरी योजना के दौरान केरल में समुद्र-कटाव-रोध कार्यों पर व्यय 4.46 करोड़ रुपये था।

(ख) : समुद्र-कटाव-रोध उपाय राज्य योजना में बाढ़ नियंत्रण सेक्टर का एक भाग होते हैं।

(ग) : केरल सरकार से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है कि केरल में समुद्र कटाव की समस्या राष्ट्रीय समस्या के रूप में मानी जानी चाहिए। इस प्रकार की प्रार्थना पहले भी प्राप्त हुई थी

परन्तु इसे राष्ट्रीय समस्या के रूप में मानना सम्भव नहीं पाया गया था। बहरहाल, इस विषय पर फिर से योजना आयोग के साथ बात-चीत करने का प्रस्ताव है।

**आवड़ी (दक्षिण रेलवे) पर मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों को रोकने के लिए अनुरोध**

2707. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन्** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यात्रियों के कई संघों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यह निवेदन किया गया है कि दक्षिण रेलवे में आवड़ी पर मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ को रोका जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी हाँ।

(ख) यह माँग औचित्यपूर्ण नहीं पायी गयी है।

**Supply of Water at Low Rates under commercial Irrigation Scheme in Madhya Pradesh**

2708. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether water is being supplied under the Commercial Irrigation Scheme in Madhya Pradesh at a very much lower rate than the actual cost ;

(b) if so, the names of the places where water is being supplied under this scheme and the loss being suffered as a result thereof ; and

(c) whether this loss is being reimbursed by the Central Government ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel)** : **(a) to (c)** : It is learnt from the Government of Madhya Pradesh that a rate of Rs.600 per million cubic feet is charged for Commercial use of waters when drawn from works carried out by Government. However, no charges are levied when water is lifted by the consumers by their own arrangements, from rivers on which no regulation or augmentation works have been carried out by the State Government.

**Progress made in Regard to Sukta DAM Project in Madhya Pradesh**

2709. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the acreage of land proposed to be irrigated under the Sukta dam project in East Nimar district of Madhya Pradesh ;

(b) the expenditure incurred on the project so far ; and

(c) the additional amount required for its completion ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel)** : **(a) to) (c)** : The Government of Madhya Pradesh had in 1968 proposed the Sukta Project at a cost of Rs.6.32 crores. However, in October 1969, they intimated that this scheme is being recast by them to form a medium scheme. This recast scheme has not so far been received from the State Government.

**रेलवे में अदायगी सम्बन्धी अनियमितताएं**

2710. **डा० जी० एस० मेलकोटे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंजूरी अदायगी अधिनियम की क्रियान्विति के सम्बन्ध में रेलवे में अनियमितताएं हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान अनियमितताओं के कितने मामलों का पता लगाया गया; और

(ग) स्थिति में सुधार करने तथा घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) और (ख) जी हाँ, 'मजदूरी संदाय अधिनियम' के अन्तर्गत 'केन्द्रीय औद्योगिक सम्बंध तंत्र 'द्वारा रेलों को जिन कथित अनियमितताओं की रिपोर्ट वर्ष 1967, 1968 और 1969 में की गयी थी उनकी संख्या क्रमश: 17635, 14397 और 15673 थी।

(ग) इस सम्बन्ध में रेलों को जो हिदायतें हैं उनमें इस बात पर बल दिया गया है कि जब और ज्योंही इस तरह की अनियमितताओं की रिपोर्ट की जाये उनमें शीघ्र सुधार किया जाये तथा ऐसी आवश्यक कार्रवाई की जाये ताकि उनकी पुनरावृति न होने पाये और अनियमितताओं के मामले कम किये जा सके।

**विदेशी सहयोग से उद्योगों की स्थापना**

2711. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में 1967–69 के दौरान सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में राज्यवार विदेशी सहयोग और विदेशी अनुदान से कौन-कौन से उद्योग स्थापित किए गए ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : 1967 से 1969 तक की अवधि में सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी सहयोग के मामलों की संख्या निम्नलिखित है :—

| | |
|---|---|
| 1967 | 183 |
| 1968 | 132 |
| 1969 | 135 |

सरकार द्वारा स्वीकृत किए गये विदेशी सहयोग वाली त्रैमासिक सूची में पार्टी का नाम, विदेशी सहयोगी का नाम, बनाई जाने वाली वस्तु और क्या विदेशी पूंजी की हिस्सेदारी का प्रस्ताव है, देते हुए व्यापक प्रचार किया जाता है तथा उद्योग व व्यापार पत्रिका में प्रकाशित भी किया जाता है जिसकी प्रतियाँ संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध है।

सरकार विदेशी सहयोग के लिए अनुमोदन केवल एक आशय पत्र द्वारा स्वीकृत करती है जिसमें हर एक मामले के बारे में विस्तार से शर्तें दी हुई होती हैं जो सरकार को मान्य होगी। विदेशी सहयोग की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् योजना के अग्रतर कार्यान्वयन की सारी जिम्मेदारी सम्बन्धित पार्टी के प्रारम्भ करने पर निर्भर करती है। यह भी संभव है कि सरकार द्वारा स्वीकृति के बावजूद उनमें से कुछ प्रस्तावों में कई कारणों से विलम्ब हो जाये अथवा वे कभी पूरे ही न हो इसी प्रकार, कुछ मामलों में विदेशी सहयोग के लिए सरकार की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त भी पार्टी औद्योगिक कारखानों के स्थान के बारे में अपने विचार बदल दें। अत: इस अवस्था में यह बताना संभव नहीं है कि विदेशी सहयोग से कितने औद्योगिक कारखानें स्थापित किए जा चुके हैं और 1967 से 1969 तक की अवधि में स्वीकृत किए प्रस्तावों के ठीक-ठीक स्थान क्या हैं।

**रेलवे क्वार्टरों की सुविधा से वंचित उत्तर रेलवे के स्थायी सहायक रेल पथ निरीक्षकों को पट्टे पर आवासों का दिया जाना**

2712. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **रेल** मंत्री उत्तर रेलवे के सहायक रेल पथ निरीक्षकों के लिये क्वार्टर दिये जाने के बारे में 28 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7796 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन रेल पथ निरीक्षकों और सहायक रेल पथ निरीक्षकों को पट्टे पर आवास न दिये जाने के क्या कारण हैं जिन्हें रेलवे क्वार्टर आबंटित नहीं किये गये हैं ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : रेल पथ निरीक्षकों और सहायक रेल-पथ निरीक्षकों को, जो कर्मचारी क्वार्टरों के आबंटन के प्रयोजन के लिए 'अनिवार्य' कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत अनेक कोटियों के कर्मचारियों में से हैं, प्रायः क्वार्टर दे दिये गये हैं, सिवाय उनके जो बनाये गये नये पदों पर काम कर रहे हैं। जहाँ तक संभव होता है, ऐसे रेलपथ निरीक्षकों और सहायक रेलपथ निरीक्षकों को वैकल्पिक-वास की व्यवस्था की जाती है जो उस टाइप से एक टाइप नीचे का हो सकता है जिसके वे हकदार हैं। जहाँ कहीं यह संभव नहीं होता, इन कर्मचारियों तथा अन्य कोटियों के उन अनिवार्य कर्मचारियों के लिए, जिन्हें रेलवे के क्वार्टर नहीं मिले हैं, धन की उपलब्धता के अनुरूप एक निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर क्वार्टरों का निर्माण किया जाता है। ऐसे कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था करने के लिए किराये पर प्राइवेट रिहायशी मकान अपवाद रूप में ही लिए जाते हैं।

**राज्यों में बिजली की कमी**

2713. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों की संख्या कितनी है जिन्होंने अपने यहाँ बिजली की कमी की सूचना दी है; और

(ख) केंद्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) आंध्र प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने सूचित किया है कि 1971–72 के वर्ष के दौरान बिजली में कमियाँ होने की संभावनाएं है।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे कार्यान्वयनाधीन विद्युत् स्कीमों को चालू करने में तेजी लाएं। केन्द्रीय सरकार जहाँ भी संभव होता है, वहाँ सहवर्ती विद्युत् प्रणालियों से बिजली की सप्लाई का प्रबंध करके बिजली की कमी को कम करने का प्रयास करती है। इस उद्देश्य के लिए अंतर्राज्यीय और अन्तःक्षेत्रीय पारेषण पथों के निर्माण की प्रगति में तेजी ला दी गई है। केंद्रीय सरकार विद्युत् उत्पादन और पारेषण की स्कीमों को तेजी से पूर्ण करने में परियोजना अधिकारियों के सामने आ रहीं तंगियों को दूर करने के लिए भी सहायता दे रही है।

बिजली की सप्लाई की स्थिति का एक दीर्घकालीन अवलोकन किया गया है और राज्यों के साथ सलाह करके 1971–72 की दशाब्दी के लिए उत्पादन तथा विद्युत् पारेषण दोनों के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं।

**मकेन्जीस लिमिटेड बम्बई का बन्द हो जाना**

2714. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल डिब्बों ,फोरकालफूट ट्रकों और अन्य मशीन उपकरणों के निर्माण करने वाली इंजीनियरिंग कम्पनी, मेकेन्जीस लिमिटेड, बम्बई के बन्द हो जाने की सरकार को सूचना है, और

(ख) कम्पनी के कुप्रबन्ध के कारण उत्पादन की हानि और हजारों कर्मचारियों के बेरोजगार हो जाने के परिणामस्वरूप सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) जी, हाँ।

(ख) 3 जून, 1971 को सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 की धारा 15 के अधीन कम्पनी के मामलों की जाँच करने के लिए पहले ही आदेश दे रखे हैं।

**रेल प्रयोक्ता समितियां**

2715. **श्री विक्रम चन्द महाजन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलवे जोनों में रेलले प्रयोक्ता समितियाँ कब से विद्यमान हैं; और

(ख) इन समितियों के कितने सदस्य हैं और इन समितियों पर उन्हें कितनी अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : **(क) और (ख)** : पिछले 12 से 18 वर्षों से रेलों पर विभिन्न प्रकार की रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियाँ विभिन्न स्तरों पर काम कर रही हैं, जैसा कि नीचे दिखाया गया है :—

| समिति का नाम | जिस वर्ष से काम कर रहे हैं |
|---|---|
| 1. क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति | 1953 |
| 2. मण्डल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति | 1953 |
| 3. रेल उपयोगकर्ता सुविधा समिति | 1956 |
| 4. उपनगरीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति | 1956 |
| 5. समय सारणी समिति | 1956 |
| 6. खानपान पर्यवेक्षण समिति | 1956 |
| 7. बुकस्टाल सलाहकार समिति | 1956 |
| 8. स्टेशन परामर्श समिति | 1956 |
| 9. स्थानीय खानपान सलाहकार समिति | 1959 |

उपर्युक्त समितियों की सदस्य संख्या 5 से लेकर 49 तक रहती है। मध्य रेलवे पर बुकस्टाल सलाहकार समिति के मामले में सदस्य संख्या 5 है जबकि उत्तर रेलवे पर क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति की सदस्य संख्या 49 है। इन समितियों के सदस्य, एक समय पर, दो वर्ष की अवधि के लिए मनोनीत किये जाते हैं।

## नेपाल के लिये आयातित सामान की चोरियाँ

2716. **श्रीमती विभा घोष** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सम्प्रेषण के दौरान नेपाल को आयातित सामान की चोरी की घटनाएं हो रही हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रकार की चोरियों को रोकने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी हाँ, ऐसे कुछ मामलों का पता चला है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

### विवरण

नेपाल के लिए आयातित माल की चोरी और उठाईगीरी की रोक थाम के लिए किये गये उपाय।

1. हवड़ा-बरौनी जंक्शन-रक्सौल के बीच एक पाइलट योजना लागू कर दी गयी है। जहाँ नेपाल को जाने वाले माल को चढ़ाने-उतारने के काम पर कड़ी निगाह रखी जाती है।
2. नेपाल के लिए उद्दिष्ट माल ढोने वाली गाड़ियों के साथ भेद्य खण्डों पर, रेलवे सुरक्षा दल के अनुरक्षियों का पहरा रहता है।
3. हवड़ा और बरौनी जंक्शन पर वाणिज्य कर्मचारियों और रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से जाँच की जाती है।
4. रेलों के अपराध आसूचना और रेलवे बोर्ड के केन्द्रीय अपराध ब्यूरो के कर्मचारियों को, अपराधियों को पकड़ने के उद्देश्य से आसचना एकत्रित करने के लिए तैनात किया गया है।
5. अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए और अपराध प्रवृत्ति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए रेलवे सुरक्षा दल, सरकारी रेलवे पुलिस और आबकारी एवम् सीमा-शुल्क विभाग के अधिकारियों में निकट समन्वय रखा जाता है।
6. वर्तमान निवारक उपायों की समीक्षा करने और चोरी आदि की शिकायतों के उन्मूलन के लिए और उपाय ढूंढ़ने के लिए, रेलवे सुरक्षा दल और आबकारी एवम् सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों की एक बैठक रेलवे बोर्ड में बुलायी जा रही है।

## नाईजेरिया को रेल डिब्बों का निर्यात

2717. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन्** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल डिब्बों की सप्लाई हेतु इन्टेगरल कोच फैक्टरी को नाइजेरिया से कोई क्रयादेश प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो कितने मूल्य के क्रयादेश प्राप्त हुए हैं और कितने रेल डिब्बों के क्रयादेश प्राप्त हुए हैं; और

(ग) क्रयादेश कब तक पूरा हो जायेगा ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठता।

**बाढ़ों से होने वाली हानियों के लिए राज्यों को सहायता**

2718. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 में बाढ़ों के परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई और केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता दी गई; और

(ख) भविष्य में इस प्रकार की आपदाओं के कारण होने वाली क्षति को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) 1970 के दौरान बाढ़ों के कारण राज्यों द्वारा सूचित कुल क्षतियों का विवरण संलग्न है।

बाढ़ों द्वारा की गई क्षतियों और सहायता उपायों का अनुमान लगाने के लिए राज्यों को भेजी गई केंद्रीय टीमों द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखकर केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देती है। अभी तक केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को 1970–71 में बाढ़ सहायता व्यय के लिए निम्नलिखित वित्तीय सहायता मंजूर की गई है :

| | (करोड़ रुपयों में) |
|---|---|
| 1. आंध्र प्रदेश | 5.10* |
| 2. असम | 5.75= |
| 3. बिहार | 2.35= |
| 4. गुजरात | 2.80+ |
| 5. केरल | 2.20 |
| 6. राजस्थान | 1.50 |
| 7. उत्तर प्रदेश | 4.50× |
| 8. पश्चिम बंगाल | 18.91× |

* इसके अलावा, चक्रवात सहायता उपायों पर स्पिल ओवर व्यय के रूप में 7.50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकार की गई थी।

= इसमें सूखा सहायता व्यय भी शामिल है।

+ इसमें भूकम्प सहायता उपाय भी शामिल हैं।

× इसके अतिरिक्त, कृषि विभाग ने पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश को बीजों उर्वरकों आदि को खरीद के लिए 5 करोड़ रुपये लघु-कालीन ऋण के रूप में स्वीकार किए हैं।

**नोट** : ये आंकड़ें वे हैं जो 1970–71 में स्वीकार किए गए थे और इनमें पहले वर्षों के लिए सहायता की बकाया राशियाँ शामिल हैं।

उपर्युक्त वित्तीय सहायता के अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को प्रार्थना पर

सहायता और बचाव कार्यों के लिए सैनिक, हवाई जहाज, सेना को किश्तियाँ आदि देकर भी सहायता की।

(ख) बाढ़ों द्वारा होने वाली क्षतियों को कम करने के लिए विभिन्न राज्यों में ये कार्य किए गए हैं : तटबंधों का निर्माण, वर्तमान तटबंधों को ऊंचा और पक्का करना, निस्सार नालियों का निर्माण, नदी नियंत्रण कार्य, नगर बचाव कार्य और बाढ़ में कमी लाने के लिए संचय समेत जलाशय 1 मार्च, 1971 तक किए गए कार्यों में यह कार्य शामिल हैं : 7063 किलोमीटर लम्बे तटबंधों का निर्माण, 937 किलोमीटर लम्बी निस्सार नालियाँ, 191 नगर बचाव स्कीमें और 4585 ग्रामों के स्तर को ऊंचा करना। इन कार्यों पर 126 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। इनसे 61 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित हुआ है। इन उपायों को जारी रखा जा रहा है। राज्य सरकारों द्वारा बाढ़ नियंत्रण के लिए व्यापक स्कीमें भी तैयार की जा रही हैं।

**विवरण**

| **राज्य का नाम** | **1970 के दौरान बाढ़ों के कारण कुल क्षतियाँ** (लाख रुपयों में) |
|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 1237.3 |
| असम | 1042.9 |
| बिहार | 1507.7 |
| गुजरात | 6930.9 |
| हरियाणा | 1.0 |
| हिमाचल प्रदेश | 0.2 |
| केरल | 278.9 |
| मध्य प्रदेश | 155.7 |
| महाराष्ट्र | 395.0 |
| मैसूर | 128.4 |
| उड़ीसा | 1335.6 |
| पंजाब | 35.2 |
| तमिल नाडु | 9.4 |
| उत्तर प्रदेश | 6908.0 |
| पश्चिम बंगाल | 8699.4 |
| मणिपुर | 13.9 |
| त्रिपुरा | 2.5 |
| कुल | 28682.0 |

**टेक्टार हाल्ट (पूर्वोत्तर रेलवे) पर इस समय ठेके पर दिये जा रहे टिकट एकत्र करने के कार्य को अधिकार में लेना**

2719. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के मुहम्मदपुर और कन्टोल स्टेशनों के बीच के टैक्टार हाल्ट पर टिकट एकत्र करने का कार्य अभी भी ठेके पर दिया जाता है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या टिकट एकत्र करने के कार्य को रेल विभाग का विचार अपने हाथ में लेने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) :** टेक्टार हाल्ट का संचालन एक हाल्ट एजेन्ट करता है और टिकट एकत्र करना हाल्ट एजेन्ट की एक ड्यूटी हैं। रेलले द्वारा टिकट एकत्र करने का काम अपने हाथ में लेने का कोई विचार नहीं है क्योंकि सामान्यत: गाड़ी हाल्ट का संचालन हाल्ट एजेन्टों द्वारा ही किया जाता है।

**विदेशों को दी जाने वाली भारतीय तकनीकी जानकारी**

2720. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों ने भारतीय तकनीकी जानकारी के लिये भारत सरकार की सहायता की अपेक्षा की है,

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे देशों के क्या नाम हैं जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार की सहायता की अपेक्षा की थी, और

(ग) उक्त अवधि में उन देशों को प्रदान की गई तकनीकी जानकारी का ब्यौरा क्या है और यह जानकारी किन शर्तों पर प्रदान की गई ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :** (क) जी, हाँ।

(ख) इथोपिया, नाइजीरिया, तन्जानिया, गम्बिया, सेनेगल, अपर बोल्आ, यूगान्डा, केन्या, घाना, सीरिया, लिग्रोन, सोमालिया, जम्ब्रिया, मलेशिया, सिंगापुर इन्डोनेशिया, फिजो, मोरीशस, अफगानिस्तान, ईराक, मस्कट, आबू ढाबी, कांगो, ईरान, सूडान, मोरक्को, अल्जिरिया, संयुक्त अरब गणराज्य, मिनिदाद, थाइलैन्ड, पिलिपाइन, पी आर डी वाई, अंगोला, बुल्डी बल्गारिया, कामरून, श्रीलंका, मडागास्कर, फिलिपाइन्स, तुर्की तोगो, दहोमी, सूरीनाम, युरुग्वे, आदि से किसी न किसी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए निवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) विदेशों को निम्न प्रकार की तकनीकी सहायता दी गई है :—

(1) भारत सरकार के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत इन्जीनियरी लघु उद्योग, सिंचाई, ऐनेमलवेयर, लकड़ी का काम, धातू, कार्य आदि के क्षेत्र में विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति। इन विशेषज्ञों पर होने वाला सारा व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसके अलावा, विदेशी सरकारों या यू० एन० आई० ऐ० ओ० आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के अनुरोध पर विशिष्ट कार्यों के लिए भी विशेषज्ञों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है। जिनके मामले में विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति का व्यय भार या तो विदेशी सरकारें या संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण द्वारा वहन किया जाता है।

(2) जल संसाधनों, सरकारी पालीटेकनीकों के अन्तर्गत पढ़ाये जाने वाले विभिन्न व्यवसायों, जवाहरात, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आदि जैसे क्षेत्रों में विदेशी नागरिकों के लिये भारत में प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करना। विदेशी नागरिकों के प्रशिक्षण पर होने वाला सारा व्यय, अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा व्यय को छोड़ कर, भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

(3) भारतीय उद्यमियों द्वारा समुद्रपारीय देशों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना ऐसे उद्यमों में भारतीय हिस्सेदारी प्रतिबंधित है वे प्रस्तावित संस्था की इक्विटी में अल्पांश के ही भागीदार हो सकते हैं। इस प्रकार के उद्यमों में भारतीय हिस्सा मशीनों का निर्यात कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं और इस प्रयोजन के लिए विदेशों में नकद राशि भेजने की अनुमति नहीं दी जाती है।

**पश्चिम रेलवे के अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय, दिल्ली के सफाई वालों को वर्दियाँ दिया जाना**

2721. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय, दिल्ली में कार्य कर रहे सफाई वालों को पूरी वर्दी न दी जाकर केवल दो "कुर्ते" दिये जा रहे हैं;

(ख) क्या इस बार विरोध स्वरूप उन्होंने दो "कुर्ते" नहीं लिये; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : **(क) से (ग)** : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा मशीनों का उत्पादन**

2722. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स से प्रतिवर्ष 5000 मशीनों का उत्पादन अपेक्षित है, और

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1970–71 में उत्पादित मशीनों की संख्या क्या है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : **(क) और (ख)** हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की प्रारंभ में लगभग 17.5 करोड़ रु० के कुल मूल्य की 5000 स्टेन्डर्ड जनरल परपज मशीनें बनाने की योजना थी। बदलती हुई बाजार माँग को पूरा करने के उद्देश्य से हिन्दुस्तान मशीन टूल्स अधिक जटिल प्रकार की मशीनों को सम्मिलित करके मशीनों के उत्पादन में निरन्तर विविधीकरण कर रहा है। इन मशीनों का वास्तविक उत्पादन (जटिलतम मशीनों सहित) वर्ष 1969–70 तथा 1970–71 में क्रमश: 2334 मशीनों, मूल्य 12.76 करोड़ रु० और 2372 मशीनें (अनुमानित आंकड़ें), मूल्य 16.34 करोड़ रु० है।

**इलैक्ट्रिक लोको शेड, कानपुर में रेलवे विद्युतीकरण के कर्मचारियों को काम देना**

2723. **श्री चन्द्रिक प्रसाद** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर ने 30 जुलाई, 1970 को इलैक्ट्रिक लोको शैड, कानपुर में रेलवे विद्युतीकरण के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के दौरान यह आश्वासन दिया था कि इलैक्ट्रिक लोको शैड, कानपुर में पद खाली होने की अवस्था में उन पर नियुक्तियाँ करते समय रेलवे विद्युतीकरण के कर्मचारियों के नामों पर विचार किया जायेगा;

(ख) क्या डी० ई० ई०/आर० एस०/उत्तर रेलवे, कानपुर ने अब तक रेलवे विद्युतीकरण

के एक भी कर्मचारी को भर्ती नहीं की है जबकि उन्होंने बाहर से भर्ती की है, यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बाहर से कितने व्यक्ति भर्ती किये गये हैं ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी नहीं;

(ख) और (ग) विज्ञापन द्वारा 80 कुशल फिटरों की भर्ती की गयी है। नैमित्तिक मजदूर अपेक्षित अर्हताओं को पूरा नहीं कर सके और इसलिए उनमें से किसी को भर्ती नहीं किया गया। 130 नैमित्तिक मजदूरों को कर्षण विभाग में शीघ्र ही निकलने वाली खाली जगहों में समाहित किया जा रहा है, जिनके लिए कि वे उपयुक्त पाये गये हैं।

**विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद**

2724. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न उच्च न्यायालयों में से प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों में से कितने पद रिक्त हैं; और

(ख) विचाराधीन मामलों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए विभिन्न उच्च न्यायालयों में नियुक्तियाँ न किये जाने के क्या कारण हैं ?

**विधि और न्याय मंत्री (श्री एच०आर० गोखले)** : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) कुछ रिक्तियों को भरने के संबंध में प्रस्थापनाएं राज्य प्राधिकारियों से मिली हैं और उनके संबंध में कार्यवाही की जा रही है। राज्य प्राधिकारियों को स्मरण कराया गया है कि वे शेष रिक्तियों को भरने के बारे में प्रस्थापनाएं भेजने में जल्दी करें।

**विवरण**

| | रिक्तियाँ | |
|---|---|---|
| उच्च न्यायालय का नाम | स्थायी न्यायाधीश | अपर न्यायाधीश |
| इलाहाबाद उच्च न्यायालय | 4 | 1 |
| आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय | 1 | 3 |
| कलकत्ता उच्च न्यायालय | 2 | 3 |
| गुजरात उच्च न्यायालय | – | 3 |
| केरल उच्च न्यायालय | – | 1 |
| मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय | 1 | 1 |
| मैसूर उच्च न्यायालय | – | 1 |
| पटना उच्च न्यायालय | – | 2 |
| पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय | – | 2 |

**उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या**

2725. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पदों की अनुमोदित संख्या में से कितने पद रिक्त हैं;

(ख) ये पद कब से रिक्त हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन रिक्त पदों को सरकार का कब तक भरने का विचार है ?

**विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले)** : (क) : तीन।

**(ख) और (ग)** : पहली रिक्ति 17. 12. 1970 को, दूसरी 21. 1. 1971 को और तीसरी 5. 2. 1971 को हुई। दो रिक्तियों पर नियुक्तियाँ अधिसूचित की जा चुकी हैं। तीसरी रिक्ति को भरने की प्रस्थापना अभी भारत के मुख्य न्यायाधिपति से प्राप्त होनी है।

**यातायात और इंजीनियरिंग विभाग (उत्तर रेलवे) में श्रेणी 2 के पदों से वरिष्ठ वेतन-मान में पदोन्नति**

2726. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के परिवहन (पावर तथा मैकेनिकल) इंजीनियरिंग विभागों में 1 मई, 1971 को ए० एम० ई०, ए० डब्ल्यू० एम० तथा ए० पी० ओ० के वर्गों में श्रेणी 2 के कितने पद थे;

(ख) इस पदालि के श्रेणी 2 के ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी थी जो 1 मई, 1971 को प्रवर वेतन मान में कार्य कर रहे थे और ए० एम० ई०, ए० डब्ल्यू० एम० तथा ए० पी० ओ० के पदों से पदोन्नति हुए हों;

(ग) पिछले तीन वर्षों में श्रेणी 2 के कितने ए० एम० ई०, ए० डब्ल्यू० एम० और ए० पी० ओ० प्रवर वेतन मान में, वर्ष-वार, पदोन्नत किये गये और क्या वह अपनी पदोन्नति के समय डिवीजन, मुख्यालय, कार्यालय अथवा वर्कशाप में काम कर रहे थे; और

(घ) क्या श्रेणी 2 के केवल वही अधिकारी, जो कि मुख्यालय में कार्य कर रहे थे, अपनी वास्तविक प्रवरता और गुणों के आधार पर प्रवर वेतनक्रम में पदोन्नति के पात्र थे ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** :

(क) 21—श्रेणी II के पद अर्थात्—

7—सहायक निर्माण प्रबन्धक

10—सहायक यांत्रिक इंजीनियर

4—सहायक कार्मिक अधिकारी—परिवहन (बिजली) और यांत्रिक इंजीनियरी विभाग के लिए नियत।

**(ख) और (ग)** श्रेणी II के तीन यांत्रिक इंजीनियरों को पहले श्रेणी I (कनिष्ठ वेतन मान) में स्थायी रूप में पदोन्नति किया गया था, बाद में उन्हें 26–8–68, 20–8–70 और 13–1–71 से वरिष्ठ वेतनमान में स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया गया।

इनमें से दो अधिकारियों को डिवीजन में तथा एक को कारखाने में तैनात किया गया था।

इस विभाग के लिए नियत श्रेणी II के किसी भी सहायक कार्मिक अधिकारी को वरिष्ठ वेतन मान में स्थानापन्न रूप में नियुक्त नहीं किया गया था।

(घ) जी नहीं। श्रेणी II से श्रेणी I के वरिष्ठ वेतन-मान में पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्रवरण की एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा की जाती है। इस समिति का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का एक सदस्य होता है। यह प्रवरण निर्धारित पात्रता क्षेत्र में आने वाले उसी

विभाग के श्रेणी II के वरिष्ठतम अधिकारियों में से किया जाता है जिन पर समिति विचार करती है।

**लाइसेंसों के लिये गुजरात से प्राप्त अभ्यावेदन**

2727. **श्री जदेजा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में नये औद्योगिक एककों की स्थापना हेतु लाइसेंसों के लिये कितने आवेदन पत्र गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार को भेजे;

(ख) कितने आवेदन पत्र स्वीकार किये गये, और

(ग) कितने आवेदन पत्र रद्द किये गये और तत्सम्बन्धी क्या कारण है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :** (क) सामान्यता औद्योगिक लाइसेंसों के लिए प्रार्थनापत्र पार्टियों से सीधे प्राप्त किए जाते हैं। जनवरी, 1968 से 31 दिसम्बर, 1970 की अवधि में गुजरात में नये उद्योग स्थापित करने के लिये 244 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

(ख) 5 औद्योगिक लाइसेंस और 50 आशय पत्र जारी किए जा चुके हैं।

(ग) 104 आवेदन पत्र रद्द कर दिए गये हैं और 28 आवेदन पत्रों का अन्य प्रकार (वापस लिये जाकर, बन्द करके अथवा लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होने के कारण) से निपटान कर दिया गया है। आवेदन रद्द करने का कारण अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने की गुन्जाइस न होना, देश में आवश्यक कच्चे माल की कमी, आवेदकों द्वारा आवश्यक जानकारी का न दिया जाना और कुछ प्रस्तावों का तकनीकी दृष्टि से अनुपयुक्त पाया जाना आदि था।

**मुआवजे के दावों के बारे में विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन**

2728. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुआवजों के दावों के बारे में श्री आर० वी० लाल के नेतृत्व में नियुक्त एक सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई थी; और

(ख) पैरा 42, 43, 44, 243, 246, 247, 264, 287, 575, 576, 582, 584, 593, 608. 609. 612, 613, 615 और 616 में निहित टिप्पणियों और सिफारिशों के बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) :** (क) क्षतिपूर्ति के दावों के बारे में नियुक्त एक सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में 287 टिप्पणियाँ और 331 सिफारिशें हैं। इनमें से 246 सिफारिशें पूरी तरह स्वीकार कर ली गयी हैं; 43 आंशिक या संशोधित रूप में स्वीकार की गयी हैं; 34 स्वीकार नहीं की गयी हैं और 8 अभी तक विचाराधीन हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गयी है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 488/71**]

**रास्ते में माल खो जाने के कारण हुई हानि की वाणिज्यिक कलर्कों से वसूली**

2729. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रास्ते में माल के खो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने पर वाणिज्यिक क्लर्कों को इसके लिये तकनीकी तौर पर जिम्मेदार ठहरा कर माल की कीमत उनसे वसूल की जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो वाणिज्यिक क्लर्कों की कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से सरकार इस बारे में कुछ उचित कार्यवाही करेगी; और

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रेलवे सुरक्षा बल का मुख्य कर्त्तव्य ऐसी हानि, चोरी और माल की क्षति को रोकना है, सरकार का विचार रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को उस हानि और क्षति के लिये जिम्मेवार ठहराने का है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी नहीं। वसूली तभी की जाती है जब कर्मचारी माल खो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने के लिए सीधे उत्तरदायी होते हैं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) रेल सम्पत्ति की चोरी/उठाइगीरी रोकने की जिम्मेदारी रेलवे सुरक्षा दल की है। जब कभी उनकी लापरवाही ऐसे कार्यों में उनके हाथ होने की सूचना मिलती है तो उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जाता है या विभागीय कार्यवाई की जाती है।

## व्यास सतलुज लिंक परियोजना के निर्माण के दौरान मरने वाले श्रमिकों और कर्मचारियों के परिवारों को सहायता

2730. **श्री रोबिन सेन**: क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यास सतलुज लिंक परियोजना के निर्माण के दौरान कुल कितने श्रमिकों और कर्मचारियों की मृत्यु हुई; और

(ख) उन श्रमिकों के परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया है ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) 1-9-1964 और 10-6-1971 के बीच व्यास-सतलुज लिंक परियोजना के निर्माण के दौरान 84 कर्मकों और एक सहायक इंजीनियर की जानें गईं।

(ख) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के अधीन मजदूरों के अपने निकटतम संबंधियों को अब तक 4,97,871 रुपये की अदायगी की गई है।

## Railway Dues outstanding against D. C. M. Factory at Kota (Rajasthan)

2731. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister for **Railways** be pleased to state :

(a) the amount of Railway dues outstanding against the D. C. M. factory at Kota, Rajasthan ; and

(b) the action being taken to recover the said amount ?

**The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya)** : (a) Rs. 11,92,043,42 as on 30th April, 1971, out of which Rs. 5,09,864 pertains to consignments booked to the firm in April 1971 and another Rs. 3,73,625 was billed to the firm on 21st April, 1971.

(b) Usual procedures are being followed for recovering the amount, the bulk of which, it may be noted, is of recent origin.

**Withdrawal of Trains operating between Samastipur and Darbhanga (North Eastern Railway)**

2732. **Shri R. B. Paswan** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the reasons for which the Railway authorities propose to witndraw 457 Up and 458 Dn. Passenger trains operating from Samastipur Junction to Darbhanga Junction on the North Eastern Railway ; and

(b) whether according to the survey conducted in 1968, 1,25,394 passengers travel daily in Samastipur Railway Division and the running of these trains is in public interest ?

**The Minister of Railways (Shri Hanumanthiaya)** : (a) 457 UP/458 Dn. Passenger trains were introduced between Samastipur and Darbhanga on an experimental basis with effect from 1st October, 1970. The overall growth of passenger traffic has not been as anticipated and economically this additional train is found to be incurring a regular loss. For clearance of extra rush during marriage season these trains continue to run at present and their occupation is being closely watched.

(b) No, the rush is only during the marriage season, and for the present level of traffic the services are considered to be quite adequate.

**श्री नारायण कालिज, क्यूलोन (केरल) से पूर्व ट्रेन-हाल्ट**

2733. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्री नारायण कालिज, क्यूलोन, केरल के विद्यार्थियों द्वारा कालिज के सामने ट्रेन हाल्ट बनाये जाने की जोरदार माँग की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार उस माँग को स्वीकार करने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में कब तक अन्तिम निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी हाँ।

(ख) अभी नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

**आरक्षित कोटा को भरने के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को प्रशिक्षण**

2734. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी रेलों में तकनीकी तथा गैर-तकनीकी पदों में गत कुछ वर्षों में उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित पदों के 50 प्रतिशत स्थान भी नहीं भरे जाते रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ऐसे रिक्त पदों को भरने के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रकार का कार्यक्रम आरम्भ करने में क्या कठिनाइयाँ हैं ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी हाँ, अनुसूचित जन-जातियों के मामले में जहाँ तक अनुसूचित जातियों का सम्बन्ध है, कमी सामान्यतः तकनीकी पदों के लिए है जिनके लिए अपेक्षित शैक्षिक अथवा तकनीकी अर्हताओं वाले उम्मीदवार नहीं मिल पाते।

(ख) और (ग) : समाज कल्याण विभाग ने पहले ही इस प्रयोजन के लिए 'आत्म विश्वास निर्माण' योजना नाम से एक योजना शुरू कर रखी है।

**बड़ानगर, पश्चिम बंगाल की वैस्टर्न इंडिया मैच कम्पनी फैक्ट्री का बन्द किया जाना**

2735. **रेणुपद दास**: क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान बड़ानगर, पश्चिम बंगाल स्थित वैस्टर्न इण्डिया मैच कम्पनी फैक्टरी के बन्द किये जाने की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

(ग) उपर्युक्त फैक्टरी के बन्द किये जाने के कारण कुल कितने श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं, और

(घ) इस कम्पनी फैक्टरी को पुनः खोलने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) से (घ) वैस्ट इण्डिया मैच कम्पनी, आलम बाजार 5–4–71 से 3–5–71 तक बन्द रही, सूचना मिली है कि 6–5–71 से फैक्टरी में उत्पादन हो रहा है।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**लेखानुभाग के कर्मचारियों द्वारा मंत्री और रेलवे बोर्ड के सचिव को अभ्यावेदन**

2736. **डा० सरदीश राय**: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अप्रैल, 1970 से मार्च, 1971 तक प्रत्येक मास में अलग-अलग प्रत्येक जोनल रेलवे के, लेखा विभाग के कर्मचारियों द्वारा मंत्री महोदय के नाम अथवा रेलवे बोर्ड के सचिव के नाम कुल कितने अभ्यावेदन भेजे गये हैं;

(ख) उपर्युक्त अभ्यावेदनों में से कुल कितने अभ्यावेदन उनके मन्त्रालय तक पहुंच पाये हैं और इसमें कितना समय लगा है;

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित कितने अभ्यावेदन निपटा दिये गये हैं और उनको निपटाने में उनके मन्त्रालय को कितना समय लगेगा; और

(घ) शेष अभ्यावेदन न निबटाए जाने के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**ओलवाकोट डिवीजन (दक्षिण रेलवे) में यात्री टिकट निरीक्षकों की नियुक्ति**

2737. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण रेलवे के ओलवाकोट विवीजन में यात्री टिकट निरीक्षक नियुक्त नहीं किये जाते हैं; जिसके कारण बिना टिकट यात्रियों में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) और ((ख) : दक्षिण रेलवे के ओलवक्कोड मण्डल में 138 चल टिकट परीक्षक हैं। इनमें से 93 शयनयानों में, 33 गाड़ियों की सामान्य जाँच में और 12 मण्डल दस्तों में काम करते हैं। इन चल टिकट परीक्षकों की ड्यूटी इस प्रकार निर्धारित की जाती है ताकि अधिकांश गाड़ियों की जाँच किसी न किसी स्थान पर अवश्य हो जाये। मण्डल जाँच कर्मचारियों के अलावा, मुख्यालय के उड़न दस्ते इस मण्डल में नियमित रूप से छापे मारते हैं। इन कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप इस मण्डल में बिना टिकट यात्रा बहुत ही कम होती है।

**वेतनमान की अधिकतम राशि पर रुके हुए कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाना**

2738. **श्रीमती विभा घोष** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे रेलवे कर्मचारियों को 1 मार्च, 1970 से एक वेतन-वृद्धि का लाभ दिया गया था जो दो वर्षों से अधिक अवधि तक अपने वेतन-मान की अधिकतम राशि प्राप्त कर रहे थे; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार ऐसे कर्मचारियों को हर दो वर्ष बाद एक वेतन-वृद्धि का लाभ देने का है जिनकी उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित वेतन-वृद्धि पाने के बाद अब आगे वेतन-वृद्धि बन्द हो गई है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी हाँ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**जालंधर में कोयलें के लावारिस डिब्बों की जाँच**

2739. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा मई, 1971 में जालंधर सिटी स्टेशन पर कोयले के 50 लावारिस डिब्बों के बारे में कोई जाँच की गई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

**फोरेन ट्रैफिक एकाउन्ट्स आफिस नई दिल्ली और ट्रैफिक एकाउन्ट्स आफिस, अजमेर (पश्चिम रेलवे) में प्राप्त अभ्यावेदन**

2740. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 70 से मार्च, 1971 तक फोरेन ट्रैफिक एकाउण्ट्स आफिस पश्चिम रेलवे नई दिल्ली और ट्रैफिक एकाउण्ट्स आफिस पश्चिम रेलवे अजमेर में प्रत्येक कार्यालय से अलग-अलग तथा प्रत्येक मास में कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए;

(ख) सम्बद्ध कार्यालयों द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर कितने अभ्यावेदनों पर कार्यवाही की और उनके प्राप्त होने की तारीख से एक महीने बाद कितने अभ्यावेदनों पर कार्यवाही की गई; और

(ग) अभ्यावेदनों को शीघ्र निपटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) और (ख) : संलग्न विवरण I और II में ब्यौरा दिया गया है।

(ग) अभ्यावेदनों के शीघ्र निपटारे के सम्बन्ध में हिदायतें पहले से ही मौजूद हैं।

**विवरण**

इतर यातायात लेखा कार्यालय, दिल्ली

| क्रम सं० | महीना | प्राप्त अभ्यावेदनों की कुल संख्या | प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के अंदर निपटाये गये अभ्यावेदनों की संख्या | एक महीने के बांद निपटाये गये अभ्यावेदनों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अप्रैल, 70 | 1 | 1 | – |
| 2. | मई, 70 | 1 | – | – |
| 3. | जून, 70 | 1 | – | 1 |
| 4. | जुलाई, 70 | – | – | – |
| 5. | अगस्त, 70 | 1 | – | 1 |
| 6. | सितम्बर, 70 | 8 | – | – |
| 7. | अक्तूबर, 70 | 13 | – | 6 |
| 8. | नवम्बर, 70 | 10 | 1 | 5 |
| 9. | दिसम्बर, 70 | 1 | – | – |
| 10. | जनवरी, 71 | 1 | – | – |
| 11. | फरवरी, 71 | 1 | 1 | – |
| 12. | मार्च, 71 | 7 | 3 | 4 |

**विवरण**

यातायात लेखा कार्यालय, अजमेर

| क्रम सं० | महीना | प्राप्त अभ्यावेदनों की कुल संख्या | प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के अंदर निपटाये गये अभ्यावेदनों की संख्या | एक महीने के बाद निपटाये गये अभ्यावेदनों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अप्रैल, 70 | 9 | 6 | 3 |
| 2. | मई, 70 | 26 | 21 | 5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. | जून, 70 | 16 | 11 | 5 |
| 4. | जुलाई, 70 | 28 | 21 | 7 |
| 5. | अगस्त, 70 | 12 | 11 | 1 |
| 6. | सितम्बर, 70 | 21 | 21 | — |
| 7. | अक्तूबर, 70 | 11 | 8 | 3 |
| 8. | नवम्बर, 70 | 8 | — | 8 |
| 9. | दिसम्बर, 70 | 4 | 2 | 2 |
| 10. | जनवरी, 71 | 15 | 12 | 3 |
| 11. | फरवरी, 71 | 3 | 3 | — |
| 12. | मार्च, 71 | 11 | 11 | — |

**उत्तर बंगाल क्षेत्र में नई रेलवे लाइन बिछाने की योजना**

2742. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बंगाल क्षेत्र में नई रेलवे लाइनें बिछाने की कोई योजनाएं बनाई गई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उन स्थानों के क्या नाम हैं जिनके नई रेलवे लाइनों के अन्तर्गत आने की संभावना है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

**ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में औद्योगिक बस्तियों**

2743. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कुल कितनी औद्योगिक बस्तियों की स्थापना की गई है,

(ख) गाँवों तथा नगरों में (कितनी संख्या में तथा कितने प्रतिशत) कुल कितनी औद्योगिक बस्तियाँ स्थापित की गई है,

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य में गाँवों तथा नगरों में वर्षवार अलग अलग कितनी औद्योगिक बस्तियाँ वास्तव में काम कर रही थी, और

(घ) उन बस्तियों के कार्य में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) 31 मार्च, 1970 तक प्रायोजित/स्थापित औद्योगिक बस्तियों की कुल संख्या निम्न प्रकार है :—

| क्रमांक | राज्यों के नाम | प्रायोजित औद्योगिक बस्तियों की संख्या | पूर्ण औद्योगिक बस्तियाँ | चालू औद्योगिक बस्तियाँ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 40 | 33 | 31 |
| 2 | आसाम | 8 | 6 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | बिहार | 22 | 14 | 10 |
| 4 | दादरा और नगर हवेली | 1 | 1 | 1 |
| 5 | दिल्ली | 2 | 2 | 2 |
| 6 | गोवा | 2 | 1 | 1 |
| 7 | गुजरात | 42 | 34 | 24 |
| 8 | हरियाना | 20 | 15 | 10 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 7 | 7 | 5 |
| 10 | जम्मू और काश्मीर | 20 | 17 | 16 |
| 11 | केरल | 18 | 18 | 17 |
| 12 | महाराष्ट्र | 69 | 42 | 40 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 59 | 46 | 27 |
| 14 | मनीपुर | 2 | – | – |
| 15 | मैसूर | 25 | 22 | 20 |
| 16 | उड़ीसा | 10 | 10 | 10 |
| 17 | पाण्डेचेरी | 3 | 3 | 3 |
| 18 | पंजाब | 34 | 33 | 17 |
| 19 | राजस्थान | 14 | 14 | 13 |
| 20 | तमिलनाडु | 32 | 29 | 29 |
| 21 | त्रिपुरा | 3 | 2 | 2 |
| 22 | उत्तर प्रदेश | 78 | 63 | 39 |
| 23 | पश्चिम बंगाल | 8 | 6 | 5 |
| | योग | 519 | 418 | 327 |

(ख) ग्रामीण नगरीय और अर्ध नगरीय औद्योगिक बस्तियों का भाग तथा प्रतिशत

| कोटि | औद्योगिक बस्तियों की संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| ग्रामीण | 145 | 28 प्रतिशत |
| नगरीय | 190 | 37 प्रतिशत |
| अर्ध नगरीय | 184 | 35 प्रतिशत |
| योग | 519 | 100 प्रतिशत |

(ग) चालू औद्योगिक बस्तियों की संख्या :—

| क्रमांक | राज्यों के नाम | 30-9-1968 को | | | | 30-9-1969 को | | | | 30-3-1970 को | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | नगर | अ० न० | ग्रा० | योग | नगर | अ० न० | ग्रा० | योग | नगर | अ न० | ग्रा० | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 14 | 6 | 7 | 27 | 16 | 8 | 7 | 31 | 16 | 8 | 7 | 31 |
| 2 | आसाम | 1 | — | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | बिहार | 5 | — | 1 | 6 | 8 | 1 | — | 9 | 8 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | दादरा और नगर हवेली | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| 5 | दिल्ली | 1 | — | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 2 |
| 6 | गोवा | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| 7 | गुजरात | 6 | 5 | — | 11 | 10 | 7 | — | 17 | 14 | 9 | 1 | 24 |
| 8 | हरियाना | 5 | — | 4 | 9 | 6 | — | 4 | 10 | 6 | — | 4 | 10 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | — | 1 | 3 | 4 | — | 1 | 4 | 5 | — | 1 | 4 | 5 |
| 10 | जम्मू और काश्मीर | 2 | 7 | 6 | 15 | 2 | 6 | 8 | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 |
| 11 | केरल | 1 | 8 | 5 | 14 | 1 | 9 | 6 | 16 | 1 | 9 | 7 | 17 |
| 12 | महाराष्ट्र | 20 | 14 | — | 34 | 21 | 14 | — | 35 | 22 | 17 | 1 | 40 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 9 | 8 | — | 17 | 12 | 12 | — | 24 | 12 | 15 | — | 27 |
| 14 | मैसूर | 12 | 5 | 1 | 18 | 13 | 6 | — | 19 | 13 | 7 | — | 20 |
| 15 | उड़ीसा | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 16 | पाण्डेचेरी | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 2 | 3 |
| 17 | पंजाब | 6 | 1 | 3 | 10 | 10 | 3 | 3 | 16 | 10 | 3 | 4 | 17 |
| 18 | राजस्थान | 8 | 1 | 4 | 13 | 8 | 1 | 4 | 13 | 8 | 1 | 4 | 13 |
| 19 | तमिलनाडु | 11 | 12 | 5 | 28 | 10 | 13 | 6 | 29 | 10 | 13 | 6 | 29 |
| 20 | त्रिपुरा | — | — | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 |
| 21 | उत्तर प्रदेश | 14 | 12 | 12 | 38 | 17 | 8 | 13 | 38 | 18 | 8 | 13 | 39 |
| 22 | पश्चिम बंगाल | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| | योग | 120 | 84 | 62 | 265 | 141 | 96 | 66 | 303 | 147 | 107 | 73 | 327 |

नगर—नगरीय
अ० न०—अर्ध नगरीय
ग्रा०—ग्रामीण

(घ) : औद्योगिक बस्तियों की कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

1—संसद की प्राक्कलन समिति ने 1966 में औद्योगिक बस्तियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की और समिति द्वारा की गई सिफारिशों को राज्य सरकारों को बता दिया गया है जिसमें औद्योगिक बस्तियों को सशक्त बनाने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया है।

2—विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय के सम्बन्धित अधिकारियों ने प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिये विभिन्न राज्यों का दौरा किया है।

3—औद्योगिक बस्तियों में बिजली, पानी तथा टेलीफोन जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिये सिंचाई तथा बिजली और संचार मंत्रालयों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क कायम किया गया है।

4—उत्पादन का मूल्यांकन करने के पश्चात् औद्योगिक बस्तियों को तीन निम्नलिखित श्रेणियों में बाँट दिया गया है :—

(क) वे जो संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है तथा जिन्हें प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है,

(ख) वे जो समुचित रूप से इस समय कार्य नहीं कर रही हैं किन्तु उत्पादन सक्षम है तथा पर्याप्त प्रोत्साहन से भली-भांति कार्य होने लगेगा, और

(ग) वे जिनमें उत्पादन की संभावना नहीं है।

(ख) श्रेणी की बस्तियों के लिये यह निश्चय किया गया था कि राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त प्रोत्साहन दिये जाने चाहिये। (ग) श्रेणी की बस्तियों को कुछ अन्य विभागों में स्थानान्तरित कर दिया जाना चाहिये अथवा वैकल्पिक इस्तेमाल के लिये रखा जाना चाहिये।

5—विगत दो या तीन वर्षों में आयातित कच्चे माल की नीति को उदार बना दिया गया है और लघु क्षेत्र उद्योगों को जहाँ तक संभव हो सके काफी मात्रा में दुर्लभ तथा देशी कच्चे माल का आवन्टन करने के लिये निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। कुछ राज्यों में तो औद्योगिक बस्तियों के कारखानों को वरीयता के आधार पर कच्चे माल का आवंटन किया गया है।

**Applications received from Madhya Pradesh for licences**

2744. **Shri Jagannathrao Joshi :** **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) the number of applications for industrial licences received from Madhya Pradesh since the liberalisation of licensing policy ;

(b) the number of letters of intent/licences granted so far out of the applications received from Madhya Pradesh ; and

(c) the number of applications-rejected ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad)** : (a) The new Licensing Policy was announced on the 18th February, 1970. During the period from 19th February, 1970 to 30th April, 1971, 105 applications were received for grant of industrial licences in respect of Madhya Pradesh.

(b) 14 industrial licences and 7 letters of intent have so far been issued.

(c) 14 applications have been rejected and in 7 cases the applications have been otherwise disposed of (withdrawn, closed, no licence required etc.)

**रेलवे वर्कशाप लिलुआ (पूर्व रेलवे) के श्रमिकों के मामले में निर्णय**

2745. **श्री दशरथ देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्च न्यायालय ने रेलवे वर्कशाप, लिलुया (पूर्व रेलवे) के श्रमिकों के पक्ष में निर्णय दिया है कि चाहे वे प्रतिदिन 4½ घन्टे काम करें उन्हें पूरे दिन की मजूरी दी जानी चाहिए; और

(ख) क्या इस निर्णय के अनुसार श्रमिकों को मजूरी का भुगतान किया जाता है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

**रेलवेज में लगाये गये संगणक और इनके लिए अपेक्षित स्टेशनरी का मूल्य**

2746. **श्री फतेह सिंह गायकवाड़ : राजमाता कृष्णा कुमारी जोधपुर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा कुल कितने संगणक लगाये गये हैं;

(ख) क्या वे अपनी पूरी क्षमता के अनुसार कार्य कर रहे हैं; और यदि नहीं, तो उनकी अप्रयुक्त क्षमता कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, उनमें कुल कितने मूल्य की स्टेशनरी का प्रयोग किया गया है और उसके लिये कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है; और

(घ) संगणकों में विदेशी के स्थान पर देशी स्टेशनरी का योग करने वालों के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) 14 संगणक हैं।

(ख) पूर्व और पूर्वोत्तर सीमा रेलों को छोड़कर, इनका उपयोग प्रति कैलेंडर मास 176 मीटर घंटों की इनकी पूरी प्रारंभिक पारी क्षमता के अनुरूप है। उपर्युक्त रेलों में भी इनके उपयोग में सुधार हो रहा है। इन दोनों रेलों की अप्रयुक्त क्षमता इस प्रकार है :—

| रेलवे | 176 घंटे से कम उपयोग |
|---|---|
| पूर्व रेलवे | 30.63 |
| पूर्व रेलवे (मुगल सराय) | 37.38 |
| पूर्वोत्तर सीमा रेलवे | 126.59 |

| (ग) लेखन सामग्री का खर्च | रुपये |
|---|---|
| 1968–69 | 10,46,676 |
| 1969–70 | 11,12,176 |
| 1970–71 | 18,00,968 |

**विदेशी मुद्रा की राशि**

कुछ नहीं

(घ) सवाल नहीं उठता ।

**उड़ीसा के लिये रेलवे सेवा आयोग का कार्यालय भुवनेश्वर में खोला जाना**

2747. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार उड़ीसा के लिए रेलवे सेवा आयोग के ऐसे कार्यालय की स्थापना भुवनेश्वर में करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, ठीक जिस प्रकार कि रेलवे सेवा आयोग बिहार के सहायक सचिव का कार्यालय दानापुर में खोला गया है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

**खुर्दा रोड प्रभाग (दक्षिण पूर्व रेलवे) में कर्मचारियों की छंटनी और कार्यभार में वृद्धि**

2748. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे, खुर्दा रोड प्रभाग के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में वर्ष 1966 और वर्ष 1970 के बीच पलिन्थ एरिया, पाइप लाइन, सड़कों, पुलों (संख्या) के किलोमीटर रेलपथों के कार्य भार में तुलनात्मक वृद्धि और इस प्रभाग में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि सरकार को ज्ञात है; और

(ख) बढ़े हुए कार्यभार के बावजूद कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी हाँ।

(ख) किसी नियमित कर्मचारी की छंटनी नहीं की गयी है। इसके विपरीत कार्यभार में हुई वृद्धि को सम्भालने के लिए अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है।

**जगाधरी-चंडीगढ़-लुधियाना रेल लिंक**

2749. **श्री अमरनाथ विद्यालंकार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जगाधरी-चंडीगढ़-लुधियाना रेल लिंक की जबरदस्त माँग को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा जिस नये सर्वेक्षण का वचन दिया गया था, उसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या पहले चंडीगढ़-लुधियाना लिंक बनाने का विचार है जिससे चंडीगढ़ मुख्य लाइन पर आ जाये, यदि हाँ तो क्या यह योजना स्वीकार कर ली गई है; और

(ग) यह कार्य कब तक आरम्भ किये जाने की आशा है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) प्रारम्भिक इंजीनियरिंग और अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण हो रहा है। सर्वेक्षण का काम लुधियाना-चण्डीगढ़ खण्ड पर 60 प्रतिशत और चण्डीगढ़ जगाधरी खण्ड पर 40 प्रतिशत पूरा हो चुका है। आशा है सर्वेक्षण अप्रैल, 1972 तक पूरा हो जायेगा ।

(ख) जी नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

**Development of Gawlior Division by Sindhu Project**

2750. **Shri Hukam Chand Kachwai : Dr. Laxminarain Pandey**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Jan Sangh party and the public of Gwalior District have demanded implementation of the Sindhu River Project for the development of Gwalior division : and

(b) the reaction of Government thereto and the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

**The Deputy Minister of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel) : (a) and (b)** : The project report for phase I of the Sindhu river project, received in January, 1971 from the Government of Madhya Pradesh has been technically examined in the Central Water and Power Commission and comments are being sent shortly to the State Government.

**रेलपथ निरीक्षकों को भण्डार के उत्तरदायित्व से विमुक्त करना**

2751. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेल-पथ निरीक्षकों को भण्डार के उत्तरदायित्वों से विमुक्त क्यों नहीं किया जा रहा है जैसा कि कुंजरू तथा वांचू समितियों ने सिफारिश की थी ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : दो रेलों पर सभी रेल-पथ निरीक्षकों को तथा दो अन्य रेलों पर काफी संख्या में रेल-पथ निरीक्षकों को अपने मुख्यालयों में भण्डार के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया है। अन्य रेलों पर रेल-पथ निरीक्षकों को राहत देने की व्यवस्था के सम्बन्ध में सक्रिय रूप से कार्रवाई की जा रही है।

**रेल-पथ निरीक्षकों और सहायक रेल-पथ-निरीक्षकों को रात्रि की ड्यूटी भत्ता**

2752. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपातकाल में रात्रि की ड्यूटी करने वाले रेल-पथ निरीक्षकों, सहायक रेल-पथ-निरीक्षकों और रेलपथ मिस्त्रियों को रात्रि सेवा भत्ता देने का प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में कब तक निर्णय कर लिए जाने की आशा है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) फिलहाल रेल-पथ निरीक्षकों, सहायक रेल-पथ निरीक्षकों और रेल-पथ मिस्त्रियों को रात्रि ड्यूटी भत्ता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है ;

(ख) सवाल नहीं उठता ।

**बिहार के लिये अलग से रेलवे जोन**

2753. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कुल कितने मील रेलवे लाइनें हैं;

(ख) एक रेलवे जोन में औसतन कितने मील लम्बी रेल लाइनें होती हैं; और

(ग) बिहार में रेल लाइनों की लम्बाई ध्यान में रखते हुए क्या वहाँ के वर्तमान रेलवे जोनों में से एक का मुख्यालय बिहार में बनाने अथवा इस राज्य के लिए अलग से एक रेलवे जोन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) रेलवे लाइनों की लम्बाई के बारे में सूचना राज्यवार नहीं बल्कि रेलवेवार संकलित की जाती है। 31 मार्च, 1970 को चालित लाइनों की मार्ग किलोमीटर और रेलपथ किलोमीटर संख्या भारतीय रेल व्यवस्था पर रेलवे बोर्ड की रिपोर्ट के सांख्यिकीय विवरण 1969–70 के पूरक के विवरण 8 में दी गयी है जिसकी प्रतियाँ संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) विभिन्न रेलों की मार्ग किलोमीटर संख्या अलग-अलग होती है और उनकी लम्बाई 3612 से लेकर 10618 तक है।

(ग) जी नहीं।

## तुमकुर (मैसूर) जिले में उद्योगों की स्थापना

2574. **श्री के० लक्कप्पा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसूर राज्य में तुमकुर जिले में नये उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हाँ, तो उक्त जिले में अगले वर्ष में स्थापित किये जाने वाले उद्योग के नाम तथा उनकी संख्या क्या है,

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की सम्भावना है, और

(घ) उक्त राज्य में नये उद्योग स्थापित करने के लिये कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) से (घ) : सरकार ने कुछ जिले/क्षेत्र (सूची संलग्न है) जहाँ नए उद्योग लगाने के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा उन्हें रियायती दर पर आर्थिक सहायता दी जाए चुन लिए हैं। मैसूर राज्य का तुमकुर जिला भी इस उद्देश्य के लिए चुने गए जिलों में से एक है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं और रियायतों से इन जिलों के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और अधिकाधिक लोगों को काम के अवसर सुलभ हो सकेंगे। इस समय तुमकुर में सरकारी क्षेत्र में कोई भी उद्योग स्थापित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव इस मन्त्रालय के विचाराधीन नहीं है और इस प्रकार उन्हें राशि के आवन्टन का प्रश्न ही नहीं उठता।

### विवरण

वित्तीय संस्थाओं द्वारा रियायती दर पर आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए चुने हुए औद्योगिक जिलों से पिछड़े जिलों की सूची

| क्र० सं० | राज्य | जिले |
|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | नालगोण्डा, मोबक, महबूबनगर, करीमनगर वारान्गल खमाम, चित्तूर, अनन्तपुर, करुनूल तथा निजामाबाद |
| 2. | असम | गोलपारा, कचार, नावगाँव, कामरूप, मिकिर हिल्स तथा मिजो पहाड़ियाँ जिले। |
| 3. | बिहार | सन्थल परगना, भागलपुर, पालामऊ, चम्पारन, सारन दरभंगा, पुरनिया, मुज्जफरपुर और सहारसा। |

| | | |
|---|---|---|
| 4. | गुजरात | पंचमहाल, कच्छ, अमरेली, करोच, साबरकान्ता, बन्सकान्था भावनगर, महसाना तथा सुरेन्द्रनगर । |
| 5. | हरियाणा | मोहिन्द्रगढ़, हिसार तथा जिन्द । |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | चम्बा, किन्नौर, काँगड़ा, कुल्लु तथा लाहुल तथा स्पिती |
| 7. | जम्मु तथा काश्मीर | श्रीनगर, अनन्तनाग, बारामुल्ला, जम्मु, कथुआ, ऊधमपुर डोडा, लद्दाख, पूंछ और राजौरी । |
| 8. | केरल | एलेप्पी, त्रिवेन्द्रम, कनान्नोर, त्रिचूर और मालापुरम । |
| 9. | मध्य प्रदेश | बस्तर, मान्डला, सुरगूजा, सियोनी, झलुआ, बालाघाट, बिलासपुर, सिन्धी, बेतुल, रायगढ़, रायपुर, धार, टीकमगढ़, राजगढ़, खारगाँव, शाजापुर, शिवपुरी, छिन्दवारा रीवा, पन्ना, देवास, मन्दसोर, छतरपुर, गुना, दत्तिया, मुरीना, विदिशा, नरसिम्बापुर, रायसन, होशन्गाबाद दमोह, भिन्ड, तथा सागर । |
| 10. | महाराष्ट्र | बिर, ओसमानाबाद, भण्डारा, रत्नगिरी, ओरन्गाबाद ज्योतमल, चन्दा, घुलिया, बुलढाणा, नन्देद, पारबन्दी जलगाँव तथा कोलाबा । |
| 11. | मेघालय | संयुक्त खासी तथा जैन्तिया पहाड़ी तथा गारो पहाड़ियों के दोनों जिले । |
| 12. | मैसूर | बेलगाँव, दिदार, बीजापुर, धारवार, गुलबर्गा, हसन मैसूर। उत्तर कनारा, रायचूर, दक्षिणी कन्नारा तथा तुमकुर । |
| 13. | नागालैण्ड | कोहिमा, मोकोकचुंग, तथा त्यूनसंग । |
| 14. | उड़ीसा | बोलनगिर म्यूरभंज धनकनाल कालाबन्दी बालासोरा क्योंझर कोरापुट तथा फुलभानी । |
| 15. | पंजाब | होशियारपुर भटिण्डा गुरदासपुर, और संगरुर । |
| 16. | राजस्थान | जलोर, बन्सवाड़ा, डून्गरपुर, नागोर, चुरु, अलवर, टोन्क, उदयपुर, जोधपुर, झुन्झुनु, सीकर, सिरोही भिलवाड़ा, झालवाड़, जैसलमेर, तथा परमार । |
| 17. | तमिलनाडू | दक्षिणी आर्कट, थिरुचिरापल्ली, मदुराई, रामानाथपुरम, कन्याकुमारी, उत्तर आर्कट, थन्जवूर, तथा धर्मपुरी । |
| 18. | उत्तर प्रदेश | अल्मोड़ा, आजमगढ़, बहराइच, बान्दा, बलिया, बदायू, चमोली, फतहपुर, गढ़वाल, गाजीपुर, हमीरपुर, हरदोई पीलीभीत, जलाऊं, जौनपुर, झांसी, मैनपुरी, पिथौरागढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, टेहढ़ी गढ़वाल, उनाव, उत्तर काशी, बाराबंकी, बस्ती, बुलन्दशहर, एटा, इटावा फैजाबाद, गोंडा, मथुरा, फरुखाबाद, मुरादाबाद शाहजहाँपुर और देवरिया-। |

| | | |
|---|---|---|
| 19. | पश्चिमी बंगाल | पुरुलिया, बन्कूरा, मिदनापुर, दार्जिलिंग, माल्डा कूचबिहार, प० दीनाजपुर तथा मुर्शिदाबाद। |

**केन्द्र शासित प्रदेश**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | अन्डमान तथा निकोबार द्वीप | पूरा क्षेत्र |
| 2. | चण्डीगढ़ | कुछ नहीं |
| 3. | दादर तथा नागर हवेली | पूरा क्षेत्र |
| 4. | दिल्ली | कुछ नहीं |
| 5. | गोआ, दमन तथा दीव | पूरा क्षेत्र |
| 6. | लक्कादीव अमीनदीव तथा मिनीकाय महाद्वीप | बसे हुए द्वीप |
| 7. | मनीपुर | पूरा क्षेत्र |
| 8. | नेफ़ा | वही |
| 9. | पांडिचेरी | वही |
| 10. | त्रिपुरा | वही |

**उद्योगों का बंगलौर से मैसूर राज्य तुमकुर जिले को स्थानांतरण**

2755. **श्री के० लकप्पा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य उद्योगों को बंगलौर राज्य से मैसूर राज्य के तुमकुर जिले में स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिससे उक्त जिले में विकेन्द्रीयकरण हो सके और बेरोजगारी दूर हो सके, और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में निर्णय कब तक किया जायेगा ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) इस मंत्रालय में सरकार के ध्यान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**मैसूर राज्य में हेमवती परियोजना को पूरा किया जाना**

2756. **श्री के० लकप्पा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच मैसूर में हेमवती परियोजना की दूसरी और तीसरी अवस्था पूरी हो गई है ;

(ख) क्या मैसूर राज्य के तुमकुर जिले में सिंचाई के लिए पानी की कमी है; और

(ग) तुमकुर जिले की सिंचाई के लिए अधिक पानी देने हेतु हेमवती परियोजना पूरी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है और उपयुक्त जिले को कब तक पानी दिया जाएगा ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : **(क) से (ग)** : मैसूर सरकार से हेमवती परियोजना के किसी द्वितीय और तृतीय चरणों के लिए प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। हेमावती परियोजना से तुमकुर जिले में सिंचाई के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

**सियालदाह डिविजन (पूर्व रेलवे) में 22 मई 1971 को रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना**

2758. **श्री प्रियरंजन दास मुन्शी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सियालदाह डिविजन में 22 मई, 1971 को सभी रेल गाड़ियों को रद्द कर देने का क्या कारण है जिसके कारण अनेक परीक्षार्थियों तथा यात्रियों को हानि हुई ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : कुछ यात्रियों द्वारा एस० के० 123 अप स्थानीय गाड़ी के ड्राइवर तथा गार्ड और इंजन में आखरी पल में खराबी को ठीक कर रहे अनुरक्षण कर्मचारियों पर हमला कर दिये जाने पर, सियालदाह के रनिंग कर्मचारी 22–5–1971 को 07.50 बजे से 18.43 बजे तक काम पर नहीं गये। परिणामस्वरूप अन्य बातों के साथ-साथ, सियालदाह मण्डल में प्रतिदिन चलने वाली 442 स्थानीय गाड़ियों में से 230 गाड़ियाँ नहीं चलीं।

**मालदाह (पश्चिम बंगाल) में ताप बिजली घर**

2759. **श्री प्रियरंजन दास मुन्शी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर बिहार और पश्चिमी बंगाल के एक भाग को बिजली सप्लाई करने के लिए मालदाह टाउन (पश्चिम बंगाल) में तापीय बिजली घर की स्थापना करने के लिए कोई व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि एकत्रित की गई तथा यह बिजली घर संभवतः कब तक कार्य करना आरंभ कर देगा ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) मालदा जिले में 2 × 120 मैगावाट की क्षमता का एक ताप विद्युत् केन्द्र स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा 45 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक परियोजना रिपोर्ट बनाई गई है।

(ख) परियोजना रिपोर्ट की जाँच हो रही है और स्कीम की स्वीकृति के पश्चात् धन का आवंटन किया जाएगा। कार्य के चालू होने के 5½–6 वर्षों के पश्चात् विद्युत् केन्द्र प्रचालनार्थ तैयार हो जाएगा।

**मनीपुर में तकैल में औद्योगिक बस्ती की स्थापना**

2760. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में तकैल में औद्योगिक बस्ती की स्थापना की जाने के बारे में कितनी प्रगति हुई है,

(ख) क्या प्रस्ताव की छानबीन में विलम्ब हुआ है, और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) से (ग) : 'क' और 'ख' किस्म के चार चार शेड तैयार होने वाले हैं। 'ग' किस्म के 10 शेड बनाने के लिए कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है और इनके 1971–72 तक पूरा हो जाने की आशा है। अन्य 'क' व 'ख' किस्म के चार चारशेड बनाने का कार्य 1971–72 में प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव

है। 11 केवीए लाइन उप-स्टेशन के निर्माण का कार्य, जन सामान्य, की सुविधाओं के लिए एक केन्द्र और औद्योगिक बस्ती के लिए जल प्रदाय उप स्टेशन के बनाने का कार्य भी शुरू किया जा रहा है।

**पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बाढ़ से बचाव सम्बन्धी कार्य**

2761. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा केंद्रीय सरकार को भेजी जाने वाली मलेरझार, भुलडंगा और राजरहट के लिए बाढ़ से बचाव कार्य से संबंधित योजना इस बीच प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या तकनीकी समिति ने इस पर विचार किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस योजना पर कितनी लागत आएगी और इस पर कार्य कब आरंभ हो जाएगा ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : **(क) से (ग)** : पश्चिम बंगाल सरकार ने यह प्रस्ताव रखा था कि मॉडल परीक्षण करने के बाद एक स्कीम तैयार की जाए। तट सुरक्षा के पहले से ही निष्पादित निर्माण-कार्यों को निष्पत्ति और नदी की वर्तमान दशाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार का यह विचार है कि इस क्षेत्र में और आगे सुरक्षात्मक उपाय आवश्यक नहीं हैं।

**फरक्का बांध परियोजना को पूरा करना**

2762. **श्री बी० के० दासचौधरी** : **श्री प्रियरंजन दास मुन्शी** :
**डा० रानेन सेन** :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरक्का बांध योजना की कुल लागत कितनी है;

(ख) गंगा पर पुल यातायात के लिए कब खोला जाएगा; और

(ग) उपरोक्त परियोजना की कुल लागत कितनी है ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) परियोजना की कुल अनुमानित लागत 156 करोड़ रुपये हैं।

(ख) : फरक्का बराज पर पुल के इस वर्ष के अन्त तक यातायात के लिए खोले जाने की सम्भावना है।

(ग) : फरक्का बराज परियोजना के मूलतः जून, 1971 तक पूरे होने की सम्भावना थी; परन्तु ठेकेदारों को संगठनों में श्रमिक गड़बड़ और परियोजना के स्टाफ तथा कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शनों, हड़तालों, धीरे काम करो की चालों, इत्यादि, जो कि 1969–70 कार्य ऋतु के आरम्भ में शुरू हो गई थीं, के परिणामस्वरूप कार्य की प्रगति में बाधा पड़ी है और इससे परियोजना के पूर्ण होने की लक्ष्य तिथि पर असर पड़ा है। इसके अतिरिक्त प्रगति में गिरावट आने का एक कारण यह भी रहा कि नहर पर एक ठेकेदार का कार्य फेल हो गया था।

**न्यू कूंच बिहार से न्यू गितालदाह के बीच बड़ी लाइन (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे)**

2763. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे पर वर्तमान छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदल कर उसे न्यू कूंच बिहार से न्यू गितालदाह तक बढ़ाने के बारे में इस बीच सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या उक्त क्षेत्र में बड़ी लाइन के न होने के कारण ट्रकों द्वारा बड़ी मात्रा में माल भेजा जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप रेलवे को भारी हानि हो रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जायेगा ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी नहीं।

(ख) वर्तमान मीटर लाइन पर भविष्य में होने वाले अतिरिक्त यातायात को सम्हालने के लिए पर्याप्त फालतू क्षमता उपलब्ध है और इसलिए क्षमता की कमी के कारण रेलों को हानि होने का सवाल नहीं उठता।

(ग) सवाल नहीं उठता।

**हल्दियाबाड़ी से जलपाईगुड़ी (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) के बीच रेलवे लाइन का पुनः चालू किया जाना**

2764. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के जनरल मैनेजर ने हल्दियाबाड़ी से जलपाईगुड़ी के बीच उस रेलवे लाइन को फिर से चालू करने की योजना प्रस्तुत की है जिसे अक्तूबर, 1968 की बाढ़ के बाद बन्द कर दिया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके पुनः निर्माण के लिये कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी और उस कार्य को कब आरम्भ किया जायेगा ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) रेलवे बोर्ड की हिदायतों के अनुसार पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने जलपाईगुड़ी हल्दीबाड़ी बड़ी लाइन खण्ड को फिर से चालू करने का प्रस्ताव रखा है जिसमें निस्ता नदी में सात लाख क्यूजैक बाढ़ के पानी की निकासी के परिणामों को शामिल नहीं किया गया है।

(ख) खर्च की कुल राशि का अनुमान तैयार किया जा रहा है। आश है इस प्रस्ताव पर एक महीने के भीतर निर्णय ले लिया जायेगा।

**दिल्ली तथा बम्बई के बीच राजधानी एक्सप्रेस की तरह की रेलगाड़ी का चलाया जाना**

2765. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा बम्बई के बीच राजधानी एक्सप्रेस की तरह की एक और एक्सप्रैस रेलगाड़ी चलाई जायेगी; और

(ख) यदि हाँ, तो कब से ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी हाँ। पश्चिम रेलवे मार्ग पर नयी दिल्ली और बम्बई सेन्ट्रल के बीच।

(ख) जिस तारीख से यह गाड़ी चलायी जायेगी उसके बारे में अभी तक निर्णय नहीं किया गया है।

**DAM Projects in Uttarakhand Region in U. P.**

2766. **Shri Narendra Singh Bist** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether any dam projects are under execution or are proposed to be executed in Uttarakhand region viz in Almora, National, Pithoragarh, Uttar Kashi, Chamoli, Tehri-Garhwal, Pauri Garhwal and Dehra Dun Districts in Uttar Pradesh ; and

(b) if so, the progress made in the construction work at each place and the future plans in this regard ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel)** : (a) The names of the storage projects in the districts mentioned are indicated below :

Ramganga Dam in Pauri Garhwal District ; Tehri Dam in Tehri Garhwal District ; Kishau and Lakhwar Dams in Dehra Dun District ; Pancheshwar Dam in Almora Disrict; Utyasu Dam in Pauri Garhwal and Tehri Garhwal Districts, and Haripura dam in Naini Tal District.

(b) Work is in full swing on the Ramganga Project. The stilling basin and two diversion tunnels have been completed. The river was finally diverted through the tunnels in 1969-70 and the construction of main dam undertaken. Over 60 per cent. of the earth work has already been completed.

The work on Ramganga Diversion barrage and Kho barrage has been almost completed The work on the feeder channel is in progress.

Eearth-work on the main dam in Haripura project and on the raising of the existing Bhor dam has been completed. Work on the spillway of Haripura dam, new canals and remodelling of existing canals is in hand.

Project report for Tehri Dam has been submitted by the State Government and is under examination in the Central Water and Power Commission. In the meantime, work on preliminaries is being taken up by the State Government.

Kishau, Lakhwar, Pancheshwar and Utyasu Dam projects are under investigation by the State Government

**Setting up of a Paper Mill in Uttarakhand by Hindustan Paper Corporation**

2767. **Shri Narendra Singh Bist** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that raw material is available in sufficient quantity in Uttarakhand area of Uttar Pradesh for setting up of a paper mill there; and

(b) if so, whether Government propose to set up a paper mill there under the Hindustan Paper Corporation ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad)** : (a) Yes, Sir.

(b) Hindustan Paper Corporation has at present no proposal to set up a paper mill in Uttarakhand area.

**Rural Electrification in Uttar Pradesh**

2768. **Shri Narendra Singh Bist** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of villages, State-wise, electrified so far since the setting up of the Rural Electrification Corporation and the expenditure incurred thereon ;

(b) the District-wise number of villages in Uttar Pradesh electrified so far under this scheme ; and

(c) whether Government propose to chalk out a crash programme for electrification of rural areas of Uttar Pradesh and if so, when ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel)** : (a) to (c) : The Rural Electrification Corporation was set up in July 1969 with the objective of financing rural electrification schemes of State Electricity Boards and rural electric co-operatives. After finalising the criteria for preparation of project report and the terms and conditions of loans, the Corporation considered various project reports submitted by State Electricity Boards in accordance with these criteria. First instalments of loans were released by the Corporation during 1970-71 for phased electrification programmes covered under various sanctioned scehmes. The impact of financig of schemes by the Rural Eelectrification Corporation would, therefore, be felt from 1971-72, the first year of implementation of the various schemes sanctioned by the Corporation. In respect of U. P., 15 schemes have been sanctioned including one scheme for a co-operative society in Lucknow District. The details of the villages to be electrified districtwise in respect of these schemes are given in the enclosed statement.

Steps have been taken to accelerate the progress of rural electrification schemes in U. P. through additional finances including those provided by the Rural Electrification Corporation. It is expected that 150,000 pumpsets would be energised and 15388 villages electrified during the Fourth Plan as compared with 75465 pumpsets energised and 13075 villages electrified before the commencement of the Fourth Plan.

**Statement**

| Serial no. | Name of the District | No. of villages to be eletrified | Period during which expected to be electrifed |
|---|---|---|---|
| 1. | Lucknow | 150 | |
| 2. | Meerut | 65 | |
| 3. | Gonda | 56 | |
| 4. | Naini Tal | 82 | Three years. |
| 5. | Banda | 146 | |
| 6. | Fatehpur | 82 | |
| 7. | Barabanki | 122 | |
| 8. | Mirzapur | 87 | |
| 9. | Rae Bareli | 132 | |
| 10. | Jaunpur | 143 | |
| 11. | Unnao | 75 | |
| 12. | Hamirpur | 72 | |
| 13. | Ghazipur | 129 | |
| 14. | Allahabad | 164 | |
| 15. | Lucknow (through Co-operative Society) | 241 | Five years. |
| | Total | 1746 | |

**Diversion in the flow of Yamuna and Chambal Rivers to Rajasthan**

2769. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether a team of eminent scientists has suggested that the possibilities of diverting the flow of Yamuna and Chambal rivers to the deserts of Rajasthan via Aravali hills should be explored ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel)** : **(a) and (b)** : No proposals in this regard have been received from the Government of Rajasthan.

**Bridge at Indore Siaganj Railway Crossing (Madhya Pradesh)**

2770. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the proposal for the construction of a bridge at Indore-Siaganj Railway Crossing in Madhya Pradesh has been pending since 1959 ;

(b) if so, when the construction work of the bridge is likely to start and how much time is likely to be taken for its completion ; and

(c) the amount of expenditure likely to be incurred on its construction ?

**The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya)** : (a) No ; this work was proposed by the State Government in the year 1962-63.

(b) The plans and estimate for the Railway's portion of the work have already been prepared. State Government have been requested by the Railway to furnish plans and estimate for the approaches (to be constructed by them) which are awaited. Railway would undertake and complete expeditiously work on the bridge proper as soon as the State Government are in a position to undertake the work on the approaches.

(c) The likely expenditure would be known only after the estimated cost for the approaches is furnished by the State Government.

**दियासलाई उद्योग के लिये कच्चे माल की कमी**

2771. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत बड़ी संख्या में दियासलाई बनाने वाले लघु उद्योगों को दियासलाई में प्रयुक्त होने वाली मोम और नीले कागज के उपलब्ध न होने के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है,

(ख) क्या देश में वस्तुत: दियासलाई में प्रयुक्त होने वाले मोम की अधिकता है और गत वर्ष 3,500 मीटरी टन मोम का निर्यात किया गया था,

(ग) क्या दियासलाई का नीला कागज जो यद्यपि बहुतायत में है, बहुत ऊँचे मूल्यों पर बिक रहा है,

(घ) क्या विदेशी स्वामित्वा वाली वैस्टर्न इण्डिया मैच कम्पनी के लिये इन वस्तुओं को पर्याप्त मात्रा में तथा नियंत्रित मूल्यों पर उपलब्ध किया जाता है, और

(ङ) दियासलाई के लघु उद्योगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)**: (क) से (ङ) : दियासलाई बनाने वाले लघु उद्योग एककों खास कर तमिलनाडु में स्थित एककों से दिया सलाई में प्रयुक्त होने वाली मोम और नीले कागज आदि आवश्यक कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धि न होने के सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

दियासलाई में प्रयुक्त होने वाले मोम का वास्तविक उपभोक्ताओं को वितरण प्रत्येक राज्य को आवंटित संभरण के आधार पर राज्य उद्योग निदेशकों द्वारा किया जा रहा है। दियासलाई में प्रयुक्त होने वाले मोम का सीमित और करीब करीब स्थिर उत्पादन होने तथा माँग बढ़ जाने के कारण देश में मोम की कमी हो गई है। सरकार ने स्लैक वैक्स की सप्लाई करने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाये हैं और कुछ प्रायोजनाओं की जाँच की जा रही है कि दियासलाई में प्रयुक्त होने वाले मोम का उत्पादन बढ़ाया जा सके और उसकी सम्भरण स्थिति में सुधार किया जा सके। देश दियासलाई में प्रयुक्त होने वाले मोम का पिछले कुछ दिनों से निर्यात करता रहा है। और 3,600 मी० टन मोम का वार्षिक निर्यात किया जाता है ताकि हमारा देश इस क्षेत्र में अपने विदेशी बाजार को न खो बैठे।

दियासलाई में प्रयोग आने वाले नीले कागज सहित कागज पर से मई, 1968 में नियंत्रण उठा लिए जाने के कारण विभिन्न प्रकार के कागजों के मूल्य में करीब 20% वृद्धि हो गई। सरकार द्वारा तदर्थ कठित कागज समिति स्थिति पर बराबर ध्यान रखती है और यथा आवश्यक कार्यवाही की है। उत्पादकों से दियासलाई में प्रयुक्त दियासलाई बनाने वाले लघु उद्योगों को नीले कागज की सप्लाई बनाये रखने के लिये कहा गया है।

**छपरा के निकट डाकुओं द्वारा गोरखपुर यात्री रेलगाड़ी पर आक्रमण**

2772. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 मई, 1971 को बिहार में छपरा के निकट डाकुओं द्वारा गोरखपुरयात्री रेलगाड़ी पर आक्रमण किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कई यात्रियों को लूटा गया था और कुछ यात्री मारे गये थे;

(ग) क्या इस रेल गाड़ी में किसी पुलिस गारद की व्यवस्था नहीं थी; और

(घ) क्या उन लोगों को, जिनकी सम्पत्ति लूटी गई, तथा मारे गये लोगों के परिवारों को कोई क्षतिपूर्ति दी गई है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क), (ख) और (ग) जी नहीं, लेकिन 28–5–1971 को टेकनिवास और कोपा सम्होता स्टेशनों के बीच सवारी गाड़ी नं० 87 अप के तीसरे दर्जे के एक डिब्बे में डाका पड़ा था। बदमाशों ने कई यात्रियों की सम्पत्ति को लूटा 1 दो यात्रियों को चोटें आयीं।

घायल यात्रियों में से एक यात्री की चोट के कारण मृत्यु हो गयी। इस गाड़ी में पुलिस रक्षक की व्यवस्था नहीं की गयी थी।

(घ) जी नहीं।

**पूर्वी रेलवे के सियालदाह डिवीजन में डमडम से बोनागाँव तक दूसरी रेलवे लाइन**

2773. **डा० रानेन सेन**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे के सियालदाह डिवीजन में डमडम जंकशन से बोनागाँव तक दूसरी रेलवे लाइन का निर्माण करने की यात्रियों की बहुत पुरानी माँग है और इस सैक्शन में इकहरी लाइन के अन्तर्गत बंगला देश से लगी हुई हमारी सीमा के प्रमुख क्षेत्र, जहाँ से पाकिस्तानी सेना हमारी सीमा पर खतरा पैदा कर रही हैं, आते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो रक्षा सम्बन्धी वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए क्या सरकार का विचार इस इकहरी लाइन को दुहरी लाइन में बदलने का है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : **(क) और (ख)** : दमदमद और वनगाँव के बीच दोहरी लाइन बिछाने के लिए अभ्यावेदन दिये गये हैं। इस पुरानी माँग को पूरा करने के लिए दमदम और वारासत के बीच के भाग पर दोहरी लाइन बिछाने के लिए तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण किये गये हैं और सर्वेक्षण रिपोर्ट विचाराधीन है।

**दिल्ली बाढ़ नियंत्रण विंग के कर्मचारियों के कार्मिक संघ को मान्यता**

2774. **श्री एम० कतामुत्तु** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली बाढ़ नियंत्रण विंग के कर्मचारियों का केवल एक पंजीकृत कार्मिक संघ है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस पंजीकृत कार्मिक संघ ने मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दिया है और यदि हाँ, तो किस तिथि को दिया है; और

(ग) इस कार्मिक संघ को मान्यता देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) : जी, हाँ।

(ख) : जी, हाँ, 14 नवम्बर, 1970 को।

(ग) : दिल्ली प्रशासन ट्रेड यूनियन को मान्यता देने के प्रश्न पर सक्रिय विचार कर रहा है। बहरहाल, दिल्ली प्रशासन ने कहा है कि यद्यपि यूनियन को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई है, फिर भी इसे मान्यता प्राप्त यूनियन का वास्तविक दर्जा दिया गया है।

**हरिजनों तथा समाज की अन्य कमजोर श्रेणियों के लोगों के क्षेत्रों का विद्युतीकरण**

2775. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी राज्य सरकारों को उन सभी क्षेत्रों का विद्युतीकरण करने के आदेश दे दिए हैं जहाँ हरिजन तथा समाज के अन्य कमजोर श्रेणियों के लोग रहते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हो पाई है ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : **(क) और (ख)** : ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों में, कृषि उत्पादन के लिए पंपों के उर्जन पर बल दिया जाता है, ग्राम विद्युतीकरण इस कार्यक्रम का एक आनुषंगिक भाग है। अत. उन ग्रामों के विद्युतीकरण को प्राथमिकता दी जाती है, जहाँ सिंचाई पम्पों के उर्जन के लिए शक्यता विद्यमान है। राज्य विद्युत् बोर्डों के अध्यक्षों के मई, 1971 में हुए पाँचवें सम्मेलन द्वारा यह निर्णय किया गया है कि ऐसे ग्रामों के विद्युतीकरण की स्कीमों में हरिजनों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की बस्तियों में गलियों को रोशनी का भी प्रबंध होना चाहिए। देश के विद्युतीकृत ग्रामों में कुछ ऐसे भी ग्राम हो सकते हैं जहाँ कि ग्रामों के एक भाग की गलियों में ही रोशनी का प्रबंध किया गया हो और हरिजनों के इलाकों को छोड़ कर दिया गया हो। वास्तविक स्थिति क्या है इसका अनुमान लगाने के लिए और हरिजनों

की बस्तियों में गलियों की रोशनी का प्रबंध करने के लिए आरंभ में कुछ ग्रामों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक स्कीम सरकार के विचाराधीन है।

**वायरलैस आपरेटरों को रेडियो टेलीप्रिंटर आपरेटरों के रूप में काम करने पर पारी के बिना' भत्ते का भुगतान**

2776. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1970 से वायरलैस आपरेटरों द्वारा रेडियो टेलीप्रिंटर के रूप में काम करने पर उन्हें 'पारी बिना' भत्ता देने के लिये वायरलैस ट्रैफिक सुपरवाइजर, मद्रास ने नियमों के अन्तर्गत 'पाई मनी स्कोर रजिस्टर' बना रखा है;

(ख) क्या नियमों के अनुसार वायरलैस आपरेटरों द्वारा रेडियो टेलीप्रिंटर पर काम करने के लिये किये दावों पर वायरलैस ट्रैफिक सुपरवाइजर एम० ए० एस० द्वारा प्रति हस्ताक्षर किये जाते हैं जिससे जनवरी, 1970 से 'पारी बिना' के भत्तों का दावा करने का कानूनी अधिकार हो जाता है; और

(ग) यदि हाँ, तो 1970 से रेडियो टेलीप्रिंटरों पर काम करने के लिये वायरलैस आपरेटरों को 'पारी के बिना' भत्ता देने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : **(क) से (ग)** : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**बकाया पड़े कार्य को समाप्त करने हेतु मद्रास में वायरलैस आपरेटरों का भेजा जाना**

2777. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1962 से विभिन्न गन्तव्य स्थानों को जाने वाले एकत्रित हुए संदेशों की मात्र प्रतिलिपियाँ बनाने के लिये, टी पी जे (TPJ) एम वाई एस (MYS) तथा सी जे ए (CJA) से प्रायः हर मास एक-एक वायरलैस आपरेटर को एक सप्ताह के लिये मद्रास में कार्य करने के लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(ख) क्या अन्य डिवीजनों से मद्रास भेजे गये ये वायरलैस आपरेटर छुट्टी रिजर्व वायरलैस आपरेटर हैं।

(ग) यदि हाँ, तो क्या संदेशों की प्रतिलिपियाँ तैयार करने हेतु छुट्टी रिजर्व वायरलैस आपरेटरों का दुरुपयोग किये जाने के फलस्वरूप वायरलैस आपरेटर औसत वेतन पर छुट्टियों के लाभ से वंचित हो जाते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या वे आवश्यकता से अधिक संख्या में हैं तथा प्रतिलिपि तैयार करने के कार्य के लिये छुट्टी-रिजर्व वायरलैस आपरेटरों को उपयोग में लाये बिना ही टेलीग्राफ यातायात संबंधी जमा हुए काम को निपटाने के लिये स्थायी रूप से क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी हाँ, लेकिन केवल सन्देशों की प्रतिलिपियाँ बनाने के लिए नहीं।

(ख) जी हाँ।

(ग) जी नहीं।

**(घ) जी नहीं।**

## दक्षिण रेलवे पर टेलीप्रिंटर आपरेटरों द्वारा विभिन्न कार्यों का किया जाना

2778. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के अतिरिक्त अन्य सभी जोनल रेलों में टेलीप्रिंटर पर प्राप्त संदेशों को नम्बर दिया जाता है और विभिन्न कर्मचारियों (दफ्तर में सिगनेलर/सीनियर सिग-नेलर) द्वारा उन पर कार्यवाही की जाती है।

(ख) क्या केवल दक्षिण रेलवे में ही टेलीप्रिंटर आपरेटरों को (टी० सी० नम्बरिंग और टी० सी० नम्बर बुक में रजिस्टर करना) प्राप्त हुए संदेशों को नम्बर देना और रजिस्टर करना पड़ता है जबकि अन्य जोनल रेलवे के टेलीप्रिंटर आपरेटर ऐसा नहीं करते; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या अन्य रेलवे जोनों की भाँति दक्षिण रेलवे को भी अनुदेश जारी किये जायेंगे कि टेलीप्रिंटर आपरेटरों के कार्य से टी० सी० नम्बरिंग कार्य को निकाल दिया जाये ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : **(क) और (ख)** : रेलों पर छोटे तार कार्यालयों में टेलीप्रिंटरों और तार से मिलने वाले संदेशों का निपटारा एक ही कर्मचारी द्वारा किया जाता है। फिर भी बड़े तार कार्यालयों में जहाँ बहुत से तारबाबू होते हैं, टेलीप्रिंटरों और तार से मिलने वाले संदेशों पर नम्बर डालने और निबटाने का काम टेबुल ड्यूटी पर तैनात अलग-अलग कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

दक्षिण रेलवे पर केवल स्थानीय सुपुर्दगी के लिए मिलने वाले संदेशों पर नम्बर डालने और निबटारा करने का काम ड्यूटी पर तैनात टेलीप्रिंटर आपरेटरों द्वारा किया जाता है। मार्गस्थ संदेशों सहित अन्य सन्देशों पर टेबुल ड्यूटी पर तैनात वरिष्ठ तार बाबुओं द्वारा न कि टेलीप्रिंटर आप-रेटरों द्वारा नम्बर डाला जाता है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए जो कि लगभग अन्य रेलों की परिपाटी के अनुरूप ही है, दक्षिण रेलवे के लिए और कोई हिदायतें जारी करने का प्रश्न नहीं उठता।

## Reservation at Delhi, Bombay, Madras and Calcutta

2779. **Shri Bharat Singh Chauhan** : **Shri S. R. Damani** :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the difficulties being experienced by the pas-sengers in getting reservation in cities like Delhi, Bombay, Madras and Calcutta : and

(b) if so, the action taken so far by Government in this regard ?

**The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya)** : (a) Normally there is some difficulty in securing railway reservations in cities like Delhi, Bombay, Madras and Calcutta but considerable difficulty is experienced during periods of rush at the time of holi-days in summer and at the time of Puja, Diwali and Christmas festivals.

(b) A statement is attached.

### Statement

(b) The following measures have been taken to remove the difficulties experienced by passengers in securing reservation of accommodation on trains :

(i) Opening of additional booking and reservation counters and advancing/extending the hours of their working as necessary.

(ii) Running special trains on important trunk routes and attaching extra coaches to all important Mail Express trains, where operationally feasible and justified, to clear the traffic during rush periods.

(iii) Exhibition of notice boards at reservation offices indicating the latest position of availability of reservation on important trains.

(iv) Tightening up of supervision on booking and reservation offices and frequent surprise checks on allotment and utilisation of reserved accommodation on trains.

(v) Launching of special drives at regular intervals to ensure proper system of reservations and issue of tickets.

**मोदी उद्योग-समूहक को लाइसेंस देना**

2780. **श्री नुग्घल्ली शिवप्पा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोदी उद्योग समूह को गत तीन वर्षों के दौरान कितने लायसेंस जारी किये गये,

(ख) इनमें से इस उद्योग समूह ने किन-किन लायसेंसों का तथा किन-किन उद्योगों के लिये उपयोग किया है,

(ग) क्या इस उद्योग समूह ने लायसेंसों के लिये और आगे भी आवेदन-पत्र भेजे हैं, और

(घ) यदि हाँ, तो आवेदन-पत्रों पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) से (ग) : 1 जनवरी, 1968 से 31 दिसम्बर, 1970 की अवधि में मोदी ग्रुप उद्योग से सम्बन्धित अथवा नियंत्रित कम्पनियों के उनके 1966 तथा 1968 में प्राप्त हुए आवेदनों के मामले में 2 औद्योगिक लाइसेंस दिये गये थे। इनमें से नाइट्रोजन गैस बनाने वाला एक लाइसेंस कार्यान्वित किया गया है और नाइलोन के धागे बनाने के लिए औद्योगिक विस्तार करने का दूसरा लाइसेंस कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) और (घ) : इस अवधि में, 33 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे; एक मामले में लाइसेंस दे दिया गया है, 4 मामलों में आशय पत्र जारी किये गये हैं, 13 मामले रद्द कर दिये गये हैं तथा 4 मामलों का निपटान कर दिया गया है। शेष 21 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं।

**पर्याप्त माल डिब्बे सप्लाई न किये जाने के कारण गेहूं की क्षति**

2781. **श्री सतपाल कपूर :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

**श्री महेन्द्र सिंह गिल**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्याप्त माल डिब्बे सप्लाई न किये जाने के कारण पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा देश के अन्य भागों के रेलवे प्लेटफार्मों पर खुले स्थानों पर गेहूं पड़े रहने के कारण आकस्मिक वर्षा से होने से गेहूँ खराब हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी क्षति हुई है; और

(ग) पर्याप्त माल डिब्बे सप्लाई न किये जाने के क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) इस बारे में रेल मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि इस वर्ष अप्रैल से आज तक पंजाब और हरियाणा से अनाज की ढुलाई पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक हुई है।

(ख) और (ग) : सवाल नहीं उठता।

**व्यास-सतलुज लिंक प्रोजैक्ट के कर्मचारियों द्वारा वेतनमानों तथा सेवा-शर्तों को पुनरीक्षित करने की माँग**

2783. **श्री बी० के० मोदक** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश में सुन्दर नगर स्थित व्यास सतलुज लिंक प्रोजैक्ट मजदूर एकता यूनियन की ओर से उनके वेतनमानों को पुनरीक्षण करने तथा सेवा-शर्तों के विनियमन की माँगों के संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो सिफारिश में कौनसी प्रमुख बातें सम्मिलित हैं; और

(ग) मजदूरों की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) और (ख) : व्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट मजदूर एकता यूनियन ने चार अन्य यूनियनों के साथ व्यास परियोजना के अधिकारियों को एक माँग नोटिस दिया था जिसमें वर्क चार्ज कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित मुख्य माँगें शामिल थीं :—

(1) वेतनमानों में संशोधन।

(2) उनकी सेवाओं का नियमितीकरण।

(3) 500 रुपये प्रति मास से ऊपर लेने वाले कर्मचारियों को दुर्घटना और छंटनी मुआवजा।

(4) उपदान (ग्रेच्युटी) स्कीम को लागू करना।

(5) सभी वर्कचार्ज स्टाफ को लागू होने वाली कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम की व्यवस्था करना।

(ग) इस मामले में सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) चंडीगढ़ ने समझौते की कार्यवाही की थी। बहरहाल, समझौते की बातचीत विफल हो गई और विफलता रिपोर्ट की जाँच करने के बाद सरकार ने पहली चार माँगों को औद्योगिक न्यायाधिकरण को न्याय निर्णयन के लिये भेज दिया है।

**पश्चिमी कोसी नहर का मार्ग निर्धारण करने हेतु नेपाल सरकार से अनुमति प्राप्त करना**

2784. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री पश्चिमी कोसी नहर का नेपाल के क्षेत्र में मार्ग निर्धारण करने के बारे में 25 मई, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 60 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी कोसी नहर का मार्ग निर्धारण करने हेतु वर्ष 1971 में नेपाल सरकार से अनुमति प्राप्त करने के लिए उसे विशेष रूप से कहा गया है;

(ख) यदि हाँ, तो कब, किस रूप में, और किस स्तर पर ऐसा किया गया है; और

(ग) यदि नहीं तो क्या इस संबंध में विशेष रूप से उससे कहा जाएगा ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) जी, हाँ।

(ख) सिंचाई और विद्युत् मंत्री ने इस मामले की ओर नेपाल-नरेश का ध्यान उनके हाल में भारत आने के समय आकृष्ट किया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**भारत तथा यूरोप में निर्मित मोटर कारों की लागत की तुलना**

2785. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री भारत में निर्मित मोटर कारों की लागत अधिक होने के बारे में 25 मई, 1971 को अतारांकित प्रश्न संख्या 158 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में निर्मित प्रत्येक कार पर यूरोप में कार के समान माडल की तुलना में निर्माताओं को होने वाला लाभ अधिक है तथा श्रमिकों को दी जाने वाली मजूरी कम हैं, और यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सही स्थिति क्या है; और

(ख) भारत में निर्मित होने वाली कारों का मूल्य कम से कम यूरोप में समान माडल वाली कारों के मूल्य के बराबर लाने के लिये क्या प्रयास करने का प्रस्ताव है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) : भारत में निर्मित प्रत्येक कार के मजदूरी बिल तथा लाभ की तुलना यूरोप में बनाई जाने वाली कारों के साथ करना संभव नहीं है क्योंकि विदेशों के कार निर्माताओं में श्रमिक मजदूरी बिल और लाभ के बारे में जानकारी सरकार को उपलब्ध नहीं है।

(ख) : इस प्रश्न से संबंधित देश में बनाई गई कारों की ऊंची उत्पादन लागत होने के कारणों का उल्लेख 25 मई, 1971 के अतारांकित प्रश्न सं० 158 के भाग (ख) के उत्तर में किया गया था। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए, इस समय देश में बनाई जा रही कारों के मूल्यों को कम करने की, रंचमात्र गुंजाइस है। हाँ, विद्यमान कार निर्माताओं में स्वस्थ्य प्रतियोगिता कायम करने तथा उचित मूल्यों में अच्छी क्वालिटी की कार जनता को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने, परीक्षित विदेशी नमूने पर आधारित प्रतिवर्ष 50,000 कारें बनाने के लिये सरकारी क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने का सिद्धान्त रूप में निश्चय कर लिया है।

**उत्तरी बिहार में विद्युत् की प्रति व्यक्ति खपत**

2786. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री उत्तरी बिहार, बिहार और भारत में विद्युत् की तुलनात्मक खपत के बारे में 25 मई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 200 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण बिहार के 50 मेगावाट विद्युत् देने के बाद उत्तरी बिहार में विद्युत् की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है तथा दक्षिण बिहार में प्रति व्यक्ति खपत कितनी है;

(ख) दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चम्पारन, सहरसा, और पूर्णिया के प्रत्येक जिलों में विद्युत् की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है; और

(ग) क्या तापीय बिजली घर स्थापित करने की व्यवहार्यता संबंधी कार्य इस बीच पूरा हो गया है और क्या दरभंगा के मामले की भी जाँच की गई है और यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) 1969–70 के दौरान उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में प्रति व्यक्ति विद्युत् की खपत क्रमश: 8.27 और 46.58 किलोवाट है। 15 अगस्त, 1969 से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच 132 के० वी० केबल लिंक का प्रचालन हो रहा है। इस केबल के जरिये राज्य के प्रत्येक भाग में विद्युत् की माँग और उपलभ्यता के अनुसार दोनों दिशाओं में विद्युत् का विनिमय होता रहा है।

(ख) 1969–70 के दौरान दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चम्पारण, सहरसा और पूर्णिया जिलों में प्रति व्यक्ति विद्युत् खपत निम्नलिखित है :—

| जिले का नाम | प्रति व्यक्ति खपत (किलोवाट) |
|---|---|
| दरभंगा | 5.05 |
| मुजफ्फरपुर | 6.41 |
| चम्पारण | 7.18 |
| सहरसा | 3.03 |
| पूर्णिया | 3.03 |

(ग) भारत सरकार द्वारा मुजफ्फरपुर और कटिहार में 2 × 110–2 × 110 मैगावाट के ताप विद्युत् केंद्र की स्थापना के संबंध में परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। यदि रेलवे द्वारा शीघ्र ही समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर तक ब्राड-गेज लाइन के विस्तार का काम हाथ में नहीं लिया गया तो मुजफ्फरपुर में प्रस्तावित परियोजना को समस्तीपुर में स्थानांतरित करने की संभावना है जहाँ पर ब्राड-गेज सुविधाएं हैं और जो दरभंगा जिले में स्थित है।

**Setting up of a Paper Mill in North Bihar**

2787. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that a paper mill can be set up easily in the northern part of Bihar State based on the bagasse of the sugar mill functioning there : and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad)** : (a) This suggestion has been examined earlier and according to the findings of an Expert Committee, the availability of bagasse was found to be unsatisfactory.

(b) Does not arise.

**पश्चिम रेलवे के दर्दी स्टेशन के स्टेशन मास्टर की मृत्यु**

2788. **श्री पी० एम० मेहता** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में भावनगर डिवीजन के दर्दी स्टेशन के स्टेशन मास्टर की मृत्यु काम करते हुये लैम्प की लपट से हो गई थी;

(ख) क्या उसकी विधवा पत्नी परिवार पेंशन के लिये निरंतर अनुरोध करती रही है; और

(ग) क्या सम्बन्धित अधिकारियों ने उसका मामला वित्त मंत्रालय को भेज दिया है, और यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी नहीं। दर्दी स्टेशन के स्टेशन मास्टर श्री चुन्नीलाल ए० रावल ने अपने कार्यालय का दरवाजा अन्दर से बन्द करके अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर, शरीर में आग लगाकर आत्म-हत्या कर ली थी जिसके फलस्वरूप 10-11-1966 को 19.50 बजे उसकी मृत्यु हो गयी।

(ख) जी हाँ।

(ग) यद्यपि वर्तमान नियमों के अधीन अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता, फिर भी वित्त मंत्रालय के परामर्श से इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि क्या इस मामले के तथ्यों के आधार पर कोई विशेष व्यवस्था की जा सकती है।

**कोयले के अभाव में ईंटें पकाने वाले तथा गृह निर्माण उद्योगों को हानि पहुंचना**

2789. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के अभाव में ईंटें पकाने वाले तथा गृह निर्माण उद्योगों को हानि पहुंच रही है ;

(ख) क्या सरकार का विचार रेलवे साइडिंग के निकट कोयले के भंडार स्थापित करने का है ताकि ईंटों को पकाने में प्रयुक्त होने वाले कोयले की खपत के लिये बड़ा बाजार बनाया जा सके और आवासीय समस्या के समाधान में सहायता की जा सके तथा इन उद्योगों से सम्बन्धित बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल सके; और

(ग) यदि हाँ, तो कोयले के भंडार कब तक खोले जायेंगे ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) 1970-71 में ईंट पकाने के उद्योग के लिए स्लैक कोयले के लदान में कुछ कमी हुई थी। यह कमी अंशतः अगस्त, 1970 तक माँगों के स्तर में कमी और कोयला खानों द्वारा प्रायोजित रेकों के भारी संख्या में रद्द किये जाने और अंशतः देश के पूर्वी क्षेत्र में समाज विरोधी गतिविधियों के कारण रेल सेवाओं के अस्त-व्यस्त हो जाने के फलस्वरूप अस्थायी रूप से माल डिब्बों की कम उपलब्धता के कारण हुई।

(ख) और (ग) यह राज्य सरकार का विषय है। राज्य सरकारें जिन स्थानों पर कोयला भण्डार खोलना चाहें वहाँ रेलें आवश्यक रेलवे साइडिंग की सुविधाएं देने को तैयार हैं।

**त्रिपुरा में बाढ़ संरक्षण बांध**

2790. **श्री दशरथ देव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री 25 मई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 279 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैलाशहर के हावर क्षेत्र में बाढ़ संरक्षण बांध पर गत तीन वर्षों में कोई धनराशि व्यय की गई थी; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार त्रिपुरा के हावर क्षेत्र में मनु नदी के तट पर बाढ़ संरक्षण बांध बनाने का है ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) और (ख) : त्रिपुरा प्रशासन ने सूचित किया है कि कैलाशहर के हावर इलाके की सुरक्षा के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई खर्चा नहीं किया गया। बहरहाल, त्रिपुरा प्रशासन ने एक स्कीम तैयार की है जिसमें

मानू नदी और बगुआछेरा सरिता पर तटबंधों का निर्माण और नियामकों की व्यवस्था शामिल है। जब तक आगे और अनुसंधान नहीं हो जाते तब तक इस स्कीम को स्थगित रखा गया है। त्रिपुरा प्रशासन द्वारा मानू नदी बेसिन के सर्वेक्षण भी किये जा रहे हैं।

**भाद्रख रेलवे स्टेशन (दक्षिण पूर्व रेलवे) पर पुराने पुल के स्थान पर नया पुल**

2791. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनता की बेहतर सेवा के लिये उड़ीसा में भाद्रख रेलवे स्टेशन पर पुराने तथा तंग उपरि-पुल के स्थान पर एक नया पुल बनाने की कोई व्यवस्था की गई है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : भद्रक रेलवे स्टेशन के यार्ड पर बने वर्तमान ऊपरी पैदल पुल को बदलने का अभी कोई विचार नहीं है, इस पुल की चौड़ाई केवल 6 फुट है लेकिन यह अच्छी हालत में है। अधिक चौड़े ऊपरी पैदल पुल के निर्माण के प्रस्ताव को भावी वर्षों के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के बारे में तभी विचार किया जा सकता है वशर्ते धन उपलब्ध हो।

**Over-Bridges in Ratlam Division (Western Railway)**

2792. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of the places in Ratlam Division of Western Railway where public have demanded construction of overbridges near Railway Stations ; and

(b) the action being taken by Government in this regard ?

**The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya)** : (a) There have been demands for construction of overbridges (near railway stations) at the following places on Ratlam Division of Western Railway :

(i) Indore, (ii) Dohad, (iii) Bhilwara, (iv) Ratlam, (v) Ujjain, (vi) Mhow, (vii) Chitorgarh and (viii) Jaora.

(b) Regarding overbridge at Indore, plan and estimate for the railway's portion of the work have been finalised. Plan and estimate for the approaches are to be finalised by the State Government and are awaited. Further action will be taken on receipt of required information from the State Government.

The proposal for overbridge at Bhilwara is in preliminary stage of finalisation in consultation with the State Government.

As regards overbridges at the remaining 6 places, there are no firm proposals from the State Government/concerned road authority who are required to sponsor their proposals as per extant procedure, together with an undertaking to bear their share of the cost. Action can be taken by the Railway only when such proposals are received.

**Utilisation of Electricity in Madhya Pradesh for Irrigation Purposes**

2793. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether electricity produced in Madhya Pradesh is not being utilised fully for irrigation purposes ; and

(b) whether the Central Government are not giving adequate assistance to Madhya Pradesh with a view to ensuring full utilisation of electricity for irrigation purposes ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel)** : (a) As in all other States, the electricity produced in Madhya Pradesh is used

for a variety of purposes including industrial and agricultural use. In 1970-71, sixtyfive million units were used for irrigation. The demand for power for irrigation is being met in full in Madhya Pradesh. Whereas there were only 24,631 irrigation pumpsets which were using electricity prior to 31st March,1969, the number of such pumpsets rose to 58,093 by 31st March, 1971.

(b) The Central Government has been extending necessary assistance from time to time to the Madhya Pradesh Electricity Board in increasing the pace of rural electrification in the State and in fulfilling their targets, thus enabling increased utilisation of electricity for irrigational purposes.The Rural Electrification Corporation has already sanctioned five schemes for Madhya Prdesh for a total loan of Rs.331 lakhs covering the energisation of additional 13,352 irrigation pumpsets and more schemes are under consideration of the Rural Electrification Corporation.

**Translation of Central Acts into Hindi**

2794. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state :

(a) the number of Central Acts translated into Hindi so far ; and

(b) the time by which the remaining Acts are likely to be translated ?

**The Minister of State in the Ministry of Law and Justice (Shri Nitiraj Singh Chaudhary)** : (a) 238 Central Acts have been trasnslated in Hindi so far.

(b) The remaining Central Acts are likely to be translated in Hindi in about 3 years.

**Halt of Trains at Thuria Railway Station (Western Railway)**

2795. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the public have demanded halt of almost all the passenger trains at Thuria Railway station in Ratlam Division on the Western Railway where the famous Jain Temple is situated ; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard ?

**The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya)** : (a) No , only one representation for stoppage of 19 Dn/20 Up Bombay-Dehra Dun Express at Thuria station has been received.

(b) The number of incoming and outgoing passengers dealt with at this station per day averages 50 and 70 respectively. This traffic is adequately catered to by two pairs of passenger trains scheduled to stop at Thuria station.

**पटना सिटी रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा गृहों में सुधार**

2796. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दानापुर डिवीजन के अधीन पटना सिटी रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा-गृहों का विस्तार करने, उन्हें सुन्दर बनाने तथा वहाँ फर्नीचर आदि की स्थिति में और आगे सुधार करने के उद्देश्य से क्या कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है, क्योंकि यह स्थान एक ऐतिहासिक तथा धार्मिक पृष्ठभूमि रखता है; और

(ख) क्या पटना सिटी रेलवे स्टेशन पर पानी के नल तथा छाया वाले स्थानों संबंधी और अधिक सुविधायें प्रदान करने के बारे में भी विचार किया जा रहा है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) और (ख) : पटना सिटी स्टेशन पर इस समय जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, वे इस स्टेशन पर होने वाले यात्री यातायात की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं। फिर भी, अतिरिक्त सुविधा के रूप में, इस स्टेशन पर विश्रामालय की सुविधा की व्यवस्था करने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

**सहरसा जिले में कृषि तथा घरेलु कार्यों के लिए बिजली की व्यवस्था**

2797. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, तथा मुजफ्फरपुर जिलों के बहुत से गाँवों में कृषि तथा अन्य घरेलू कार्यों के लिए उपयोग हेतु बिजली अभी तक नहीं पहुँची हैं; और

(ख) क्या बिहार में विद्युत् उत्पादन तथा उसके प्रेषण पर बहुत कम लागत आती है परन्तु जहाँ जहाँ बिजली पहुँचाई गई है तथा लाईनें बिछाई गई हैं वहाँ तुलनात्मक इसकी प्रति यूनिट दर बहुत अधिक है ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) जी, हाँ। बिहार के अन्य जिलों में भी ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति बहुत कम है। अखिल भारतीय 18.8 प्रतिशतांश की तुलना में बिहार में विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशतांश 11.6 है।

(ख) 1969–1970 वर्ष के लिए कृषि कार्यों के लिए 18 पैसे प्रति यूनिट की औसत दर तथा घरेलू कार्यों के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट की तुलना में बिहार में उत्पादन, परेषण और वितरण की लागत लगभग 20 पैसे प्रति यूनिट आँकी गई है। बहरहाल, सब प्रकार के उपभोक्ताओं से जो प्रति यूनिट औसत राजस्व प्राप्त हुआ वह लगभग 16 पैसे प्रति युनिट था।

**बिहारी गंज (पूर्वोत्तर रेलवे) में जूट को भेजने हेतु माल-डिब्बों का न मिलना**

2798. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव**: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोहारसा (बिहार) जिले में पूर्वोत्तर रेलवे के बिहारी गंज स्टेशन पर माल डिब्बों के न मिलने के कारण व्यापारी लोग गत दो महीने से जूट कलकत्ता नहीं भेज सके जिसके फलस्वरूप जूट की सप्लाई के लिये उनके तमाम ठेके रद्द हो गये,

(ख) क्या उनके द्वारा अग्रिम तथा यथोचित समय पर कराये गये पंजीकरण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, और

(ग) यदि हाँ, तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) और (ख) : बिहारीगंज से पटसन का संचलन मार्च, 1971 तक सन्तोषजनक रहा है। जनवरी से मार्च, 1971 के बीच 466 माल डिब्बों का लदान हुआ और मार्च के अन्त में केवल 34 माँगें बकाया थीं। काफी संख्या में माँग पत्र रद्द भी किये गये। अप्रैल 1971 में भारी संख्या में पंजीकरण हुआ लेकिन 27–3–71 से 26–4–71 तक रेल कर्मचारियों की अवैध हड़ताल और मई में उसके तदुपरान्त दुष्परिणामों के कारण गड़हरा बरौनी के रास्ते संचलन-कार्य स्थगित हो जाने से उसकी शीघ्रतापूर्वक निकासी नहीं की जा सकी। 1 अप्रैल से 10 जून, 1971 तक की अवधि में इस स्टेशन से 120 माल डिब्बों का लदान हुआ।

(ग) कानून और व्यवस्था की असन्तोषजनक स्थिति के कारण परिचालन की वर्तमान

कठिनाइयों के होते हुए पूर्व रेलवे में जितना संचलन-कार्य करना सम्भव है, उसे देखते हुए माल डिब्बों के लिए इस समय तक जितना पंजीकरण हो चुका है, उसकी तत्परतापूर्वक निकासी की व्यवस्था की जा रही है ?

**सहरसा-पूर्णिया होकर मंसी जंकशन तथा कटिहार के बीच रेल गाड़ियों का देर से चलना**

2799. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहरसा और पूर्णिया होकर मंसी जंकशन तथा कटिहार जंकशन के बीच लगभग सारी रेल गाड़ियाँ सामान्य रूप से बहुत देरी से चलती हैं और इसके फलस्वरूप यात्रियों को बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है; और

(ख) यदि हाँ, तो पूर्वोत्तर रेलवे के इस सैक्शन पर गाड़ियों का विलम्ब से चलना रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी नहीं। मानसी-सहरसा-बनमन्खी-पुर्णिया-कटिहार खंड की 18 गाड़ियों में से केवल चार गाड़ियाँ अर्थात् 401 अप, 412 डाउन, 413 अप और 422 डाउन, खतरे की जंजीर बहुत अधिक खींची जाने के कारण साधारणत: देर से चलती हैं। अन्य गाड़ियाँ लगभग 80 प्रतिशत समय-पालन करती हैं।

(ख) खतरे की जंजीर का खींचा जाना रोकने के लिए विशेष रोक-थाम का प्रबन्ध करने के साथ-साथ शिक्षात्मक प्रचार भी शुरू किया गया है।

**उत्तर रेलवे, दिल्ली में स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों के स्थानान्तरण सम्बन्धी नीति**

2801. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे, नई दिल्ली के डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट ने गत एक वर्ष से स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों के लिये एक नई स्थानान्तरण नीति अपना ली है;

(ख) क्या उक्त श्रेणियों के बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारियों ने उस नई नीति का विरोध किया है जिनके वरिष्ठता सम्बन्धी अधिकारों की उपेक्षा की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जनता के संपर्क में आने वाले रेल कर्मचारियों के आवधिक स्थानान्तरण की प्रणाली, 1968 से अस्थगित रखी गयी है। इसी प्रकार यातायात के महत्व के आधार पर किये गये स्टेशनों के वर्गीकरण के अनुसार, कर्मचारियों के समायोजन के लिए स्थानान्तरण की प्रणाली, जो उत्तर रेलवे सहित कतिपय रेलों पर प्रचलित थी, भी तब तक के लिए स्थगित रखी गयी है जब तक कि आवधिक स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध से सम्बन्धित आदेश लागू है।

(ख) और (ग) इस प्रणाली में उपर्युक्त परिवर्तन के विरुद्ध कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। लेकिन, फिलहाल पुरानी प्रणाली फिर से चालू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, समय-समय पर वर्तमान प्रबन्ध की समीक्षा की जाती है।

**Gaunicherra Dam in Garhwal**

2802. **Shri Pratap Singh Negi** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether there was a proposal to construct the Gaunicherra dam in Garhwal which would supply power to Pauri, Shrinagar, Dev Prayag and other adjoining places ;

(b) whether the construction work of the said dam has been suspended ; and

(c) if so, the time by which the construction work is likely to be restarted and the time by which power would be generated from the said dam ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel)** : (a) to (c) : There was a proposal in 1965 to construct a micro hydel project at Gainthecherra for supplying the towns mentioned and utilising the flows of Sitonsyun and Ganwarsyun streams tributaries of Randi River. This project was completed in March 1969. No dam had been contemplated and there is, therefore, no question of suspending the work of the dam.

Another micro-hydel project called Gownicherra on eastern Nayar river and also located in the same district (Pauri-Garhwal) had been investigated for supplying Bironkhal, Domaila, Baijro and Thailisen villages, but was given up as uneconomical.

**Special Trains bogie for Kotdwar and Rishikesh**

2803 **Shri Pratap Singh Negi** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a programme has been chalked out to introduce 84 special trains in order to cope with the increased rush of passengers during the summer season ;

(b) if so, the number of special trains or bogies provided or proposed to be provided for Kotdwar and Rishikesh ;

(c) whether the passengers visiting Kedarnath-Badri Nath have to face great difficulties ; and

(d) the arrangements proposed to be made by Government in respect of Kotdwar and Rishikesh ?

**The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya)** : (a) 71 special trains have been programmed by Northern Railway to clear summer rush in 1971.

(b) None, for want of traffic justification.

(c) No.

(d) None.

**Restoration of Bogie to Mussoorie Express from Delhi to Kotdwar**

2804 **Shri Pratzp Singh Negi** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the number of bogies attached to the Mussoorie Express from Delhi to Kotdwar is very inadequate to meet the requirements of the heavy rush of passengers travelling on that train ;

(b) whether one of the bogies previously attached to it has now been discontinued ; and

(c) if so, whether Government propose to attach that bogie again to the aforesaid train and if so, when ?

**The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya)** : (a) No.

(b) Yes, one of the 3 through coaches worked by Mussorie Express between Delhi and Kotdwar is discontinued during summer rush but is attached to 6 MD/1/MGNr 1 Kn and 2 Kn/2 GN/3 MD Passenger trains.

(c) Yes, it will be introduced from July 1, 1971 when summer rush will be over.

**उच्चतम न्यायालय में कार्य कर रहे न्यायाधीशों की संख्या**

2805. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एकत्र हुये मामलों को तुरन्त निपटाने हेतु एवं अन्य आधारों पर, उच्चतम न्यायालय में कार्य कर रहे न्यायाधीशों की कुल संख्या में वृद्धि करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश रखने का विचार है ?

**विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले)** : **(क) और (ख)** : यह विनिश्चय किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 14 (जिसके अन्तर्गत मुख्य न्यायाधिपति भी हैं) कर दी जाए जो संविधान के अनुच्छेद 124 (1) के अधीन अनुज्ञेय अधिकतम संख्या है।

**फरक्का बांध परियोजना का पूरा किया जाना**

2806. **श्री त्रिदिब चौधरी** : **श्री बी० के० दासचौधरी** :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हुगली नदी में जाने के लिए और अधिक जल की सप्लाई हेतु फीडर केनाल के निर्माण में हो रहे विलम्ब तथा लगातार आगे आ रही कठिनाइयों को दृष्टि में रखने के पश्चात् फरक्का बांध परियोजना को पूरा करने से संबंधित अन्तिम समय पत्रक क्या है;

(ख) क्या हुगली के नद-मुख को कलकत्ता के आगे आवश्यकतानुसार बनाने तथा हुगली नदी के नौवहन सामर्थ्य में इसके मुहाने से कलकत्ता पत्तन तक सुधार करने की योजनाओं को फरक्का बाँध परियोजना के निर्माण के साथ-साथ चलाया जा रहा है; और

(ग) क्या इन दोनों कार्यों की देखभाल कोई एक ही संगठन कर रहा है, और यदि इनकी देखरेख पृथक-पृथक की जा रही है तो उनके बीच समन्वय बनाए रखने के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब्रजनाथ कुरील)** : (क) : आशा है कि परियोजना का कार्य 1973 तक पूरा हो जाएगा।

(ख) : जी, हाँ, भागीरथी-हुगली नदी-नियत्रण संबंधी निर्माण कार्यों के पूर्ण होने का समय वही है, जो फरक्का बराज परियोजना के पूर्ण होने और फरक्का से उसके ऊपरी जल को भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली में छोड़ने का है।

(ग) : भागीरथी-हुगली नदी-नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्यों के निष्पादन और निगरानी का कार्य कलकत्ता पत्तन आयुक्तों द्वारा किया जा रहा है। पत्तन-आयुक्त फरक्का बराज परियोजना के अधिकारियों से निकट सम्पर्क रख रहे हैं, ताकि फरक्का बराज परियोजना के पूरे किए जाने के साथ ही इन निर्माण-कार्यों का पूरा किया जाना भी सुनिश्चित हो सके।

**उत्तर प्रदेश में हलद्वानी से रामपुर तक बड़ी लाइन**

2807. **श्री जुल्फिकार अली खा :** **श्री जितेन्द्र प्रसाद :**

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में हलद्वानी से रामपुर तक बड़ी रेलवे लाइन का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है।

(ख) यदि हाँ, तो उक्त निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा;

(ग) उक्त प्रस्ताव ठीक किस वर्ष में तैयार किया गया था; और

(घ) उक्त निर्माण कार्य कितने समय में पूरा हो जायेगा ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) और (घ) 1956–57 में 92 किलोमीटर लम्बी इस बड़ी लाइन का जो टोह इंजीनियरिंग और घ यातायात सर्वेक्षण किया गया था उससे पता चला कि इस लाइन की अनुमानित लागत 2.84 करोड़ रुपये आयेगी तथा वित्तीय दृष्टि से यह अलाभप्रद होगी। 1969–70 में किये गये एक नये यातायात सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि इस लाइन की वर्तमान लागत 7.84 करोड़ रुपये आयेगी और यह अत्यधिक अलाभप्रद होगी। अतः निकट भविष्य में इस लाइन का निर्माण शुरू करने की संभावना नहीं है।

**पटसन को कागज की लुगदी में परिवर्तित करना**

2808. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थाईलैण्ड के एप्लाइड साइंस रिसर्च इन्स्टीट्यूट द्वारा थाईलैण्ड में पटसन को कागज की लुगदी में परिवर्तित करने की किसी प्रक्रिया का विकास किया गया है;

(ख) कागज की लुगदी का आयात करने में भारत प्रतिवर्ष कितना धन खर्च करता है; और

(ग) क्या भारत में पटसन को कागज की लुगदी में परिवर्तित करने के लिये कोई कार्यवाही की जाने की सम्भावना है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) सरकार को कोई सूचना नहीं है।

(ख) कागज लुग्दी को संशोधित भारतीय वाणिज्य वर्गीकरण में पृथक रूप से वर्गीकृत नहीं किया गया है। 1968–69 से 1970—1971 (दिसम्बर, 1970 तक) विभिन्न प्रकार की लुग्दी के आयात का विवरण निम्न प्रकार है।

मात्रा 000 मी० टनों में
मूल्य लाख रु० में

| क्रमांक विवरण | 1968–69 | | 1969–70 | | 1970–71 दिसम्बर, 70 तक | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. लकड़ी की लुग्दी मशीनी | 2 | 39 | 3 | 58 | 2 | 35 |
| 2. लुग्दी लकड़ी की लुगदी से भिन्न | नहीं | नहीं | नहीं | 1 | नहीं | 2 |
| 3. रासायनिक लकड़ी की लुगदी विलोय प्रकार की | 19 | 312 | 29 | 477 | 18 | 327 |
| 4. सल्फेड लकड़ी की लुगदी | 20 | 320 | 23 | 376 | 16 | 294 |
| 5. सल्फाइट वुड पल्प | 28 | 372 | 24 | 335 | 16 | 278 |
| 6. अर्ध रासायनिक लकड़ी की | — | — | — | — | — | — |
| योग (1 से 6) | 69 | 1043 | 79 | 1247 | 52 | 936 |

(ग) पूर्वीय क्षेत्र में प्राप्त पटसन के डंठलों की कागज ग्रेड की लुग्दी बनाने की संभाव्यता का पता लगा लिया गया है। लाभप्रद दामों पर पटसन के डंठलों के पर्याप्त संभरण के अभाव में, यह एक संभव प्रस्ताव नहीं है।

**पटसन उद्योग में बिजली की कटौती**

2809. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आश्वासन के बावजूद कि पटसन उद्योग को अग्रता उद्योग माना जायेगा और बिजली की कटौती नहीं की जायेगी, 1970 से लेकर अब तक इस उद्योग को बिजली की सप्लाई में कोई सुधार नहीं हुआ है और इससे इसके उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस उद्योग को पर्याप्त बिजली सप्लाई करने हेतु सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) तथा (ख) : हाल के सप्ताहों में दामोदर घाटी निगम से और पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड से कलकत्ता विद्युत् सप्लाई निगम को विद्युत् सप्लाई में बहुधा कमी के कारण कलकत्ता और इसके आस-पास के क्षेत्र में पटसन मिलों को विद्युत् की सप्लाई में बारंबार रुकावटें आई हैं। पिछले वर्ष भी उत्पादन और पारेषण संयंत्रों के जबरन ठप हो जाने, शीर्षोपरि कन्डक्टरों की चोरियाँ होने और कलकत्ता में उत्पादन केंद्र पर कोयले की सप्लाई अवरुद्ध हो जाने के कारण रुकावटें आई थीं। पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड ने 33 के० वी० लाइनों तक की सभी लाइनों पर चोरी गये कन्डक्टरों को लगाने

के लिये एक विशेष कार्यक्रम हाथ में लिया है। कलकत्ता विद्युत् सप्लाई निगम और पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा संगठित रूप से कार्यवाही करने के परिणामस्वरूप अब स्थिति काबू में है।

**सेलम में ग्लूकोज के कारखाने की स्थापना**

2810. **श्री भुवाराहन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेलम में बहुत अधिक कच्ची सामग्री की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये वहाँ एक ग्लूकोज का कारखाना आरंभ करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के पास अनिर्णीत पड़ा हुआ है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में तमिलनाडु सरकार गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा कोई अभ्यावेदन दिया गया है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : **(क) और (ख)** : जी नहीं।

**सब्जी मण्डी-पानीपत सेक्शन के लिए रेलगाड़ी**

2811. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त उपनगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन यात्री नई दिल्ली आते हैं क्योंकि अधिकांश कार्यालय प्रतिष्ठान नई दिल्ली में ही हैं;

(ख) क्या इन प्रतिदिन के यात्रियों को प्रातः अपने कार्यालयों में लेने और सायं फिर वापस ले जाने के लिए पलवल, गाजियाबाद, दनकौर, हापुड़, मेरठ और रोहतक से नई दिल्ली तक और नई दिल्ली से उपरोक्त नगरों तक सीधी प्रातः कालीन और सायंकालीन उपनगरीय रेल गाड़ियों की व्यवस्था है;

(ग) क्या इस बारे में सब्जी मंडी-पानीपत सेक्शन की उपेक्षा की गई है क्योंकि नई दिल्ली आने जाने के लिए किसी सीधी रेल गाड़ी की व्यवस्था नहीं है;

(घ) क्या इस सेक्शन के प्रतिदिन के यात्री सीधी रेल सेवा के लिए पिछले सात वर्षों से प्रशासन को अभ्यावेदन दे रहे हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या-क्या कार्यवाही की गई है और यह रेल सेवा कब तक आरम्भ हो जाएगी ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी हाँ;

(ख) जी हाँ, लेकिन दनकौर को छोड़कर;

(ग) नं० 1 एन पी/2 एन पी नयी दिल्ली-पानीपत और 1 एस एन/2 एस एन नयी दिल्ली सोनीपत शटल गाड़ियाँ नयी दिल्ली से और के लिए सीधी गाड़ियाँ हैं;

(घ) और (ङ) रेलवे एम्पलाइज वेल्फेयर एसोसिएशन, सोनीपत, कुछ समय से 1 डीपी/22 डी पी दिल्ली-पानीपत शटल गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन करके उन्हें नयी दिल्ली से और के लिए चलाने का अनुरोध करती आ रही है, लेकिन नयी दिल्ली स्टेशन पर टर्मिनल सुविधाओं के अभाव में, परिचालन की दृष्टि से ऐसा करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट एम्पलाइज एसोसिएशन, नरेला, ने 1 डीपी/2 डीपी गाड़ियों के नयी दिल्ली से और के लिए प्रस्तावित मार्ग परिवर्तन का विरोध भी किया है।

**1 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश हेतु पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र**

2812. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970–71 में पंजीकरण के लिए ऐसे कितने आवेदन पत्र मिले जिनमें एक करोड़ रुपये तक के निवेश की व्यवस्था की और उनके अन्तर्गत किन-किन वस्तुओं का निर्माण करने का प्रस्ताव है ;

(ख) उनमें कितनी अधिकतम और कितनी न्यूनतम विदेशी मुद्रा की आवश्यकता का उल्लेख किया गया था और औसत किस प्रकार निकाली गयी थी ; और

(ग) क्या उनमें से कोई आवेदन पत्र अस्वीकृत किया गया है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) 1970–71 में एक करोड़ रुपये तक के विनियोजन के लिए 381 आवेदन पत्र पंजीकरण हेतु प्राप्त हुए थे। ये विभिन्न प्रकार की औद्योगिक वस्तुओं का निर्माण करने के लिए जिसमें औद्योगिक क्षेत्र आता है और इनमें रसायन और औषध, खाद्य और पेय वस्तु, तेल तथा साबुन, प्लास्टिक तथा मुड़ी हुई वस्तुयें, विशेष प्रकार की ऊष्मसह वस्तुयें, क्राकरी, ईंट तथा संगमरमर के टुकड़े, सीमेंट की पाइपें/कागज और गत्ता मोटर गाड़ियों के पुर्जे, कृषि मशीनें, डेरी मशीनें, इस्पाती पाइप तथा ट्यूब, रेडियो रिसीवर तथा प्रोजेक्टर, सेप्टोरेजर तथा ब्लेड, टिन के डिब्बे, कलाई घड़ियाँ, बाइसिकल तथा बाइसिकल के पुर्जे, गैस स्टोव, घरेलू तथा औद्योगिक सिलाई मशीनें, कार्बन बुशेज, टेलीफोन स्विच बोर्ड लैम्प, टेलवे विद्युत पंखे, ए० सी० एस० आर० /ए० ए० सी० कन्डक्टर, कटलरी और टेवल वेयर आदि के लिए प्राप्त हुए थे।

(ख) 115 मामलों में पूंजीगत वस्तुओं का आयात करना था। पूंजीगत वस्तुओं के लिए उच्चतम और निम्नतम आयात आवश्यकतायें क्रमश: 65 लाख रु० और 5000 रु० हैं और औसत आवश्यकता 5.72 लाख रु० होती है।

(ग) 96 आवेदन विभिन्न कारणों से रद्द किये गये थे। वे कारण इस प्रकार थे निर्माण की जाने वाली प्रस्तावित वस्तुएं लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित थी। पंजीकरण के लिए विदेशी मुद्रा आवश्यकतायें निर्धारित सीमा से अधिक थी, किया जाने वाला विनियोजन 7.5 लाख रु० से कम था और इसलिए तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण के लिए पात्र नहीं था; आवश्यक सूचना नहीं भेजी गई थी आदि।

**बहराइच (उत्तर प्रदेश) में बीड़ी और सिगरेट उद्योगों की स्थापना**

2813. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहराइच (उत्तर प्रदेश) के जिले में बीड़ी/ सिगरेट उद्योग की स्थापना के लिये वहाँ पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध है;

(ख) क्या बीड़ी/सिगरेट उद्योग की कोई योजना न होने के कारण उपलब्ध कच्चा माल दूरस्थ स्थानों को भेजना पड़ता है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रकार का एक उद्योग स्थापित करने की व्यवहार्यता का पता लगाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) से (ख) : उत्तर-प्रदेश में मुख्यत: काम आने वाला तम्बाकू उगाया जाता है। राज्य सरकार बर्जीनियाँ तम्बाकू के उत्पादन को भी प्रोत्साहन दे रही है। लेकिन (बहराइच जिला सहित) इस राज्य में अब तक इस तम्बाकू का उत्पादन नगण्य रहा है। सहारनपुर में पहले ही सिगरेट बनाने वाला एक कारखाना स्थापित है, इसलिये बहराइच में उपलब्ध होने वाला तम्बाकू दूरस्थ स्थानों को भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) : उत्तर-प्रदेश के जो जिले वित्तीय संस्थानों में रियायती दर पर वित्त प्राप्त करने के लिये चुने गये हैं बहराइच उनमें से एक जिला है। वित्तीय संस्थानों ने राज्य और विशेष रूप से बहराइच जैसे पिछड़े जिलों की औद्योगिक क्षमता का अध्ययन कर लिया है इस जिले में विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना, जिनमें सिगरेट उद्योग भी सम्मिलित है, करने का क्षेत्र तभी स्पष्ट होगा जब वित्तीय संस्थाओं के संयुक्त अध्ययन की रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी।

**Closure of Alcock Ashdown and Company Limited, Bhavanagar (Gujarat)**

2814. **Shri Sarjoo Pandey** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether M/s. Alcock Ashdown and Company Limited, Bhavnagar (Gujarat) has been closed down ;

(b) if so, the number of workers rendered jobless, the number of man-hours lost as a result thereof and the amount of loss suffered on account of its closure ;

(c) the reasons for the closure of the firm ; and

(d) the action being taken by Government for its reopening ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad)** : (a) Yes, Sir.

**(b) to (d)** : Government have ordered on 3rd June, 1971, an investigation under section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 into the affairs of the company. The report of the Investigation Body is sawaited.

**खादी और ग्रामउद्योग आयोग की समिति द्वारा खादी तैयार करने के लिये छोटे कारखाने को प्रमाण-पत्र जारी किया जाना**

2815. **प्रोफेसर एस० एल० सक्सेना** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी और ग्राम उद्योग आयोग की किसी समिति ने खादी तैयार करने के लिये नये छोटे कारखानों को प्रमाण पत्र जारी किये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस समिति के अध्यक्ष का नाम क्या है और वह इस पद पर कितनी अवधि तक रहे हैं;

(ग) इन प्रमाण कृत संस्थाओं में खादी निर्माता कितनी बार खादी तैयार करते समय हाथ से काते गये धागों के साथ मिल का बना धागा मिलाते हुए पकड़े गये है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) जी, हाँ। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की प्रमाणन समिति खादी के उत्पादन और बिक्री हेतु बनायी गयी सहकारिता समितियों और प्रार्थी खादी संस्थानों को प्रमालन नियमों के अनुसार वार्षिक प्रमाण पत्र जारी करती है और उनका नवीकरण करती है।

(ख) श्री विचित्र नारायण शर्मा सन् 1957 से इस समिति के अध्यक्ष हैं।

(ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

(घ) इस प्रकार की मिलावट रोकने के लिए उल्भी ऐठन वाले हाथ से बुने धागों को प्रचलित किया गया है।

**धर्मनगर रेलवे स्टेशन पर माल की चोरी**

2816. **श्री वीरेन दत्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धर्मनगर रेलवे स्टेशन पर माल की चोरियाँ बढ़ रही हैं;

(ख) क्या त्रिपुरा के व्यापारियों से कोई शिकायत प्राप्त हुई है, और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और चोरी रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

**रेलवे बोर्ड कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी**

2817. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को भूमि के पूरे कोटे का आवंटन न होने के कारण अनेक पंजीकृत सदस्यों को उनकी शेयर पूंजी लौटा दी गई थी,

(ख) यदि हाँ, तो उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें अपनी शेयर पूंजी वापस मिल गई है,

(ग) क्या शेयर पूंजी वापस लौटाने से पूर्व सोसाइटी को अपने समस्त पंजीकृत सदस्यों को भूमि का आवंटन करने के लिए अब भूमि का पूरा कोटा मिलने की संभावना है, और

(घ) यदि हाँ, तो क्या जिन सदस्यों को उनकी शेयर पूंजी पहले ही लोटा दी गई है उनको शेयर पूंजी लौटाने के समय उनकी प्राथमिकता के अनुसार उन्हें भूमि का आवंटन किया जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : सवाल नहीं उठता।

**पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद् का ज्ञापन**

2818. **राजमाता कृष्ण कुमारी जोधपुर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद् से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हाँ, तो उस ज्ञापन में क्या माँगें की गई हैं, और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी हाँ।

**(ख) और (ग)** पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद् द्वारा पेश की गयी मांगें और उन पर सरकार के विचार इस प्रकार है :—

**(I) अन्तरिम राहत का पर्याप्त न होना**

सरकार द्वारा मंजूर की गयी अन्तरिम राहत की मात्रा उतनी ही है जितनी कि तीसरे वेतन आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में सिफारिश की थी। इस रिपोर्ट को पूर्ण रूप से मंजूर करने के बाद इस समय कोई संशोधन करने की गुंजाइश नहीं है।

**(II) रेल कर्मचारियों के लिए पृथक मजदूरी बोर्ड या रेल कर्मचारियों की माँगों का निपटारा करने के लिए तीसरे वेतन आयोग के अन्दर पृथक कक्ष की स्थापना**

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का सामान्य वेतन स्तर का निर्धारण एक निकाय द्वारा किया जाना चाहिए क्योंकि केवल रेल कर्मचारियों के लिए पृथक मानक नहीं बनाया जा सकता। फिर भी, वेतन आयोग द्वारा स्वयं ही रेल कर्मचारियों की कोटि की विशेष आवश्यकताओं पर निस्सन्देह विचार किया जायेगा।

**(III) आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन**

आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन का प्रश्न एक विनिर्दिष्ट मद है जिसका निबटारा वेतन आयोग द्वारा किया जा रहा है।

**(IV) न्यूनतम और अधिक वेतन मान 1 : 10 के अनुपात में निश्चित किया जाना चाहिये**

न्यूनतम और अधिकतम वेतन के बीच क्या अनुपात होना चाहिए—इस मामले का निबटारा भी वेतन आयोग द्वारा किया जाना है।

**(V) कर्मचारी परिषद् को मान्यता देना**

प्रत्येक रेलवे पर नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमेन और आल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन से सम्बद्ध पहले से ही मान्यता प्राप्त दो यूनियनें हैं। यथा सम्भव रेलों पर एक यूनियन बनाने की आवश्यकता पर ध्यान देते हुए इस समय और अधिक यूनियनों को मान्यता देना वांछनीय नहीं समझा जाता।

**उत्तर रेलवे के आशुलिपिकों में व्याप्त निराशा**

2819. **श्री कृष्णचन्द्र पांडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के 130–300 रुपये के वेतनमान वर्ग के कुछ आशुलिपिकों में भेदभाव पूर्ण व्यवहार के कारण पर्याप्त निराशा है क्योंकि कुछ आशुलिपिकों के 210–425 रुपये के वेतन-मान में पदोन्नति के लिये चयन करने के परिणाम प्रशासन द्वारा रोक लिये गये हैं;

(ख) क्या उत्तर रेलवे की दोनों मान्यता प्राप्त यूनियनें पक्षपात को समाप्त कराने हेतु कुछ उपचारी उपाय कराने के लिए महा प्रबन्धक से मिली हैं और यदि हाँ, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या कुछ आशुलिपिकों का पक्ष लेने के लिए यूनियनों द्वारा प्रस्तुत किये गये अनेक सुझावों को रद्द कर दिया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्रवाही की जा रही है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) 210–425 रुपये (प्राधिकृत वेतन-मान) के ग्रेड में स्टेनोग्राफरों के कुल 90 पदों के लिए 88 व्यक्तियों का एक अनन्तिम पेनल पहले ही घोषित किया जा चुका है और पदोन्नति के आदेश दिये जा चुके हैं; केवल 2 पदों के लिए एक पूरक प्रवरण होना बाकी है।

(ख) जी नहीं।

**(ग) और (घ)** प्रश्न नहीं उठता।

**उत्तर रेलवे के प्रवर अधिकारियों के लिये उच्चतर ग्रेड के आशुलिपिक**

2820. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में डिवीजन वार और मुख्य कार्यालय में 130–300 रुपये के वेतनमान में कार्य करने वाले आशुलिपिकों की कितनी संख्या है;

(ख) डिवीजन वार और मुख्य कार्यालय में 130–300 रुपये के वेतनमान के आशुलिपिकों के लिए पात्र कनिष्ठ अधिकारियों की कितनी संख्या है;

(ग) उत्तर रेलवे में डिवीजन वार और मुख्य कार्यालय में 210–425 रुपये के वेतनमान में कार्य करने वाले आशु लिपिकों की कितनी संख्या है; और

(घ) 210–425 रुपये के वेतनमान के आशुलिपिकों के पात्र प्रवर और उच्चतर अधिकारियों की कितनी संख्या है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : **(क) से (घ)** : एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

| खंड का नाम | भाग (क) स्टेनोग्राफरों की संख्या ग्रेड 130–300 रुपये | भाग (ख) कनिष्ठ वेतन-मान के अधिकारियों की संख्या | भाग (ग) स्टेनोग्राफरों की संख्या ग्रेड 210–425 रुपये | भाग (घ) वरिष्ठ वेतन-मान और उससे ऊपर के अधिकारियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| मुरादाबाद | 8 | 11 | 11 | 11 |
| फीरोजपुर | 6 | 10 | 10 | 12 |
| जोधपुर | 9 | 16 | 11 | 12 |
| दिल्ली | 10 | 23 | 21 | 21 |
| इलाहाबाद | 5 | 20 | 17 | 17 |
| बीकानेर | 9 | 18 | 9 | 11 |
| लखनऊ | 9 | 17 | 13 | 13 |
| प्रधान कार्यालय नयी दिल्ली | 54 | 85 | 114 | 108 |

## केंद्रीय जल और विद्युत् आयोग के कृत्य

2821. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय जल और विद्युत् आयोग के कृत्य और कर्तव्य क्या है; और

(ख) क्या इस आयोग को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो उस प्रस्ताव का स्वरूप क्या है और उसको क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग, संबंधित राज्य सरकारों के साथ सलाह करके सिंचाई, नौचालन, बाढ़ नियंत्रण और जलविद्युत् उत्पादन के लिए समस्त देश के जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण और प्रयोग संबंधी स्कीमों के तथा तापविद्युत् विकास की समेकित स्कीमों के, तथा सारे देश में विद्युत् शक्ति के पारेषण और समुपयोजन से संबद्ध स्कीमों के सूत्रपात, समन्वय और प्रगति के लिए सामान्यतः उत्तरदायी है।

(ख) केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग के पुनर्गठन से संबंधित कुछ प्रस्ताव समय-समय पर उठाए गए हैं। केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग के कार्य का पुनरावलोकन करने के लिए स्थापित समिति ने कुछ सिफारिशें की थीं। प्रशासनिक सुधार विभाग ने भी कुछ सिफारिशें की थीं। मुख्य प्रस्तावों और उन पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

### विवरण

| क्रम संख्या | मुख्य प्रस्ताव | की गई कार्यवाही |
|---|---|---|
| 1. | केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग मंत्रालय का ही एक भाग होना चाहिए और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का सचिवालयीय ओहदा होना चाहिए। अध्यक्ष विशेष सचिव और उपाध्यक्ष अतिरिक्त सचिव होना चाहिए। | इस प्रश्न पर प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों की रोशनी में विचार किया जा रहा है। |
| 2. | केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग (जल स्कंध) में एक और सदस्य की नियुक्ति होनी चाहिए जो कि बाढ़ों का इन्चार्ज हो। | यह सिफारिश मान ली गई है और इसे कार्यान्वित भी किया जा चुका है। |
| 3. | केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग (जल स्कंध और विद्युत् स्कंध) के दोनों स्कंधों को अलग अलग नहीं करना चाहिए। जैसा कि अब हो रहा है, आयोग को एक मिश्रित संगठन के रूप में कार्य करते रहना चाहिए जिससे प्रत्येक स्कंध को अपनी विशेषज्ञता बढ़ाने के अवसर मिलें। | यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। |
| 4. | अध्यक्ष /उपाध्यक्ष और सदस्यों के उच्चतम स्तरीय तकनीकी पदों को सावधिक पद समझा जाना चाहिए। सरकार को अखिल भारतीय आधार पर ये नियुक्तियाँ करने के लिए एक उच्च | इस प्रश्न पर वित्त मंत्रालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, कर्मक विभाग की सलाह से विस्तृत विचार करने की आवश्यकता |

| | | |
|---|---|---|
| | अधिकार प्राप्त चयन बोर्ड की नियुक्ति की वांछनीयता पर विचार करना चाहिए। अध्यक्ष के चयन के लिए, रिटायर हो रहे अध्यक्ष को और सदस्यों के चयन के लिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को चयन बोर्ड के सदस्यों के रूप में लिया जाना चाहिए। अध्यक्ष की नियुक्ति सिचाई और विद्युत् के क्षेत्रों में से बारी-बारी से होगी। | है। सिफारिशों के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। |
| 5. | जब कि केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग में 'कोटा' के आधार पर पदों को भरने के लिए कुछ अधिकारियों को, उनको उपयुक्तता का विचार किए बिना, भेजने की पद्धति एक प्रभावकारी विशेषज्ञ संगठन का निर्माण करने में सहायक नहीं है, देश के किसी भी भाग से किसी भी विशेषज्ञ क्षेत्र से अत्युत्तम व्यक्ति को आकृष्ट करने के लिए हर कोशिश की जानी चाहिए और समिति की राय में 25% तक ऐसा किया जा सकता है। | सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर ली गई है। |
| 6. | केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग जिस व्यापक पिरेमिडो संरचना का रूप धारण कर रहा है वह एक सुदक्ष सलाहकारी संगठन का निर्माण करने में सहायक नहीं है। इस असंतुलन को ठीक करना है। | सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया गया है। जब आई० एस० ई० कैडर का निर्माण होगा तो इसका ध्यान रखा जाएगा। |

**केंद्रीय जल और विद्युत् आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति**

2822. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए क्या मापदंड अपनाया जाता है ; और

(ख) एक सिविल इंजीनियर को उक्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करने के क्या कारण हैं ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) : सेवा नियमों के संबद्ध उपबंधों के अनुसार केंद्रीय जल व विद्युत् आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर भरती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा एक मिले-जुले क्षेत्र में से चयन द्वारा की जाती है जिसमें केंद्रीय सरकार. राज्य सरकारों, राज्य विद्युत् बोर्डों और अर्ध-सरकारी संगठनों के अन्तर्गत नियुक्त सिंचाई और विद्युत् के प्रवर इंजीनियरों शामिल होते हैं।

जब कि लोक सेवा आयोग केंद्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के अध्यक्ष के पद के लिए सिंचाई और विद्युत् दोनों प्रकार के इंजीनियरों के नामों पर विचार करता है, सदस्य के पद पर नियुक्ति के लिए केवल सिंचाई अथवा विद्युत् इंजीनियरों के नामों पर इस बात का ख्याल करते हुए विचार किया जाता है कि भरती केंद्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के जल स्कंध में की जानी है अथवा विद्युत् स्कंध में।

यदि अध्यक्ष के पद पर कोई सिंचाई इंजीनियर नियुक्त हुआ हो, तो केंद्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के प्रवरतम इंजीनियर को केंद्रीय जल तथा विद्युत् आयोग (विद्युत् स्कंध) का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। इसी प्रकार यदि अध्यक्ष के पद पर कोई विद्युत् इंजीनियर हो तो जल स्कंध के प्रवरतम सदस्य को केंद्रीय जल तथा विद्युत् आयोग (जल स्कंध) का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है।

(ख) : केंद्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के अध्यक्ष पद पर भरती निर्धारित पद्धति के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी ।

**आसाम में ग्रामों का विद्युतीकरण**

2824. **श्री विश्वनारायण शास्त्री**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चतुर्थ योजना अवधि में आसाम में कितने गाँवों में बिजली लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) चौथी योजना अवधि में अब तक राज्य में कुल कितने गाँवों में बिजली लग गयी है; और

(ग) राज्य में ग्राम्य विद्युतीकरण के बारे में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)**: (क) : चौथी योजना अवधि के दौरान असम में 905 ग्रामों में बिजली लगाने का लक्ष्य है ।

(ख) योजना के (31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले) प्रथम दो वर्षों में 304 ग्रामों में बिजली लगाई गई है ।

(ग) : राज्य में पारेषण और वितरण जाल विकसित करने के लिए मुख्यतः वित्तीय स्रोतों की तंगी के कारण असम में ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति बहुत धीमी है। चौथी योजना के दौरान अतिरिक्त वित्तीय साधनों के साथ, जिनमें वे भी शामिल हैं जिनकी व्यवस्था ग्राम विद्युतीकरण निगम ने की है, विद्युतीकरण स्कीमों में तेजी लाई गई है जिसमें पम्पसेटों के ऊर्जन पर विशेष बल दिया गया है । जबकि चौथी योजना के शुरू होने से पहले 55 पम्पसेट ऊर्जित किए गए थे और 380 ग्रामों में बिजली लगाई गई थी, अब चौथी योजना के दौरान 3200 पम्पसेटों का ऊर्जन करने तथा 905 ग्रामों में बिजली लगाने का प्रस्ताव है।

**कलकत्ता महानगरीय क्षेत्र में विद्युत् की आवश्यकता**

2825. **श्री सोमनाथ चटर्जी**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अगामी पाँच वर्षों में कलकत्ता महानगरीय क्षेत्र में विद्युत् की कितनी आवश्यकता पड़ेगी; और

(ख) इस आवश्यकता को पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) विद्युत् की पूर्वानुमानित आवश्यकता इस प्रकार है :—

550 मैगावाट 1971–72 में

559 मैगावाट 1972–73 में

573 मैगावाट 1973–74 में

586 मैगावाट 1974–75 में

600 मैगावाट 1975–76 में

(ख) कलकत्ता बिजली सप्लाई निगम उपर्युक्त भार को अंशतः अपना उत्पादन करके तथा शेष पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत् बोर्ड और दामोदर घाटी निगम विद्युत् प्रणाली से लेकर पूरा करेगा।

**हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भूतापीय कुओं से बिजली प्राप्त करना**

2826. **श्री ब्रजराज सिंह कोटा**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भूतापीय कुओं से बिजली प्राप्त होने की बहुत अधिक सम्भावना है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)**: (क) : जी, हाँ। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण के गरम चश्मों में भू-तापीय ऊर्जा की शक्यता का संकेत मिला है।

(ख) : सरकार का प्रस्ताव है कि ऊर्जा की मात्रा निश्चित करने और यदि सम्भव हो, तो आर्थिक दृष्टि से उसके उपयोग का काम शुरू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की सहायता से विस्तृत और समग्र अनुसंधान कार्य चलाया जाए।

**राजस्थान में गाँवों का विद्युतीकरण**

2827. **श्री ब्रजराज सिंह कोटा**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1968–69, 1969–70, और 1970–71 में राजस्थान में कितने प्रतिशत गाँवों में बिजली लगाई गई है;

(ख) उक्त अवधि में उन गाँवों का प्रतिशत अनुपात क्या है जिनमें बिजली लगाई गई है; और

(ग) वर्ष 1973–74 में जिन गाँवों में बिजली लगाई जायेगी उनका अनुपात क्या है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)**: **(क) और (ख)** : सूचना नीचे दी जाती है।

| वर्ष | राजस्थान में विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या | विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशतांश |
|---|---|---|
| 1968–69 | 319 | 0.99 |
| 1969–70 | 342 | 1.06 |
| 1970–71 | 506 | 1.57 |

(ग) 1973–74 के दौरान लगभग 600 ग्राम, जो राज्य के ग्रामों का 1.86 प्रतिशत

है, विद्युतीकृत होने प्रत्याशित हैं। चौथी योजना के प्रारंभ में 2103 विद्युतीकृत ग्रामों की तुलना में, जो कि कुल ग्रामों का 6.2 प्रतिशत हैं, 1973–74 तक विद्युतीकृत होने वाले ग्रामों की संख्या बढ़कर 4867 हो जाएगी, जो कि राज्य के ग्रामों का 15.1 प्रतिशत है।

**भारतीय रेलवे के हड़ताल से सम्बद्ध श्रमिक**

2828. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम्** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मई, 1971 को समाप्त होने वाली 12 महीनों की अवधि में रेलवे में कितनी बार हड़ताल हुई जिससे रेल गाड़ी सेवा में व्यवधान हुआ; और

(ख) कितने श्रमिकों ने हड़ताल में भाग लिया तथा कितने काम के दिन नष्ट हुये?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**पश्चिम रेलवे में दावा खोजकर्ताओं के चयन के बारे में जाँच पड़ताल**

2829. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम रेलवे द्वारा वर्ष 1967 के किसी मास में 150–240 रुपयों के ग्रेड में दावा खोजकर्ताओं के पदों के लिए चयन किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो कुल कितने कर्मचारियों ने आवेदन पत्र दिये थे तथा कितने कर्मचारियों को चयन के लिये बुलाया गया था;

(ग) जिस अधिसूचना के अन्तर्गत परिणाम घोषित किया गया था उसकी संख्या क्या है;

(घ) क्या इस चयन के बारे में कुछ कदाचार किये जाने की सूचना मिली थी तथा रेलवे सतर्कता विभाग द्वारा पूरे मामले की जाँच की गई थी; और

(ङ) यदि हाँ, तो जाँच के क्या परिणाम हैं?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) 150–240 रुपये के वेतन-मान में क्लेम-ट्रेसर के पद के लिए 1967–68 में एक उपयुक्तता परीक्षा ली गयी थी।

(ख) (i) इस पद के लिए आवेदन-पत्र देने वाले उम्मीदवारों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है।

(ii) उपयुक्तता परीक्षा के लिए 88 उम्मीदवारों को बुलाया गया था।

**(ग) से (ङ)** : सफल उम्मीदवारों की एक अनन्तिम सूची तैयार की गयी थी और अनन्तिम आधार पर पदोन्नति के आदेश दिये गये थे। लेकिन सूची को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है क्योंकि मामले की छान-बीन हो रही है।

**रेलवे कर्मचारियों के न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण रेलवे (पश्चिमी रेलवे) द्वारा दावा राशि का भुगतान**

2830. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों के न्यायालय में ठीक समय पर उपस्थित न होने के कारण रामगंज मंडी से असरवा के लिये बुक किये गये माल के खेप के बारे में न्यायालय की डिगरी पर

रेलवे को 1320 रुपये का दावा राशि का भुगतान करना पड़ा था, जैसा कि 26 मई, 1971 के यातायात अनुपूरक राजपत्र संख्या 4 में प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो उन कर्मचारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं जो न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये थे तथा उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिनके नियंत्रण में वे कार्य कर रहे थे;

(ग) क्या इन कर्मचारियों की ड्यूटी से छुट्टी देकर न्यायालय में उपस्थित होने के लिये ड्यूटी पास दिया गया था;

(घ) यदि हाँ, तो उनकी अनुपस्थिति के कारण क्या है; और

(ङ) दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और हानि की वसूली के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी हाँ।

(ख) आनन्द स्टेशन का यानान्तरण क्लर्क। वह आनन्द के स्टेशन मास्टर के नियंत्रण में है। लेकिन, जिस यानान्तरण क्लर्क ने परेषण के सम्बन्ध में कार्रवाई की थी उसका नाम मालूम नहीं है क्योंकि 1977 के संगत रेकार्ड उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन उसका पता लगाने का प्रयास अब भी किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) चूंकि रेकार्ड के अभाव में उन कर्मचारियों का नाम मालूम नहीं था जिन्हें न्यायालय में उपस्थित होना था, अतः उन्हें न्यायालय में उपस्थित होने का निदेश नहीं किया जा सका।

(ङ) सवाल नहीं उठता क्योंकि सम्बन्धित कर्मचारियों को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सूचित नहीं किया गया था।

**पश्चिमी रेलवे पर वाणिज्य निरीक्षकों और दावा खोजकर्ताओं का चयन**

2831. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य निरीक्षकों और दावा खोजकर्ताओं के पदों को पश्चिम रेलवे की वाणिज्य श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों में विभागीय चयन द्वारा भरा जायेगा;

(ख) यदि हाँ, तो प्रश्न के उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित दोनों पदों के लिये अन्तिम चयन कब हुआ था;

(ग) पश्चिम रेलवे की पंजी में कितने वाणिज्य निरीक्षक और दावा खोजकर्ता हैं तथा वे जिन पदों पर हैं उनकी चयन तिथि क्या है;

(घ) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित पदों पर कितने व्यक्तियों को तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया है तथा कितने व्यक्ति स्थानापन्न कार्य कर रहे हैं; और

(ङ) यदि उपर्युक्त पदों को नियमित रूप से चयन नहीं किया जाता, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) वाणिज्य निरीक्षकों के पद प्रवरण के आधार पर भरे जाते हैं, जबकि दावा खोज कर्ताओं के पद पात्र कर्मचारियों की वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के अनुसार भरे जाते हैं।

(ख) वाणिज्य निरीक्षकों के पद के लिए पिछला प्रवरण 1956–57 में हुआ था और दावा खोज कर्ताओं के पद के लिए पिछली उपयुक्तता परीक्षा 1967–68 में हुई थी।

| | | | |
|---|---|---|---|
| (ग) | (i) | 250–380 रुपये के वेतनमान के वाणिज्य निरीक्षक | 86 |
| | (ii) | 150–240 रुपये के वेतनमान के दावा खोजकर्त्ता | 23 |

उन्हें, 1951 से 1968 के बीच प्रवरण/उपयुक्तता परीक्षा के आधार पर पदोन्नत किया गया था।

(घ) अनुबन्ध 'क' के रूप में एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 489/71**]

(ङ) (i) वाणिज्य निरीक्षकों के पद के लिए प्रवरण इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि वाणिज्य विभाग में निरीक्षकों के संवर्ग के एकीकरण की योजना और निरीक्षकों की पदोन्नति की सरणि को अन्तिमरूप नहीं दिया गया था। अब इन विषयों के सम्बन्ध में निश्चय कर लिया गया है तथा वाणिज्य निरीक्षकों के प्रवरण के लिए कार्रवाई शुरू करदी गयी है जिसके लिए लिखित परीक्षा पहले ही ली जा चुकी है और साक्षात्कार शीघ्र ही होने वाला है।

(ii) दावा खोजकर्त्ता के पद के लिए उपयुक्तता परीक्षा 1967–68 में ली गयी थी। सफल उम्मीदवारों की एक अनन्तिम सूची बनायी गयी थी और अनन्तिम आधार पर पदोन्नतियाँ दी गयी थीं। मामले की जाँच-पड़ताल की जा रही है तथा अन्तिम परिणामों की घोषणा अभी तक नहीं की गयी है।

**तमिलनाडु के परमाणु उर्जा केंद्र से आन्ध्र प्रदेश को विद्युत् की सप्लाई**

2832. **श्री टी० बालकृष्णैया** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र से आंध्र प्रदेश को विद्युत् मिलने की कोई सम्भावना है; और

(ख) यदि हाँ, तो आन्ध्र को कितनी विद्युत् सप्लाई की जायेगी ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) जी, हाँ।

(ख) 215–215 मैगावाट की दो विद्युत्-उत्पादन यूनिटें कलपक्कम में स्थापित होनी हैं। प्रथम यूनिट से उत्पन्न बिजली और दूसरी यूनिट से उत्पन्न 50% बिजली का तमिलनाडु में समुपयोजन किया जाएगा। उत्पन्न होने वाली शेष बिजली को दक्षिण क्षेत्र में अन्य राज्यों के लिए जिनमें आंध्र प्रदेश शामिल है, पृथग्-रक्षित रखा गया है।

**Loss of Coal in Loco Shed, Bhopal**

2834. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether coal worth about Rupees one and a half lakh was lost in the Loco shed of Bhopal during the financial year 1970-71 ;

(b) whether Government have appointed a Committee to enquire into its causes ;

(c) whether any report has since been submitted by the said Committee to Government ; and

(d) if so, the steps taken by Government to prevent similar incidents ?

**The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya)** : (a) Stock verification of coal

was conducted at Bhopal Loco shed on 19th February, 1970 and a cumulative shortage of 1691 tonnes of coal valued at about Rs. 1,18,370/- was detected.

(b) A fact finding Committee consis ing of three officers was appointed to enquire into the shortage.

(c) Yes.

(d) Security arrangements to prevent pilferage and theft of coal have been intensified.

**पहाड़ी क्षेत्र (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) में रात के समय गाड़ियों का चलाना**

2835. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के पहाड़ी क्षेत्र में, अर्थात् लुंडिग-बदर पुर लाइन पर, भविष्य में रात्रि गाड़ियाँ चलाने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब से ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) और (ख) : जी हाँ, जैसे ही असम राज्य और सैनिक प्राधिकारियों द्वारा यह घोषणा की जायेगी कि इस खंड पर रात में पुनः गाड़ियाँ चलाना सुरक्षित है।

**वैगनों की कमी के कारण कछार, त्रिपुरा और मिजो पहाड़ी क्षेत्र के लिये अत्यावश्यक वस्तुओं का बुक न किया जाना**

2836. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल डिब्बों की कमी के कारण कछार, त्रिपुरा और मिजो पहाड़ियों के लिये कुछ अत्यावश्यक वस्तुओं को बुक नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप वहाँ उन वस्तुओं के मूल्य बढ़ गये; और

(ख) यदि हाँ, तो तुरन्त पर्याप्त संख्या में माल डिब्बे उपलब्ध कराने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

**दंडकारण्य-बोलनगीर-किरिबुरु रेल लाइनों पर यात्री गाड़ियाँ**

2837. **श्री के० प्रधानी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य-बोलनगीर और किरिबुरु रेल लाइनों पर यात्री गाड़ियाँ चलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : **(क) और (ख)** : जी हाँ, यह प्रस्ताव विचाराधीन है परन्तु अभी कोई निश्चित तारीख नहीं दी जा सकती।

**उड़ीसा में इन्दोवती बांध परियोजना द्वारा कालाहांडी और कोरापुट जिलों में सिंचाई की सुविधा प्राप्त क्षेत्र**

2838. **श्री के० प्रधानी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में प्रस्तावित इन्द्रावती बाँध परियोजना से कालाहांडी और कोरापुट जिलों में अलग-अलग कुल कितनी एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकती है;

(ख) परियोजना की कुल अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) भारत सरकार ने अब तक इस पर कितनी धन राशि खर्च की है ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) से (ग) : उड़ीसा सरकार के प्रारंभिक प्रस्तावों के अनुसार 55 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की अपर इन्द्रावती परियोजना से कालाहांडी और कोरापुट जिलों में सिंचाई के लिये प्रस्तावित क्षेत्र क्रमश: 222, 000 और 283. 000 एकड़ था। परियोजना को अंतिम रूप देने के लिये उड़ीसा सरकार द्वारा आगे अनुसंधान किये जा रहे हैं।

**विभाजन के पहले से उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े मामले**

2839. **श्री सुबोध हंसद** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभाजन-पूर्व के दिनों से अब तक विभिन्न उच्च न्यायालयों में बड़ी संख्या में मामले अनिर्णीत पड़े है :

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा इस मामले पर निकट भविष्य में निर्णय किया जायेगा;

(ग) न्यायालयों में ऐसे कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं तथा किन उच्च न्यायालयों में इन मामलों की संख्या अधिक है; और

(घ) इतने वर्षों तक मामलों के अनिर्णीत पड़े रहने के क्या कारण हैं ?

**विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले)** : (क) से (घ) : जानकारी मंगाई जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**अजय नदी पर सिक्तिया में बाँध का निर्माण**

2840. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री और सिंचाई मंत्री के साथ उनका अजय नदी से दामोदर घाटी पद्धति की ओर 300 घन जल का बहाव मोड़ने के बारे में करार हुआ था;

(ख) क्या बिहार सरकार अजय नदी के सिक्तिया पर उक्त करार के आधार पर बाँध का निर्माण कर रही है; और

(ग) क्या इस बांध के निर्माण से उक्त करार की शर्तों का उल्लंघन होता है तथा उससे दामोदर घाटी पद्धति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) प्रारम्भ में दामोदर नदी पर तेनु घाट बांध दो चरणों में पूरा किया जाना था; पहले चरण में 600 क्यूसेक जल छोड़ने के लिए आवश्यक एक जलाशय की व्यवस्था और दूसरे चरण में 900 क्यूसेक जल छोड़ने की क्षमता वाले एक जलाशय की व्यवस्था। उस समय ऐसा अनुमान किया गया था कि पूरे के पूरे 600 क्यूसेक जल का उपयोग बोकारो इस्पात संयंत्र और सहायक उद्योगों और पश्चिम बंगाल के एक विद्युत् घर द्वारा किया जाएगा। दूसरे चरण के पूरा होने के बाद जो 300 क्यूसेक और अधिक जल उपलब्ध हो सकेगा, उसका उपयोग बिहार सुवर्ण रेखा या अजय से दामोदर के निचले इलाकों में उतनी ही मात्रा में जल का व्यपवर्तन करने की व्यवस्था के बाद कर सकेगा।

इस संबंध में पश्चिम बंगाल और बिहार सरकारों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया है।

पश्चिम बंगाल की सरकार यह चाहती है कि बिहार सरकार अजय और/या सुवर्ण रेखा से दामोदर के निचले इलाकों में 300 क्यूसेक जल के व्यपवर्तन के लिए एक परियोजना की जाँच और निर्माण के कार्य तत्काल शुरू कर दे, जबकि बिहार सरकार का यह विचार है कि ऐसे किसी व्यपवर्तन की आवश्यकता तब तक उत्पन्न नहीं होती जब तक कि 600 क्यूसेक से अधिक जल के व्यपवर्तन का प्रस्ताव न हो।

(ख) अभी तक नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**ग्रेड 'ए' और 'बी' के छुट्टी रिजर्व गार्डों के लिये मुआवजा**

2841. **श्री इसहाक सम्भली**: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रेड 'ए' और 'बी' में छुट्टी रिजर्व गार्डों की व्यवस्था की गई है;

(ख) क्या उन छुट्टी रिजर्व गार्डों को रिक्त स्थानों के न होने पर पुनः अपने पदों पर रखा जाता है तथा भारतीय रेलवे में बहुत दिनों तक उनकी सेवाओं का उपयोग नहीं किया जाता तथा उन्हें उस अवधि के लिये प्रति मील भत्ते के रूप में कोई मुआवजा भी नहीं दिया जाता; और

(ग) यदि हाँ, तो इस तथ्य के बावजूद कि अल्प अवधि की सूचना पर भी कार्यक्रमावली में उनकी सेवा उपलब्ध है; छोटी अवधियों के लिए उन्हें उचित मुआवजा न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)**: (क) 'ए' और 'बी' ग्रेड के गार्डों के लिए छुट्टी रिजर्व की व्यवस्था 'बी' ग्रेड के गार्डों की कोटि में की गयी है।

(ख) जी नहीं, सिवाय कुछ मामलों के जब कभी-कभार कोई खाली जगह नहीं होती।

(ग) रनिंग ड्यूटी के लिए अपने घरों में अपनी पारी की प्रतीक्षा करने वाले कर्मचारियों को मील-भत्ता अनुभेय नहीं है।

**लखनऊ से बरौनी तक बड़ी रेलवे लाइन (पूर्वोत्तर रेलवे)**

2842. **श्री नरसिंह नारायण : श्री राम सूरत प्रसाद :**

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे पर लखनऊ (जंक्शन) से बरौनी (जंक्शन) तक की छोटी रेलवे लाइन को बड़ी रेलवे लाइन में बदलने का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो कार्य आरम्भ करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि कोई निर्णय नहीं किया गया तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)**: (क) लखनऊ (बाराबंकी)–गोरखपुर-भटनी मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं और सर्वेक्षण-रिपोर्टों की जाँच की जा रही है। भटनी-बरौनी मीटर लाइन खण्ड से सम्बन्धित सर्वेक्षण लगभग पूरे हो चुके हैं और रिपोर्टों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इन आमान परिवर्तनों के सम्बन्ध में आर्थिक अध्ययन भी किये जा रहे हैं।

**(ख) और (ग)**: सर्वेक्षण और आर्थिक रिपोर्टों की सभी दृष्टिकोण से जाँच कर लेने के बाद इन खण्डों के आमान परिवर्तन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

**केरल में समुद्र-तट के भू-कटाव की समस्या**

2843. **डा० हेनरी आस्टिन :** **श्री वयालार रवि :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल की समुद्र तटीय पट्टी में प्रति वर्ष होने वाले भूमि-कटाव से उत्पन्न समस्या का पता है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार राज्य में समुद्र कटाव को रोकने के लिये किये गये कार्य से संतुष्ट है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस वर्ष कोई नए प्रस्ताव विचाराधीन हैं ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) जी, हाँ।

**(ख) और (ग)** 1955 से केरल राज्य सरकार उपलब्ध संसाधनों से जितना हो सकता है उतना समुद्र कटाव रोधी कार्य कर रही है जिसमें समुद्र की दीवारें, रोधिकाएं आदि शामिल हैं। अब तक 9.5 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं और इससे मुख्यत: बुरी तरह से प्रभावित पहुंचों में सुरक्षा की अपेक्षा रखने वाले कुल 320 किलोमीटर लम्बे तट का लगभग 25 प्रतिशत कार्य हो चुका है। 1971–72 के दौरान समुद्र-कटाव रोधी कार्यक्रम जारी रखा जा रहा है। राज्य सरकार ने 1971–72 में कार्यक्रम के लिए 65 लाख रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया है 1971–72 में कार्यान्वियनार्थ तट कटाव बोर्ड द्वारा स्वीकृत महत्वपूर्ण स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

**विवरण**

| क्रम सं० | स्कीम का नाम | जिला | अनुमानित लागत (लाख रुपयों में) |
|---|---|---|---|
| 1. | अलाप्पद के उत्तर में श्रायकड पर समुद्र कटाव रोधी कार्य––1465 मीटर लम्बी समुद्री दीवार | क्विलोन | 24.05 |
| 2. | श्रायकड के उत्तर में अजोकल पर समुद्र कटाव रोधी कार्य––25.854 किलोमीटर लम्बी समुद्री दीवार | अलेप्पो | 13.33 |
| 3. | नोन्दाकारा में समुद्र कटाव रोधी कार्य-25.05 किलोमीटर और 25.675 किलो-मीटर के बीच 625 मीटर लम्बी दीवार | क्विलोन | 9.6 |
| 4. | वडक्कल-पुन्नाप्रा में समुद्र कटाव रोधी कार्य 900 मीटर लम्बी समुद्री दीवार | अलेप्पो | 15.27 |
| 5. | पुराक्कड के उत्तर में करूर में समुद्र कटाव रोधी कार्य––700 मीटर लम्बे कटे भाग में तात्कालिक सुरक्षा कार्य | अलेप्पो | 12.75 |
| 6. | थोटा पल्ली में समुद्र कटाव रोधी कार्य-स्पिलवे काट के उत्तर में वेसलाइन स्टोन | अलेप्पो | 8.96 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1 और 5 के बीच 0.224 से 1.006 किलोमीटर तक 762 मीटर लम्बी समुद्री दीवार की मरम्मत | | |
| 7. | वेलियाजोकल में 1500 मीटर की लम्बाई में समुद्र कटाव रोधी कार्य | अलेप्पो | 33.3 |
| 8. | रेअर अर्थ फैक्टरी--चावरा के सामने समुद्री दीवार | क्विलोन | 15.0 |
| 9. | अजोकल तट की सुरक्षा के लिए 450 मीटर लम्बी वर्तमान समुद्री दीवार के विस्तार के रूप में 550 मीटर लम्बी समुद्री दीवार का निर्माण | कन्नानोर | 11.20 |

**अम्बत्तुर स्टेशन के रेलवे फाटक पर उपरि पुल**

2844. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन्** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिटीजन्स वेलफेयर एसोसियेशन अम्बत्तूर की ओर से अम्बत्तूर स्टेशन से पूर्व की ओर रेलवे फाटक पर उपरिपुल बनाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) और (ख) : दक्षिण रेल प्रशासन को सभापति, ग्राम पांडुनाल सेवासंगम शिवानन्दनगर, अम्बतुरे से एक प्रार्थना-पत्र मिला था जिसमें अम्बतुरे के निकट समपार पर ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था के लिए कहा गया था। उक्त पार्टी को सूचित किया गया था कि वे इस मामले को राज्य सरकार या स्थानीय निकाय के माध्यम से उठायें। इस बारे में अभी तक राज्य सरकार से न तो कोई सूचना ही मिली है और न उन्होंने समपार के बदले ऊपरी / निचले पुल के लिए कोई प्रस्ताव ही प्रायोजित किया है।

**सेंट थामस माउन्ट और मीनाम्बक्कम (दक्षिण रेलवे) के बीच एक स्टेशन का निर्माण**

2845. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन्** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे पर सेंट थोमस माउंट और मीनाम्बक्कम के बीच नन्गनल्लूर स्टेशन बनाने के लिये बहुत समय पहले सर्वेक्षण कराया गया था;

(ख) क्या दक्षिण रेलवे मद्रास के महाप्रबन्धक ने सर्वेक्षण प्रतिवेदन का अध्ययन करने के पश्चात् उनके मंत्रालय को वहाँ स्टेशन की आवश्यकता के बारे में सूचना दी थी; और

(ग) यदि हाँ, तो निर्माण कार्य आरम्भ करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ग)** : सेंट थामस माउंट और मीनाम्बक्कम स्टेशनों के बीच एक नया स्टेशन खोलने के प्रस्ताव पर पहले विचार किया गया था लेकिन उसे व्यावहारिक नहीं पाया गया। रेल प्रशासन से नयी रिपोर्ट मिली है और उस पर विचार किया जा रहा है।

**दक्षिण रेलवे पर सोडा वाटर के स्टालधारियों से वसूल किये जाने वाले लाइसेंस में वृद्धि**

2846. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन्** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के मद्रास बीच ताम्बरम सैक्सन के स्टेशनों पर सोडा वाटर होलडरों पर वर्ष 1968 से 1970 तक वर्ष वार कितना लाइसेंस शुल्क लगाया गया;

(ख) क्या गत दो वर्षों में लाइसेंस शुल्क बढ़ाकर दुगना कर दिया गया है;

(ग) क्या इस महीने लाइसेंस शुल्क में पाँच गुनी वृद्धि की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस वृद्धि के क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : (क) मद्रास बीच-ताम्बरम खण्ड के स्टेशनों पर स्थित सोडा वाटर स्टालों पर 1968 से 1970 तक के बीच प्रत्येक वर्ष कुल 8,295 रुपये लाइसेंस शुल्क वसूल किया गया।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं, सिवाय ताम्बरम स्टेशन के फल और सोडावाटर के मिले-जुले स्टाल को छोड़कर जिसके लिए 1–4–71 से लाइसेंस शुल्क 600 रुपये से बढ़ाकर 2750 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया।

(घ) रेलवे खान-पान और यात्री सुविधा समिति, 1967 की एक सिफारिश में यह कहा गया था कि खान-पान/खोमचे के ठेकेदारों से उगाहा जाने वाला लाइसेंस शुल्क बिक्री पण्यावर्त्त के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसका मूल्यांकन आवधिक रूप से किया जाना चाहिए। अतः इस खण्ड के स्टेशनों पर बिक्री पण्यावर्त्त के 2½ प्रतिशत के आधार पर लाइसेंस शुल्क में संशोधन करने का निश्चय किया गया है।

**उत्तर बंगाल, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में बिजली की कमी**

2847. **श्री अजित कुमार साहा**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उत्तर बंगाल मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा समेत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए उक्त क्षेत्रों में बिजली की किन्हीं योजनाओं पर विचार कर रही है;

(ख) क्या जलढाका पनबिजली घर जो उस क्षेत्र में बिजली का एक महत्वपूर्ण स्रोत है मानसून के दौरान बंद रहता है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)** : (क) : चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित विद्युत् उत्पादन स्कीमों को कार्यान्वयनार्थ हाथ में लिया गया है :

| | | |
|---|---|---|
| (1) | (1) उत्तरी बंगाल में चम्परामारी में पैकेज ताप संयंत्र | 6 मैगावाट |
| | (2) किरडमकोलाई जल विद्युत् परियोजना (मेघालय) | 2 × 30 मैगावाट |
| | (3) नामरूप विद्युत् केंद्र (मेघालय) में ताप विस्तार | 30 मैगावाट |
| | (4) लोकतक जल विद्युत् परियोजना (मणिपुर) | 2 × 35 मैगावाट |

(5) गुमटी जल विद्युत् परियोजना (त्रिपुरा) 2×5 मैगावाट

इन स्कीमों के अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड/बिहार राज्य बिजली बोर्ड से उत्तरी बंगाल/उत्तरी बिहार में 240 मैगावाट की क्षमता के एक ताप विद्युत् केंद्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और केंद्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में इनकी जाँच हो रही है।

**(ख) और (ग)** : 1969 और 1970 की मानसून ऋतु के दौरान, इनटेक, हेडरेस टनल और पेनस्टाक में रेत, कीचड़ और मलबा भारी मात्रा में जमा हो जाने के कारण, जलढाका जल विद्युत् परियोजना को बन्द कर देना पड़ा। संयंत्र और उपस्कर को गंभीर क्षति से बचाने के लिए विद्युत् केंद्र को बन्द कर देना पड़ा। इसके अतिरिक्त बाढ़ों के उतरते समय, चूंकि बराज पूर्ण नहीं हुआ था, पानी इनटेक से परे, बराज के उस हिस्से से निकल जाता था जो कि बना हुआ नहीं था। अब चूंकि बराज पूरा हो गया है, ऐसी घटना दोबारा नहीं घटेगी।

**Delay in Transportation of Foodgrains due to shortage of Wagons**

S. N. Q. No. 3. **Shri Jagannath Rao Joshi**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether transportation of foodgrains in Madhya Pradesh, Punjab, Haryana and Rajasthan is being delyed considerably due to the non-availability of Railway wagons and heavy losses are feared due to approaching rainy season ; and

(b) if so, the remedial steps taken in this regard ?

**The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya)** : **(a) and (b)** : Railways always attach utmost importance to the movement of foodgrains. There has been an appreciable increase in the quantum of indigenous foodgrains, including pulses, moved by rail as will be evident from the figures furnished in the following table :

| Year | (in million tonnes) Quantum of indigenous foodgrains including pulses despatched by rail |
|---|---|
| 1967-68 | 7.92 |
| 1968-69 | 11.61 |
| 1969-70 | 12.52 |
| 1970-71 | 13.03 |

2. During the current year, the Food Corporation of India have furnished a programme for movement of 17.42 lakh tonnes of foodgrains from April to July 1971 (including) from Punjab and Haryana to various deficit States. In spite of various limitations and difficulties which are beyond the control of the Railways, such as, heavy concentration of loading for destinations in West Bengal, dislocations in train services in the Eastern sector due to various anti-social activities and slow release of loaded wagons at terminals, steps have been taken to maximise despatches of foodgrains from Punjab and Haryana. During the period 1st April to 10th June, 9.32 lakh tonnes of foodgrains have been railed from Punjab and Haryana as compared to 7.22 lakhs tonnes during corresponding period of last year. This is in addition to 1.93 lakh tonnes of foodgrains despatched on trade account from Punjab and Haryana. Thus, during the Rabi season this year, from 1st

April to 10th June, a total of 11.25 lakh tonnes of foodgrains both on Government and trade account have been carried by rail from Punjab and Haryana as against 10.75 lakh tonnes during the corresponding period of last year.

3. Rice procured by the Food Corporation of India is offered for despatch from Madhya Pradesh to deficit States like Kerala, West Bengal, Maharashtra etc. Movement is arranged according to the programme furnished by the Food Corporation and wagon supplies are arranged in item 'B' priority. In spite of suspension of movement to Kerala and Tamil Nadu during January and February, 1971 for want of storage accommodation and slow release of loaded wagons at terminals, efforts have been made to maximise despatches of rice from Madhya Pradesh during the current year. During the period 1st January to 31st May 1971, 10,610 broad gauge wgons were loaded with rice from Madhya Pradesh as against 7,995 wagons loaded during the corresponding period of last year.

4. Movement of wheat in Rajasthan is intra-State and no programme has been received from the Food Corporation of India. During the period 1st Janary to 7th June, 1971, 2,080 broad gauge wagons and 4,358 metre gauge wagons were loaded with sponsored foodgrains and outstandings were negligible. During the same period, 2,730 broad gauge and 2,723 metre gauge wagons were loaded with foodgrains on trade account agaist 380 broad gauge and 533 metre gauge wagons during corresponding period of last year.

---

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

## CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

**Shri Bibhuti Mishra** (Motihari) : Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent Public Importance and request that he may make a statement thereon :

"Reported air-dropping of Chinese literature, banners, garments, Torchlights, biscuits and transmitters for the Naxalites by a Chinese plane in the fields in Tidarampur and Palan villages in Monghyr district of Bihar last week."

**गृह-मंत्रालय और कार्मिक विभाग में मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)**: बिहार राज्य सरकार से प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले सप्ताह जिला मुंगेर के कुछ गावों में चीनी भाषा में कुछ साहित्य, गुब्बारों के कुछ टुकड़ें और अन्य वस्तुएं मिली थीं। इसी प्रकार की वस्तुएं राज्य के पालामऊ, पूर्निया और भागलपुर जिलों में भी मिलीं थीं प्रारंभिक जाँच से मालूम हुआ है कि यह साहित्य कुओमित्तांग का है। रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि इन दिनों में किसी भी विदेशी विमान का आना हमारी राडार व्यवस्था से मालूम नहीं हो पाता। जाँच की जा रही है और पायी गई विभिन्न वस्तुओं की विशेषज्ञों द्वारा जाँच की जा रही है।

**Shri Bibhuti Mishra** : It has been stated that no movement of foreign aircraft had been picked up by our radar. But on the contrary it appeared in the newspaper that "villagers who saw the air-dropping told the police that they saw the plane." It has also been stated in this House that preliminary examination shows that the literature is of Kuomintang origion. Whereas when the incident was discussed in Bihar Legislative Assembly the Chief Minister admitted that there was air-dropping of some powerful Chinese transmitters along with thousands of Maoist leaflets." It would have been better that enquiries should have been made from the public. There can be a possibility that our radar may not be so powerful to pick up the air-craft or some person may have hired Indian air-craft used that for this purpose.

Government has relied on the report of the Defence Ministry. But may I know what are the reports of Central Intelligence Departments as well as State Governments in

this regard. Government should also set up powerful radars on the borders so that no air-craft could enter our borders without being detected. Government should realise the seriousness of the problem and take effective counter steps.

**Shri Ram Niwas Mirdha** : Such matters had been raised earlier also in this House. As I have already stated that the Chinese literature appears to have been originated from Kuomintang. These balloons are directed towards Main land China but due to change in the direction of winds they came to our country. The literature contained in these balloons is anti-Mao and batteries and other articles are of U. S. A. origin.

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (अलीपुर) : इस संबंध में मैं एक-दो बातें जानना चाहता हूँ। जिस स्थान पर यह वस्तुएं पायी गई हैं वह स्थान भारत नेपाल सीमा से कितनी हवाई-दूरी पर है संभव है कि हवाई जहाज यदि कोई था, तो उसने वहाँ से उड़ान की हो। किसी भी हवाई जहाज के लिए राडार की पकड़ से बचना तो बहुत ही आसान है। समाचार पत्रों में ट्रांसमीटरों के गिराये जाने के भी समाचार हैं। उनमें यह भी बताया गया है कि जहाँ अन्य वस्तुएं वापस ढूंढ़ ली गई हैं ट्रांसमीटरों को नहीं ढूंढ़ा जा सका। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाये।

यह भी कहा गया है कि साहित्य चीनी भाषा में है। इस संबंध में समाचार पत्रों में लिखा है कि विहार विधान सभा में एक सदस्य ने इन पर्चों का एक बण्डल सभा में पेश किया था। अब जब की वे पर्चे सरकार के पास हैं तो, सदन को बताया जाये कि उनमें क्या लिखा हुआ था।

हम सब जानते हैं कि इस समय भारत नेपाल सीमा पर तस्कर व्यापार चल रहा है। क्या यह संभव नहीं हो सकता कि इस सब का मूल तस्कर कार्यवाहियाँ हों? सदन को यह भी बताया जाये कि इस संबंध में किसके द्वारा जाँच की जा रही है?

**श्री राम निवास मिर्धा** : राज्य सरकार द्वारा इस विषय में जाँच की जा रही है। अतः पर्चों में क्या लिखा है इसके बारे में अभी कुछ भी बताना संभव नहीं है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार इस साहित्य का स्रोत कुप्रोमिन्तांग है। राज्य सरकार से हमें केवल प्रारंभिक रिपोर्ट ही प्राप्त हुई है अतः यह नहीं कहा जा सकता कि क्या क्या वस्तुएं गिराई गई थी और उनमें ट्रांसमीटर भी सम्मिलित थे अथवा नहीं।

**Dr. Laxmi Narain Pandey** (Mandsaur) : Such incidents of air-droppings have happened earlier also. May I know whether our Radar system is so useless that it cannot pick up foreign air-crafts ? How Government propose to check the recurrence of such incidents ?

Moreover we have a vast Coastline . Has the Government considered the possibility of such material coming through sea. Whaterver has been stated in this statement had already been stated in Bihar Assembly. May I know why Government could not make any further enquiry between 18th to 20th of June about air-dropped materials ?

**Shri Ram Niwas Mirdha** : It is a fact that, this Chinese literature has been found in Rajasthan, Madhya Predesh and in other states. Investigations are being conducted and it appears that these articles were not air-dropped but these have come in balloons and this literatures does not appear to be connected with Naxalites or other similar activities.

**श्री बालतन्डायुतम** (कोयम्बटूर) : यह बड़ी अजीब बात है कि जब समाचार पत्रों में स्वर्ण बिस्कुटों, नायलोन के कपड़ों ट्रांसमीटरों आदि का समाचार है तो सरकार स्पष्ट रूप से यह बता सकने में क्यों असमर्थ है कि क्या क्या वस्तुएं गिराई और पाई गई और क्या उनमें ट्रांसमीटर

भी थे अथवा नहीं। सरकार ट्रांसमीटरों के बारे में विशेष रूप से स्थिति स्पष्ट करे कि वह भी गिराय गय थे अथवा नहीं।

दूसरे यह कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा जाँच की जा रही है। इसके अतिरिक्त राज्य के मुख्य मंत्री ने यह भी बताया है कि यदि आवश्यक हुआ तो जाँच में केन्द्रीय सरकार की सहायता ली जायेगी। आप अभी तक उन पर्चों के विषय का ही अनुवाद नहीं कर सके। जब यह बताया जा सकता है कि ये कुप्रोमितांग के है तो यह भी बताया जाये कि इन पर्चों का विषय क्या है। इन छोटी छोटी बातों को भी सदन से छुपाया जा रहा है। क्या केन्द्रीय सरकार इस सारी स्थिति को स्पष्ट करेगी और जाँच का कार्य राज्य सरकार से अपने हाथ में लेगी ?

**श्री राम निवास मिर्धा** : सरकार इस मामले में पूर्णतया गंभीर है और न ही इसमें सदन से छुपाने की कोई बात है। वस्तु स्थिति यह है कि जब पुलिस उस स्थान पर पहुँची तो ग्रामीण लोग अधिकतर चीजें उठा कर ले जा चुके थे। अब उन्हें वापस ढूंढा जा रहा है। बिहार सरकार यह जाँच कर रही है कि क्या क्या और कितनी चीजें गिराई गई थीं। जब जाँच पूरी हो जायेगी तो हमें पता लग जायेगा कि क्या क्या वस्तुएं गिराई गई थीं। प्रारम्भिक जाँच से हमने पाया है कि ये पर्चे कुप्रोमिन्तांग चीन के है और यदि सदन चाहे तो उनका अनुवाद भी करवाया जा सकता है।

**श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** (जालोर) : अध्यक्ष महोदय यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। मैं इस पर्चे का अनुवाद सदन के समक्ष पढ़ कर सुना सकता हूँ। यह बहुत ही दुख की बात है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर गंभीरता से नहीं दिया जाता। सबसे पहले राजस्थान के जलोरिया जिले में बदरूजन के निकट चीनी भाषा के पर्चे तथा ट्रांसमीटर गिराया गया था और अब यह घटना बिहार में हुई है।

रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार किसी भी विदेशी विमान के उस क्षेत्र में आने की घटना हमारे राडार पर पता नहीं लगी। परंतु मेरी सूचना यह है कि मई मास में दो सप्ताह से अधिक अवधि के लिए हमारा एक शक्तिशाली राडार खराब रहा था यदि यह सत्य है तो यह नहीं कहा जा सकता कि राडार से किसी भी विदेशी विमान के आने का पता नहीं चला। मंत्री महोदय इस बात की जाँच करके सभा में बतायें कि क्या वस्तुतः हमारा एक राडार खराब था या नहीं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस बात की भी जाँच की जाये कि साहित्य तथा कपड़े आदि गिराने के पीछे कोई छिपा अर्थ न हो।

**श्री राम निवास मिर्धा** : सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये चिंताजनक विचारों से सरकार सहमत नहीं है। चीनी भाषा के इन पर्चों का विषय माओ-समर्थक नहीं है। इनके गिराने के लिए कोई विमान नहीं आया है। हमें इतना विश्वास है कि अपनी सीमाओं पर हमने जो प्रबन्ध किये हैं उनके कारण न तो कोई ऐसी घटना हो सकती है और न ही हुई है।

---

## दिनांक 22 जून, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 640 के उत्तर में शुद्धि
## CORRECTION OF ANSWER TO STARRED QUESTION NO. 640 DATED 22-6-71

**अध्यक्ष महोदय** : रेल मंत्री, श्री हनुमन्तैया ने पत्र द्वारा मुझे सूचित किया है कि उन्होंने तारांकित प्रश्न संख्या 640 के उत्तर के स्थान पर तारांकित प्रश्न संख्या 643 का उत्तर पढ़ दिया था। वह उस उत्तर को अब ठीक करना चाहें तो अब कर दें अन्यथा बाद में।

**रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया)** : मैंने गलती से इसे 643 सुना और उसका उत्तर पढ़ दिया। मैंने जानबूझ कर ऐसा नहीं किया ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप अगली बार इसे ठीक कर दें। हम बाद विवाद में प्रश्न सं० 640 का ही उत्तर रख देंगे।

---

## सभा पटल पर रखे गये पत्र
## PAPERS LAID ON THE TABLE

**मैसूर आवास बोर्ड (संशोधन) नियम निर्माण तथा आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल)** : मैं, श्री उमा शंकर दीक्षित की ओर से मैसूर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 27 मार्च, 1971 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित मैसूर आवास बोर्ड अधिनियम, 1962 की धारा 75 के अन्तर्गत, मैसूर आवास बोर्ड (संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो मैसूर राजपत्र दिनांक 27 फरवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 61 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 481/71]**

**मैसूर न्यायालय फीस और बाद मूल्यांकन (संसोधन) अधिनियम**

**विधि और न्याय मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी)** : मैं मैसूर राज्य के सम्बंध में राष्ट्रपति द्वारा 27 मार्च, 1971 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित मैसूर न्यायालय फीस और बाद मूल्यांकन अधिनियम, 1958 की धारा 78 की उपधारा (3) के अन्तर्गत मैसूर न्यायालय फीस और वाद मूल्यांकन (संशोधन) नियम, 1970 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 27 अगस्त, 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 297 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 482/71]**

**विनियोग लेखे (रक्षा सेवायें) तथा (सिविल)**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हू :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति:—

(एक) वर्ष 1969–70 के केन्द्रीय सरकार के विनियोग लेखे (रक्षा सेवाएं) पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 490/71]**

(दो) वर्ष 1969–70 के केन्द्रीय सरकार के विनियोग लेखे (सिविल) पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 491/71]**

(2) वर्ष 1969–70 के रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे की एक प्रति तथा उसका वाणिज्यिक परिशिष्ट (हिन्दी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 492/71]**

(3) वर्ष 1969–70 के विनियोग लेखे, (सिविल) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 493/71]**

## निर्वाचन विधियां संयुक्त समिति की नियुक्ति
## ELECTION LAWS, APPOINTMENT OF JOINT COMMITTEE

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी)**: मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि ताराँकित प्रश्न संख्या 580 के 25 अगस्त, 1970 को दिये गये उत्तर के अनुपूरक प्रश्नों के दौरान लोक सभा में वाद-विवाद के संदर्भ में निर्वाचन विधि में संशोधन करने का प्रश्न, जाँच और प्रतिवेदन के लिये दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये और उसे एक महीने के अन्दर प्रतिवेदन देने को कहा जाये ;

कि समिति में 15 सदस्य होंगे, 10 इस सभा से, जो अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे और 5 राज्य सभा से, जो सभापति, राज्य सभा, द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे ;

कि यदि अध्यक्ष समिति का सदस्य बनने के लिये सहमत हों तो वह समिति के सभापति होंगे, अन्यथा, अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से एक सदस्य को समिति का सभापति नामनिर्दिष्ट करेंगे ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी ;

कि अन्य मामलों में इस सभा के संसदीय समितियों सम्बन्धी प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करना चाहें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा राज्य सभा के सभापति द्वारा संयुक्त समिति के लिये नाम-निर्दिष्ट किये गये 5 सदस्यों के नाम इस सभा को बतायें।"

**अध्यक्ष महोदय**: यह बिल्कुल वैसा ही संकल्प है जैसा कि गत् लोकसभा में पेश किया गया था। मेरे विचार में अध्यक्ष महोदय को इस समिति का सदस्य नहीं होना चाहिए। बहुत से विवादास्पद मामले उठ सकते हैं और अध्यक्ष के लिए इसका सभापति बनना परेशानी में पड़ना हो सकता है।

**Shri Attal Behari Vajpayee** (Gwalior) : Sir We wish that the Committee to suggest amendments in the election laws should be constituted by the Speaker. In United States, the Speaker constitutes such committee. We want the Speaker to be in the committee.

It is ridiculous to ask the committee to give its report within a month. It means that the Law Ministry is not serious about making any changes in the election law. The number of members from Lok-Sabha may be raised to 20 so that all parties and grants may have representation in it.

**श्री ज्योतिर्मय बसु** (डायमंड हार्बर) : प्रस्ताव में यह सम्मिलित किया जा सकता है कि यदि आवश्यकता पड़े तो प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

समिति में 20 सदस्य लोक सभा से दलों की संख्या के आधार पर लिये जाने चाहिये।

**विधि तथा न्याय मंत्री (श्री एम० आर० गोखले)** : सिद्धान्त रूप से इस सभा से 14

तथा राज्य सभा से 7 सदस्य रखने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पिछली समिति में भी यही स्थिति थी।

अधिक समय देने में भी सिद्धान्त रूप से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। निर्वाचन आयोग ने इस बारे में बहुत उपयोगी सिफारिशें की है। आयोग हम पर शीघ्र विधेयक प्रस्तुत करने के बारे में भी दबाव डाल रहा है, जिससे 1972 में विधान सभा के लिये होने वाले चुनावों में इस कानून को लागू किया जा सके आवश्यकता पड़ने पर यदि समिति का काम समाप्त नहीं हुआ तो समिति को अधिक समय दिया जा सकता है।

**श्री श्याम नन्दन मिश्र** (बेगूसराय) : अनुदानों की माँगों पर विचार करते हुए सदस्यों को इस विधान के लिये समय निकालना कठिन होगा।

**श्री एच० आर० गोखले** : मेरे से पहले के मंत्री महोदय ने समिति का गठन करने का आश्वासन दिया था। अतः इसे समिति के समक्ष रखना है। हम केवल यही चाहते हैं कि इसे शीघ्र निपटाया जाये।

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय सदस्यों की संख्या क्रमशः 14 और 7 बढ़ाने के लिये सहमत हो गये हैं। मामले पर पुर्नविचार करने के बाद भी मैं इस समिति का सदस्य नहीं बनना चाहता क्योंकि यह मामला विवादास्पद है।

ब्रिटिश हाउस आफ कामंस का उदाहरण दिया गया है। परन्तु वहाँ से यहाँ स्थिति भिन्न है।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : मैं समझता हूँ कि सभी दलों को प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से समिति की सदस्य संख्या 20 और 10 कुल 30 तक बढ़ा दी जानी चाहिये।

**श्री एच० आर० गोखले** : यदि दोनों सभाओं को मिला कर इसके सदस्यों की संख्या 21 हो जाती है, तो इसमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व मिल जायेगा। अध्यक्ष महोदय सभी को प्रतिनिधित्व देने का ध्यान देंगे।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : इस समिति के सदस्यों को इस सभा की संख्या के आधार पर नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि यहाँ निर्वाचन कानून को संशोधित करने का प्रश्न है। सत्तारूढ़ दल को यह दावा नहीं करना चाहिए कि उन्हें सभा में उनकी संख्या के अनुसार ही प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : संख्या 14 और 7 रहेगी। समय एक मास। परन्तु उसे आवश्यकता होने पर बढ़ाया जा सकेगा। यदि इसका आगामी चुनाव में उपयोग न हो सके तो इसका कोई अन्तर नहीं पड़ता है।

**श्री अटल बिहारी बाजपेयी** : सरकार को प्रतिवेदन पर विचार करके विधेयक प्रस्तुत करना है। अतएव एक मास की अवधि उपहासास्पद है।

**श्री एच० आर० गोखले** : आवश्यकता पड़ने पर समय बढ़ाने के बारे में विचार किया जा सकता है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं संकल्प संशोधित रूप में मतदान के लिय रखता हूँ। प्रश्न यह है :

"कि तारांकित प्रश्न सख्या 580 के 25 अगस्त, 1970 को दिए गए उत्तर के अनुपूरक प्रश्नों

के दौरान लोक सभा में वाद विवाद के संदर्भ में निर्वाचन विधि में संशोधन करने का प्रश्न, जाँच और प्रतिवेदन के लिए दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाय और उसे एक महीने के अन्दर प्रतिवेदन देने को कहा जाये ;

कि समिति में 21 सदस्य होंगे, 14 इस सभा से जो अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे और 7 राज्य सभा से, जो सभापति, राज्य सभा द्वारा नाम निर्दिष्ठ किये जायेंगे;

कि अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से एक सदस्य को समिति का सभापति नाम निर्दिष्ट करेंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या एक तिहाई होगी;

कि अन्य मामलों में इस सभा के संसदीय समितियों सम्बन्धी प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप भेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करना चाहें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा के उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा राज्य सभा के सभापति द्वारा संयुक्त समिति के लिए नाम निर्दिष्ट किये गये 7 सदस्यों के नाम इस सभा को बतायें।"

**संकल्प संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ**

**The motion of amendment was adopted.**

---

## दिल्ली सिख गुरूद्वारा (प्रबन्ध) विधेयक के बारे में सांविधिक संकल्प

## STATUTORY RESOLUTION Re. DELHI SIKH GURDWARAS (MANAGEMENT) BILL

**अध्यक्ष महोदय** : अब हम मद 8 और 9 को एक साथ लेते हैं।

**Shri Atal Behari Vajpayee** : 1 rise to move the following resolution.

"This House disapproves of Delhi Sikh Gurdwaras (Management) Ordinance, 1971 (Ordinance No. 9 of 1971) promulgaled by the President on the 20th May, 1971".

This ordinance was promulgaged on the 20th May and the Parliament was scheduled to meet on 24th May, Heavens were not going to fall if Government had waited for 4 days.

It is net understood why the Delhi Administration was notconsulted in this regard. The Metropolitan council is empowered to make laws on the subject transferred to it. It was necessary to consult the council under Article 22 of Delhi Administration Act, of 1966. The promulgation of this ordinance without consulting the Metro-politian council is against the laws passed by this Parliment, If this matter is taken to a Law court this House would be in difficulty.

It is stated in the Objects and Reasons of the Bill that as some people forcibly occupied gurdwara Sisgunj, a serious situation developed. But that was not the only occasion. On the 10th January, 1971, some people had occupied not only gurdwara Sisganj but also Gurdwara Rakabganj. But at that time the possission of these Gurdwaras were restoned to the Gurdwara Prabandhak committee with Police interforence. Why did the Government not issue an ordinance at that time. Prolbably the Government did not take that action then as the mid-term elections were to be hled shortly and the congress party hoped to get Sikh votes. But in May the situation has changed. In the corporation elections Sikhs did not support the congress. That provoked the Government to issue the ordinance.

It may be argued that the Government acted on the advice of the High Court. But the court also suggested to start proceeding under section 92 of the Civil Procedure Code. Why did the Government not accept that advice ? They accepted the alternative course because it suited them. That is why all the members of the committee are congressmen. Could not they get hold of any non-congress man ? Why Delhi Administration was not consulted before making these nominations.

I fail to understand why the Punjab Gurdwara Act, was not being enforced in Delhi, Why has the definition of a Sikh being changed ? Why the qualifications of the Members of the Board are being changed ? How long the system of nominations would continue and when the management of the Gurdwaras would be entrusted to thee lected representatives ?

**Mr. Speaker** : I would like you to examine clause 2 of Part B.

**Shri Atal Behari Vajpayee** : That pertains to the definition of a Sikh. I feel that complete definition has not been taken in the Bill.

The Law Minister should give an assurance that within theree months the management of Gurdwaras would be entrusted to the elected representatives."

**विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले)** : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"कुछ सिखगुरु द्वारों और गुरुद्वारा-सम्पत्ति के बेहतर प्रबन्ध की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

जैसा कि आपको विदित है यह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 123 के अन्तर्गत जारी किये गये अध्यादेश का स्थान लेने के लिये सभा के समक्ष लाया गया है।

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में 13 गुरुद्वारे हैं जिनका प्रबन्ध गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति दिल्ली द्वारा किया जाता है। उक्त समिति 1961 में गठित हुई थी। इसके कुछ सदस्य निर्वाचित और कुछ मनोनीत किये गये थे। समुदाय के व्यक्तियों ने समिति में असंतोष व्यक्त किया था। अतएव मामला न्यायालय में ले जाया गया। अतिरिक्त जिला और सैशन न्यायाधीश ने अप्रैल, 1967 में समिति के विधान को अवैध घोषित कर दिया था।

इस बीच निरंतर माँगें और आन्दोलन किये जाते रहे और यह माँग भी की गई कि शीघ्र ही समिति के नये चुनाव कराये जायें।

**अध्यक्ष महोदय** : निर्वाचन संस्था के सदस्यों द्वारा किया गया था।

**श्री एच० आर० गोखले** : विवाद होने पर मामला मध्यस्थ को सौंपा गया और मध्यस्थ ने इस समिति को नाम निर्देशित किया। गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति एक पंजीकृत संस्था है। इसके गठन से एक वर्ग असंतुष्ट था और इसके प्रबन्ध में पूर्ण रूप से परिवर्तन की माँग कर रहा था।

इसके बाद 10 जनवरी, 1971 को भूतपूर्व संसद सदस्य श्रीमती निरलेष कौर द्वारा दिल्ली में बनाये गये गुरुद्वारा सुधार मोर्चा के कुछ सदस्यों ने गुरुद्वारा सीसगंज तथा गुरुद्वारा बंगला साहेब पर, वहाँ के सेवा दारों के देखते देखते, कब्जा कर लिया। पुलिस ने उन्हें हटा दिया और तब यह आशा की गई थी कि इस तरह की घटना पुनः नहीं होगी। परन्तु 6 मई, 1971 को कुछ महिलाओं सहित सिखों के जत्थे ने गुरुद्वारा सीसगंज पर पुनः जबरदस्ती कब्जा कर लिया। गुरुद्वारा बन्द हो जाने से अनेक सिख भक्तों को असुविधा होने के अतिरिक्त कानून और व्यवस्था की गम्भीर स्थिति पैदा हो गई थी। इस घटना के पश्चात् सिख समुदाय में भारी रोष व्यापत हो गया और निरन्तर यह माँग की जाती रही कि सरकार को कुछ ठोस कार्यवाही करनी चाहिए।

यह एक संगत प्रश्न है तथा उसका मेरे पास बहुत ही उचित उत्तर है। उच्च न्यायालय में बहुत सी अपीलें अनिर्णीत है। यह तय करना न्यायालय का काम है कि मध्यस्थ द्वारा समिति का गठन करना वैध है अथवा नहीं। क्योंकि यह सब मामला न्यायालय के समक्ष था इसलिए राष्ट्रपति ने अध्यादेश लागू किया।

17 मई, 1971 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि सिख समुदाय के दो गुटों में इस प्रकार का झगड़ा अवांछनीय है। समझौते के सभी प्रयत्नों के विफल हो जाने पर उच्च न्यायालय ने दो विकल्प सुझाए जिससे स्थिति और न बिगड़े। पहला विकल्प था धारा 92 के अन्तर्गत दीवानी अदालत में मुकदमा चलता। और यदि फिर भी दोनों पक्ष अपने मतभेद समाप्त करने में असफल रहें तो सरकार को चाहिए कि वह तत्सम्बन्धी कानून बनाए। पर क्योंकि कानून और व्यवस्था की समस्या सामने थी उसे और अधिक बिगड़ने नहीं दिया जा सकता था, अतः स्थिति को देखते हुए सबसे उत्तम यही समझा गया कि अध्यादेश लागू कर दिया जाये और वह लागू कर दिया गया।

अध्यादेश लागू करने के तीन मुख्य कारण थे पहला तो यह कि गुरुद्वारों में कुप्रबन्ध था, दूसरा कानून और व्यवस्था की स्थिति का बिगड़ना तथा तीसरा कारण था अकस्मात पैदा हुई स्थिति। इन सबने सरकार को तुरन्त अध्यादेश लागू करने को प्रेरित किया।

यह कहा गया है कि महानगर परिषद से कोई सलाह इस सम्बन्ध में नहीं ली गई। इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि पहले तो उन दिनों महानगर परिषद की बैठक नहीं हो रही थी तथा दूसरे राष्ट्रपति को संसद की बैठक न होने की स्थिति में भी इस प्रकार अध्यादेश लागू करने का अधिकार है। इसलिए आपात स्थिति में अध्यादेश लागू करने के राष्ट्रपति के अधिकार को मैं समझता हूँ कोई नहीं मानेगा।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : परन्तु कार्यकारी परिषद से परामर्श किया जा सकता था।

**श्री एच० आर० गोखले** : दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 की धारा 22 में ऐसा परामर्श करने का विधान है। मैंने उसका बड़ी सावधानी से अध्ययन किया है और यह पाया है कि राष्ट्रपति ऐसा परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसी कोई शर्त भी इसमें नहीं है कि परामर्श किए बिना ही कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। महानगर परिषद को निःसन्देह यह अधिकार है कि वह अध्यादेश आदि पर चर्चा करे और अपनी सिफारिशें पेश करे। अध्यादेश लागू होने और इस विधेयक के आने के बीच उसे पर्याप्त समय मिला है, और यदि वह वास्तव में इस सम्बन्ध में गम्भीर है तो उसने अब तक अपने इस अधिकार का उपयोग क्यों नहीं किया। अब इस बात की शिकायत करना निराधार है और राष्ट्रपति अथवा सरकार पर परामर्श न देने का आरोप लगाना ठीक नहीं है।

इसके अतिरिक्त मैं सदस्यों को यह बता दूं कि संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम की धारा 18 की उपखण्ड (2) में यह व्यवस्था है कि विधान सभा के होते हुए भी, दिल्ली में तो विधान सभा भी नहीं है—संसद संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में कानून बना सकती है। पर मैं यह बता दूं कि महानगर परिषद को नजर अन्दाज करने की न हमारी इच्छा रही है, न है और न भविष्य में रहेगी। आपात स्थिति को देखते हुए ही ऐसा किया गया था। यदि सामान्य स्थिति होती तो मामला पहले के समान महानगर परिषद को भेजा जाता।

यह आरोप भी लगाया गया है कि इसके द्वारा सिखों के धार्मिक कार्य कलापों में हस्तक्षेप किया गया है। पर यदि विधेयक को भलि भांति पढ़ा जाये तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो सिखों के धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करे, वह नितान्त धर्म निर्पेक्ष है और उसका सम्बन्ध केवल गुरुद्वारों के प्रबन्ध मात्र से है।

यह भी कहा गया है कि इस विधेयक में सिख धर्म की व्याख्या धार्मिक ग्रन्थों के आधार पर नहीं की गई है। विधेयक में यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की घोषणा करनी होगी कि वह सिख धर्म को मानता है तभी वह बोर्ड का सदस्य बन सकता है। ऐसे कानूनों के भी उदाहरण हैं जहाँ गैर सिख भी सिख गुरुद्वारों के प्रबन्ध मण्डल के सदस्य बनाए गये हैं। पर यहाँ यह ध्यान रखा गया है कि कोई गैर सिख बोर्ड का सदस्य न हो सके।

यह आरोप भी लगाया गया है कि वे सभी काँग्रेसी हैं। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी सदस्य बोर्ड में रखे गये हैं वे सिख समुदाय के सदस्यों से परामर्श करके रखे गये हैं और वे सबको मान्य हैं। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई आपत्ति हो सकती है, पर प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्न करना किसी के लिये भी सम्भव नहीं है और मैं यह बताने में असमर्थ हूँ कि अन्य सब सदस्य काँग्रेसी है। पर सदस्यों के चुनाव के लिए यह मापदण्ड उपयोग में नहीं लाया गया है।

यहाँ हमने यथा सम्भव यह प्रयत्न किया है कि गैर सिख बोर्ड का सदस्य न बनाया जाये। फिर यह कानून कोई स्थायी कानून नहीं है यह तो वर्तमान स्थिति का सामना करने के लिए बनाया गया है। अन्ततः सिखों को ही अपने सदस्यों को बोर्ड में रखना है और इसके लिए हम उचित समय में कानून बनायेंगे। इसके लिए समय सीमा निर्धारित करना भी असम्भव है। इसके लिए हम पहले बोर्ड की सिफारिश मांगेंगे अन्य सुझाव भी माँगे जायेंगे तथा सभी सुझावों और सिफारिशों पर विचार करके सिखों को प्रतिनिधित्व देने सम्बन्धी स्थायी कानून सदन के सम्मुख लाया जायेगा। मैं समझता हूं कि मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है।

**Shri Darbara Singh** (Hoshiarpur) : Promulgation of the Ordinance was necessary and it has been promulgated at the right moment. Before this there was a legislation under Companies Act. Unfortunately there has been always a quarrel beween the two rival groups over the management of Gurdwaras. As the House knows these gurdwaras get plenty of money and the various grops had utilized this money and the Gurdwaras for the political ends. No body knows from where this money comes and how it is used.

It has been said why this Ordinance has been brought in such a haste. Why the Mehtropolitan Council or Executive Council was not consulted. For this my reply is that when the situation of law and order was deteriorating it was not possible to consult any body. If it would have been done the situation might have become worse. More over Metropolitan Council was not in session and under the circumstances it was not conect to wait for its session. There was a big gap between the ordinance and this bill but Mehtropolitan Council did not come to give its suggestion in this regard and it is not obligatory on the part of the Government to ask its suggestions and objections.

The persons who have got their control are Gurdwaras one of feudalistic tendency. They are using these Gurdwaras for the fulfilment of their political motives. What I want to say is this that the control of these gurdwaras should be in the hands of religious persons. They should keep politics and religion apart.

Sikh population of Delhi is very happy over this action of the Government. All the persons nominated in the Board are honest and well known. They are capable

of doing their work efficiently and honestly. There has been a saving of Rs. one lakh and thirty four thousand, which never happened in past. Promulgation of ordinance was quite right and it was promulgated at the right time. No doubt there are some defects in the ordinance but they can be improved in the permanent legislation. The definition of Sikh given in the Bill is absolutely correct.

There should be thorough inquiry of the corruption and misuse of the money of the Gurdwaras.

I want that this type of legislation should also be brought in respect of the Gurdwaras of Punjab.

**Shri Bhan Singh Bhaura** (Bhatinda) : Promulgation of Ordinance is good step to end the quarrel between the two groups of Sikhs. But I would like to say one thing that even now feudalistic persons have been nominated in the Board. It is quite against the teachings of Sikhism.

[ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR ]

If two members from Par iament and one from Metiopolitan Council would have been taken then Shri Vajpayee would have not the opportunity of raising any obection against the fomation of the Board.

Government should also see towards the Gurdwaras of Punjab, where they are in the hands of Mahants not in the Sikhs. There should also be elections there and board should be replaced by elected persons. Religion and politics should be separated. I know that gurudwaras are being used for political purposes . If it is not done then I think the sanctity of the gurudwaras cannot be maintained.

With these worlds I support the ordinance.

**Shri Sahpta Kapoor** (Patiala) : I support the step taken for ending corruption in the gurudwaras of Delhi.

After the promulgation of this ordinance the income of the Gurudwaras of Delhi have risen from Rs. 2½ lakhs a month to Rs. 6 lakhs. This means an income of Rs. 70 lakhs per year. is increased.

Sardar Ranijit Singh is an honest man. He has been member of Constituant Assembly and member of first second and third Lok Sabha.

Such steps should also be taken in respect of the Gurudwaras of Punjab, because they are Centres of all sorts of Crimes. They give shelter to criminals and because police cannot enter in gurudwaras they are safe there. This situation should end. For that Parliament 'should take steps as it has taken in the cae of Delhi, because the people there will not and cannot do anything except blaming each other.

**Shri Mohinder Singh Gill** (Ferozapore) : The Gvernment of India deserves Congratulation, for the steps taken by it in respect of the management of Gurdwaras of Delhi. The Sikh devotees were really full of sorow at the unfortunate closure of the Siesganj Gurdwara. The Government has taken a right step. In fact this step should have been taken earlier. The Government should enact a law in respect of all the Gurdwaras in the country. The communal parties like Tana Sangh and Akali Dal have flared up the situation in India. By taking possession of Gurdwaras, the Akali Dal has insulted the Sikh religion and the Historians will not absolve it of this charge. the condition of Gurdwaras in Punjab is most deplorable. They are being used by goondas and smugglers. All such elements can enter the gurdwaras but the Police cannot enter there. People have lost faith in religion so much so that they do not feel like visiting the Gurdwaras. An

All India Act should be enacted for these Gudwaras. Jathedars and Mahants should be removed from the Gurdwaras of Punjab. Jalthedar Santokh Singh's Committee used to have an annual budget of 35 lakh rupees-but now the Board has shown a collection of more than one lakh rupees within one week. From where this money has come ? The Government has taken a right step in this direction. I am of the view that early steps should be taken by the Government. for holding elections so that proper persons may come forward to look after the affairs of the gurdwaras.

**विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले)** : विधेयक के समर्थन में मुख्य बातें मैं अपने प्रारम्भिक भाषण में बता चुका हूँ। इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही को दिल्ली के सिखों से व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ है। यह कदम सिख समुदाय से सलाह कर के उठाये गये हैं। यह केवल अस्थायी कार्यवाही है। गुरुद्वारों के चुनाव कराने को कोई नियमित तरीका नहीं था। जब नई कार्यवाही की जायेगी तो उनके चुनावों की व्यवस्था की जायेगी। गुरुद्वारों का अधिकार स्थायी रूप से बोर्ड को सौंपने का सरकार का विचार नहीं है। इसका उद्देश्य यही है कि सिख सम्प्रदाय उक्त बोर्ड के प्रबन्ध के लिये स्वयं अपने सदस्यों का चुनाव करे। इस उद्देश्य की तभी पूर्त्ति होगी जब नये उपायों को कार्य रूप दिया जायेगा। ऐसा करना न केवल कानूनी तौर पर आवश्यक था बल्कि कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये भी ऐसा करना अनिवार्य था।

**Shri Atal Bihari Vajpayee** (Gawalior) : The ruling party has done nothing praiseworthy by nominating only their own members on the Board.

It has been stated that there is nothing but corruption in the management of Gurdwaras. Several examples of corruption have been given. But since when this kind of corruption is going on? It has been there for the last so many years. Why did the Government not interfere earlier ?

In fact the Government did not like to take action so long as one who had intimate association with their own party was there. As soon as he left them, he became a bad man and all sort of charges were levelled against him. This attitude must be changed. Decisions should be taken on the basis of qualites of a man and not on political grounds. The Congress Party took action only when its own interests were jeopardised.

No body wants that the money of the Gurdwaras shoud be misused. Every body wants that the sanctity of the Gurdwaras should be maintained

The hon. Minister has stated that when the Parliament and the Metropoliatn Council of Delhi are not in Session, the President can issue an ordinance. But he should make such legislation for future that the rights of Delhi Metropolitan. Council may not be curtailed. If it is done, it will be a violation of the law enacted by the Parliament.

I hope that the hon. Minister will keep his promise to hold early elections. The present nominated board should not go on indefinitely.

Efforts are being made to bring their own men on the board. Hon. Minister has admitted that it is only a temporary measure. But in the new law, provision of election should be there and changes should not be made in its difinition so that the Sikh Community may not have complaints.

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 20 मई, 1971 को प्रख्यावित दिल्ली गुरुद्वारा (प्रबन्ध) अध्यादेश, 1971 (1971 का अध्यादेश संख्या 9) का निरनुमोदन करती है।"

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।**

**The Motion was adopted.**

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कुछ सिख गुरुद्वारों और गुरुद्वारा सम्पत्ति के बेहतर प्रबन्ध का उपप्रबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रुप में, विचार किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The Motion was adopted.**

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम खंडवार चर्चा करेंगे। मैं सब खंडों को एक साथ रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 20, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नान विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The Motion was adopted.**

**खंड 2 से 20 खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।**

**Clauses 2 to 20, Clause 1, the Enacting Formula and the title were added to the Bill.**

**श्री एच० आर० गोखले** : : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The Motion was adopted.**

---

## मैसूर राज्य विधान मन्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक

## MYSORE STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैसूर राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक पर चर्चा की जायेगी।

**गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहसिन)** : मैं श्री कृष्ण चन्द्र पन्त की ओर से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

"कि राष्ट्रपति को मैसूर राज्य के विधान मंडल की विधियाँ बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

सदन को इस बात की जानकारी है कि मैसूर राज्य के बारे मे राष्ट्रपति ने 27 मार्च, 1971 को यह घोषणा की थी कि राज्य विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद् द्वारा किया जायेगा या वे शक्तियाँ उसके अन्तर्गत आ जायेंगी। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य के, सम्बन्ध में विधियाँ बनाने की विधान मण्डल की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करना है। यह सामान्य प्रणाली है और इसीलिये विधेयक प्रस्तुत किया गया है। मैसूर राज्य के बारे में कानून बनाते समय सलाहकार समिति से, जिसमें संसद के सदस्य होंगे, परामर्श किया जायेगा। इस बात की भी व्यवस्था की जा रही है कि संसद् को राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये कानून में संशोधन करने के अधिकार दिये जायें। मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि वह विधेयक को पारित करे।

*श्री मनोरंजन हाजरा (आरामबाग) : सदन में बंगला भाषा का अंग्रेजी में साथ साथ अनुवाद करने की व्यवस्था के आरम्भ किये जाने के लिये मैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को धन्यवाद देता हूं। लेकिन इस सम्बन्ध में पूरी व्यवस्था नहीं की गई है। उक्त सुविधा की प्रश्न काल में भी व्यवस्था की जानी चाहिये।

इस विधेयक से केन्द्रीय सरकार की राज्य सरकारों को उनकी शक्तियों से वंचित करने की प्रवृत्ति का बोध होता है। उड़ीसा, गुजरात बिहार, पंजाब और मैसूर में केन्द्रीय शासन का अनुभव हुआ है। संघ राज्य क्षेत्र मनीपुर में भी इसी प्रकार के नियम लागू किये गये हैं। इससे यह विदित हो जाता है कि केन्द्रीय सरकार की राज्यों के अधिकार प्राप्त करने की प्रवृति बढ़ती जा रही है।

मैसूर राज्य में जो कुछ भी हुआ है उसके लिये श्री धर्मवीर जिम्मेदार हैं और इनके कार्य के बारे में हमें पश्चिम बंगाल में भी अनुभव हो चुका है। हम सबको इस बात की जानकारी है कि वे राज्य सरकारों को बेईमानी से तोड़ने में विशेषज्ञ हैं। यह प्रणाली लोकतन्त्र के लिये खतरनाक है। वर्तमान सत्तारूढ़ दल श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में विभिन्न राज्य सरकारों को गिराने का प्रयास कर रहा है। केरल राज्य में भी इसी प्रकार सरकार को गिराने का प्रयास किया गया था। अब उन्होंने दल बदलुओं की सहायता से राज्य सरकारों को गिराने का षडयंत्र किया है। उनका वास्तविक उद्देश्य राज्यों का प्रशासन केन्द्र द्वारा चलाने से है। सत्तारूढ़ दल द्वारा राज्य सरकारों को बार-बार गिराने के कारण लोकतन्त्र का खतरा उत्पन्न हो गया है।

विधेयक के खंड 3 के उप-खंड (3) में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये अधिनियम को संसद् के दोनों सदनों में रखा जायेगा। विधेयक में यह भी व्यवस्था है कि इसके बाद राष्ट्रपति के अधिनियम को उसमें एक महीने के भीतर संकल्प पारित कर संसद में संशोधन किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। एक महीने का समय बहुत अधिक समय है और इस बीच अनेक अवांछनीय घटनाएं घट सकती हैं। राष्ट्रपति को कानून बनाने का अधिकार देकर संसद् के अधिकारों में कटौती की गई है। राष्ट्रपति को उक्त अधिकार देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन मंत्री उन्हें अपनी कठ पुतली बनाना चाहते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत विधेयक का विरोध करता हूँ।

**श्री के० मालन्ना** (मधुगिरि) : स्वतन्त्रता के बाद पहली बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने पर लोग बहुत प्रसन्न हैं। गत दस वर्षों से राज्य प्रशासन में भ्रष्टाचार फैला हुआ था। पक्षपात, भाई भतीजे वाद आदि का जोर था। लोग इसका अन्त चाहते थे। लोगों को राष्ट्रपति के शासन से बहुत कुछ आशाएं थी लेकिन उनकी आशाएं मिट्टी में मिल गई।

श्री निजलिंगप्पा और श्री वीरेन्द्र पाटिल के शासन काल से विश्वविद्यालयों और कालेजों में भी कुप्रबन्ध था और वे अपने निकट सम्बन्धियों की ही नियुक्तियाँ करते थे।

राष्ट्रपति का शासन लागू करने के पश्चात् यह कुप्रबन्ध स्वयं ही समाप्त हो जाता और

* बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised Translated version based on English Translation of speech delivered in Bengali.

** कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised Translated version based on English Translated of the speech delivered in Kannada.

उक्त विधान की आवश्यकता ही नहीं थी। लोग अब राज्य में अच्छे प्रशासन की आशा कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन में सुधार उनकी आशानुकूल नहीं हुआ है। यह पिछले प्रशासन की तुलना में और खराब हो गया है। सरकार ने अनेक समितियों में हारे हुए उम्मीदवारों की नियुक्ति की है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप विधेयक के क्षेत्र से परे जा रहे हैं।

**श्री के० मालप्पा** : सीमा विवाद के बारे में महाजन आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। लेकिन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है।

कावेरी जल के बारे में करार वर्ष 1974 में समाप्त हो जायेगा।

मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूँ कि कावेरी बेसिन परियोजना को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये और इसे 1974 से पूर्व पूरा किया जाना चाहिये।

राज्य में सूखे और अकाल और इस प्रकार की अन्य आपदाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये आन्ध्र में रायल सीमा विकास बोर्ड की तरह विकास बोर्ड की शीघ्र स्थापना की जानी चाहिये जिससे इस राज्य में आर्थिक और कृषि सम्बन्धी विकास किया जा सके।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार से यह विवादास्पद विधेयक नहीं है। केवल प्रश्न यह है कि क्या हम मैसूर के लिये तब तक कानून बनाते रहें जब तक वहाँ राष्ट्रपति का शासन है अथवा हम ये अधिकार राष्ट्रपति को दे दें क्योंकि संसद् अनेक कार्यों में व्यस्त है। अतः माननीय सदस्य इसी सीमा में रह कर बोलें और मैसूर की स्थिति में न जायें।

**श्री चन्द्र गौड़ा** (चिकमगलूर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैसूर राज्य प्रथम वार राष्ट्रपति के शासन के अन्तर्गत आया है। मैं इस विधेयक का इसलिये स्वागत करता हूं कि श्री वीरेन्द्र पाटिल के शासनकाल में प्रशासन में भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकतावाद और जातिवाद फैला हुआ था। लोकसभा के सामान्य चुनावों से स्थिति स्पष्ट हो गई है। कुल 72 लाख पड़े मतों में से नई काँग्रेस को 52 लाख मत प्राप्त हुए हैं। इससे विदित होता है कि जनता नई काँग्रेस के कार्यक्रमों और नीतियों का समर्थन करती है और उसे मैसूर सरकार के प्रति बड़ा रोष है।

राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू किये जाने के बाद यह आशा की जाती थी कि राज्य में सुधार के लिये कुछ कार्यवाही की जायेगी। लेकिन आशा के विपरीत राज्यपाल राज्य में ताना-शाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं।

राज्यपाल द्वारा सब समितियों का गठन निर्वाचित सदस्यों की सलाह के बिना किया गया है। इस सम्बन्ध में विधान परिषद् और संसद् सदस्यों तक की सलाह भी नहीं ली गई।

जब से राज्यपाल को प्रशासन का भार सौंपा गया है वे अनेक समितियाँ नियुक्त कर रहे हैं। भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री रामकृष्ण हैज को राज्य युवक संघ संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मत्स्य पालन के भूतपूर्व मंत्री श्री लिंग रेड्डी को मत्स्य पालन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पुरानी कांग्रेस के भूतपूर्व कोषाध्यक्ष श्री वेंकोजी राय को राज्य व्यापार निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्यपाल इस प्रकार प्रशासन नहीं चला सकते। उन्होंने लोकसभा के लिये राज्य से चुने गये 27 सदस्यों से सत्तारूढ़ दल की ओर से सलाह करने की जरूरत भी नहीं समझी।

अतः इन परिस्थितियों में वहाँ एक परामर्शदात्री समिति नियुक्त करना बहुत ही आवश्यक है और इसी विशिष्ट अभिप्राय से यह विधेयक पेश किया गया है। मैं इस विधेयक का स्वागत

करता हूं और मुझे आशा है कि सभा के सभी वर्गों द्वारा इसका स्वागत किया जायेगा ताकि राज्यपाल के शासन को समाप्त कर वहाँ शीघ्र से शीघ्र लोक प्रिय सरकार की स्थापना की जा सके।

**Shri Phool Chand Verma** (Ujjain) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I do not want to raise any objection to this Bill, but I would like to say a few words about the circumstances under which President's rule was imposed. The politics of defections which is now prevailing throughout the country, is deadly against the very spirit of democracy. The people who are once elected, must serve the people for atleast five years on the programmes with which they sought election. The Centre must come forward with some legislation to check defections. But the position is reverse. The Central Government is unable to tolerate any opposition Government in States. It has recently encouraged defections in Mysore. It appears that to bring state Governments to a collapse is a part of Central Government's eleven point programme. Incase no effective legislation is brought forward by Centre, the Centre will also become a victim of this disease. Besides, it gives a very bad picture of our Parliament to the other countries of the world. It is a slur on our civilisation. Incase an effective legislation to check the defections is brought forward by the Government, all sections of the House will support it. With these words, I support this Bill.

**श्री डी० डी० देसाई** (कैरा) : केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने दबाव से किसी राज्य सरकार को गिराये जाने का यह एक और मामला है। काँग्रेस में फूट पड़ने से पूर्व, जब यही सरकार श्री निजलिंगप्पा की अध्यक्षता में चल रही थी, तो यह सरकार एक अच्छी सरकार समझी जाती थी। बाद में श्री निजलिंगप्पा के काँग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होने पर श्री वीरेन्द्र पाटिल ने मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला। हमें अच्छी तरह मालूम है कि श्री निजलिंगप्पा और श्री पाटिल ने मैसूर राज्य के लिए कितना कार्य किया है। इन्हीं के अथक परिश्रम के फलस्वरूप ही अरावती परियोजना का कार्य पूरा हो सका। औद्योगिक क्षेत्र में भी मैसूर ने काफी प्रगति की है। अब जब कि वहाँ राष्ट्रपति का शासन लागू किया जा रहा है, हमें आशा है कि राज्य के विकास कार्यों में इससे कोई बाधा नहीं पड़ेगी।

यह बहुत खेद की बात है कि जिन राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार का विरोध किया जाता है, केन्द्रीय सरकार लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित होने के बावजूद भी उन्हें गिरवाने का भरसक प्रयत्न करती रहती है। हम चाहते हैं कि लोगों की आकांक्षाओं को दबाने के लिए सरकार का इस प्रकार के अनुचित ढंग नहीं अपनाने चाहिये।

***श्री जी० विश्वनाथन** (वान्डीवाश) : उपाध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि आज इस सदन में मैसूर राज्य के बारे में वाद-विवाद हो रहा है। प्रायः कई राज्यों में लोकतान्त्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारों को गिराया जाता है और मैसूर भी एक ऐसा राज्य हो गया है जहाँ कि लोकप्रिय सरकार को राज्य का कार्यभार चलाने से वंचित कर दिया गया है द्रविड़ मुनेग कयगम दल सदा ही इस सिद्धांत का समर्थन करता आया है कि लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार निश्चय ही सत्तारूढ़ रहनी चाहिये चाहे वह नई कांग्रेस की हो या पुरानी कांग्रेस की। आज दल-परिवर्तन के रोग, से जो कि सम्पूर्ण देश में महामारी की बीमारी की तरह फैला हुआ है, मैसूर में वीरेन्द्र पाटिल की सरकार भी गिराई गई है। विधायकों का इस प्रकार दल-परिवर्तन अत्यन्त निन्दनीय है।

* तमिल भाषा में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित।
Translated from English translation of speech delivered in Telugu.

मुझे स्मरण है कि जब नई कांग्रेस के महासचिव श्री उमा शंकर दीक्षित मैसूर गये थे तो समाचार पत्रों में यह समाचार देखने को मिला था कि वीरेन्द्र पाटिल सरकार के बहुत से विधायक उनके शिविर के बाहर नई कांग्रेस में शामिल होने के प्रार्थना-पत्र लिये खड़े थे। इस घटना से यह स्पष्ट है कि चाहे नई कांग्रेस के लोग हों या पुरानी के, वह सदा ही सत्ता से लोलुप रहते हैं और कभी भी सीधी पक्ष की ओर बैठ कर, जनता की सेवा करने के पक्ष में नहीं हैं।

मैसूर हमारे देश का एक प्रगतिशील राज्य है। तमिलनाडु के लोग सदा ही उसकी समृद्धि के शुभ चिंतक रहे हैं और रहेंगे। परन्तु हाल ही में तमिलनाडु और मैसूर के बीच जो विवाद हुआ है, उसके कारण लोगों के मन में तनाव और गलत फहमी उत्पन्न हो गई है। कावेरी नदी के जल का बंटवारा इनके विवाद का प्रमुख कारण है। दोनों लोकप्रिय सरकारें अभी तक किसी समझौते पर नहीं पहुंच सकी हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि तमिलनाडु सरकार निरन्तर इस मामले को एक न्यायाधिकरण को सौंपने की माँग कर रही है। अभी हाल ही में तमिलनाडु के मुख्य मंत्री, श्री करुणा निधि की अध्यक्षता में हुई एक सर्वदलीय बैठक में इस माँग का सर्व सम्मति से समर्थन भी किया गया है। इन दोनों राज्यों के बीच मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने तथा उन्हें और सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय सरकार को तुरन्त हस्तक्षेप करना चाहिये और इस मामले को न्यायाधिकरण को सौंप कर उसका सौहार्दपूर्ण हल खोजना चाहिये ताकि दोनों ही राज्य कावेरी नदी के जल से लाभ उठाकर फल फूल सकें, इसके साथ ही मैं केन्द्रीय सरकार से अपील करता हूं कि उसे तमिलनाडु के लोगों को कावेरी नदी के जल के उनके उचित भाग से वंचित नहीं किया जाना चाहिये।

**श्री बी० बी० नायक** (कनारा) : मैसूर राज्य की विधायी शक्तियाँ राष्ट्रपति को सौंपने के सम्बन्ध में जो विधेयक सभा के समक्ष पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

जब 17 मार्च को हम लोग यहाँ एकत्रित हुये थे तभी से ही मैसूर की राजनीतिक घटनाओं पर निगाह रखी जा रही है। मैसूर में राज्यपाल ने सरकार बनाने का एक अवसर प्रदान किया था परन्तु उस राज्य के अवसरवादी राजनीतिज्ञों ने अपने निजी स्वार्थों के कारण दल बदलने आरम्भ कर दिये। अब भी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता कि मैसूर राज्य की वर्तमान सरकार को गिराने में इन लोगों का कितना हाथ है, परन्तु हाँ यह हमारे सार्वजनिक जीवन की एक बहुत बड़ी त्रुटि अवश्य है।

मैं मैसूर राज्य के भूतपूर्व शासकों के बारे में कोई प्रचार तो नहीं करना चाहता, परन्तु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि पिछली सरकार के मंत्रियों ने बड़े नाजुक समय पर अपने पदों का त्याग किया। यदि वह 10 दिन और ठहर जाते, और यह 10 दिन ठहरना उनके लिए कोई कठिन कार्य नहीं था, तो कम से कम मैसूर सरकार के अधिकारियों को उनका वेतन तो मिल जाता। परन्तु ऐसे समय पर नव निर्वाचित संसद सदस्यों और केन्द्रीय सरकार की कठिनाइयों में फंसाने की यह केवल उनकी एक चाल थी।

अब जरा राज्यपाल की समस्या को ही लीजिये। राज्यपाल की नियुक्ति राजनीतिक आधार पर की जाती है और वह जनता की इच्छा जाने बिना किसी प्रकार का कोई प्रशासनिक निर्णय नहीं ले सकता। मैसूर के राज्यपाल, श्री धर्मवीर को मैं व्यक्तिगत रूप से अच्छी तरह जानता

हूं। वह एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। हम सभी नव निर्वाचित संसद सदस्य सदा उन्हें यह समझाने का प्रयत्न करते रहते थे कि जनता की इच्छा चुनाव परिणामों से निश्चित रूप से सिद्ध हो चुकी है। अब मैं समझता हूं कि मैसूर राज्य की बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जायेगा।

दूसरी, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि अब मैसूर में राष्ट्रपति के शासन से वहाँ की सभी समस्याओं के समाधान का अवसर प्राप्त हो गया है। यह सभी समस्यायें अगली सात या आठ महीनों में अवश्य सुलझाई जानी चाहिये। पुराना शासन अपने राजनीतिक दवाबों के कारण लोगों के प्रति न्याय नहीं कर सका। अब कुछ लोगों के प्रति न्याय और कुछ के प्रति अन्याय करने की अपेक्षा, हमें इन दबावों को सदा के लिए समाप्त कर देना चाहिये। अन्तरोज्यीय वरीयता की जो समस्या है उसे सुलझाने का प्रयत्न भी इसी समय में किया जाना चाहिये। यह सब कुछ करना मैसूर राज्य के हित में ही होगा।

* **श्री एम० सत्यनारायण राव** (करीमनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, गत दो-तीन दिनों से सदन में गुजरात, पंजाब और मैसूर में राष्ट्रपति का शासन लागू करने सम्बन्धी परिस्थितियों और विधेयकों पर विचार किया जा रहा है। सरकार को इस विषय पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करना चाहिये।

मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर रहा। यदि राष्ट्रपति की राज्य का कार्य चलाने की शक्ति न दी जाये तो संसद में राज्य से सम्बद्ध कई समस्याओं पर विचार करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। इस विधेयक के माध्यम से, कानून बनाने के मैसूर राज्य के विधान मण्डल के अधिकार को राष्ट्रपति को सौंपा जा रहा है। वास्तव में इस अधिकार का प्रयोग गृह मन्त्रालय या सम्भवतः कांग्रेस (सत्तारूढ़) दल ही करेगा।

अभी हाल ही में हमने समाचार पत्रों में मैसूर के राज्यपाल श्री धर्मवीर के सम्बन्ध में बहुत कुछ पढ़ा है। मैसूर के राज्यपाल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जो भी कार्य राज्यपाल द्वारा किया जाता है, उसी पर किसी न किसी रूप में कोई आरोप लगा दिया जाता है। अतः आज स्थिति यह है कि राज्यपाल निष्पक्ष होकर भी कलंक से नहीं बच सकते। हाल ही में मैसूर के राज्यपाल को क्षमा याचना के लिए दिल्ली बुलाया गया था। मैं यह महसूस करता हूं कि मैसूर राज्य के लिए कानून बनाने की संसद की शक्तियाँ राष्ट्रपति को नहीं दी जानी चाहिये।

**श्री एस० बी० पाटिल** (बागलकोट) : श्री विश्वनाथन ने कावेरी नदी जल विवाद का उल्लेख किया है और कहा है कि इस मामले को न्यायाधिकरण को सौंप दिया जाना चाहिये। जहाँ तक इस विवाद का सम्बन्ध है मैसूर राज्य में राष्ट्रपति का शासन है। मैसूर ने केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को मंजूरी के लिए एक योजना भी भेजी थी। मेरे विचार में इस विवाद को न्यायाधिकरण को सौंपने का कोई प्रश्न ही नहीं है और मैसूर में लोकप्रिय सरकार की स्थापना के पश्चात मैसूर तथा तमिलनाडु की सरकारें इस मामले पर आपस में विचार विमर्श कर सकती है और इसका निपटारा कर सकती है।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने अभी तक घटप्रभा लैफ्ट बैंक कनाल स्कीम को मंजूरी नहीं दी है जबकि यह योजना 1967 में प्रस्तुत की गई थी।

* तेलुगु भाषा में दिये गये भाषण के अंग्रेजी-अनुवाद से अनूदित।
Translated from English translation of speech delivered in Telegu.

महाराष्ट्र और मैसूर विवाद के बारे में महाजन आयोग ने बहुत ही पहले अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था। परन्तु सरकार इस मामले में चुपचाप है। हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में जनता महाजन आयोग के प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों को तुरन्त क्रियान्वित किये जाने के लिए जोर दे रही हैं।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

**श्री पी० के० देव** (कालाहांडी) : यह विधेयक इतना साधारण नहीं है जितना दिखाई देता है। इस विधेयक के द्वारा राष्ट्रपति को मैसूर के सम्बन्ध से सभी विधेयक आदि बनाने की शक्तियाँ दी जा रही है, इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति मैसूर के बारे में गृह मंत्रालय के परामर्श से कार्यवाही करेंगे। अतः मैसूर की जनता के भाग्य का निर्णय गृह-मंत्रालय द्वारा किया जायेगा। परन्तु जब तक भी मोहसिन वहाँ पर हैं मुझे आशा है कि मैसूर को कोई हानि नहीं होगी और वह मैसूर के लोगों की आशाओं का पूरा ध्यान रखेंगे। आशा है 'गरीबी हटाओ' तथा चुनाव में दिये गये अन्य वचनों को पूरा किया जायेगा। मुझे आशा है कि मैसूर राज्य की सभी अनिर्णीत समस्याओं को शीघ्र हल किया जायगा।

मुझ यह भी आशा है कि महाजन आयोग के प्रतिवेदन को तुरन्त क्रियान्वित किया जायगा।

संविधान के अनुच्छद 262 के अन्तर्गत कृष्णा-गोदावरी के लिए न्यायाधिकरण की नियुक्ति में बहुत समय लगा है, यदि एसे मामले इस प्रकार लटकते रहे तो मैसूर के लोगों को न्याय नहीं मिल सकेगा। आंध्र सरकार पंचपपाद, नागार्जुनसागर आदि जैसी अनेक परियोजनाओं पर कार्य कर रही है जिससे मैसूर राज्य के हितों को क्षति पहुंचती है।

**श्री पी० रंगानाथ शिनाय** (उदीपी) : लोक सभा के मध्यावधि चुनाव से सत्तारूढ़ दल को जो जनता का समर्थन प्राप्त हुआ है उसी के दबाव के कारण मैसूर की लोकप्रिय सरकार गिर गई है। अब वहाँ पर राष्ट्रपति का शासन लागू है। राष्ट्रपति के प्राधिकार के अन्तर्गत बनाई जाने वाली परामर्शदायी समिति के परामर्श तथा सहायता से ही राज्यपाल वहाँ का शासन चलायेगा। विधेयक में राष्ट्रपति को मैसूर के बारे में कानून आदि बनाने की शक्तियाँ दी गई है। जिस राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाय सरकार को चाहिए कि उस राज्य के राज्यपाल की सहायता तथा परामर्श के लिए सलाहकार समिति नियुक्त की जाय।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि सरकार राज्य विधान मण्डल के लिए यथा सम्भव शीघ्र चुनाव कराने के लिए उत्सुक है। मेरा सुझाव है कि चुनाव वर्षा ऋतु के पश्चात अक्तूबर अथवा नवम्बर के आरम्भ में कराये जायें।

मैसूर भूमि सुधार अधिनियम में तुरन्त संशोधन किया जाना चाहिए ताकि जमींदारों तथा काश्तकारों के विवाद को हल किया जा सके। पड़ती भूमि भूमिहीन किसानों में बाँटी जानी चाहिए। जो लोग अपना काम धन्धा आरम्भ करना चाहते हैं उनको सरकार द्वारा ऋण दिया जाना चाहिए। मकानों की समस्याओं को हल करने के लिए आवास सहकारी समितियाँ को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जो लोग नगरीय क्षेत्रों में अपने मकान बनाना चाहते हैं उनको सरकार द्वारा भूमि तथा ऋण दिया जाना चाहिए।

केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी दी जानी चाहिए।

**गृह-मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहसिन)** : सभा के समक्ष प्रस्तुत विधेयक में राष्ट्रपति को मैसूर राज्य के बारे में कानून आदि बनाने की शक्तियाँ दी गई है। माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि संसद सभा राज्यों के लिए कानून आदि नहीं बना सकती। उसके लिए समय मिलना एक असम्भव सी ही बात है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अन्य जिन राज्यों में राष्ट्रपति का शासन लागू है उनके लिए कानून आदि बनाने की शक्तियाँ भी राष्ट्रपति को दी गई हैं। इस विधेयक के कोई असाधारण बात नहीं है। राष्ट्रपति जब कभी उचित तथा व्यवहार्य समझे उक्त उद्देश्य हेतु बनाई जाने वाली, समिति से परामर्श कर सकते हैं। इस समिति में लोकसभा के 40 और राज्यसभा के 20 संसद सदस्य होंगे। इस समिति में विरोधी दलों के सदस्यों को भी सम्मिलित किया जायेगा।

इस विधेयक के द्वारा राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ दी जा रही है उनके बारे में किसी को कोई सन्देह नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा बनाये जाने वाले कानूनों पर खण्ड 3 के अनुसार संसद का नियंत्रण रहेगा। राष्ट्रपति द्वारा अधिनियम बनायें जाने की तिथि के 30 दिन के अन्दर दोनों समस्याओं में से कोई भी सभा इस आशय का संकल्प पास कर सकती है कि अधिनियम में संशोधन किया जाये। दूसरी सभा में पास हो जाने पर राष्ट्रपति को अधिनियम में सभाओं द्वारा सुझाये गये संशोधन शामिल करने होंगे। अतः संसद सदस्यों को न बताने की इसमें कोई बात नहीं है। श्री फूल चन्द वर्मा ने गैर-काँग्रेसी राज्यों में सरकारों को गिराने की बात कही है। संभवतः वह नहीं जानते कि मैसूर में स्थिति क्या थी। हमारा दल किसी सरकार को गिराने में रुचि नहीं लेता है। अनेक सदस्य हमारे दल में सम्मिलित होना चाहते थे। सरकार बनाने के लिए हमारे पास पर्याप्त शक्ति थी परन्तु फिर भी हम दलबदलुओं की सहायता से वहाँ पर सरकार नहीं बनाना चाहते थे।

हम दलबदली के पक्ष में नहीं है। हम इस बारे में एक विधेयक भी शीघ्र लाने वाले हैं। इस बारे में प्रधान मंत्री ने विरोधी दलों के नेताओं से भी बात की थी। तत्पश्चात विरोधी दलों के नेताओं को इस सम्बन्ध में एक पत्र भी भेजा गया था। परन्तु अभी तक विरोधी दलों के कुछ नेताओं ने उसका उत्तर नहीं दिया है।

एक माननीय मित्र ने राज्यपाल के विरुद्ध कहा है कि उन्होंने दलबदली में सत्तारूढ़ दल की सहायता की है। हमारे अपने दल के अनेक सदस्यों ने भी राज्यपाल के विरुद्ध बहुत कुछ कहा है। परन्तु मेरे विचार में यह एक ऐसा मामला है जिस पर यहाँ चर्चा नहीं की जानी चाहिए।

कावेरी जल के प्रयोग के बारे में मैसूर तथा तमिलनाडु सरकारों के बीच मतभेद है। इस विवाद को बातचीत द्वारा हल करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। केन्द्रीय मंत्री द्वारा अक्तूबर, 1970 में सम्बन्धित राज्यों के मंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई थी। तमिलनाडु तथा केरल सरकारों द्वारा इस विवाद को न्यायाधिकरण को सौंपने का अनुरोध किया है। यह मामला उच्चतम स्तर पर केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

गरीबी हटाओ कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए हम पूरी तरह से गम्भीर हैं। मुझे आशा है कि माननीय मित्र श्री पी० के० देव इस मामले में हमें अपना पूर्ण सहयोग देंगे।

श्री नायक तथा अन्य सदस्यों द्वारा और भी कई सुझाव दिये गये हैं। एक अन्तर-राज्य

वरीयता सूची के बारे में था। राष्ट्रपति को इन सभी सुझावों से अवगत करा दिया जायेगा। मैं सभा से इस विधेयक को पारित करने का अनुरोध करूंगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति को मैसूर राज्य के विधान मण्डल की विधियाँ बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The Motion was adopted.**

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब इस पर खण्ड-वार विचार किया जायेगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, खण्ड 3, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted.**

**खण्ड 3, खण्ड 2, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।**

**Clause 2, clause 3, clause 1, the Enacting Formula and the title were added to the Bill.**

**श्री मोहसिन** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted**

---

## पश्चिम बंगाल सुरक्षा (त्रिपुरा पुनः अधिनियम) दूसरा संशोधन अध्यादेश सम्बन्धी सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION RE. WEST BENGAL SECURITY (TRIPURA RE : ENACTING) SECOND AMENDMENT ORDINANCE.

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब श्री ज्योतिबसु के सांविधिक संकल्प पर चर्चा की जायेगी।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** (डायमण्ड हार्बर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 3 मई, 1971 को प्रख्यापित पश्चिम बंगाल सुरक्षा (त्रिपुरा पुनः अधिनियम) दूसरा संशोधन अध्यादेश, 1971 (1971 का अध्यादेश संख्या 4) का निरनुमोदन करते हैं।"

यह अध्यादेश भी दमन की नीति को जारी रखने तथा सत्तारूढ़ दल के लिए राजनैतिक लाभ इकट्ठा करने के लिए ही है। इससे त्रिपुरा में कांग्रेस दल को पुनः अपने पाँव पर खड़ा करने का प्रयास किया गया है।

[ **श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
SHRI K. N. TIWARI IN THE CHAIR ]

गत दो अथवा तीन वर्षों से वहाँ पर ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है जो लोगों को तथा दमन और शोषण के विरुद्ध आन्दोलन चलाने वाले नेताओं को डरा धमका सकें।

मूल अधिनियम पश्चिम बंगाल के लिए था परन्तु उसकी अवधि अब समाप्त हो चुकी है। सरकार इस अध्यादेश पर सभा में इसलिये चर्चा कर रही है जिससे यह न्यायालय द्वारा रद्द न किया जा सके।

विभिन्न नजरबन्दी अधिनियमों के अन्तर्गत अनेक लोगों को नजरबन्द किया गया है। आन्तरिक सुरक्षा विधेयक अभी तक राज्य सभा में है और उसको अभी तक अधिनियम का रूप नहीं दिया गया है। परन्तु उक्त अध्यादेश के अन्तर्गत श्री सैयद बरूद्दुजा जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक है, को नजरबन्द किया गया है। वह गत 45 अथवा 50 वर्षों से एक प्रसिद्ध राजनैतिक नेता हैं। इतना ही नहीं एक संसद सदस्य जो कि एक प्रसिद्ध अधिवक्ता भी है, को उनसे मिलने नहीं दिया गया है। लोकतंत्र और समाजवाद की बातें करने वाली सरकार का रवैया यह है। गत चुनाव से पूर्व सरकार पश्चिम बंगाल से मुसलमानों के मत प्राप्त करने के लिए उनको मंत्रिमण्डल स्तर का मंत्री बनाने को तैयार थी। परन्तु अन्य अनेक सदस्यों की भांति उन्होंने स्वयं को बेचा नहीं और आज उनसे उसी चीज का बदला लिया जा रहा है। उनको जून के महीने में भी जेल में पंखा नहीं दिया गया था। परन्तु सरकार चोर बाजारी करने वालों, विदेशी मुद्रा का हेरफेर करने वालों को छू तक नहीं रही है।

जब हम पिछले विधेयक पर चर्चा कर रहे थे तो हमें बताया गया था कि जासूसी को रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मैंने इस बारे में ब्रिटेन के एक जासूस ब्रिगेडियर सीवन्स के बारे में ठोस बातें बताई थीं। इस व्यक्ति की पश्चिम बंगाल के एक विभाग के वर्तमान सचिव जो कि कुछ दिन पूर्व पुलिस आयुक्त थे, बड़ी मित्रता है। अतः मैं श्री मोहसिन से निवेदन करूंगा कि वह सर्वप्रथम अपने कर्मचारियों को ठीक करें। और उसके पश्चात अन्य लोगों के मामलों में हस्तक्षेप करें। सरकार अपने विरोधियों को दबाने के लिए ऐसा कानून बना रही है। इतिहास में इसको काले कानून के नाम से याद किया जायेगा।

एक अन्य व्यक्ति डा० यान्दनी को भी जो एक समय सेना के अधिकारी के पद पर नियुक्त थे, गिरफ्तार किया गया है। यह संयुक्त मोर्चा सरकार में मंत्री थे। परन्तु उप-चुनावों को ध्यान में रखकर ही इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। श्री यान्दनी से उनके एक सम्बन्धी को जेल में नहीं मिलने दिया गया था। इस प्रकार लोगों को इन अधिनियमों के अन्तर्गत परेशान किया जा रहा है। ब्रिटिश शासकों ने भी अपने राजनैतिक विरोधियों के प्रति इनसे अधिक सम्मान दिखाया था। उस समय राजनैतिक कैदियों को हर सम्भव सुविधा प्रदान की जाती थी। उनको पारिवारिक भत्ता दिया जाता था। परन्तु अब ऐसा नहीं किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री मोहसिन कुछ हाथों में खेल रहे हैं और इस प्रकार इस काले कानून को बनाने वालों में उनका नाम भी शामिल किया जा रहा है; उनको याद होगा कि 1965 में अल्प संख्यक समुदाय के 8000 व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया था। आज तक उनको मालूम नहीं कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किन कारणों से किया गया था। श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा इस देश में बीसवीं शताब्दी में इस प्रकार का लोकतंत्र चलाया जा रहा है।

त्रिपुरा में इस अध्यादेश को किस प्रकार लागू किया जा रहा है उसका एक उदाहरण मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। एक कांग्रेस नेता की लड़की जो कि कलंगपुर हायर सेकेन्डरी स्कूल में आठवीं अथवा नौवीं कक्षा में पढ़ती थी, 700 में से केवल 100 अङ्क ही प्राप्त कर सकी थी परन्तु उसको अगली कक्षा में बिठा दिया गया। परन्तु जब इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों

ने भी ऐसी माँग की तो हेड मास्टर ने उनकी माँग को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। फलतः विद्यार्थियों ने एक दिन की शान्तिपूर्ण हड़ताल की। परन्तु कुछ दिन पश्चात काँग्रेसी नेता कुछ गुण्डों के साथ आये और विद्यार्थियों तथा अध्यापकों की अच्छी पिटाई की। इसके विरोध में त्रिपुरा सरकार के कर्मचारियों ने बंद का आह्वान दिया। सरकारी कर्मचारियों के कार्मिक संघ के अधिकारियों को इस अध्यादेश के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया।

कुछ समय पूर्व झोंबझाला चम्पक नगर के स्थान पर कुछ आदिवासी कुछ जंगल को साफ करके भूम खेती कर रहे थे। उनको भी गिरफ्तार करके नजरबन्द कर दिया गया है।

मुझे बताया गया है कि 1969 के मध्य में हड़ताल करने पर लोगों से कहा गया था कि वे नक्सलवादियों से सम्बन्धित हैं, अतः बाद में उनपर यह अध्यादेश लागू करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया।

त्रिपुरा में एक विशेष सैल बनाया गया है और अनुसंधान तथा विश्लेषण विभाग के श्री कामो द्वारा दो विशेषज्ञों को उस सैल में भेजा गया है। ऐसा वहाँ पर किसानों तथा मजदूरों के आन्दोलन को कुचलने के लिए ही किया जा रहा है। पिकुल में जनजाति लोगों की झोंपड़ियों को नष्ट करने के लिए हाथियों का प्रयोग किया गया है। उनके नेता श्री मोन्दीदार रिपाग जो कि साहूकारों के विरुद्ध आन्दोलन चला रहे थे उक्त अध्यादेश के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया।

सरकार प्रत्येक क्षेत्र में असफल रही है। वह त्रिपुरा का विकास करने में असफल रही है। वहाँ पर बेरोजगारी की समस्या बहुत गम्भीर है। त्रिपुरा में दैनिक प्रयोग की आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बहुत अधिक हैं। जनता को ज्ञात हो गया है कि यह सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों आदि के इशारों पर नाचती है। यदि सरकार जनरल फ्राँको की तरह अपनी रक्षा करना चाहती है तो वह लोगों से अलग अलग हो जायेगी। उनको पुलिस, और-सैनिक संगठन तथा यह अधिनियम आदि भी गिरने से नहीं बचा सकेंगे मेरा यही कहना है।

***श्री के० सूर्यनारायण** (एलूरू) : इस प्रकार की कार्यवाहियों के द्वारा सरकार मतदाताओं को दिये गये आश्वासनों को पूरा करने के प्रयत्न कर रही है। एक आश्वासन यह था कि देश में लोकतंत्रात्मक संस्थाओं को बनाये रखा जायेगा तथा उनका विकास होगा। परंतु दुख की बात है कि जब भी इन उद्देश्यों से कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो हमारे साम्यवादी सदस्यों द्वारा उसका विरोध किया जाता है।

जब पश्चिम बंगाल साम्यवादी शासन था तो वहाँ पर इसी प्रकार के कानून बनाये गये परंतु यहाँ पर उनका विरोध किया जा रहा है जो कि बहुत ही अजीब बात है। यहाँ पर कुछ मामलों का उल्लेख किया गया है। परंतु कानून में ऐसे अनेक उपबंध हैं जिनके अनुसार पक्षपाती अधिकारियों एवं राजनीतिज्ञों की किसी कार्यवाही के परिव्ययों से लोगों को बचाया जा सकता है। जब भी आवश्यक हो जाँच समिति की नियुक्ति का भी उपलब्ध है। उपरोक्त मामले इस प्रकार की जाँच समिति को निर्देशित किये जा सकते हैं। जिससे कि उनकी सत्यता अथवा असत्यता का पता चले।

पश्चिम बंगाल में व्याप्त अशांति का प्रभाव उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश और मद्रास आदि पर होने

* तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Telugu.

से वहाँ के लोगों का जीवन भी अशान्त हो सकता है। अतः इसको रोकने के लिए इस प्रकार के विधान द्वारा पश्चिम बंगल में शांति स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। परंतु यदि सरकार ने इस कानून का प्रयोग अपने राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध किया तो यह कोई गर्व की बात नहीं होगी।

* **श्री लुतफल हक** (जंगीपुर) : यदि हम पश्चिम बंगाल की स्थिति पर विचार करें तो हमें महसूस होगा कि इस प्रकार के सुरक्षा अध्यादेश की आवश्यकता है अथवा नहीं। 1957 के चुनावों के पश्चात पश्चिम बंगाल में जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई वह न केवल सारे भारत में अपितु सारे विश्व में ज्ञात हैं। आज बंगाल में प्रतिदिन हत्याएँ हो रही हैं और लोगों के पास इन हत्याओं से बचाव का कोई भी कानूनी उपाय नहीं है। राज्य में कानून और व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। लोग वहाँ पर निरन्तर भय और चिन्ता की स्थिति में रह रहे हैं।

इन परिस्थितियों का उदय पश्चिम बंगाल में साम्यवादी शासन के साथ हुआ। अपने शासन काल में इस दल ने अपने विरोधियों के विरुद्ध सभी निवारक निरोध कानूनों का उपयोग किया और दावा यह किया जाता रहा कि इन सभी कानूनों का उपयोग केवल काले बाजार वालों के विरुद्ध ही किया जा रहा है। यही स्थिति त्रिपुरा में भी पैदा हो जाने की आशंका है। अतः इस अध्यादेश का हमें समर्थन करना चाहिये, जिससे कि वहाँ पर शांति स्थापित हो सके और लोकतान्त्रिक परम्पराएं बनी रह सकें। सरकार को यह विधान त्रिपुरा में भी लागू करना चाहिए।

**Shri M. Satya Narain Rao** (Karimnagar) : There is no doubt that situation is very grave in Tripura and West Bengal and there is a need for sptem action But before adopting this measure we have to bear in mind that the Interval secutity Act is already in force. The situation can be tackled by taking action under it.

The real problem is that the District Magistrates and other officials to whompowers are delegated under such legislations do not act in a responsible manner. I am not against the objects of such Bills but these are used by the Government against its political opponents also. This is not fair. Government should not therefore, act in such a manner.

**श्री दशरथ देव** (त्रिपुरा पूर्व) : केन्द्रीय सरकार ने त्रिपुरा सरकार को कई काले कानूनों द्वारा शक्तिशाली बना रखा है। यह सारे विधान दमनकारी है और इनके द्वारा अपने विरोधियों का सरकार दमन करती है। परंतु इससे भी सन्तुष्ट न होते हुए अब इस अध्यादेश को भी वहाँ पर लागू किया जा रहा है।

त्रिपुरा एक बहुत ही पिछड़ा हुआ और उपेक्षित प्रदेश है। वहाँ की सरकार ने वहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं किया अतः वहाँ पर बहुत ही असन्तोष व्याप्त है। वहाँ पर व्याप्त बेरोजगारी के कारण युवकों में असन्तोष है। अतः इस प्रकार के काले कानूनों के द्वारा सरकार लोगों की आवाज को दबाना चाहती है।

त्रिपुरा का दो तिहाई क्षेत्र पहाड़ी है और अब सरकार ने निश्चय किया है कि समूचे प्रदेश का 60 प्रतिशत क्षेत्र बनों के लिए आरक्षित रखा जाये। यदि ऐसा किया गया तो लोग रहेंगे कहाँ पर? आदिम जातियों के लोगों को पहिले ही वहाँ से निकाला जा रहा है। बनों को आरक्षित करके परम्परागत रूप से वहाँ रहने वाले लोगों को नियमों का उल्लंघन करने के आरोप पर गिर-

* बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

फ्तार किया जाता है, उन्हें जेलों में रखा जाता है, उन पर मुकदमें चलाये जाते हैं। 1969 से इस प्रकार के अनेक मामले हुए हैं, जिनका उल्लेख किया जा चुका है। इस प्रकार वहाँ पर आदिम जातियों के लोगों का दमन हो रहा है। और इन काले कानूनों के द्वारा लोगों को न्याय पाने के अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।

मैं यहाँ पर अपने एक मामले का उल्लेख करना चाहता हूं। 1966 में मुझे व एक अन्य संसद सदस्य श्री बीरेन दत्त को पश्चिम बंगाल सुरक्षा अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किया गया। अगरतल्ला में कुछ सैनिकों और काला बाजार में सिनेमा टिकट बेचने वालों के बीच झड़प हो जाने के परिणामस्वरूप कुछ दंगे हुए। उन घटनाओं के समय हम दोनों यहाँ पर संसद में उपस्थित थे और बाद में हम अगरतल्ला गये और वहाँ पर हमें गिरफ्तार कर लिया गया व हमारे ऊपर यह बेतुका आरोप लगाया गया कि हम मुख्यमंत्री की हत्या के षडयंत्र में शामिल थे।

मैं इस अध्यादेश के विरुद्ध हूं और इस कारण इसं निरनुमोदन प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

**श्री एस० के० सरकार** (जयनगर) : मैं बंगला में बोलना चाहता हूं, अतः इस संबंध में स्थायी प्रबन्ध किए जायें।

**सभापति महोदय** : इस समय बंगला के अनुवाद के कोई प्रबन्ध नहीं हैं। अतः अच्छा होगा कि आप हिन्दी अथवा अंग्रेजी में बोलें और आगे से अपनी भाषा में बोलने के लिए पूर्व सूचना दिया करें।

**श्री एस० के सरकार** : मैं इस निरनुमोदन प्रस्ताव का विरोध करता हूं क्योंकि मेरा विश्वास है कि इसे केवल मात्र विरोध करने की भावना से प्रस्तुत किया गया है।

पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत ही असाधारण है और यदि हम अपने देश के पूर्वी भाग की उपेक्षा करते रहे तो इसके दुष्परिणाम निकलेंगे। कोई नहीं चाहता कि पश्चिम बंगाल में जो स्थिति है वह त्रिपुरा में भी पैदा हो। पश्चिम बंगाल में साम्यवादी शासन काल में नक्सलवादी विचारधारा को प्रश्रय मिला और हम त्रिपुरा तक इस आग को नहीं फैलने देना चाहते। पश्चिम बंगाल में जीवन असुरक्षित है। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी अपने आप को असुरक्षित समझते हैं। इस प्रकार की परिस्थितियां त्रिपुरा में नहीं उत्पन्न होने दी जा सकती।

यदि किसी को इस देश से और लोकतन्त्र से प्रेम है तो उसे चाहिये कि वह इस निरनुमोदन प्रस्ताव का विरोध करके राष्ट्रपति के अध्यादेश का समर्थन करे।

**Shri Ramavatar Shastri** (Patna) : I support the motion moved by Shri Jyotirmoy Bosu for the disapproval of the ordinance. It is not fair to bring toward such black measuresin the name of democracy . This would be used to crush the farmers and workers of Tripura, who are fighting for their rights . It is a fact that such Acts are never used against anti-social elements. They are used against political workers who orgainse farmers and workers. I have personal experience about this, because I had been detatained in 1948, 1965 and 1966 under such Acts. People are kept behind the bars continuously for years without any trial and without assigning any reason. Such Acts do not fit in our social and political set up. I would, therefore request the Government to withdraw this ordinance.

**गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहसिन)** : पश्चिम बंगाल सुरक्षा अधिनियम, 1950 त्रिपुरा में वर्ष 1956 से लागू था और इसकी अवधि 25 जनवरी, 1971 को समाप्त होनी थी। त्रिपुरा सरकार ने इसकी अवधि बढ़ाने पर प्रस्ताव किया। परंतु 24 जनवरी 1971 तक यह विधेयक त्रिपुरा विधान मंडल में पुरः स्थापित तथा पारित न किया जा सका अतः राष्ट्रपति ने पश्चिम बंगाल

सुरक्षा (त्रिपुरा पुनः अधिनियम) दूसरा संशोधन अध्यादेश 1971 (1971 का अध्यादेश संख्या 4) जारी किया। 17 मार्च को त्रिपुरा विधान मंडल ने पश्चिम बंगाल सुरक्षा (त्रिपुरा पुनः अधिनियम) संशोधन विधेयक 1971 पारित किया जिसमें अध्यादेश के उपबन्धों का पुनः अधिनियमन था। राष्ट्रपति की अनुमति के लिए इस विधेयक को केन्द्रीय सरकार के पास भेजा गया था। इसमें खंड 3 के संबंध में कुछ खामियाँ पाई गई और उन्हें दूर करने के लिए इस विधेयक को त्रिपुरा विधान सभा द्वारा पुनर्विचार करने के लिए लौटाना पड़ता। परंतु राष्ट्रपति के अध्यादेश की समाप्ति में इतना समय नहीं था कि त्रिपुरा विधान सभा इसे पारित कर सके। इसके अतिरिक्त पूर्वी बंगाल से शरणार्थियों का आगमन भी प्रारंभ हो गया था। इन परिस्थितियों में विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना उचित नहीं समझा गया। अतः त्रिपुरा विधान सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्रदान की गई और इसके साथ ही खंड 3 की खामियों को दूर करने के लिए एक दूसरा अध्यादेश जारी किया गया जिससे कि पश्चिम बंगाल सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत विचाराधीन मामले अवैध न हो जायें। इस प्रकार स्पष्ट है कि दूसरा अध्यादेश एक कानूनी आवश्यकता थी। यदि विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए त्रिपुरा विधान सभा का सत्र बुलाये जाने के लिए वहाँ की परिस्थितियाँ सामान्य होतीं हो इस अध्यादेश की आवश्यकता ही न पड़ती।

त्रिपुरा में सुरक्षा तथा व्यवस्था के लिए पश्चिम बंगाल सुरक्षा अधिनियम जैसे कानून की बहुत आवश्यकता है। मिजो तथा अन्य आदिम जाति उग्रवादियों और नक्सली तत्वों की कार्यवाहियों के कारण त्रिपुरा में सुरक्षा तथ व्यवस्था बनाये रखने की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इन तत्वों द्वारा त्रिपुरा के क्षेत्रों पर अनेक हमले किए गए हैं और इसके साथ ही जन जातीय उग्रवादी तत्व प्रशिक्षण तथा शस्त्र प्राप्त करने के लिए त्रिपुरा के रास्ते से पाकिस्तान जाते हैं। इस प्रकार के तत्वों से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल सुरक्षा अधिनियम के उपबन्ध अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

पूर्वी बंगाल से बहुत अधिक संख्या में शरणार्थियों के आगमन से त्रिपुरा की सुरक्षा तथा व्यवस्था को और भी खतरा हो गया है। वहाँ के स्थानीय प्रशासन पर बहुत अधिक भार हैं। इन परिस्थितियों में इस प्रकार की शक्तियों के बिना वहाँ के अधिकारी स्थिति का सामना करने में समर्थ नहीं होंगे।

अल्पसंख्यक समुदाय के अनेक लोगों के नजरबन्द किये जाने का उल्लेख किया गया। शायद ऐसा हो। परंतु देश की सुरक्षा वैयक्तिक स्वतन्त्रता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जब देश में आयातकालीन स्थिति हो तो उस समय इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जा सकता कि कोई व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय का है अथवा बहुसंख्यक समुदाय का।

इस बात को देखते हुए कि राष्ट्रपति द्वारा दूसरा अध्यादेश जारी करना एक कानूनी आवश्यकता थी और पश्चिम बंगाल सुरक्षा अधिनियम के उपबन्धों की त्रिपुरा राज्य को आवश्यकता थी। मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि इस निरनुमोदन प्रस्ताव का विरोध किया जाये। मैं यह भी बता दूं कि त्रिपुरा सरकार अध्यादेश के स्थान पर एक पुनः अधिनियमन विधेयक विधान सभा में पुरः स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

**श्री आर० वी० बड़े** (खारगोन) : माननीय सदस्य ने बताया है कि आदिमजातियों की झोपड़ियों को हाथियों ने नष्ट कर दिया था। क्या उनके पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी है ?

**श्री मोहसिन** : मुझे समय चाहिए क्योंकि मैं ऐसे इक्का-दुक्का मामलों की तह में नहीं जा सकता।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** (डायमण्ड हार्बर) : संयुक्त मोर्चा सरकार के समय निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत चोर बाजारी करने वालों और बड़े-बड़े अपराधियों को, जो पिछले 20 साल के स्वर्णिम राज्य की देन है, जेल में डाला गया था, जो बाद में डा० पी० सी० घोष के सत्ता में आने पर छोड़ दिए गये। श्री सूर्यनारायण जी, इस कानून की मदद से पुलिस और शस्त्रों के द्वारा आपका दल राजनीतिक हित साधना चाहता है। श्री लुत्फल हक को यहाँ थोड़े समय के लिए बुलाया गया कुछ कहने के लिए। और वे बिना यह जाने बोले कि मेरा संकल्प क्या था। उन्होंने राज्य की सुरक्षा के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा। पर जासूसी के उन मामलों के सम्बन्ध में आपके क्या विचार है जिसमें कांग्रेस के दिग्गज श्री आतुल्य घोष का हाथ था तथा जिनमें श्री सुनिलदास, काँग्रेस कार्यालय के एक प्रमुख अधिकारी, पकड़े गये थे। आपके पास इसका क्या उत्तर है?

जनरल कौल ने अपनी पुस्तक लिख कर शासकीय भेद अधिनियम का उल्लंघन किया, पर उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि सरकार को अपनी पोल खुलने का डर था।

उन लोगों के सम्बन्ध में आपने क्या किया जिन्होंने पिछले बीस साल में भागलपुर, अहमदाबाद, मेरठ और भिवण्डी में साम्प्रदायिक दंगे कराये? कुछ नहीं?

आपके समाजवाद का क्या हुआ। 1952 के 2 करोड़ से बढ़ कर आज पुलिस का बजट 89.9 करोड़ का हो गया है। एक ओर सरकार पुलिस और रक्षा के बजट बढ़ाती जा रही है और दूसरी ओर कर्मचारियों को वेतन में बढ़ोतरी को स्थिर रखना चाहती है।

सरकार ने देश को विदेशों के हाथों गिरवी रख दिया है। अपने रुपये का मूल्य घटा दिया है और इस प्रकार देश का अपमान किया है।

सरकार अपनी सेना का सब सामान विदेशों से खरीदती है फिर गोपनीयता क्या है?

(**व्यवधान**)

श्री शक्ति सरकार आप जानते हैं कि 1967 में मेरी हत्या का प्रयत्न किया गया।***

**श्री सी० एम० स्टीफन** (मुवत्तुपुजा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। पहली बात तो यह है कि माननीय सदस्य असंगत बातें कह रहे हैं। दूसरे, उन लोगों का जिक्र कर रहे हैं, जो यहाँ उपस्थित नहीं हैं। यह सदन के प्रक्रिया नियमों का उल्लंघन है।

**सभापति महोदय** : सदन में अनुपस्थित लोगों के नाम कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। अतः भाषण का वह भाग कार्यवाही से निकाल दिया जाये। दूसरे, मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप विषय की सीमा से बाहर न जायें।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : मुझे सदस्य द्वारा उठाए गये प्रश्नों का उत्तर देने का अधिकार है।

पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था का संकट सत्तारूढ़ दल ने पैदा किया है। आर्थिक संकट का कारण भी यह है कि 20 साल तक जनता की बराबर उपेक्षा की जाती रही है।

*** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

**Expunged on ordered by the Chair.**

श्री दशरथ देव की गिरफ्तारी भी सत्ता के दुरुपयोग का एक उदाहरण है। यह सरकार मुझे देश में विद्यमान व्यवस्था तथा शरणार्थियों के आगमन के सम्बन्ध में बताये ? मिजो लोगों का इतना दमन पहले कभी नहीं देखा गया था जितना आजकल है। त्रिपुरा को पूरे राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए आदिवासियों के लिए क्षेत्रीय समिति बनाई जानी चाहिए जैसा कि 1943 में किया गया था।

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 3 मई, 1971 को प्रस्थापित पश्चिम बंगाल सुरक्षा (त्रिपुरा पुनः अधिनियम) दूसरा संशोधन अध्यादेश, 1971 (1971 का अध्यादेश संख्या 4) का निरनुमोदन करती है।"

**लोकसभा में मत विभाजन हुआ ।**

**The Lok Sabha divided·**

| | |
|---|---|
| पक्ष में 27 | विपक्ष में 66 |
| Ayes 27 | Noes 66 |

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।**

**The motion was negatived.**

---

## अधिवक्ता संशोधन विधेयक
## ADVOCATES (AMENDMENT) BILL

**संयुक्त समिति को सौंपने की राज्य सभा को सिफारिश से सहमति के लिए प्रस्ताव**

**सभापति महोदय** : अब हम मद संख्या 12 को लेते हैं। सभा इस बात के लिए पहले ही सहमत हो गई है कि इसे बिना चर्चा के निपटा दिया जायेगा। मंत्री महोदय प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी)** : श्री एच० आर० गोखले की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि यह सभा, राज्य सभा द्वारा 26 मई, 1971 की अपनी बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में की गई तथा 27 मई, 1971 को लोक-सभा को भेजी गई इस सिफारिश से सहमत हो, कि यह सभा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हों और संकल्प करें कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए लोक-सभा के निम्न-लिखित 24 सदस्य नामनिर्दिष्ट किये जायें, अर्थात् :—

(1) श्री फ्रेंक एन्थनी

(2) श्री टी० बालकृष्णैया

(3) श्री बनमाली बाबू

(4) श्री आर० डी० भंडारे

(5) श्री विश्वेश्वर नाथ भार्गव
(6) श्री बी० के० दासचौधरी
(7) श्री पी० के० देव
(8) श्रीमती गंगा देवी
(9) श्री सी० डी० गौतम
(10) श्री ए० के० गोपालन
(11) श्री अण्णासाहेब गोटखिडे
(12) श्री मुहम्मद ताहिर
(13) श्री एच० एन० मुकर्जी
(14) श्री नीतिराज सिंह चौधरी
(15) श्री प्रवीण सिंह सोलंकी
(16) श्री के० नारायण राव
(17) श्री ए० के० सेन
(18) श्री एस० ए० शमीम
(19) श्री आर० बी० बड़े
(20) श्री ए० के० कोत्राशट्टी
(21) श्री नुगेहल्लि शिवप्पा
(22) श्री एस० एस० तिवारी
(23) श्री एम० दीवीकन
(24) श्री एच० आर० गोखले"

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, राज्य सभा द्वारा 26 मई, 1971 की अपनी बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में की गई तथा 27 मई, 1971 को लोक-सभा को भेजी गई इस सिफारिश से सहमत हो, कि यह सभा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करे कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए लोक-सभा के निम्न-लिखित 24 सदस्य नामनिर्दिष्ट किये जायें, अर्थात् :—

(1) श्री फ्रेंक एन्थनी
(2) श्री टी० बालकृष्णैया
(3) श्री बनमाली बाबू
(4) श्री आर० डी० भंडारे
(5) श्री विश्वेश्वर नाथ भार्गव
(6) श्री बी० के० दास चौधरी

(7) श्री पी० के० देव
(8) श्रीमती गंगा देवी
(9) श्री सी० डी० गौतम
(10) श्री ए० के० गोपालन
(11) श्री अण्णासाहेब गोटखिंडे
(12) श्री मुहम्मद ताहिर
(13) श्री एच० एन० मुकर्जी
(14) श्री नीतिराज सिंह चौधरी
(15) श्री प्रवीण सिंह सोलंकी
(16) श्री के० नारायण राव
(17) श्री ए० के० सेन
(18) श्री एस० ए० शमीम
(19) श्री आर० बी० बड़े
(20) श्री ए० के० कोत्राशट्टी
(21) श्री नुगेहल्लि शिवप्पा
(22) श्री एस० एस० तिवारी
(23) श्री एम० दीवीकन
(24) श्री एच० आर० गोखले"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted.**

---

## अनुदानों की मांगें, 1971—72
## DEMANDS FOR GRANTS, 1971-72

### गृह मंत्रालय

**सभापति महोदय** : सभा में अब गृह मंत्रालय से सम्बन्धित माँग संख्या 38 से 52, 126 और 127 पर चर्चा और मतदान होगा । इसके लिए 10 घंटे निर्धारित किये गये हैं ।

**गृह मंत्रालय की वर्ष 1971—72 की अनुदानों की निम्नलिखित माँगें प्रस्तुत की गई**

| माँग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| | | रुपये |
| 38 | गृह मंत्रालय | 1,46,31,000 |
| 39 | मंत्रि-मण्डल | 56,44,000 |

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| | | रुपये |
| 40 | कार्मिक विभाग | 2,68,50,000 |
| 41 | पुलिस | 52,18,85,000 |
| 42 | जनगणना | 7,28,14,000 |
| 43 | सांख्यकी | 3,28,87,000 |
| 44 | भारतीय राजाओं को निजी थैलियाँ और भत्ते | 87,000 |
| 45 | प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें | 18,87,000 |
| 46 | दिल्ली | 39,75,01,000 |
| 47 | चंडीगढ़ | 5,39,18,000 |
| 48 | अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | 7,39,10,000 |
| 49 | आदिम जाति क्षेत्र | 18,76,35,000 |
| 50 | दादरा और नगर हवेली क्षेत्र | 58,58,000 |
| 51 | लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप समूह | 1,21,71,000 |
| 52 | गृह मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय | 8,65,12,000 |
| 126 | संघीय राज्य क्षेत्रों और आदिम जाति क्षेत्रों का पूंजी परिव्यय | 17,19,52,000 |
| 127 | गृह मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय | 1,36,67,000 |

**सभापति महोदय** : सर्वश्री सरोज मुखर्जी, मूलचन्द डागा, पी० के० देव, एम० कल्याण सुन्दरम् और मोहम्मद ताहिर ने कटौती प्रस्ताव रखे हैं। क्या वे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं।

श्री सरोज मुखर्जी और श्री पी० के० देव अपने कटौती प्रस्ताव पेश करेंगे।

**गृह मंत्रालय की माँगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गये**

| माँग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 1 | **श्री सरोज मुखर्जी** | : जनता के आन्दोलनों को दबाने के लिए केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल को राज्यों में भेजने से रोकने की आवश्यकता। | 100 रुपये |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 2 | श्री सरोज मुखर्जी | सरकारी क्षेत्र में कर्मचारियों तथा मजदूरों के न्यायासंगत मजदूर संघों के आन्दोलनों को दबाने के लिए औद्योगिक सुरक्षा बल बनाने के प्रस्ताव को रोकने की आवश्यकता । | 100 रुपये |
| 38 | 5 | श्री पी० के० देव | देश में व्याप्त और निरंतर बढ़ रही अराजकता की स्थिति । | 100 " |
| 38 | 6 | श्री पी० के० देव | राजभनार समिति की रिपोर्ट के अनुसार केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्धों की समीक्षा करने की वांछनीयता । | 100 " |
| 38 | 7 | श्री पी० के० देव | संविधान के अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत एक अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् की स्थापना करने की वांछनीयता । | 100 " |
| 38 | 8 | श्री पी०के० देव | लोकप्रिय सरकारों के गठन तथा राज्य विधान सभाओं को भंग करने के सम्बन्ध में राज्यपालों को मार्गदर्शन सिद्धान्त बताने की वांछनीयता । | 100 " |
| 38 | 9 | श्री पी० के० देव | नागरिकों की शिकायतों पर विचार करने के लिए लोकपाल तथा लोकायुक्त की शीघ्र व्यवस्था करने की आवश्यकता । | 100 " |
| 38 | 10 | श्री पी० के० देव | प्रशासनिक सुधार आयोग की विभिन्न सिफारिशों को शीघ्र क्रियान्वित करने की आवश्यकता । | 100 " |
| 38 | 11 | श्री पी० के० देव | राष्ट्रीय एकता परिषद् को सक्रिय बनाने की वांछनीयता । | 100 " |
| 38 | 12 | श्री पी० के० देव | साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता । | 100 " |
| 48 | 18 | श्री पी० के० देव | नई दिल्ली तथा दिल्ली को एक ही लोकतांत्रिक प्रशासन के अन्तर्गत लाने की वांछनीयता । | 100 " |
| 48 | 19 | श्री पी० के० देव | अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की वांछनीयता । | 100 " |

**श्री सरोज मुखर्जी** : मैं गृह मंत्रालय की अनुदानों की माँगों का विरोध करता हूँ क्योंकि उसने जनता के प्रति दमन की नीति अपनाई है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पुलिस कानून और व्यवस्था, राष्ट्रीय एकता तथा अन्य संघीय क्षेत्रों के विकास का जिक्र किया है।

[ **श्री आर० डी० भंडारे पीठासीन हुये**
SHRI R. D. BHANDARE IN THE CHAIR ]

अन्य बातों के सम्बन्ध में मैं बाद में बताऊँगा, पर हाँ जहाँ तक पुलिस की कुशलता बढ़ने का सम्बन्ध है, इसमें कोई सन्देह नहीं कि पुलिस ने लोगों की हत्या करने, झूठे मामले बनाने में काफी कुशलता प्राप्त की है और इसी कारण उन्होंने पुलिस का बजट बढ़ा दिया है।

**'इकोनामिक्स टाइम्स'** के अनुसार पुलिस का खर्चा 19 गुना बढ़ गया है। ज्यों-ज्यों पुलिस का दमन बढ़ रहा है त्यों-त्यों उनका बजट भी बढ़ रहा है। उनके पास बंगला देश तथा अन्य किसी समस्या और याहिया खां के खिलाफ बंगला देश को शस्त्र देने पर सोचने का समय नहीं है। पर उन्होंने अपने विरोधियों की हत्या करने के लिए पश्चिम बंगाल में बारूद भेजा है।

संसार का इतिहास बताता है कि जब सरकार जनता के लिए कुछ करने में असमर्थ होती है तब वह दमन चक्र चलाती है और अपनी मनमानी करके अपनी मृत्यु को बुलाती है। वही सब यहाँ हो रहा है।

प्रधान मंत्री के पिताजी श्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय सुरक्षा अधिनियम जैसा कानून लागू करने के लिए 15 वर्ष लिए पर उनकी बेटी ने यह काम 15 महीनों में ही कर दिखाया।

आपात की स्थिति की घोषणा करने का अर्थ है जनता का दमन, हत्या और जनतांत्रिक सिद्धान्तों की समाप्ति।

उनका कहना है कि उन्होंने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया, पर वास्तविकता यह है कि इस दिशा में उन्होंने कुछ नहीं किया। उनका यह कहना भी गलत है कि राज्यों के आपसी सम्बन्ध तथा उनके केन्द्र से सम्बन्ध सुधरे हैं। तथ्य यह है कि वे और तेजी से बिगड़े हैं।

राजमन्नार समिति की सिफारिशों के बारे में सरकार को ज्ञात है, प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को विभिन्न राज्यों में क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है।

हम चाहते हैं कि राज्यों को और अधिक शक्तियाँ प्रदान की जायें ताकि वे प्रगति करेंगे और उनकी प्रगति के साथ भारत भी आगे बढ़े। यदि राज्यों को और अधिक शक्तियाँ तथा और अधिक धन दिया जायेगा तो भारत और अधिक संगठित हो जायेगा। संविधान में परिवर्तन किया जाये परन्तु संविधान के वर्तमान स्वरूप के अन्तर्गत भी काफी कुछ किया जा सकता था, जो उसने नहीं किया है।

अन्तर्राज्यीय नदी जल विवादों और सीमा विवादों का अभी तक समाधान नहीं हुआ है। इनको उतनी गति के साथ तय नहीं किया जा रहा है, जितनी देश को आवश्यकता है।

मनीपुर, त्रिपुरा और मेघालय को राज्य का दर्जा देने के सम्बन्ध में सरकार हर समय यह कहती रही है कि यह मामला अभी भी विचाराधीन है। लेकिन हम नहीं जानते कि इस मामले को कितने वर्षों तक विचाराधीन रखा जायेगा।

तेलंगाना क्षेत्र के लिये भी अभी तक कुछ नहीं किया गया है। यह समस्या अब दो वर्षों से अधिक समय से चल रही है।

भाषा की समस्या को हल नहीं किया गया है। कोंकणी भाषा के सम्बन्ध में प्राथमिक प्रतिवेदन तैयार किया गया था। वोरली, नेपाली, और आदिवासी बोलियों के विकास के लिये कुछ भी नहीं किया जा रहा है, भारतीय एकता को शक्तिशाली बनाने के लिये विभिन्न क्षेत्रों की भाषा और संस्कृति का विकास किया जाना चाहिये। परन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है।

मैं आसाम और नागालैंड के विवाद के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। गत मास नागालैंड के मुख्य मंत्री, श्री होकीशा सीमा प्रधानमंत्री से मिले और उनसे इस मामले को शीघ्र निपटाने का अनुरोध किया। काफी समय से वे 5,276 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिये झगड़ा कर रहे हैं। वर्ष 1925 में एक अधिसूचना निकली थी और आसाम उसके आधार पर लड़ रहा है। इस 5,276 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कोई नागा आ जाता है तो आसाम सरकार उसे गिरफ्तार कर लेती है। ऐसा क्यों किया जाता है?

अधिकारियों तथा अफसरों की बुद्धि का अनुसंधान तथा विश्लेषण विंग में उपयोग किये

जाने के स्थान पर उन्हें विवादग्रस्त क्षेत्रों में भेजा जाना चाहिये ताकि वे वहाँ लोगों, पार्टियों और सरकारों से मिल कर मामले को तय कर के दिल्ली लौटें। इस तरीके से विवादों को हल किया जा सकेगा।

अब मैं कानून और व्यवस्था के प्रश्न पर कुछ कहना चाहता हूं। इस प्रतिवेदन में कहा गया है कि सशस्त्र पुलिस के दस्तों, वायरलैस और अन्य उपकरण तथा गुप्तचरों को भेजने के रूप में केन्द्रीय सरकार ने सहायता की है। लेकिन क्या किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति में कुछ सुधार हुआ ? नहीं। आन्ध्र प्रदेश में खम्मम, वारंगल और करीमनगर, इन तीन जिलों को "अशान्त क्षेत्र" घोषित कर दिया गया है। क्योंकि एक जिले में 30–40 गाँव ऐसे थ जहाँ गाँव वाले गये और बन भूमि पर अधिकार कर लिया। उन्होंने जीविकोपार्जन के लिये बन भूमि पर खेती आरंभ कर दी। आन्ध्र प्रदेश के गृह मंत्री ने सशस्त्र पुलिस भेजी, जो किसान बन भूमि पर कृषि कर रहे थे उन्हें पीटा गया। वे दूसरे गाँव मोहापुरम भाग कर चले गये परन्तु राज्य पुलिस ने उनका वहाँ तक पीछा किया और उन घरों को, जहाँ उन्होंने शरण ली थी, जला दिया। इस अत्याचार की सूचना राज्यपाल और यहाँ के गृह मंत्रालय को दे दी गई परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार की दमनकारी नीति का पालन बिहार, केरल तथा अन्य राज्यों में भी किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में उसने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सेना को तैनात किया है। मार्च, 1970 से 16 जून, 1971 के बीच वहाँ कुल 877 व्यक्तियों की हत्या की गई। इसके बावजूद भी वहाँ कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। वहाँ पर उन्होंने स्त्रियों पर अत्याचार किये। जो अत्याचार अंग्रेजों के समय में भारतीयों पर किये जाते थे वैसे अत्याचार किये गये।

अब सरकार आंतरिक सुरक्षा को बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम बनाने जा रही है। यह विरोधी दलों पर ही आक्रमण नहीं होगा बल्कि सभी लोकतांत्रिक दलों पर होगा।

एक बार इस दमनकारी तन्त्र को चलाये जाने के पश्चात् यदि यह नियंत्रण से बाहर हो गया तो इस पर कोई भी नियंत्रण नहीं कर सकेगा।

"स्टेट्समैन" जैसे समाचार-पत्र इसे सहन नहीं कर सके और अपने सम्पादकीय में इसे "राजनीतिक ठगी" का नाम दिया है। इतना ही नहीं, किसी मंत्री महोदय के निजी समाचार-पत्र 'युगान्तर' ने भी अपने सम्पादकीय में इसका विरोध किया। उन्होंने लिखा कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिये। सरकार इसे आरंभ करती है परन्तु संकेत हमारी ओर होता है। सत्तारूढ़ दल हिंसक कार्यवाही उत्पन्न करता है। जनता इसे कहीं आरंभ नहीं करती है।

श्री अजय मुखर्जी, श्री ज्योति बसु, श्री विश्वनाथ मुकर्जी तथा 14 अन्य व्यक्तियों ने एक संकल्प सर्व सम्मति से पारित किया था जिसमें बताया गया था कि अन्तर्दलीय विवादों को समाप्त किया जाना चाहिये। संकल्प के खंडों में कहा गया है कि कांग्रेस, कुछ समाचार-पत्र तथा शक्तियाँ जो संयुक्त मोर्चा के विरोधी हैं, अपने हितों के लिये विवाद उत्पन्न करते हैं। कुछ निहित झगड़े उत्पन्न करते हैं। परन्तु आज वे लोग श्रीमती इन्दिरा गाँधी के समर्थक हैं तथा वे साम्यवादी मार्क्सवादी दल को विवादों और झगड़ों के लिये उत्तरदायी ठहराते हैं।

वह हमें तोड़-फोड़ करने वाले कह कर समाप्त करना चाहते हैं। परन्तु हम उस चेतावनी देते हैं कि चाहे वह कठोर कानून बना ले और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सेना का प्रयोग करे

परन्तु हम जनता के संघर्ष में जनता के साथ आयेंगे और प्रजातांत्रिक आन्दोलन में एक दिन विजयी होंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अनुदानों की माँगों का विरोध करता हूं।

**Shrimati Lakshmikanthamma** (Khammam) : I congralutlate the Ministry of Home Affairs for taking steps to encourage the use of Hindi at the official level. It is necessary to take steps for speedy propagation of Hindi in the Hindi-speaking states. So far as non-Hindi-Speaking states are concerned, proper care should be used. In South India most of the people want to learn Hindi because they know that English is not to be used as official language for ever. Political leaders make the issue of Hindi language a political one. They spend their time in opposing Hindi but the future generations must not be deprived of Hindi language. In this context the question of developing the regional languages also arises. Centre as well as the State Governments should take much interest in developing these languages.

To-day there are many problems before the country. The issues regarding reorganisation of States and various disputes between States are harmful to the unity of the country. The people who are trying to incite communialism are making farce with the nation's future. In this way political tactics are exercised which may jeopardise the national unity. The country should be escaped from such activities.

इस समय विभिन्न राज्यों में विद्यमान विकास विषमता, क्षेत्रफल के सम्बन्ध में उनकी असमान पृष्ठ भूमि और अन्तर्राज्यीय तनाव उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। लेकिन बुद्धिमानी इसी में है कि इस प्रकार के तनाव पैदा करने वाले कारणों को धैर्य, सोच समझ कर तथा चतुराई से दूर किया जाये न कि राज्यों का विभाजन करके। यह स्मरण रखना चाहिये कि यदि विभाजन किया गया तो वह हानिप्रद होगा।

तेलंगाना की वास्तविक और स्थायी समस्या उसके पिछड़ेपन की है सामन्तशाही शासन से संघर्ष करके उसको स्वतन्त्र तो किया है परन्तु फिर भी उन्हें व्यक्तित्व को विकसित करने का अवसर नहीं मिल रहा है। तेलंगाना की शीघ्र प्रगति करने की आशा न केवल इसे आन्ध्र प्रदेश के साथ मिला कर की जा सकती है अपितु भारत के किसी भी भाग से आने वाले लोगों का इससे सम्पर्क स्थापित करके की जा सकती है।

To find out something specific and strange in the Telengana issue is harmful to the nation. The main problem of this issue is economic.

The economic issues cannot be resolved by dividing the States. Had it been so, there would have been no need of our leans. If the States are being formed on he sentimental basis, there will be no end to it and this will put embargo on the development. I request the hon. Prime Minister to make it clear that no consideration will be given on the issues regarding re-organisation of States. It is another matter if Parliament makes any change, keeping in view the national interest, in Border Staes.

It any hasty decision is taken in settling the Teelgana issue, it would be short sightedness. The Government must resolve this issue carefully.

एक माननीय सदस्य ने कानून और व्यवस्था की स्थिति का उल्लेख करते हुये कहा कि पुलिस पर बहुत धन व्यय किया गया है। इसके लिये जिम्मेदार कौन है? संविधान के अनुसार लोगों के जीवन और सम्पत्ति को संरक्षण देना सरकार का कर्त्तव्य है। मेरा विचार है कि अपने

संवैधानिक दायित्वों को निभाने के अभिप्राय से कानून को बनाये रखने के लिये व्यय में वृद्धि करके सरकार ने ठीक ही काम किया है।

**श्री शंकरराव सावन्त** (कोलाबा) : सभापति महोदय, मैं इस मंत्रालय के अनुदानों की माँगों पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

**सभापति महोदय** : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

**इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 23 जून, 1971/2 आषाढ़, 1893 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।**

**The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 23rd June, 1971/Asadha 2, 1893 (Saka).**

Printed at Law Publishing House, Allahabad.